खण्ड-356, अंक-8
गुरूवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(18 मार्च, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 356 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1015–1019
प्रश्नोत्तर	..	1021–1063
भूतपूर्व सदस्य, श्री भारत सिंह चौहान व श्री श्याम सुन्दर गुप्त के निधन पर शोकोद्गार	..	1063–1067
सिंचाई विभाग के वर्क चार्ज तथा मस्टर रोल के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की धमकी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1067–1068
बरेली में बल्लो बांध के टूट जाने से बल्लो नहर कमांड एरिया में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1068
दिल्ली एवं हरियाणा से व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से सामान लाकर मथुरा में बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1068–1069
मुजफ्फरनगर के कांधला क्षेत्र के कतिपय ग्रामों की फसल हरियाणा प्रदेश के प्रशासन द्वारा कटवायें जाने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1079–1070
फर्रुखाबाद में हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट के परीक्षा केन्द्रों में दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1070
जिला परिषद्, आगरा के कर्मचारियों द्वारा तारकोल की चोरी से बेच दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1070–1071
कतिपय सदस्यों द्वारा अपनी नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को लिये जाने की मांग	..	1071–1072
उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982.. (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	..	1072
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982... ...(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	..	1073
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981–82) का विशेष प्रतिवेदन....(सदन में प्रस्तुत किया गया)	..	1073
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1976–77 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन..... (सदन में प्रस्तुत किया गया)	..	1073
भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1976–77(सिविल) पर आधारित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया)	..	1074–1075

विषय	पृष्ठ-संख्या
ब्लिट्ज के विशेष संवाददाता श्री विशन कपूर की मेडिकल कालेज, लखनऊ के डाक्टरों की लापरवाही से मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1075-1078
प्रदेश के भूतपूर्व राज्य मन्त्री, श्री भारत सिंह चौहान की रहस्यमय परिस्थिति में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1078-1079
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	1079-1080
1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 8-कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17-गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरि उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता अनुभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग (स्वीकृत) ..	1080-1169
अनुदान संख्या 52--विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत) ..	1169
अनुदान संख्या 53--विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) ..	1170
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	1170
उन्नाव जिले के थाना बीघापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बेहटा गोपी में एक ही परिवार के चार व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1170-1171
परिशिष्ट	1173-1175

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 18 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बज दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--354

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां लइतर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित, आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबन्दी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशी नाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण भगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव एडवोकेट, श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
खवाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)

गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोबरधन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थ्रमल सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुपराय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती, (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद बिशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)

बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुवंर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डाक्टर (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)

राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री, (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदा नन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज, श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सूरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)

हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

عقد طرحا للبيع

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 18 मार्च, 1982

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 से नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सहकारी संस्थागत कर्मचारियों की नियमावली तथा पदोन्नति का आधार

*1--श्री विजय सिंह राना--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उ0 प्र0 सहकारी संस्थागत कर्मचारी नियमावली में यह प्राविधान है कि कर्मचारियों की पदोन्नति सहकारी संस्थागत सेवा मंडल की अनुमति से ही की जायगी और यदि कोई पदोन्नति साधे की भी गयी तो उसे 6 महीने से अधिक समय तक नहीं चलाया जा सकता ? यदि हां, तो 31-10-81 को ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो कि बिना सेवा मंडल की अनुमति के ही पदोन्नत किए गये हैं और क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)--

जी हां ।

सहकारी संस्थागत सेवा मंडल की परिधि में आने वाली सहकारी संस्थाओं में ऐसे कुल 1,360 कर्मचारी हैं जिनका अनुमोदन औपचारिकताओं के अपूर्ण होने के कारण सेवा मंडल से अभी तक नहीं प्राप्त हो सका है । यह प्रोन्नतियां संस्थाओं में बढ़े हुए कार्य के हित में सेवा मंडल के अनुमोदन की प्रत्याशा में तदर्थ रूप से की गई हैं ।

श्री विजय सिंह राना--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि सहकारी संस्थागत सेवा मंडल की परिधि में आने वाली सहकारी संस्थाओं में ऐसे कुल 1,360 कर्मचारी हैं, जिनका अनुमोदन औपचारिकताओं के अपूर्ण होने के कारण सेवा मंडल से अभी तक नहीं प्राप्त हो सका है । यह प्रोन्नति संस्थाओं में बढ़े हुए कार्य के हित में सेवा मंडल के अनुमोदन की प्रत्याशा में तदर्थ रूप से की गयी हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनकी पदोन्नति का दिनांक क्या है और अनुमोदन के लिए कब लिखा गया, उनकी पत्र-संख्या क्या है ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, इसके लिए सन् 1972 से 1980 तक लिखा गया है और इसके प्रोन्नत करने के आधार जो हैं, जैसे अभियाचना पत्र, प्रोन्नति सम्बन्धी सूचनायें, ज्येष्ठता सूची, ज्येष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठता क्रम में आने वाले तीन गुना नामों की सूची, मूल चरित्र पंजिकाओं, अर्हताओं के विवरण, पदों की स्वीकृति की प्रतिलिपियां आदि ये सूचनायें सेवा मंडल को काफी पत्र-व्यवहार के बावजूद संस्थाओं से प्राप्त नहीं हो पातीं, जिसके कारण उनके द्वारा मामलों के परीक्षण में कठिनाई व निर्णय में विलम्ब होता है ।

श्री विजय सिंह राना--

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सूचना मांगी थी कि उनको पदोन्नति कब हुई और उसकी तारीख क्या है और जब अनुमोदन के लिए लिखा गया, तो उनकी तारीख क्या है ? अध्यक्ष महोदय, उनकी पदोन्नति जो की गयी, उसकी तारीख क्या है ? माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर न देकर दूसरा उत्तर दे दिया। पदोन्नति के लिए जब लिखा गया, उसकी तारीख और पत्र-संख्या क्या है, यह मैंने पूछा था, दोनों का जवाब नहीं आया।

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, भिन्न-भिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न तारीखों में यह उत्तर दिया गया है। 1972 से 31-10-1981 तक प्रोन्नति के लिये दिया गया है।

श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जो पदोन्नति वाली बात है, वह 1972 से वे सेवा मंडल को लिखते आ रहे हैं, जो मैं समझ पाया, 1972 से ही यह पदोन्नति के लिए पात्र थे, 8 साल से या 9 साल से मंत्री जी लिखते आ रहे हैं और उनकी पदोन्नति का मामला अभी तक तय नहीं हो पाया, उसका क्या कारण था ? इसके साथ ही साथ क्या यह सही है, क्योंकि इसमें इस प्रकार मंत्री जी घूम रहे हैं, बड़ी आपत्तिजनक बात हो जाती है, क्या यह सही है कि आपके मंत्रिमंडल में आने के पश्चात् से ही ये सारी तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं ? 6 महीने का आपको अधिकार है, 6 महीने तक आपने अनुमोदन नहीं प्राप्त किया और केवल अपने आदमियो को रखने के लिए 1,360 आदमियों को रख लिया।

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, इसमें ऐसी योग्यतायें हैं, उसके लिए सूचना मांगी गयी, जिसमें विलम्ब हुआ। यह पदोन्नतियां हमारे समय में नहीं की गयीं बल्कि जनता शासन के टाइम में सारी अधिकांश नियुक्तियां की गयी हैं।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि 1,360 व्यक्ति की पदोन्नति सेवा मंडल के अनुमोदन के बिना की तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ये 1,360 व्यक्तियों को जो पदोन्नति हुई है, उनमें से बलिया जिले के कितने व्यक्ति हैं ?

श्री बच्चा पाठक--

यह अलग से सूचना मांगों तो दी जा सकती है।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में 1972 से पदोन्नतियां दी गई, लेकिन आज तक अनुमोदन सेवा मंडल द्वारा नहीं हो सका। तो इसमें जो दोषी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

इस विषय में कार्यवाही की जा रही है।

श्री विजय सिंह राना—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अनमोदन नहीं हुआ इसमें गलती किसकी है ? आपके विभाग की गलती है या सेवा मंडल की है ? मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले गलती किसकी है यह पता लगायें उसके बाद उसके विरुद्ध कार्यवाही करें ?

श्री अध्यक्ष—

आप देख लें गलती किसकी है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

दोष किसी का नहीं है । सेवा मंडल को सन्दर्भित प्रकरणों पर उनके द्वारा निर्णय को सुगम बनने हेतु मामलों से सम्बन्धित कतिपय विवरण उन्हें भेजे जाने होते हैं । जैसे अधियाचना-पत्र, प्रोन्नति सम्बन्धी सूचनायें, ज्येष्ठता सूची, ज्येष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठता क्रम में आने वाले तीन गुना नामों की सूची, मूल चरित्र पंजिकायें, अर्हताओं के विवरण, पदों के स्वीकृति की प्रतिलिपियां आदि । ये सूचनायें सेवा मंडल को काफी पत्र : व्यवहार के बावजूद संस्थाओं से प्राप्त नहीं हो पाती हैं, जिनके कारण उनके द्वारा मामलों के परीक्षण में कठिनाई व निर्णय में विलम्ब होता है ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में इन्होंने बताया कि पदोन्नति के लिये चरित्र पंजिका आदि भेजी है । तो जिन संस्थाओं ने नहीं भेजा उन संस्थाओं ने आपके नियमों का पालन नहीं किया आपके बार-बार लिखने के बावजूद । तो क्या माननीय मंत्री जी उनके विरुद्ध, जिन्होंने ऐसा किया कार्यवाही, करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

जांच करेंगे । जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ।

श्री विजय सिंह राना—

सेवा मंडल बना है और अनुमोदन नहीं हुआ । वह नियमों की अवहेलना है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । दूसरे प्रश्न होने दें ।

[बृहस्पतिवार, दिनांक 18 मार्च, 1982 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

ए० आर० ओ०, पच्छिम मुरादाबाद द्वारा बंसल राइस मिल, मझौल पर मारा गया छापा तथा कृत कार्यवाही

*1—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री को विदित है कि दिनांक 24-7-1981 को ए० आर० ओ०, पच्छिम मुरादाबाद द्वारा बंसल राइस मिल, मझौला पर जो छापा मारा गया, जिसमें लगभग 70 हजार रुपये का माल मेसर्स चिरंजीव लाल नत्थू मल के यहां पकड़ा गया जिसकी एफ० आई० आर० भी दर्ज हो गई है, उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर है जी नहीं, लेकिन यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय 23 जुलाई, 1981 की घटना से है तो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका पूरा-पूरा संज्ञान शासन को है और उस सम्बन्ध में तीन कार्यवाही की गई। एक तो उस फर्म की जांच करके उसका माल जब्त किया गया, मुकदमा दर्ज कराया गया और निरुद्ध किया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो पहला लिखित उत्तर होगा क्या उससे भिन्न उत्तर दिया जा सकता है। मुझे उत्तर से आपत्ति नहीं है केवल प्रक्रिया सम्बन्धी दोष के सम्बन्ध में है।

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने प्रकिया सम्बन्धी दोष की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया है उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष—

जैसे ही आपने बताया, वह बैठ गये। दोष समाप्त हो गया।

श्री मोहन सिंह—

उस पीठ से आने के बाद कोई नई नियमावली बनी है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मन्त्री जो इसकी गम्भीरता को देखते हुये उनके विभाग और पुलिस ने मिलकर इसकी तारीख में हेरफेर तो नहीं किया है, इस सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी नहीं। दिनांक 23 जुलाई, 1971 को अपराह्न 3.30 बजे श्री बलवीर सिंह श्री क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी (पश्चिमी) मुरादाबाद ने चार पूर्ति निरीक्षकों श्री पी0 के0 लोमस, एस0 के0 जोहरी, वी0 के0 वैश्य तथा हरवंश सिंह के साथ बंशल राइस एन्ड जनरल इन्डस्ट्रीज, मझौला स्थित फर्म मेसर्स चिरंजी लाल नत्थू मल के गोदाम पर छापा मारा। उसमें तीन कार्यवाहियां की गयी हैं-एक तो उनके खिलाफ ई0 सी0 ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, दूसरे उनको निरुद्ध किया गया और तीसरी कार्यवाही उनकी 70 हजार का माल जब्त किया गया। जो व्यक्ति सम्बन्धित थे वह एडवाइजरी बोर्ड में गये तो एडवाइजरी बोर्ड ने उनको छोड़ दिया।

ऐशबाग पावर हाउस, लखनऊ की चिमनी ऊंची करने तथा छानक यंत्र लगाने हेतु दी गई याचिका

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर महापालिका के राजेन्द्र नगर वार्ड में स्थित ऐशबाग पावर हाउस की चिमनी ऊंची करने तथा

छानक यंत्र लगाने के लिए शासन तथा नगर महापालिका को अनेक प्रतिवेदन 1980–81 में दिये गये हैं ? यदि हां, तो उन प्रतिवेदनों पर क्या निर्णय लिये गये ?

नगर विकास मन्त्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

जी नहीं ।

विधान परिषद् की याचिका समिति को इस सम्बन्ध में दिनांक 19 जनवरी, 1980 को उस क्षेत्र के 60 निवासियों की एक याचिका प्राप्त हुई थी, जो याचिका समिति के विचाराधीन है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जिन प्रतिवेदनों की चर्चा की गयी है उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है, शायद शासन को वह न मिली हो । लेकिन मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि मामला याचिका समिति के विचाराधीन है । उसके बाद शासन से जवाब मांगा गया होगा । अर्थात् मामला शासन के संज्ञान में है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कोयले के कण पूरे मोहल्लों और वार्ड में फैलते हैं, जिसके सम्बन्ध में नागरिकों ने प्रतिवेदन नगर महापालिका को दिया और इसलिये नगर महापालिका ने उसको ठीक करने का प्रस्ताव किया था, इसलिये शासन के यहां यह विचाराधीन है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि नागरिकों की सुविधा के लिये चिमनी को ऊंचा करने की कार्यवाही क्या सरकार कर रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, लेसू के अभियंता ने समिति को अवगत कराया था कि उक्त पावर हाउस के ब्वायलर के साइज और क्षमता को देखते हुये चिमनी को ऊंचा रखा गया है इसलिये उससे ऊंचा और नीचा करना उचित नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं कि क्या नागरिकों की इस कठिनाई से मन्त्री जी सहमत हैं, यदि हां, तो उस कठिनाई निवारण के लिये कोई कारगर कार्यवाही करने पर शासन क्या विचार कर रहा है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, अवश्य विचार करेंगे ।

कृषक सेवा सहकारी समिति, जंगलिडुमरो नं0 2, गोरखपुर में चीनी वितरण में अनियमितता की जांच तथा दोषी कर्मचारियों का निलम्बन

*3—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—(अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत 28 सितम्बर, 1981 को जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्त्ता श्री मु0 दरभाही की सूचना पर जिलापूर्ति अधिकारी, गोरखपुर, सहायक जिला सहकारी आफिसर, गोरखपुर को कृषक सेवा सहकारी समिति, जंगलिडुमरो नं0 2 बि0 खं0 भरहट (गोरखपुर) में चीनी वितरण में अनियमितता की तत्काल जांच करने के आदेश दिये गये थे और जांच

में बीस बोरी स्टाक से अधिक चीनी मिली, जिसके सम्बन्ध में उसी दिन थाना मुल्हरिया में आ0 वस्तु अधि0 की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ एवं सम्बन्धित सचिव एवं टी0 ओ0 निलम्बत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों कर्मचारियों को सहायक निबन्धक, सहकारी (गोरखपुर) ने बहाल कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां ।

जांच में 2, कुन्तल 64 किलो अधिक चीनी स्टाक में पायी गयी ।

जी हां ।

एक कर्मचारी (सचिव) को बहाल किया गया है ।

जांच में दोषी न पाए जाने के कारण बहाल किया गया है ।

प्रशिक्षित आयुर्वेद के स्नातकों को राजकीय सेवा में लिये जाने पर विचार

*4--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बाहर प्रशिक्षित आयुर्वेद के उन स्नातकों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित हैं, राजकीय सेवा में लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जनस्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)--

जी हां, ऐसे स्नातक राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में शैक्षिक पदों के लिये अर्ह हैं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के बाहर जो छात्र, जैसे दिल्ली से राजकीय आयुर्वेदिक कालेज से प्रशिक्षित होकर आते हैं तो उनको क्या यहां स्थान दिया जायेगा और यहां लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर में यह आ गया है कि अर्ह हैं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, यदि लिये जा रहे हैं तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अब तक कितने उत्तर प्रदेश के छात्र लिये गये हैं, जिन्होंने बाहर शिक्षा पायी है ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, 17 उम्मीदवार लिये गये हैं ।

श्री छत्तर सिंह--

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि इनको केवल राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में शैक्षिक पदों पर लिया जायेगा । क्या राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में इनकी नियुक्ति की जायेगी ?

श्री लोकपति--

जी नहीं ।

जनपद ललितपुर में स्थित जिला अस्पताल के दवा घोटाला काण्ड की जांच

*5--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 16 नवम्बर, 1981 को जनपद ललितपुर में स्थित जिला अस्पताल के दवा घोटाला काण्ड की जांच विशेष स्वास्थ्य सचिव, श्री पी0 के0 सक्सेना ने ललितपुर जा कर की हैं? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरि सिंह--

प्रश्नगत दवा घोटाला काण्ड की जांच विशष स्वास्थ्य सचिव, डा0 पी0 के0 सक्सेना ने दिनांक 17, 18 व 19 नवम्बर, 1981 को की है। जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस अधिकारी से आपने इसकी जांच कराई है, उसने कोई आख्या प्रस्तुत की है तो क्या उसमें किसी को दोषी पाया गया है? दूसरा प्रश्न यह है कि दोषी पाने के आधार पर पुलिस में एफ0 आई0 आर0 लिखायी गई है या नहीं?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

श्रीमन्, अभी उनकी रिपोर्ट पर जांच हो रही है परीक्षण किया जा रहा है। कोई अधिकारी अभी दोषी नहीं पाया गया है और न पुलिस में कोई शिकायत की गई है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस घोटाला काण्ड में कितने रुपये का मामला अंतर्ग्रस्त है? जो रिपोर्ट है वह संक्षेप में बता दें?

श्री लोकपति--

अभी यह वेग ह। अभी राशि निर्धारित नहीं हुई है। परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद यह निश्चय होगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

आपके विशेष सचिव ने जांच की हैं और आख्या आ गई है। आख्या को प्राप्त करने के बाद भी उसके परीक्षण कराने की क्या आवश्यकता पड़ी है? आपके स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही इस घोटाला काण्ड को पकड़ा गया है। तो इस काण्ड को पकड़ने के समय जो चार्ज लगाए गए थे और जिनके आधार पर जांच हुई तो वह चार्ज क्या क्या हैं?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, विशेष सचिव की रिपोर्ट जो आई है, वह निदेशालय को भेज दी गई है। उसका सम्पूर्ण परीक्षण करके कार्यवाही की जायगी।

जनपद चमोली में राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित फार्मेसिस्ट को स्थायी किये जाने की कार्यवाही

*6--श्री कुंवर सिह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिह भण्डारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में दिनांक 31-12-80 को कितने अप्रशिक्षित फार्मेसिस्ट राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत थे तथा उनको स्थायी किए जाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हरि सिह--

जनपद चमोली में दिनांक 31-12-80 को तीन अप्रशिक्षित फार्मेसिस्ट कार्यरत थे।

इनमें से श्री सत्य प्रसाद रतूड़ी को अप्रशिक्षित वेतनमान में दिनांक 1-4-74 से स्थायी घोषित कर दिया गया है। दूसरे फार्मेसिस्ट श्री मुरलीधर सेमवाल अप्रशिक्षित होने के साथ-साथ अपंजीकृत भी हैं। उन्हें एक साल का सेवाकालीन प्रशिक्षण कराया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण पूर्ण करने तथा उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत होने के उपरान्त वह स्थायीकरण के लिए आई होंगी। फार्मेसिस्ट के और स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण तीसरे फार्मेसिस्ट को स्थायी करना अभी सम्भव नहीं है।

श्री कुंवर सिह नेगी--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उस तीसरे फार्मेसिस्ट का नाम क्या है और कब से वह विभाग में सेवारत है और जब कोई स्थायी पद आयेगा तो उसका स्थायीकरण कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, उनका नाम एच0 एस0 शर्मा है। 5-8-62 से वह सेवा में हैं।

श्री कुंवर सिह नेगी--

मेरा निवेदन यह है कि विभाग का नियम है कि कोई भी कर्मचारी किसी सेवा में लगातार 3 साल से सेवारत हो तो उसकी सेवायें स्थायी कर दी जाती हैं, तो क्या वजह है कि इनको स्थायी नहीं किया गया है ? इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि भविष्य में यदि कोई स्थायी पद होता है तो इनका स्थायीकरण कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति--

जब पद सृजित हो जायगा तब चूंकि यह अभी हाई स्कूल भी नहीं हैं तो इनको पहले हाई स्कूल की परीक्षा दिलायी जायगी, फिर इनको ट्रेनिंग करायेंगे तब पंजीकृत कराकर स्थायी करेंगे।

बस्ती जिले में डाक्टर विहीन लोटन चिकित्सालय

*7--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार को जानकारी है कि बस्ती जिले के चिकित्सालय लोटन में कई महीनों से कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर तत्काल डाक्टर भेजने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हरि सिंह—

जी हां । मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती को निर्देश दिये गये हैं कि वह फिलहाल स्थानीय व्यवस्था पर वहां एक डाक्टर भेज दें।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस चिकित्सालय पर कब से डाक्टर नहीं हैं ?

श्री लोकपति—

वहां पर पिछले वर्ष से डाक्टर नहीं हैं, एक वर्ष से नहीं हैं।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके इसकी जांच करा लेंगे कि एक वर्ष की जो अवधि है, वह सही है ?

श्री लोकपति—

एक वर्ष पूर्व वहां पर डाक्टर शिव नाथ सिंह थे, 1981 में उनके ट्रांसफर के बाद से वहां पर कोई डाक्टर नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा कि आदेश वे दिये गये हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी के आदेश के बावजूद आज की तिथि में वहां पर डाक्टर हैं या नहीं हैं ?

श्री लोकपति—

मान्यवर, डाक्टरों के रिकार्ड में 1400 डाक्टरों की कमी है, अतएव, हम लोकल एडजस्टमेंट कराते रहते हैं, किन्तु स्थायी व्यवस्था तब तक नहीं कर सकते, जब तक 1400 डाक्टरों की नियुक्तियां न हो जायं।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मन्त्री जी ने मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती को कब निदेश दिये हैं लोकल एरेन्जमेंट के लिए और क्या उसके अनुपालन में आज वहां डाक्टर पहुंच गये हैं या नहीं ?

श्री लोकपति—

फरवरी, 1982 में आदेश दिया गया। एक काम चलाऊ एरेन्जमेंट किया गया है, जो डाक्टर हैं वह दूसरे चिकित्सालय को भी देखते हैं और इसको भी देखते हैं।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में गबन में दोषी कर्मचारी एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध जांच

*8—श्री रघुबीर सिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में अप्रल, 1977 में हुए 50,000 रुपये के गबन में दोषी कर्मचरी

एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध जांच करायी गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या ह और उन अधिकारियों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति--

अप्रैल, 1977 में उक्त कालेज में 50,000 रु0 का कोई गबन नहीं हुआ था। अप्रैल, 1977 में 29,066·74 रु0 के गबन की एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसकी तत्काल पुलिस रिपोर्ट की गई थी?

श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन वैयक्तिक सहायक तथा श्री बी0 एन0 चौबे तत्कालीन कैशियर उक्त घटना में प्रथम दृष्ट्या रूप से दोषी प्रतीत हुए। अतः उन्हें निलम्बित कर दिया गया। इनके विरुद्ध न्यायालय में भारतीय दण्ड विधान की धारा 409 के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है। प्रधानाचार्य के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो रही है।

नगर पालिकाओं एवं टाउन एरिया के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने पर विचार

* 9--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में नगर पालिकाओं एवं टाउन एरिया के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो यह पेंशन की स्वीकृति सरकार कब तक कर देगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नगरपालिकाओं के केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों को पेंशन की सुविधा दी जा चुकी है तथा टाउन एरियाओं के इसी संवर्ग के कर्मचरियों को पेंशन देने हेतु नियमावली बनाई ज रही है। नगर पालिकाओं के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों के लिये भी पेंशन नियमावली बनाई जा रही है। टाउन एरियाओं के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को पेंशन देने का अधिकार सम्बन्धित टाउन एरिया कमेटियों को ही प्राप्त है अतएव शासन स्तर से इन कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्य पाल सिंह--

माननीय मन्त्री जी से प्रश्न यह था कि नगरपालिका और टाउन एरियाज के जो सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं उनको पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? आपने टाउन एरिया और नगर पालिका दोनों के बीच में एक डिफरेन्स खड़ा कर दिया और अकेन्द्रीयित के आधार पर भी डिफरेंस खड़ा कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या तात्पर्य है और क्या कारण है, जिसके आधार पर नगरपालिका और टाउन एरिया के कर्मचारियों के बीच में फर्क खड़ा करके पेंशन दिलाने की बात कही है? इसका आधार क्या है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, जैसा नियमों में प्राविधान है, वही आधार है।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो उत्तर दिया है कि नियमावली बनाई जा रही है, क्या वह हमारे इस

प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं चूंकि जो नियमावली बनती है उसमें बहुत से दोष रह जाते हैं तो क्या वे इसके सम्बन्ध में कोई विधेयक विधान सभा में लाने का प्रयत्न करेंगे ताकि वृहत् कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल सके ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, नियमावली बनने के बाद ही माननीय सदस्य इस पर विचार करें क्योंकि नियमावली बनने के बाद कोई कमी इसमें नहीं रहेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि टाउन एरियाओं के अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को पेंशन देने का अधिकार सम्बन्धित टाउन एरिया कमेटियों को ही प्राप्त है । तो क्या माननीय मंत्री जी टाउन एरिया कमेटी के लिये कोई निर्देश देने की कृपा करेंगे कि जो सेवा से निवृत्त कर्मचारी हो जायेंगे, उनको वे पेंशन देंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, नियम और अधिनियम में प्राविधान है कि टाउन एरिया स्वयं सक्षम है कि वह पेंशन दे या न दे । शासन नियमावली बना देगा उसके बाद वह स्वयं फैसला करे कि किसको पेंशन देनी है और किसको नहीं देनी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की शर्तों के अनुसार ही सुविधायें प्रदान की गयी हैं और आप कह रहे हैं कि नियमावली बनाना अभी शेष है, तब तक इस बात को ध्यान में रखते हुये कि नियमावली बनने में अभी समय लग सकता है, उसके तहत कोई तदर्थ घोषणा क्या माननीय मंत्री जी करेंगे कि उनको पेंशन दे दी जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में तदर्थ नियमों की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत शीघ्र ही नियमावली की घोषणा कर दी जायेगी ।

स्व0 श्री संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट लखनऊ इंस्टीट्यूट, लखनऊ के गठन के अध्ययन के सिलसिले में अमेरिका, ब्रिटेन एवं स्वीडन भेजी गयी टीम तथा उन पर व्यय

* 10—श्री मोहन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत माह अक्तूबर—नवम्बर, 1981 में उ0 प्र0 शासन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक टीम स्व0 श्री संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट, लखनऊ इंश्टीट्यूट, लखनऊ के गठन के अध्ययन के सिलसिले में ब्रिटेन, कनाडा व अमेरिका के दौरे पर भेजी गई थी ? यदि हां, तो इस टीम के दौरे पर शासन की ओर से कितना धन व्यय हुआ और इस टीम ने शासन को अपनी क्या रिपोर्ट दी ?

श्री हरि सिंह—

जी हां । यह दल यू0 एस0 ए0, यू0 के0 एवं स्वीडन के विशिष्ट चिकित्सा संस्थाओं का अध्ययन करने गया था ।

उक्त दल के दौरे पर प्रति व्यक्ति लगभग 33,300 रु0 व्यय हुआ और कुल व्यय लगभग 2,00,000 रु0 हुआ ।

इस दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रस्तावित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए मुख्यतः निम्न सुझाव दिए गए हैं :—

(1) इंस्टीट्यूट में तीन अंग हों :

(क) रेफरल मेडिकल केयर सेन्टर,

(ख) शिक्षा व कन्टीन्यूइंग मेडिकल एजूकेशन,

(ग) शोध कार्य ।

(2) संस्थान एक स्वशासी बाडी के रूप में कार्य करे ।

(3) इंस्टीट्यूट के प्रथम चरण में क्लिनिकल रिसर्च के लिए 5 या 6 अतिविशिष्टतायें हों व 250 शैय्याओं का एक चिकित्सालय हो ।

(4) संस्थान का हर विभाग एक सेन्टर के रूप में विकसित किया जाय।

(5) संस्थान में नवीन उपकरण से सुसज्जित एक बृहत् लाइब्रेरी हो जो शोध के वातावरण को प्रोत्साहित करे ।

(6) कन्टीन्यूइंग शिक्षा के अधीन चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धियों व ज्ञान को जिला चिकित्सालय स्तर तक पहुंचाया जाय ।

(7) संस्थान में केवल रेफरल केसेज ही देखे जायं ।

(8) डाइग्नोस्टिक सुविधाएं केन्द्रीय रूप से उपलब्ध हों । इसको अन्य केन्द्रीय सुविधाओं के साथ रखा जाय ।

(9) शिक्षा व शोध कार्य केवल पोस्ट ग्रेजुएट रतर पर किया जाय ।

(10) संस्थान का एक केन्द्र, कंटीन्यूइंग शिक्षा, सिम्पोजियम, सेमीनार, अंतर्राज्यीय व अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आदि सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं से सुसज्जित हो ।

(11) फैकल्टी सदस्यों के शिक्षा व शोध कार्य का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाय । अच्छे कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाय ।

(12) शोध कार्य के लिए एक एनीमल हाउस हो व संयत्रों के रख-रखाव के लिए एक वर्कशाप हो ।

(13) इंस्टीट्यूट के लिए लगभग 500 एकड़ भूमि हो ।

(14) भवन की डिजाईन बनाने में इस बात का ध्यान रखा जाय कि वार्डों के साथ प्रयोगशालायें हों व हर अति विशिष्टता के वार्ड के साथ उसके इन्टेन्सिव केयर यूनिट हों ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, जब यह अफवाह उड़ी कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मंत्रिमंडल से निकाले जाने वाले हैं तो उन्होंने संजय गांधी इंस्टीट्यूट का शिलान्यास महामहिम राज्यपाल से करा दिया। उस समय इनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि दो साल के बाद संजय गांधी का नाम लेना उनकी पार्टी में अनुशासनहीनता मानी जायेगी।

(व्यवधान)

मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। यह इस सरकार की अकर्मण्यता का द्योतक है कि जिस संस्थान की रूपरेखा का अन्दाजा तक नहीं था उसका शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति से करा दिया गया और उसके 10-11 महीने बाद एक टीम विदेशों के दौरे पर भेज दी और उससे यह कहा कि वहां के संस्थानों का अध्ययन करके रूप रेखा प्रस्तावित करें। मेरा सुनिश्चित जानकारी है कि लन्दन गई यह टीम, इस टीम के जाने की कोई सूचना नहीं दी गई इसलिए वहां जो हाई कमीशन है....

श्री लोक पति--

श्रीमन्, ये वक्तव्य है या प्रश्न ?

श्री मोहन सिंह--

इसी से श्रीमन्, प्रश्न पैदा होगा। यह लोक महत्व का इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी के परिप्रेक्ष्य में मंत्री जी को समझाना पड़ेगा क्यों कि इनको भी जानकारी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि आप की टीम जाने के कितने दिन पूर्व सूचना जो लन्दन स्थित भारत का हाई कमीशन कार्यालय है, विज्ञान सेक्शन है, उस को कितने दिन पहले जानकारी करायी गयी और किन-किन संस्थानों का अध्ययन करने के लिए उसने कार्यक्रम बनाया था ?

श्री लोक पति--

मैं बधाई देना चाहता हूं कि अपनी जुबान से माननीय श्री संजय गांधी का नाम मोहन सिंह जी ने लिया, कारण कुछ हो। यह कार्यक्रम निर्धारित जगह हुआ तो इसकी सूचना भारत के दूतावास और हाई कमीशन, दोनों को दी गई। उन्होंने कार्यक्रम बनाया और उनके आने तथा भारत सरकार को स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह टीम गई। किन-किन संस्थानों का यह गई, तो श्रीमन्, यह 6 जगहों पर गई। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ और लन्दन में यह तीन जगहों पर गई। हैनर स्मिथ हास्पिटल, लन्दन; नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल रिसर्च, लन्दन; नेशनल इंस्टीट्यूट आफ क्लीनिकल रिसर्च, लन्दन। तीन जगह गई थी।

श्री मोहन सिंह--

मंत्री जी को एक सुनिश्चित जानकारी देना चाहता हूं कि जब यह टीम गई तो जो निर्धारित स्थल थे, वहां ये लोग टिके ही नहीं। सब अपने दोस्त, मित्रों के यहां टिके और आप से भुगतान कराया। इसलिए जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों को आपने भेजा, उनके नाम क्या-क्या हैं और वे किन विषयों के विशेषज्ञ हैं ? उनका चयन करते समय क्या कसौटियां और मानदण्ड निर्धारित किया गया ?

श्री लोकपति—

सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि यह सरकारी टीम थी, उनका जानना जरूरी था, उनका नाम है, श्रीमती लता सिंह, डा० बी०सी० जोशी, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश शासन, डा० के० पी० भार्गव, प्रधानाचार्य, के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ, डा० आर० पी० शाही, प्रोफेसर, सर्जरी, के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ, डा० एस० एस० अग्रवाल, रीडर इन मेडिसन, के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ, श्री एन० एन० डी० सेठ, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ, जिनको इसका निर्माण करना है, टीम में गये थे ?

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी को जानकारी में है कि इस टीम में इस तरह का बहाना बना कर जितने भी फारेन कन्ट्रीज में उनके मिलने वाले थे, उनसे मिलने का कार्यक्रम पूरा कर लिया और क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि किस तारीख को यह टीम हिन्दुस्तान वापस आयी और आप को यह रिपोर्ट जो पढ़ कर सुना रहे हैं किस तारीख को सबमिट की ?

श्री लोकपति—

जहां तक यह प्रश्न है कि विदेशों में अपने मित्रों से मिलने के लिये यह टीम गई थी, सम्भवतः यह इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

रिपोर्ट कब तक प्राप्त हुई ?

श्री लोकपति—

यह टीम अक्तूबर में लौट कर आयी और नवम्बर में रिपोर्ट हमें मिल गयी । इसकी दो समितियों का निर्माण हुआ, इस रिपोर्ट के तहत जो हमारे सदन के समक्ष रखा है । उन समितियों की बैठक हुई थी । उसी सन्दर्भ में जमीनों के अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी हो गयी है और वहां पर काम प्रारम्भ हो गया है । धन भी शासन से आवंटित हो गया है । प्लानिंग कमीशन ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है ।

श्री हुकम सिंह—

सामान्य प्रक्रिया है कि किसी इंस्टीट्यूट की स्थापना के पूर्व उसके लिये कोई समिति गठित होती है जो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासन को देती है, तो क्या आपने इसके पूर्व कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करायी थी ? यदि करायी थी तो इस रिपोर्ट में और विदेश भेजी गयी टीम ने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है इन दोनों में क्या मौलिक अन्तर है ?

श्री लोकपति—

माननीय, इस इंस्टीट्यूट की स्थापना का विषय इस शासन के सामने 1961 से है । 1976 में इस सदन ने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिये 50 लाख रुपया स्वीकृत किया था जो लखनऊ विश्वविद्यालय के कोष में फिक्स्ड डिपाजिट के रूप में जमा है । 1977 में जब राष्ट्रपति शासन इस प्रदेश में लागू हुआ तो तत्कालीन राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में इस इंस्टीटयूट की स्थापना हेतु एक

समिति का गठन हुआ । उसकी रिपोर्ट इसके पूर्व आ चुकी थी । जब यह शासन आया तो जून, 1980 में यह निर्णय किया गया कि इस इंस्टीट्यूट की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाय । सितम्बर, 1980 में डो0 एन0 शर्मा कमेटी की स्थापना की गयी जिसने सम्पूर्ण रिपोर्ट इंस्टीट्यूट के बारे में दी और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया । उस रिपोर्ट को आधार मान कर यह टीम विदेश भेजी गयी थी । इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन की स्थापना कई बार में नहीं, एक बार ही में होती है । विश्व के वे देश जहां इस प्रकार के इंस्टीट्यूट वर्क कर रहे हैं, जहां केवल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की ही ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं वहीं यह टीम गयी । इस इंस्टीट्यूट की स्थापना केवल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिये ही की गयी है । इस सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया है, उस उत्तर के कालम 10 में और कालम 1, 2, 3 में है कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा की व्यवस्था ही इस सइंस्टीट्यूट में होगी । इसमें अंडर ग्रेजुएट की शिक्षा की व्यवस्था न होगी । इसके लिए हमारे प्रदेश में 7 मेडिकल कालेज हैं, जिनमें एक लखनऊ का के0 जी0 मेडिकल कालेज भी है । इसको दृष्टि में रखते हुए यह टीम विदेश में गयी थी और विश्व के जिन-जिन देशों में इस तरह के इंस्टीट्यूट फंकशन कर रहे हैं उनको देखकर यह टीम आयी है कि चिकित्सा विज्ञान में किस तरह का उच्च स्तर होना चाहिये । निर्माण निगम का एक व्यक्ति इसलिये भेजा गया था कि वहां की रूपरेखा देख कर आये । इस सम्बन्ध में अब वहां कार्य शुरू हो गया है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

जब हमारे यहां दिल्ली में इस तरह का एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है और चंडीगढ़ में भी पी0 जी0 आई0 है, तो फिर वहां टीम को न भेजकर, बाहर इस टीम के भेजने पर इतना धन क्यों खर्च किया गया ?

श्री लोकपति--

दिल्ली का मेडिकल इंस्टीट्यूट या चंडीगढ़ का पी0 जी0 आई0 केवल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है । यह पोस्ट पोस्ट-ग्रेजुएट है । मैं इसको समझा दूं । श्रीमन् पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है मास्टर इन सर्जरी, मास्टर इन पथेलाजी लेकिन पोस्ट पोस्ट-ग्रैजुएट में होता है डाक्टर इन मेडिसिन, डाक्टर इन सर्जरी, डाक्टर इन पैथेलोजी इत्यादि । इस प्रकार सिर्फ इसी काम का अर्थात् सिर्फ शोध कार्य के लिये यह होगा । यह स्वयं सेवी संस्था होगी और स्वतः डिग्री देगी और डाइरेक्ट्रेट की डिग्री देगी ।

लालगंज स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत कु0 श्यामला नामक नर्स द्वारा की गयी आत्म हत्या की जांच

11--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि दिनांक 24 नवम्बर, 1981 को जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत लालगंज स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत 22 वर्षीय कुमारी श्यामला नामक एक नर्स ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली ? यदि हां, तो घटना के विवरण क्या हैं और क्या यह भी सही है कि उक्त घटना के 6 माह के अन्दर 4 नर्सों द्वारा इसी प्रकार जहर खाकर आत्म हत्या के प्रयास किये गये जिनमें से दो की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो क्या इस प्रश्न को लेकर जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य केन्द्रों की नर्सों ने सामूहिक रूप से कचेहरी में जाकर अतिरिक्त जिलाधिकारी को एक मांग पत्र देकर आये दिन नर्सों की रहस्यमय ढंग से होने वाली मौतों के कारणों का पता लगाने व उनकी सुरक्षा करने की मांग की थी ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरि सिंह—

जी हां, कु0 बी0 श्यामला, ए0एन0एम0 को दिनांक 24-11-81 को सायंकाल 4 बजे उनके क्वार्टर में एक अन्य ए0एन0एम0 द्वारा बेहोशी की हालत में पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लालगंज के प्रभारी चिकित्सा-धिकारी को दी गयी थी। प्रभारी चिकित्साधकारी द्वारा उसी दिन सायंकाल साढ़े 6 बजे कु0 श्यामला को उपचार हेतु जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में उनका इलाज किये जाने पर भी उसे नहीं बचाया जा सका और दिनांक 25-11-81 को प्रातः साढ़े 3 बजे उसकी मृत्यु हो गयी। उसके शव को पोस्ट मार्टम हेतु भेजा गया था जिसमें उसकी मृत्यु का का कारण ज्ञात न हो सका और विसरा जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। इस मामले में विभागीय जांच कराने पर यह पाया गया कि कु0 श्यामला ने जहरीली दवा लेकर स्वयं आत्महत्या की है। पुलिस द्वारा भी जांच करने पर मृत्यु का कारण ज्ञात न हो सका।

कु0 बी0 श्यामला के मृत्यु के 6-7 माह पहले जनपद प्रतापगढ़ में इस प्रकार की दो घटनायें और हुई थीं।

यह ज्ञात हुआ है कि दिनांक 6-1-82 को कुछ नर्सों ने अतिरिक्त जिला अधिकारी को एक मांग-पत्र दिया जिसमें मृतक कु0 बी0 श्यामला, ए0 एन0 एम0 के मामले की जांच की मांग की गयी है और दोषी पाये गये कर्मचारी/अधिकारी को दंडित करने का अनुरोध है। विभागीय जांच में किसी को दोषी नहीं पाया गया था। मामले में सी0 आई0 डी0 से जांच कराये जाने के आदेश हो गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो सी0 आई0 डी0 की जांच कराये जाने के आदेश दिए गए हैं, यह किस तारीख को दिए गए हैं और कौन से अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और कब तक उसकी जांच पूरी हो जायेगी ? दूसरी चीज यह है कि क्या इस घटना के पहले 6-7 महीने पूर्व इसी प्रकार की जो घटनाएं हुई थीं क्या उसकी भी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेंगे ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, 15 फरवरी, 1982 को सी0 आई0 डी0 जांच के लिए लिखा गया है और उस जांच में किन कारणों से नर्सेज की मृत्यु हुई वह है, पूरे प्रकरण की जांच है।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि 1980 में विरोधी दल के एक विधान सभा के प्रत्याशी थे और यह कुमारी श्यामला वहीं पर कार्यरत थीं। उनके विरुद्ध उन्होंने एक शिकायती प्रार्थना-पत्र भी दिया था कि वह उन्हें आतंकित करते हैं और उनके साथ व्यभिचार करना चाहते हैं ? क्या यह सही है और यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही हुई।

श्री अध्यक्ष—

जांच हो रही है। उसी में सब आयेगा।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मेरी स्पष्ट जानकारी ह कि जो अस्पताल के अधिकारी हैं, वे इन नर्सों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जिले के अधिकारियों के यहां और अन्य बड़े आदमियों के यहां कुकर्म के लिए भेजते थे तो क्या इस ईशू की भी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराई जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

बैठिये-बैठिये ।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रार्थना-पत्र अतिरिक्त अधिकारी को दिया गया था जांच के लिये उसमें किन-किन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे ?

श्री लोकपति--

आरोप में किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया गया ।

*12--श्री खैरुल बशर--

[23वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

स्वास्थ्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश से फाइलें गायब हो जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

*13--श्री मित्रसेन--(अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्वास्थ्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश से लगभग 150 फाइलें गायब हो जाने का रहस्य हाल ही में आया है ? जो प्रान्तीय चिकित्सालयों के चिकित्सकों की सेवा सम्बन्धी दस्तावेजों एवं नियुक्तियों से सम्बन्धित हैं ? यदि हां, तो इसका रहस्य क्या है ? इनके कौन लोग दोषी हैं ? इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति-

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठते ।

डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में कार्यरत हाउस सर्जनों का स्वीकृत वेतन

*14--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में कार्यरत हाउस सर्जनों का वेतन अन्य विभागों के हाउस सर्जनों की अपेक्षा कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति---

डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ में कार्यरत हाउस सर्जनों को एवं अन्य विभागों के हाउस सर्जनों को 300 रु० प्रतिमाह का विशेष वेतन स्वीकृत है ।

टाउन एरिया कमेटी, स्याना, जनपद बुलन्दशहर के बख्शी लताफत हुसैन के विरुद्ध जांच आरोपों की जांच

*15- श्री छतर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया कमेटी, स्याना, जनपद बुलन्दशहर के बख्शी लताफत हुसैन के विरुद्ध वहां के हरिजन कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर 5 प्रतिशत कमीशन लेने के विरुद्ध 2 सितम्बर. 1981 को चन्द्रपाल सिंह, नायब तहसीलदार ने जांच की थी तथा आरोप सही पाये गये ? यदि हां, तो अब तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

जी हां ।

उच्चतर जांच में आरोप सिद्ध नहीं हुए । भुगतान चेक द्वारा किये गये थे ।

श्री छत्तर सिंह---

आपकी आज्ञा से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उच्च स्तरीय जांच किस अधिकारी ने की, कब की और कौन-कौन से कर्मचारियों का साक्ष्य लिया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

मान्यवर, पहले नायब तहसीलदार द्वारा की गई । उसके बाद परगनाधिकारी द्वारा की गई । सारा भुगतान चेक द्वारा किया गया था ।

श्री छत्तर सिंह---

आपने यह नहीं बताया कि कब की गई और किन कर्मचारियों का साक्ष्य लिया गया ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

कर्मचारियों के नाम मेरे पास नहीं हैं । सफाई कर्मचारियों को साक्ष्य लिया गया ।

श्री हुकम सिंह---

जो मूल प्रश्न है, उस पर कृपा कर जरा ध्यान दें । एक आरोप यह है कि 5 प्रतिशत कमीशन लिया गया कर्मचारियों से । अगर उन कर्मचारियों का साक्ष्य नहीं लिया गया, उनसे पूछ-ताछ नहीं की गई, तो किस प्रकार जांच हो सकती है माननीय सदस्य ने अपने अनुपूरक प्रश्न में भी पूछना चाहा कि उनसे पूछताछ की गई या नहीं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन सफाई कर्मचारियों की शिकायत थी कि उनसे पांच प्रतिशत कमीशन लिया गया, तब उनको तनख्वाह दी गई, क्या जांच के दौरान उनको अपनी बात करने का अवसर दिया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, जांच की गई और चेक से भुगतान किया गया था। नकद भुगतान नहीं किया गया। जांच उन सफाई कर्मचारियों की की गई थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इनकी जांच पहले नायब तहसीलदार ने की, उनकी रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आये ? फिर कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि इसकी जांच दुबारा एस0 डी0 एम0 से करानी पड़ी ? एस0 डी0 एम0 और नायब तहसीलदार दोनों की रिपोर्ट देखकर कौन से तथ्य प्रस्तुत किये गये कि पांच प्रतिशत कमीशन नहीं लिया गया ? चेक देने की बात अपनी जगह पर सही है। शिकायत में यह लिखा हुआ है कि चेक देने से पहले उन लोगों से सम्बन्धित अधिकारी ने पैसा ले लिया।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मेरे सामने जो तथ्य उपलब्ध हैं उनके अनुसार उन लोगों ने यह बताया कि हमको चेक से भुगतान हो गया और सफाई कर्मचारियों से पूछताछ की गई। अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो इसकी जांच में और करवा दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने यह पूछा था कि शिकायतकर्ता ने यह शिकायत की है कि हमको भुगतान चेक से दिया गया, कोई दोष नहीं है। चेक देने से पहले हमसे उल्टे पैसा लिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि नायब तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के बाद कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि एस0 डी0 एम0 से दुबारा जांच करानी पड़ी और इन दोनों रिपोर्ट के, किस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया कि शिकायतकर्ता का आरोप गलत है। कौन सा उनके पास प्रमाण है जिसके आधार पर कहते हैं कि पहले पैसा नहीं लिया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नायब तहसीलदार की रिपोर्ट से जिलाधिकारी संतुष्ट नहीं होंगे इसलिए उससे हायर अधिकारी, एस0 डी0 एम0 से जांच करायी। उसके बाद चेक से पेमेन्ट हुआ है। आरोप सिद्ध नहीं पाये गये। अगर माननीय सदस्य अब भी संतुष्ट नहीं हैं तो फिर जांच करा लूंगा।

(व्यवधान)

अगर आप इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हैं तो जिस अधिकारी से आप चाहें मैं जांच करा लूंगा।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी के पास दो रिपोर्ट्स होनी चाहिये। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो शिकायतकर्ता हैं उसकी पुष्टि में जिन लोगों के बयान एस0 डी0 एम0 या तहसीलदार ने लिये हैं, उनके क्या नाम हैं और क्या बयान उन्होंने दिये हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

माननीय, कुछ नाम मेरे पास हैं--रियाज अली, गफ्फार, नूर मोहम्मद, काशीराम, सुरेश, कमला रामरती, भागीरथ, भिखारी, बशीर, रामबल इत्यादि-इत्यादि ।

(श्री छत्तर सिंह के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब हो गया है । उन्होंने कह दिया है कि जांच की गई और आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । यदि इस पर भी आप संतुष्ट न हों तो उन्होंने बताया कि हम जांच करा लेंगे ।

(व्यवधान)

*16--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया ।]

आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धित के चिकित्साधिकारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति प्राप्त आवासीय भत्ता

*17--श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों की चयन प्रक्रिया कोर्स की अवधि, वेतन आदि समान होने के बावजूद भी आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों को अभी तक आवास भत्ता एवं नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति--

आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति के चिकित्साधिकारियों को सामान्य राज्य कर्मचारियों की भांति आवासीय भत्ता प्राप्त है । इन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने की सुविधा उपलब्ध होने के कारण प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जल निगम के वर्कचार्ज में कार्यरत डिप्लोमा होल्डर्स का जूनियर इंजीनियर के रूप में विनियमित करने की मांग

*18--श्री धर्मन सिंह गहलोत--

क्या नगर विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जल निगम के सिविल एलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर्स जिनकी सेवायें वर्कचार्ज को हैसियत से 3 वर्ष से अधिक हो गई हैं को जूनियर इंजीनियर्स के रूप में नियमित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा विनियमावली, 1978 में वर्कचार्ज में कार्यरत डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर के रूप में विनियमित करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री धर्मन सिंह गहलोत—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित में उनसे यह जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए कि जो कर्मचारी तीन वर्ष या उससे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं उन्हें अनुभव भी हो गया है, इसलिए क्या वे उनको स्थायी करने का प्राविधान करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, शासन की नीति है कि यदि किसी कर्मचारी ने 244 दिन तक वर्क चार्ज में काम कर लिया हो तो उसको नियमित कर लेना चाहिये । माननीय, जो उनकी नियमावली है उसके लिए क्या आप उनको तत्काल निर्देशित करेंगे कि राजकीय कर्मचारियों के लिए जो सामान्य नियमावली है और शासन की घोषित नीति है उसके तहत उस नियमावली में संशोधन करके कि जिस कर्मचारी ने वर्क-चार्ज में 244 दिन तक कार्य कर लिया हो उसको नियमित करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

माननीय, माननीय धर्मन सिंह जी का प्रश्न यह था कि डिप्लोमा होल्डर्स जिनकी सेवायें वर्कचार्ज की हैसियत से 3 वर्ष से अधिक हो गयी हैं उनको जूनियर इंजीनियर्स के रूप में नियमित करेंगे ? उसी का मैंने उत्तर दिया है कि अभी सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, सरकार की घोषित नीति है कि किसी वर्क चार्ज व्यक्ति को 244 दिन के बाद परमानेन्ट कर दिया जायेगा । यह नियम है इसलिए आप डाइरेक्टिव तो दे ही सकते हैं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जो शासन की नीति है उसके अनुसार सब विभाग कार्य करेंगे ।

खाद्य तथा रसद सेल के पुलिस कर्मियों को मानदेय देने के प्रश्न पर विचार

*19—श्री बदन सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि खाद्य तथा रसद सेल के पुलिस कर्मियों को जिनको छुट्टियों में भी कार्य करना पड़ता है शासकीय आदेश संख्या 7793/अ ई-1-3-79, दिनांक 7 दिसम्बर, 1978 के अनुसार मानदेय दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह—

जी नहीं ।

खाद्य तथा रसद सेल के पुलिस कर्मियों को मानदेय देने का प्रश्न शासन में विचाराधीन है ।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न किया था कि खाद्य तथा रसद सेल के पुलिस कर्मियों को जिनको छुट्टियों में भी कार्य करना पड़ता है, शासकीय आदेश संख्या 7793/आई-1-3-79, दिनांक 7 दिसम्बर, 1978 के अनुसार वे मानदेय पाने की पात्रता रखते हैं ? यदि हां, तो अभी तक उनको यह मानदेय क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बासुदेव सिंह--

मान्यवर, शासन के उल्लिखित आदेश के परिवेश में प्रक्रियात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि पुलिस कर्मियों को मानदेय देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । मैं पूछना चाहता हूं कि शासन ने इस पर विचार कब से प्रारंभ किया है और किन-किन मदों में विचार कर लिया है ?

श्री वासुदेव सिंह---

श्रीमन्, जो शासनादेश है, उसको माननीय सदस्य पढ़ लें । उसके दो अंग हैं, एक जो सीधे पुलिस कर्मियों पर लागू होता है और दूसरा वह वे पुलिस कर्मी जो अन्यत्र हैं प्रतिनियुक्ति पर हैं । तो उनके बारे में जो व्यवस्था उस शासनादेश में है, उसके अनुरूप कार्यवाही हो रही है । 29 जनवरी, 1981 और 22-7-81 को कार्यवाही की गयी है । यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

एक प्रश्न और हो जाने दें थोड़ा समय रह गया है ।

तदर्थ प्रोन्नति द्वारा भरे गये महापालिका के पद तथा प्रोन्नति में आरक्षण के शासनादेश का पालन

*20--श्री किरन पाल सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी तथा कर अधीक्षक, महापालिका के पद प्रोन्नति द्वारा भरे जा रहे हैं । यदि हां, तो उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजातियों संबंधी प्रोन्नति में आरक्षण के शासनादेश का पालन किया जा रहा है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

तदर्थ प्रोन्नति द्वारा भरे गये हैं । अनुसूचित जाति एवं जनजातियों संबंधी प्रोन्नति में आरक्षण के शासनादेश का अधिकांशतः पालन किया जा रहा है ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, अनुसूचित जाति और जन--जाति के लोगों की नियुक्ति में सरकार तर्क देती है कि वांछित अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं लेकिन प्रोन्नति के बारे में यह कहना कि अधिकांशतः पालन किया जा रहा है तो इसका अधिकांशतः शब्द का क्या मतलब है, कितना प्रतिशत पालन किया जा रहा है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

प्रतिशत तो मेरे पास इस वक्त नहीं है ।

श्री किरन पाल सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिलकुल इसका पालन नहीं किया जा रहा है । तो क्या मन्त्री जी इसका पालन कराने का स्पष्ट आश्वासन देंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, बिलकुल जो प्रतिशत तय है शासनादेश के अनुसार उसके आदेश दिये गये हैं विभाग को और उसका पालन किया जायेगा ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मूल प्रश्न में ही इनको प्रतिशत बताना चाहिये था यह तथ्य छिपाने के लिए अधिकांशतः शब्द का प्रयोग कर दिया गया है । मेरा आग्रह है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय और पूरी सूचना प्रतिशत के हिसाब से आ ज य क्योंकि किसी भी विभाग में, जो इनका प्रतिशत है वह पूरा नहीं किया जा रहा है, यहां भी गोलमाल उत्तर मिल रहा है । मैं साफतौर से जानना चाहता हूं कि जितनी प्रोन्नतियां हुई हैं उनका क्या प्रतिशत है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि शासनादेश का पालन किया जा रहा है ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मैंने तो आश्वासन दिया कि जो शासनादेश हैं उनका पूर्णतः पालन किया जायेगा प्रोन्नति और नियुक्ति में भी।

श्री हुकम सिंह--

नहीं किया जा रहा है इसीलिए तो प्रश्न किया गया ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उप कृषि निदेशक, पौड़ी मण्डल, श्री वी0 एन0 श्रीवास्तव द्वारा पयूरोडान खरीद के आदेश की निरस्ति

**1--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतायेंगे कि चन्द दिन पूर्व उप निदेशक, पौड़ी मण्डल (श्री वी0 एन0 श्रीवास्तव) ने करीब चार लाख का पयूरोडान, पहाड़ों पर

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

कुरमुला कीट नियंत्रण हेतु छूट पर बटवाने के लिए खरीदा है, जबकि कुरमुला कीट नियंत्रण योजना स्वीकृत ही नहीं है ? यदि हां, तो इस अनधिकृत खरीद के क्या कारण हैं एवं इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में वर्ष 1975-76 से कुरमुला कीट नियंत्रण की एक योजना चलायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत कुरमुला कीटनाशक रसायनों के मूल्य पर कृषकों को 75 प्रतिशत राज सहायता दी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत उप कृषि निदेशक पौड़ी मण्डल (श्री बी0 एन0 श्रीवास्तव) ने 14 मैट्रिक टन फ्युरोडान, जिसका मूल्य लगभग 2.50 लाख रुपये होता है, के क्रय करने के आदेश, दिनांक 16-2-82 को मेसर्स रैलीज इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ, को दर अनुबन्धन की शर्तों के अनुसार दिये थे, जिस आदेश को उन्होंने दिनांक 24-2-82 निरस्त कर दिया तथा रसायन की कोई पूर्ति नहीं हुयी । अतएव चूंकि उप कृषि निदेशक पौड़ी गढ़वाल द्वारा दिये गये आदेश के विपरीत कोई पूर्ति नहीं हुयी, इसलिये अनधिकृत क्रय एवं अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन से कारण थे कि 16-2-82 को डिप्टी डायरेक्टर ने उस दवा को खरीदने के लिए आदेश दिया और फिर 24-2-82 को उसे निरस्त कर दिया ? जबकि वहां पर कीट नाशक दवा न होने के कारण सारी खेती बर्बाद हो रही है ? सरकार ने उसके स्थान पर और क्या व्यवस्था की है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, सन्दर्भित कीटनाशक सिस्टमैटिक रसायन में आता है और शोध के उपरान्त यह प्रतीत हुआ कि उसके एक निश्चित मात्रा और समय से ज्यादा प्रयोग होने पर उससे फसलों को हानि हो सकती है । उसके पीछे यह मतलब नहीं है कि अन्य जो कीटनाशक एप्रूव्ड हैं डिपार्टमेंटली, वह नहीं हैं । वह हैं, उनको खरीदा जा रहा है और खरीदा जा सकता है और स्टोर चलाया जा रहा है उसके लिये व्यापक गति से ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मंत्री जी ने स्वयं इसको स्वीकार किया है कि इतना भयंकर कीटनाशक होने के कारण इसको खरीदा जाता है और 75 प्रतिशत सब्सिडी भी सरकार इसके लिए देती है तो मैं जानना चाहता हूं जैसा इन्होंने कहा अन्य कीटनाशक दवाएं भी हैं, तो इस प्रकार की पौड़ी गढ़वाल के लिए कितनी दवा ली गई, जिससे इतने भयंकर कीटनाशकों को मारने का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, प्रश्न का जो मूल आशय है, वह इससे विपरीत है, इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है । फिर भी हम इस समस्या को समझ रहे हैं और उसके लिए पूरी तरह से जागरुक हैं ।

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 डाक्टर शिवानन्द नौटियाल ने पूछा

श्री रियासत हुसैन--

मंत्री जी के उत्तर से ऐसा मालूम देता है कि यह दवा खरीदने के आदेश बिना किसी योजना के एप्रूवल के दिए गये हैं, और जब जांच पड़ताल की गई तो उसको कैंसिल कर दिया गया, तो 16-2-82 को जो आदेश दिया गया था उसका एप्रूवल किस तारीख को हुआ और क्या-क्या कारण सामने आए कि वह आदेश 24-2-82 को कैंसिल कर दिया गया ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जैसा मैंने पहले बताया कि इस फ्यूरोडान कीटनाशक दवा को हानिकर पाया गया ज्यादा मात्रा में प्रयोग करने के लिए, तो इसकी खरीद करने के लिए निदेशक के माध्यम से मना कर दिया गया और इसकी जो आवश्यक धनराशि थी, उसकी अन्य कीटनाशक दवा खरीदने पर व्यय किया जाएगा ।

श्री रियासत हुसैन--

प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है कि उनको बिना किसी योजना के, एप्रूवल के, खरीदने का निर्णय लिया गया और बाद में उसे निरस्त कर दिया गया और मंत्री जी कह रहे हैं कि योजना के मातहत उसे खरीदा गया, तो योजना का एप्रूवल किस तारीख को हुआ कि इसके माध्यम से दवा खरीदी जाए ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

यह तो कन्टीन्युइंग योजना वर्ष 1975-76 से बराबर चल रही है ।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट--

मान्यवर आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फ्यूरोडान दवा के स्थान पर कौनसी दवा की व्यवस्था की गयी है, जिससे कुरमुला कीट से खेती को बचाया जा सके ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

इसमें जो रसायन इस्तेमाल किए गये हैं वे हैं, बी० एच० एस०, एल्ड्रीन हैप्टेचलर, काबीफुरन और फोरेस्ट हैं । इनमें जो अंतिम 2 हैं उनका अधिक प्रयोग करना नहीं बताया गया है ।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट--

मान्यवर, जिन दवाओं के नाम माननीय मंत्री जी ने बताये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं ?

(श्री जसवन्त सिंह बिष्ट बिना माइक के बराबर बोलते रहे जो सुना नहीं जा सका)

आप कृपया बैठ जायं । उत्तर आ गया है ।

(श्री कुंवर सिंह नेगी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

नेगी जी, आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में क्षेत्रीय नगर प्रशासन एवं प्रशिक्षण तथा शोध केन्द्र के लेखों की विशेष सम्परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच तथा कृत कार्यवाही

1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मसरूर जाफरी--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में चल रहे क्षेत्रीय नगर प्रशासन एवं प्रशिक्षण तथा शोध केन्द्र के लेखों की विशेष सम्परीक्षायें तत्कालीन उपकुलपति अनुरोध पर 1972-74 के बीच कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो इस विशेष सम्परीक्षा द्वारा कौन-कौन सी मुख्य अनियमितताएं पाई गई थीं तथा सरकारी धन के दुरुपयोग के क्या उदाहरण प्रकाश में आये थे और क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त सम्परीक्षा के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं ? क्या मंत्री को विशेष सम्परीक्षाओं की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

2--श्री हरगोविन्द वर्मा--

[10 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

3--श्री राम आसरे वर्मा--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया ।]

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं जिला पूर्ति अधिकारियों की तदर्थ प्रोन्नतियों में आरक्षण कोटा

4--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य तथा रसद विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं जिला पूर्ति अधिकारियों को वर्ष 1979 से अब तक होने वाली तदर्थ प्रोन्नतियों में आरक्षण के अन्तर्गत कितने अधिकारियों की और किन-किन पदों पर प्रोन्नति की गई है ? क्या शासनादेश संख्या 15/135-76 रा0 एकी0, दिनांक 26 दिसम्बर, 1976 के पैरा 3 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री वासुदेव सिंह—

खाद्य तथा रसद विभाग में वर्ष 1979 से अब तक (8-3-1982) अनुसूचित जाति एव जनजाति के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों में से 4 को जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर और एक को उप नगर खाद्य अधिकारी के पद पर आरक्षण के अन्तर्गत तदर्थ प्रोन्नति दी गयी हैं। इसी अवधि में एक जिला पूर्ति अधिकारी को सहायक आयुक्त के पद पर तदर्थ प्रोन्नति दी गयी है। अनुसूचित जनजाति का कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न में उल्लिखित संख्या का कोई शासनादेश, दिनांक 26 दिसम्बर को जारी नहीं हुआ है।

डाक्टर ए0 एम0 विश्वास द्वारा एस0 बी0 डी0 चिकित्सालय, सहारनपुर को बाल चिकित्सालय के निर्माण हेतु दिया गया दान

4—श्री सुरेन्द्र कपिल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह जानकारी है कि सहारनपुर नगर के डा0 विश्वास ने दो लाख रुपये का एक ड्राफ्ट लगभग 6 साल पूर्व शासन को जिला चिकित्सालय में विशेष बाल कक्ष निर्माण हेतु दान किया था ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया ? क्या भविष्य में इस बाल कक्ष के निर्माण की कोई योजना है ?

श्री लोकपति—

जी हां। डा0 ए0 एम0 विश्वास ने एस0 बी0 डी0 चिकित्सालय, सहारनपुर में बाल चिकित्सालय के निर्माण हेतु दो लाख नहीं बल्कि 2.16 लाख रुपये दान स्वरूप सन् 1976 में दिये थे।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक को आगणन पुनरीक्षित कराकर भेजने हेतु लिखा गया है जिसके प्राप्त हो जाने पर बाल कक्ष के निर्माण की स्वीकृति दी जा सकेगी।

सहारनपुर मास्टर प्लान के पुनरीक्षण का निर्णय

6—श्री सुरेन्द्र कपिल—

क्या नगर विकास मन्त्री को यह जानकारी है कि नगर सहारनपुर का मास्टर प्लान के पुनर्निर्धारण का निर्णय शासन ने 1981 में लिया था ? क्या इस सम्बन्ध में चीफ टाउन प्लानर द्वारा शहर सहारनपुर का कोई सर्वे या मास्टर प्लान तैयार किया गया ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सहारनपुर मास्टर प्लान के पुनरीक्षण का निर्णय 1980 में लिया गया था। पुनरीक्षण का कार्य सम्बन्धित स्टाफ द्वारा प्राथमिकताओं के अनुसार किया जायगा।

अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, संडीला, जनपद हरदोई द्वारा अनियमित कार्य किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

—श्री रियासत हुसैन—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि अधिशासी अधिकारी, नगर-पालिका, संडीला, जनपद हरदोई द्वारा अनियमित कार्य किये जाने के विरुद्ध

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय, सभापति, प्रक्कलन समिति द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र माह जनवरी, 1982 के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में नगर विकास मन्त्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच करायी गयी तथा जांचोंपरान्त उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका, संडीला, जनपद हरदोई में टैक्स के असेसमेंट से सम्बन्धित लम्बित मामलों का निस्तारण

8—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में नगरपालिका, संडीला, जनपद हरदोई में कितने मामले गत वर्ष में गलत ढंग से किये गये हैं उस टैक्स के असेसमेंट से सम्बन्धित नगरपालिका कार्यालय, संडीला में लम्बित है ? सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम क्या हैं ? सरकार उनके निस्तारण की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

कोई मामला लम्बित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका, संडीला, जनपद हरदोई में पथकर लगाये जाने का आधार तथा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

9—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, संडीला, जनपद हरदोई में दिसम्बर, 1981 में पथकर लगाया गया ? यदि हां, तो लगाये जाने का आधार क्या है ? इस कार्य के लिए कौन अधिकारी दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां । सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

श्री भास्कर पांडे, विधायक की सूचना पर तिनफोड़िया हाल्ट रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया गल्ला

10—श्री हरिवंश सहाय—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया के एक विधायक ने चार सौ क्विंटल गल्ला, दिनांक 22 नवम्बर, 1981 को पकड़ा तथा उसे थाना हरया सुजान में जमा किया । यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह--

दिनांक 22 नवम्बर, 1981 को श्री भास्कर पांडे, विधायक, रुद्रपुर तथा युवा कांग्रेस (आई0) के कार्यकर्ताओं की सूचना पर तिनफोड़िया हाल्ट रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा चेकिंग की गई जिसमें चार सौ कुन्तल नहीं बल्कि 42 कुन्तल 10 किलोग्राम गेहूं तथा 121 कुन्तल 98 किलोग्राम चावल भुजिया पकड़ा गया तथा उसे थाना तरयासुजान में जमा किया गया। उपर्युक्त पकड़े गय गल्ले में से 16 कुन्तल गेहूं सर्वश्री बम बहादुर, राजेन्द्र, मनोज तथा सीताराम के हक में एस0 डी0 एम0, पडरौना देवरिया के आदेशानुसार दिनांक 22 दिसम्बर, 1981 को छोड़ दिया गया। शेष गल्ला थाने में जमा है जिसको बेचने के लिए एस0 डी0 एम0 द्वारा आदेश दे दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा दैनिक वेतन, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बोनस दिये जाने पर विचार

11—श्री राम आसरे वर्मा—

प्रथम सत्र 1982 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा अपने दैनिक वेतन (डैली वेजिज) एडहाक तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बोनस देने के सम्बन्ध में विधिक राय प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बच्चा पाठक—

अभी अन्तिम रूप से विधिक परामर्श प्राप्त नहीं हुआ है। परामर्श प्राप्त होने के बाद ही बैंक प्रशासन बैंक के हित को ध्यान में रखते हुये कोई निर्णय लेगा।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

12—श्री पूरन चन्द्र—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग में लखनऊ जनपद के कार्यालयों में इस समय कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षिकायें कब से कार्य कर रही हैं और जिन स्वास्थ्य निरीक्षकाओं को 5 वर्ष से अधिक लखनऊ में सेवा करते हो चुके हैं उनको अब तक लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार लखनऊ में 5 वर्षों से अधिक की अवधि से निरन्तर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करके उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारियों को सेवा करने के अवसर देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री लोकपति—

एक स्वास्थ्य निरीक्षिका वर्ष 1966 से है तथा शेष वर्ष 1973 से 1980 तक के विभिन्न वर्षों से कार्यरत हैं। 5 वर्ष से अधिक समय से जनपद में कार्यरत उन स्वास्थ निरीक्षिकाओं का स्थानान्तरण किया गया है जिनके विरुद्ध शिकायतें थी या जो स्वयं के अनुरोध पर अन्यत्र स्थानान्तरण चाहती थी। 5 वर्ष से अधिक समय से एक स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निर्धारित सामान्य नीति के अनुसार कार्यवाही करने के लिए विचार किया जायेगा।

हैदरगढ़ में साधन सहकारी समिति द्वारा आवश्यक खाद्य सामग्री का वितरण कराने की मांग

13—श्री श्याम लाल वाजपेयी—

क्या खाद्य मन्त्री को ज्ञात है कि हैदरगढ़ टाउन एरिया, बाराबंकी में आवश्यक खाद्य सामग्री का वितरण साधन सहकारी समिति के बजाए प्राइवेट कोटेदारों से कराया जाता है ? यदि हां, तो इस विसंगति का क्या कारण है ? क्या निकट भविष्य में शासन वितरण व्यवस्था हैदरगढ़ में साधन सहकारी समिति द्वारा कराने का आदेश देगी ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी नहीं, हैदरगढ़ टाउन एरिया, बाराबंकी में आवश्यक खाद्य सामग्री का वितरण एक सहकारी संघ तथा तीन निजी क्षेत्र की दूकानों द्वारा कराया जा रहा है । सहकारी क्षेत्र क्योंकि सभी दूकानों को चलाने हेतु सक्षम नहीं है । इसलिए निजी दूकानदारों द्वारा उक्त दूकानें चलाई जा रही हैं । भविष्य में यदि सहकारी क्षेत्र द्वारा उक्त दूकान चलाया जाना सम्भव हो सका तो उक्त दूकानें सहकारी क्षेत्र को आवंटित की जाने में वरीयता दी जायगी ।

लखनऊ में अनधिकृत भवनों के निर्माण के विरुद्ध कृत कार्यवाही

14—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 16 जनवरी, 1982 को उनको एक प्रार्थना-पत्र लखनऊ में 34 अवैध भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में सूची सहित दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां ।

मामले की जांच कराने से विदित हुआ कि सूची में उल्लिखित 34 भवनों में से 5 भवनों के चित्र स्वीकृत हैं । शेष अनधिकृत भवनों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । इनमें से कुछ मामले न्यायालय में भी विचाराधीन हैं ।

महिला चिकित्सालय कांठ (मुरादाबाद) के निर्माणाधीन भवन में की जा रही अनियमितताओं की जांच

15—श्री रामकृष्ण माहेश्वरी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 26 मार्च, 1981 द्वारा महिला चिकित्सालय, कांठ (मुरादाबाद) के निर्माणाधीन भवन में की जा रही बहुत सी अनियमितताओं की जांच की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई है ? क्या त्रुटियां पाई गई और सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

अतः शेष कार्यवाही का प्रन नहीं उठता है ।

खांडसारी निर्माताओं पर निर्धारित खाण्डसारी लेवी तथा न देने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही

16--श्री रामकृष्ण माहेश्वरी तथा श्री फखरे आलम--

क्या खाद्य मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में खाण्डसारी निर्माताओं पर कुल कितने क्विन्टल खाण्डसारी लेवी निर्धारित एवं वसूली की गई थी ? क्या लेवी न देने वालों के विरुद्ध अवशेष लेवी वसूली के लिए कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

50,762 टन खाण्डसारी लेवी निर्धारित की गई थी और 33,667 टन खाण्डसारी प्राप्त हो गई । लेवी न देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई ।

श्री पी0 एन0 मिश्रा, कर अधीक्षक, कानपुर की अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका श्रेणी-1 के पद पर प्रोन्नति

17--श्री भीखा लाल--

विधान सभा के तृतीय सत्र 1981 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या/33 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 1023 राय/11-4-24 टी0 एस0-74, दिनांक 24 सितम्बर, 1981 के अनुपालन में श्री पी0 एन0 मिश्र को अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका श्रेणी-1 के पद पर तदर्थ प्रोन्नति की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

जिला पुरुष चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय, बलिया में विभिन्न स्वीकृत पदों पर नियुक्ति

18--श्री अकबर हुसैन तथा श्री गौरीशंकर भैय्या--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि जिला पुरुष चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय, बलिया में अलग-अलग कितने डाक्टर, मैट्रन, असिस्टेंट मैट्रन, स्टाफ नर्स, कम्पाउन्डर, वार्ड ब्वाय, स्वीपर के कुल पद स्वीकृत है ? दोनों चिकित्सालयों में उपरोक्त स्थानों पर कितने लोग कार्यरत हैं तथा शेष पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जायगी ?

श्री लोकपति--

बलिया के जिला पुरुष तथा महिला चिकित्सालय में क्रमशः डाक्टर, मैट्रन, असिस्टेन्ट मैट्रन, स्टाफ नर्स, कम्पाउन्डर, वार्ड ब्वाय एवं स्वीपर के स्वीकृत पदों, कार्यरत पदों तथा रिक्त पदों की सूचना संलग्न-1 तथा 2 में दिखाई गई हैं ।

*(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1173 पर ।)

जिला महिला चिकित्सालय, बलिया में रिक्त एक वार्ड आया का पद सेवानिवृत्त वार्ड आया द्वारा ट्रिबुनल में केस दायर होने के कारण नहीं भरा गया है ।

शेष रिक्त पदों को नई नियुक्तियों द्वारा शीघ्र भरे जाने के आदेश स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने दे दिये हैं ।

बलिया जनपद के ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत सागरपाली, नरही, गड़वार को स्वीकृत धनराशि तथा निर्माण कार्य

19– श्री सुरेश दत्त पालीवाल तथा श्री गौरीशंकर भैय्या––

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत सागरपाली, नरही तथा गड़वार को कितना रुपया सन् 1980–81 व 1981–82 में स्वीकृत किया गया था ? उसमें कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है ? क्या बाकी काम तत्काल पूरा किए जाने के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल––

सन् 1980–81 तथा 1981–82 में बलिया जनपद के ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत सागरपाली नरही, तथा गड़वार को कुल 17.50 लाख रु0 स्वीकृत किया गया था । इस योजना के अन्तर्गत शिरोपरी जलाशय को छोड़कर समस्त कार्य पूरा हो चुका है ।

श्री शकील अशरफ, प्रशीतन अभियन्ता, पी0 सी0 एफ0 के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

20––श्री राजकुमार राय––

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें तथा मुख्य मंत्री जी को प्रश्नकर्ता का पत्र जनवरी, 1982 श्री शकील अशरफ, प्रशीतन अभियन्ता, पी0 सी0 एफ0, लखनऊ के शिकायतों और धन के दुरुपयोग के बारे में मिला था ? यदि हां, तो शासन उसमें कौन सी कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बच्चा पाठक––

श्री शकील अशरफ, प्रशीतन अभियन्ता पी0 सी0 एफ0 के विरुद्ध माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 16–1–1982 की एक प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, पी0 सी0 एफ0 को प्राप्त हुई है । शिकायतों की जांच की जा रही है ।

ब्लाक हरपालपुर, जिला हरदोई में उ0 प्र0 रा0 स0 भू0 वि0 बैंक, लखनऊ की शाखा खोलने की अनुमति

21––श्री हरीशंकर––

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक हरपालपुर, जिला हरदोई में उ0 प्र0 रा0 स0 भू0 वि0 बैंक, लखनऊ की शाखा खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है ? यदि हां, तो शाखा कब से कार्य प्रारम्भ करेगी ?

श्री बच्चा पाठक––

जी नहीं ।

फर्रुखाबाद जनपद में सहकारी कामदारों की छटनी तथा रघुवीर सिंह छटनी शुदा कामदार को पुनर्नियुक्ति न किये जाने का कारण

22—श्री बिहारीलाल दोहरे—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में 1976 में कितने सहकारी कामदारों की छटनी की गयी तथा उसके बाद कितने छटनीशुदा व नये कामदारों की नियुक्ति की गयी ? छटनी शुदा कामदारों को लगाने का क्या कारण है ? श्री रघुवीर सिंह छटनी शुदा कामदार ने 1966 से 76 तक कामदार के पद पर कार्य किया ? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री बच्चा पाठक—

फर्रुखाबाद जनपद में 1976 में 24 सहकारी कामदारों की छटनी की गयी थी । छटनी शुदा कामदारों में से 12 कामदारों की नियुक्ति पुनः वर्ष 1977—78 में की गयी । 9 नये कामदारों की नियुक्ति वर्ष 1979—80 में की गयी। वर्ष 1977—78 में सहकारी पूर्ति भण्डारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाने पर जनपद के लिए कामदारों की अधिक संख्या निर्धारित की गयी । अतः छटनी शुदा कामदारों मे से कुछ को पुनः लगाया गया । श्री रघुवीर सिंह ने सितम्बर, 1963 से 31—12—1976 तक कामदार के पद पर कार्य किया । श्री रघुवीर सिंह छटनी शुदा कामदारों की वरिष्ठता सूची में नीचे थे। अतः उनकी नियुक्ति छटनी शुदा 12 कामदारों के साथ नहीं की गयी । पुनः नौकरी का अवसर देने हेतु चयन समिति द्वारा वह उपयुक्त नहीं पाये गये ।

यूनानी चिकित्साधिकारी के पद हेतु लिखित परीक्षा तथा अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

23—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माह दिसम्बर, 1981 में यूनानी चिकित्साधारी के पद के लिए लिखित परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो लिखित परीक्षा का प्रश्न—पत्र किस अधिकारी द्वारा बनाया गया था ? क्या यह भी सही है कि जिनके द्वारा यह प्रश्न—पत्र बनाया गया था, उस परीक्षा में उनका लड़का जिसका रोल नम्बर 600 था, भी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है ? यदि हां, तो इस अनियमितता का कौन अधिकारी दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री लोकपति—

जी हां । दिनांक 12—12—1981 को लखनऊ में एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा (आब्जेक्टिव टेस्ट)आयोजित की गई थी । उक्त परीक्षा के प्रश्न—पत्र किसी अधिकारी विशेष द्वारा न बनवाकर सम्बन्धित उप सचिव स्वास्थ्य की देख—रेख में विशेषज्ञों द्वारा तैयार करवाया गया था । अनुक्रमांक 600 के पिता श्री मोईनुद्दीन सिद्दीकी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, फैजाबाद का भी इस कार्य में सहयोग लिया गया था । प्रथा के अनुसार श्री सिद्दीकी को यह स्वयं घोषित करना चाहिये था कि उनका लड़का उक्त परीक्षा में बैठ रहा है । इसलिए उनको इस परीक्षा से सम्बन्द्ध न किया जाय । उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा नहीं किया । अब उक्त सम्पूर्ण परीक्षा शासन द्वारा निरस्त कर दी गयी है ।

24--श्री राम आसरे वर्मा--]

[माननीय सदस्य ने वापस लिया ।]

आयुर्वेद चिकित्साधिकारी हेतु लिखित परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रण

25--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1981 में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी हेतु, जो लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें किसने न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया था तथा रोल नम्बर 16 02 को उक्त परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए थे ?

श्री लोकपति--

उक्त परीक्षा में आरक्षण की प्रदत्त सुविधा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को, उनके सामने अंकित न्यूनतम अंक प्राप्तकर्ताओं का साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया था :--

(1) सामान्य अभ्यर्थी--68 अंक

(2) अनुसूचित जाति--53 अंक

(3) पिछड़ो जाति--60 अंक

(4) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित--55 अंक

(5) विकलांग--47 अंक

(6) भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित--52 अंक

2--रोल नम्बर 1602 को उक्त परीक्षा में 54 अंक प्राप्त हुए थे जो सामान्य श्रणी के अभ्यर्थी थे । इन्हें त्रुटिवश साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु बुला लिया गया था । इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारण करने को कार्यवाही की जा रही है । अब शासन द्वारा उक्त परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है ।

कस्बा जंघई, जिला इलाहाबाद में एलोपैथिक अस्पताल खोलने की मांग

26--श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कस्बा जंघई, जिला इलाहाबाद में 30 बेड का एलोपैथिक अस्पताल शासन ने सन् 1981-82 में स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल कब तक बन जायगा ?

श्री लोकपति--

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद में अस्पताल का निर्माण

27--श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद में सन् 1980-81 में 3 बेड का एक अस्पताल स्वीकृत है तथा अस्पताल हेतु जमीन भी उपलब्ध है किन्तु निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री लोकपति--

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ के कार्यरत जनरल क्लर्क का मासिक हैण्ड रिसाट

28--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुबेर भंडारी--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, अष्टम प्रकल्प शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ में कार्यरत जनरल क्लर्क (अप्रेंटिसशिप) का मासिक हैण्ड रिसीट दिया जाता है ? यदि हां, तो कार्यालय प्रबन्धक निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ तथा इसके अधीनस्थ शाखाओं में कार्यरत जनरल क्लर्क (अप्रेंटिसशिप) को मासिक हैण्ड रिसीट नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

29--श्री नन्द किशोर सिंह--

[25-2-82 को तारांकित प्रश्न संख्या--12 द्वारा उत्तरित ।]

मेरठ नगरपालिका में हेल्थ आफिसर का रिक्त पद

30--मन्जूर अहमद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1981 से मेरठ नगरपालिका में हेल्थ आफिसर नहीं है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री लोकपति--

मेरठ नगरपालिका में स्वास्थ्य नगर अधिकारी का पद जुलाई, 1981 से रिक्त था । दिनांक 4 मार्च, 1982 को इस पद पर डा0 वी0 डी0 गोयल की तैनाती के आदेश जारी कर दिए गये हैं ।

नगरपालिका, देवरिया की जीवन मार्ग कान्वेन्ट स्कूल को पट्टे पर दी गयी भूमि

31—श्री हरिवंश सहाय—

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगरपालिका, देवरिया की नजूल भूमि जीवन मार्ग को कितने रुपया सालना लगान पर दिया गया है तथा इसी भूमि को प्रौढ़ शिक्षा को कितने रुपये में दिया गया था ? कम रुपये में जीवन मार्ग को देने का कारण क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

प्रश्नगत भूमि का पट्टा जीवन मार्ग कान्वेन्ट स्कूल को 566.44 रु0 तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र को 2,315 रु0 वार्षिक किराये पर दिया गया था । जीवन मार्ग कान्वेन्ट स्कूल द्वारा शिक्षा क्षेत्र में की जा रही विशिष्ट सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुये जीवन मार्ग कान्वेन्ट स्कूल को भूमि रियायती दर पर दिया गया ।

जिला सहकारी बैंक, शाखा सैदपुर के व्यवस्थापक के विरुद्ध रिश्वत लेने का आरोप

32—श्री गौरी शंकर भैय्या—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रम शंकर यादव, दुल्लहपुर (गाजीपुर) जो 5 नवम्बर, 1981 को 2,800 रु0 (दो हजार आठ सौ रुपये) का चेक लेकर कैश कराने जिला सहकारी बैंक, शाखा सैदपुर (गाजीपुर) आये तो शाखा व्यवस्थापक उनसे 50 रुपये (पचास रुपये) की रिश्वत लेते हुये पकड़े गये थे ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नही उठता ।

33—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण हटाया गया ।]

बांदा नगर में नर्सेज हास्टल का निर्माण

34—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 27 नवम्बर, 1980 में झांसी में शासन ने निर्णय लिया था कि बांदा नगर में नर्सेज हास्टल बनवाया जाय ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां । जिला चिकित्सालय, बांदा में नर्सेज होम के भवन निर्माण से सम्बन्धित आगणन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार कर दिया गया है । उक्त चिकित्सालय में नर्सेज होम के भवन-निर्माण की स्वीकृति शीघ्र ही दे दी जायेगी ।

झांसी, बुन्देलखंड में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय

35--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 27 नवम्बर, 1981 को शासन ने झांसी, बुन्देलखंड में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1981 तक कितने उपकेन्द्र कहां-कहां खोल दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी नहीं । 27 नवम्बर, 1981 को झांसी बुन्देलखंड में कोई स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय नहीं किया गया ।

31 दिसम्बर, 1981 तक खोले गये उपकेन्द्रों की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1174 पर ।)

36--प्रो0 चन्द्र प्रशाश शर्मा--

[17-9-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 175 द्वारा उत्तरित ।]

बांदा नगर स्थित राजकीय चिकित्सालय की बाउन्डरी वाल के निर्माण हेतु कृत कार्यवाही

37--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बांदा नगर स्थित राजकीय चिकित्सालय की बाउन्डरी वाल बनवाने का आग्रह प्रश्नकर्त्ता ने वर्ष 1980-81 में किया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा, विधायक एवं श्री राम नाथ दुबे, सांसद का माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में लिखा गया पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 1981 प्राप्त हुआ था ।

बाउन्ड्री वाल के निर्माण हेतु आगणन मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी से मांगा गया है । आगणन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

जन विश्लेषक प्रयोगशाला, प्र0 प्र0, लखनऊ में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का आरक्षण

38--श्री रामधनी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जन विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0 प्र0, लखनऊ में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का आरक्षण न पूरा होने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति--

अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों द्वारा जन विश्लेषक प्रयोगशाला की नौकरी छोड़कर चले जाने के कारण उनका आरक्षण पूरा नहीं है ।

सहकारी बैंक लिमिटेड, अलीगढ़ में गबन, वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में मैनेजर, श्री के0 एम0 शर्मा के पत्र पर कृत कार्यवाही

39—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री अकबर हुसैन—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मैनेजर, अलीगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, अलीगढ़ (श्री के0 एम0 शर्मा) ने अपने पत्र दिनांक 23-1-82 द्वारा बैंक में गबन, भीषण वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में कोई पत्र विभागीय अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारियों, अलीगढ़ को दिया है एवं अभिलेखों को जब्त करने की मांग की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तत्काल क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां । प्रश्नगत पत्र में मुख्य रूप से सहकारी बैंक लि0, अलीगढ़ की छर्रा शाखा में हुये गबन का उल्लेख किया है जिसके सम्बन्ध में इससे पूर्व 3-12-81 को एक और पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर जांच के उपरान्त गबन एवं वित्तीय अनियमितताओं के प्रकाश में आने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ।

ग्राम रसूलपुर में जच्चा-बच्चा केन्द्र/शिशु केन्द्र खोलने का निर्णय

40—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के पहले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 101 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न में सन्दर्भित पत्र प्रश्नकर्त्ता विधायक का माननीय स्वास्थ्य मन्त्री के कार्यालय, विधान भवन, लखनऊ में दिनांक 17-9-81 व 26-11-81 को प्राप्त किया गया है ? क्या यह सही है कि ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर, डरसंडा न्याय पंचायत के अन्तर्गत है, जहां कोई जच्चा-बच्चा केन्द्र नहीं है और न्याय पंचायत का क्षेत्र बहुत बड़ा है और सिन्दरवा एक अलग न्याय पंचायत का क्षेत्र है जिसकी स्वयं की जनसंख्या काफी अधिक है ? जनसंख्या की अधिकता को देखते हुए जनता की सुविधा हेतु ग्राम रसूलपुर में क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी एक जच्चा-बच्चा केन्द्र/शिशु केन्द्र खोलने के आदेश देंगे ?

श्री लोकपति—

ग्राम रसूलपुर में जच्चा-बच्चा केन्द्र/शिशु केन्द्र खोलने के लिए जो तथ्य प्रश्न में उपलब्ध कराये गये हैं उनको दिखवाया जा रहा है । रिपोर्ट आने पर उचित निर्णय लिया जावेगा ।

41—श्री हरिकिशन श्रीवास्तव—

[15-2-82 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित ।]

जोया (मुरादाबाद) टाउन एरिया में तहबाजारी के ठेकेदार द्वारा अनुचित कर की वसूली की शिकायत

42—श्री रामकृष्ण माहेश्वरी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र दिनांक 29-4-81 द्वारा उनसे जोया (मुरादाबाद) टाउन एरिया में तहबाजारी के

ठेकेदार द्वारा अनुचित कर की वसूली की शिकायत करके ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है ? यदि हां, तो ठेकेदार के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां । शिकायत की जांच की जा रही है ।

पी0 एम0 एस0 संवर्ग की वरिष्ठता सूची से डाक्टरों की पदोन्नति

43--श्री मन्जूर अहमद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 19-12-81 को डाक्टरों की पदोन्नति की सूची शासन ने घोषित की है ? क्या यह सही है कि 1180 नम्बर तक के डाक्टरों को पदोन्नत कर दिया गया है और 1175 नम्बर के डाक्टर को किन कारणों से छोड़ दिया गया ?

श्री लोकपति--

पी0 एम0 एस0 संवर्ग की वरिष्ठता सूची से वरिष्ठता कमांक 1180 तक के डाक्टरों में से ऐसे 118 डाक्टरों, जिन्हें सीनियर स्केल में प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया था, के तदर्थ प्रोन्नति के आदेश दि0 16-12-81 को शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं । वरिष्ठता क्रमांक-1175 पर वर्णित डा0 अनवार उल्ला खां को प्रोन्नति के लिये अनुपयुक्त पाए जाने के कारण प्रोन्नति नहीं किया गया ।

सी0 एम0 ओ0 तथा डिप्टी सी0 एम0 ओ0 के पदों पर पदोन्नति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की पदोन्नति न किये जाने का कारण

44-श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1981 से 31-1-198 तक स्वास्थ्य विभाग में सी0 एम0 ओ0 तथा डिप्टी सी0 एम0 ओ0 के कितने पदों पर पदोन्नति हुई है और इन पदों पर अनुसूचित/जनजति के कौन-कौन व्यक्ति पदोन्नति किये गये हैं? यदि नहीं, तो उनकी पदोन्नति न किए जाने के क्या कारण है ?

श्री लोकपति--

प्रश्नगत अवधि में स्पेशल ग्रेड तथा सीनियर ग्रेड, जिनमें सी0एम0ओ0 तथा डिप्टी सी0एम0ओ0 के पद भी सम्मिलित है, में कमशः 33 एवं 171 पुरूष डाक्टरों को प्रोन्नत किया गया ।

प्रश्नगत अवधि में स्पेशल ग्रेड एवं सीनियर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए हुई चयन-समिति की बैठक की तिथि के समय तक कोई भी अनुसूचित जनजति का अभ्यर्थी पात्रता क्षेत्र में नहीं आता था अतः उक्त अवधि में किसी भी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को प्रोन्नत नहीं किया जा सका ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मऊरानीपुर, जिला झांसी के उच्चीकरण करने का प्रस्ताव

45--श्री भागीरथ--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊरानीपुर अस्पताल को अपग्रेड करने के सम्बन्ध में नैनीताल क्लब में 25-6-1981 को स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि यह अगले सत्र में मन्जूर होगा ? यदि हां, तो अस्पताल का कब तक निर्माण हो जायेगा ?

श्री लोकपति--

जी हां । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मऊरानीपुर, जिला झांसी के उच्चीकरण करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

नगरपालिका, स्वार में पेयजल व्यवस्था हेतु कार्यवाही

46--श्री बलवीर सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 26-6-81 को प्रेषित पत्र जो नगरपालिका, स्वार में पेयजल की व्यवस्था के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

नगर पालिका, स्वार में पेयजल की व्यवस्था पहले से ही चालू है । इस योजना की मता बढ़ाने हेतु एक पुनर्गठन योजना के विरचन का कार्य वर्ष 1982-83 में प्रस्तावित है ।

अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

श्री नन्द किशोर सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के पहले गुरुवार के अता0 प्र0 स0 171 उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध लगभग 18 भू0 पू0 विधायकों ने लाखों रुपए के गोलमाल करने, बिना टेंडर निकाले बीसों लाख रुपए के सामान खरीदने, पाकिस्तानी नागरिकों को नौकरी पर रखने, सरकारी नियमों के विपरीत कर्मचारियों की नियुक्ति करने के जो गम्भीर आरोप तत्कालीन नगर विकास मंत्री को दिए थे, उसकी जांच किसने की ? पूरी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

शिकायतों के सम्बन्ध में जांच श्री चन्द्र शेखर मालवीय, अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा की गई थी और जांच आख्या के अनुसार समस्त अरोप निराधार पाये गये ।

विधायकों तथा माननीय मंत्रिगणों के इलाजों पर व्यय की गई धनराशि

48—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों तथा माननीय मन्त्रिगणो के इलाजों पर विगत जुलाई, 1980 से जनवरी, 1982 तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या मन्त्री जी उन पांच-पांच विधायकों के नाम भी बतायेंगे जिन्होंने उक्त अवधि में अधिकतम तथा न्यूनतम धनराशि का इलाज तथा दवाइयों का उपयोग किया है ?

श्री लोकपति—

प्रश्न बहुत व्यापक है । उत्तर के लिये सूचना के संकलन तथा प्रस्तुतीकरण में निहित समय, श्रम तथा व्यय उस सूचना से होने वाली सम्भावित उपादेयता की तुलना में कहीं अधिक होगा ।

स्वास्थ्य केन्द्र, गंगोह में मौजूदा चिकित्साधिकारी डाक्टर पी० के० अग्रवाल का स्थानान्तरण रोके जाने का कारण

49—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत स्थित स्वास्थ्य केन्द्र, गंगोह में मौजूद चिकित्साधिकारी (डाक्टर पी० के० अग्रवाल) का स्थानान्तरण गत एक वर्ष में तीन बार किया गया है ? यदि हां, तो स्थानान्तरण किये जाने तथा हर बार रोके जाने का कारण क्या था ?

श्री लोकपति—

जी नहीं । डाक्टर पी० के० अग्रवाल, चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगोह का स्थानान्तरण एक बार किया था । परन्तु इसे कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया था । यह स्थगन अब निरस्त कर दिया है ।

वाटर वर्क्स रोड स्थित आई० टी० आई० कालोनी में स्थित पार्क के रख रखाव व माली रखने के प्रश्न पर विचार

50—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनता शासनकाल में यानी 1979 में महापालिका, लखनऊ ने वाटर वर्क्स रोड स्थित आई० टी० कालोनी में स्थित पार्क को सुधारने के लिये हजारों रुपया खर्च किया और माली भी रखा किन्तु 1980 के बाद माली हटा लिये गये और पार्क को लावारिस छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसा क्यों और किसके आदेश पर किया गया ? क्या सरकार का विचार पार्क को सुधारने का और माली रखने का है ? यदि नहीं, तब क्यों नहीं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

प्रश्नगत पार्क में कुछ विकास कार्य व उसकी दीवार की मरम्मत आदि विभागीय स्थायी गैंग द्वारा कराई गई थी । पार्क के विकास के लिये कोई अतिरिक्त धनराशि या माली नहीं स्वीकृत किया गया था ।

इस पार्क के रख-रखाव व माली रखने का प्रश्न नगर महापालिका के विचाराधीन हैं ।

51---श्री यदुनाथ सिंह--

(4-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित)

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत पद तथा नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की अनुमति

52---श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह जानकारी है कि महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी म नर्सिंग स्टाफ के कितने पद स्वीकृत है ? क्या अधिकतर पद यहां खाली पड़े रहते हैं ? यदि हां, तो इस रिक्तता को पूरा क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री लोकपति---

इस मेडिकल कालेज में एक मेट्रन, दो थियेटर सुपरवाइजर, 33 सिस्टर/वार्ड मास्टर व 86 स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत हैं । इसमें दो थियेटर सुपरवाइजर, 20 सिस्टर/वार्ड मास्टर व 7 स्टाफ नर्स के पद इस समय रिक्त हैं । इन पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है ।

53---श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या उपरोक्त कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने झांसी में हुई कैबिनेट मीटिंग के समय मेडिकल कालेज झांसी में यह आश्वासन भी दिया था कि यहां नर्सिंग ट्रेनिंग बहुत शीघ्र शुरू कर दिया जावेगा ? यदि हां, तो क्या इसके बारे में कुछ कार्यवाही अभी तक हुई है ? यदि नहीं, तो नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की कब तक स्वीकृति दी जायेगी ?

श्री लोकपति---

इस मेडिकल कालेज में नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश (मुख्यालय) पर नैत्यिक लिपिक के स्वीकृत पद तथा दैनिक वेतन पर रखे गये अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के अभ्यार्थी

54---श्री छत्तर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उ0 प्र0 (मुख्यालय) पर नैत्यिक लिपिक के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमे कितने अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह सत्य है कि आरक्षण कोटा पूरा न होने के बावजूद भी अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों को दैनिक वेतन पर रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इन्हें नियमित न करने का क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति---

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश (मुख्यालय) पर नैत्यिक लिपिक के 126 पद स्वीकृत हैं जिन पर 3 लिपिक अनुसूचित जाति तथा 13 लिपिक पिछड़ी जाति के कार्यरत हैं ।

उच्च न्यायालय के आदेश थे कि जून, 1980 के पहले के पद जिला चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से भरे जायं । जिला चयन समिति से अपेक्षित संख्या में चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त नहीं हुई । जून, 1980 के बाद के रिक्त पदों के भरने पर अग्रिम आदेशों तक शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया हैं । ऐसी स्थिति में शासन के कार्य संचालन के उद्देश्य से अन्य अभ्यर्थियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को भी दैनिक वेतन पर रखा गया है ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश (मुख्यालय) पर मुख्य सहायक तथा मुख्य लिपिक के स्वीकृत पद तथा आरक्षित पद

55---श्री छत्तर सिंह---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उ0 प्र0 (मुख्यालय) पर मुख्य सहायक तथा मुख्य लिपिक के कितन-कितने पद स्वीकृत ह तथा उनमें अनुसूचित जाति के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के लिए कितने पद आरक्षित हैं तथा उन्हें क्या अविलम्ब पूरा करने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति---

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश (मुख्यालय) पर मुख्य सहायक के 12 पद तथा मुख्य लिपिक के 25 पद स्वीकृत हैं । मुख्य सहायकों में अनुसूचित जाति का कोई कर्मचारी नहीं है । मुख्य लिपिकों में एक कर्मचारी अनुसूचित जाति का कार्यरत है । अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण कोटा के अनुसार मुख्य सहायक के 2 पद तथा मुख्य लिपिक के लगभग 5 पद आरक्षित होते हैं । निर्धारित भाप दंडों के अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर आरक्षित पद भर दिये जायेंगे । प्रोन्नति में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण समाप्त हो गया है ।

[12 बजकर 20 मिनट]

भूतपूर्व सदस्य, श्री भारत सिंह चौहान व श्री श्यामसुन्दर गुप्त के निधन पर शोकोद्गार

*सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही दुख के साथ सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि श्री भारत सिंह चौहान, जो माननीय सदन के सदस्य रह चुके हैं, का निधन 15 मार्च, 1982 को प्रातःकाल यहां लखनऊ में हुआ । जिस समय उनका निधन हुआ वे लगभग 49 वर्ष के थे । उनका जन्म 5 जुलाई, 1933 को जिला इटावा में हुआ था । आप ने अपनी शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में प्राप्त की । वहीं से उन्होंने एल0 एल0 बी0 की डिग्री हासिल की । पहली बार वे 1967 में इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थ । उसके बाद 1969 में और

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया ।

[श्री अम्मार रिजवी--]

1974 में और फिर 1977 मे जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए । वर्ष 1977 में वे उत्तर प्रदेश के राज्य मन्त्री भी रहे । आप अपने जीवन में बहुत से सगठनों से सम्बन्धित रहे । पत्रकारिता में भी भाग लिया और अपने जिले के पत्रकार संघ तथा हिन्दी पत्रों के कई वर्षो तक प्रतिनिधि भी रहे । इसी प्रकार से शिक्षा सम्बन्धी कई कालेजों से भी उनका सम्बन्ध रहा । आज उनके निधन से, इतनी अल्प आयु में एक समाजसेवी, एक राजनीतिज्ञ और एक शिक्षाविद् से हम महरूम हो गये हैं और मैं समझता हूं कि यह कमी बहुत मुश्किल से पूरी होगी, जो उनके निधन से हुई है ।

इसके साथ ही साथ यह भी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय श्याम सुन्दर गुप्त, जो इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे, का निधन 6 मार्च, 1982 को कानपुर मे हो गया । इत्तिफाक से उनकी भी आयु लगभग 49 वर्ष थी । उनका जन्म 8 दिसम्बर, 1933 को हुआ था । उन्होंने भी प्रयाग विश्वविद्यालय से डिग्रियां हासिल की थीं । मान्यवर, वे पहली बार 1977 में जनरल इलेक्शन में जनता पार्टी के टिकट पर उरई निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर यहां आये । शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की और वे सेल्स टैक्स के एक अच्छे वकीलों में से थे । इसी के साथ-साथ, भारत सिंह चौहान की तरह, इनका भी सम्बन्ध कई एजूकेशनल संस्थाओं से था । उनके निधन से हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा एक पुराना साथी हमारे बीच में नहीं रहा और एक बहुत बड़ा कमी राजनैतिक जीवन में आ गयी । बहुत ही कम आयु में उनकी मृत्यु हुई जिसका हम सभी को महान दुख है । 49 वर्ष की आयु कोई अधिक आयु नहीं होती । आपसे निवेदन है कि हमारी सम्वेदनाएं, मेरे तरफ से और मेरे दल की तरफ से, उनके शोक सन्तप्त परिवार तक भिजवाने की कृपा करें ।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष महोदय, आज हम अपने दो भूतपूर्व सदस्यों, स्वर्गीय श्री भारत सिंह चौहान और श्री श्याम सुन्दर गुप्त के निधन पर अपनी शोक सम्वेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं । इनके सम्बन्ध में जैसा अभी हमारे माननीय अम्मार रिजवी साहब ने कहा, उनके विचारों से मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्वर्गीय श्री भारत सिंह चौहान इटावा जनपद से 4 बार इस माननीय सदन के सदस्य चुनकर आये और उन्होंने बड़ी होशियारी और जिम्मेदारी के साथ इस सदन में अपनी भूमिका निभाया । वे इटावा जनपद के एक बहुत ही अच्छे, कर्मठ समाजसेवी कार्यकर्ता थे । चुनाव में हार-जीत कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती लेकिन उस व्यक्ति के न रहने पर जो उसे सम्मान मिलता है, जनता द्वारा वह अधिक महत्वपूर्ण होता है । उनके निधन के बाद उनके दाह संस्कार के समय जो जन समूह उमड़ा, उसका वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है । उसी से यह आभास मिलता है कि उस जनपद में उनके लिए कितना सम्मान था । वे सदा छोटे व्यक्तियों के ही बीच रहते थे । उनके उठ जाने से एक अच्छा समाजसेवी, शिक्षा संस्थाओं में सहयोग देने वाला व्यक्ति, गरीबों की मदद करने वाला एक राजनैतिक कार्यकर्ता उठ गया है । उनके निधन से हम सभी को महान् दुख है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वर्गीय श्री श्याम सुन्दर गुप्त जो सन् 1977 में इस आदरणीय सदन के सदस्य चुनकर आए थे और सन् 1975 में जब देश में आपातकालीन स्थिति लागू हुई थी जिस समय कि बड़े-बड़े लोग गुफाओं में छिप गये थे, कुछ लोगों ने समर्पण कर दिया था सत्ता के सामने लेकिन गुप्ता जी ने 19 महीने जेल में काटे और तरह-तरह की यातनाएं सहीं। उनके निधन से हम सभी को महान दुख है।

मान्यवर, इन दोनों ही भूतपूर्व सहयोगियों के निधन से निश्चित तौर पर हमारे समाजसेवी, दो राजनैतिक कार्यकर्ता और दो जनप्रिय व्यक्ति उठ गये हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से हमारी शोक संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री फखरे आलम--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री भारत सिंह चौहान तथा श्री श्याम सुन्दर गुप्त के निधन पर श्री अम्मार रिजवी ने तथा माननीय नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनके साथ में अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री भारत सिंह चौहान का निधन जिन हालात में हुआ वह निहायत दुखी हालात थे और यह बड़े अफसोस की बात है कि लगभग एक ही साथ, एक ही उम्र के दो ऐसे व्यक्ति हमसे बिछुड़ गये, जिन्हें अभी बहुत दिनों तक जिन्दा रहना था और उन्हें जिन्दा रहकर अभी बहुत काम करने थे। श्री भारत सिंह चौहान और श्री श्याम सुन्दर गुप्त दोनों ही लीगल प्रोफेशन के आदमी थे। श्री श्याम सुन्दर गुप्त सेल्स टैक्स के बहुत अच्छे वकीलों में शुमार किये जाते थे। श्री भारत सिंह चौहान इस सदन के सदस्य रहे और 1970 में वह मन्त्री भी रहे। उन्होंने देश की, प्रदेश की बड़ी सेवा की और वह बड़ी लगन और सूझ-बूझ के आदमी थे और ऐसे उम्र के हिस्से पर कि जब काम करने का जमाना शुरू होता है, उनका हमसे बिछुड़ कर जाना निहायत दुख की बात है।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त ने भी थोड़ी सी ही उम्र में हम लोगों से अलाहिदा अख्तियार की। वह भी बहुत बड़े आदमी थे और उन्होंने मुश्किलों का मुकाबिला उस जमाने में किया जिस वक्त आदमियों को हालात से निपटने के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था। उस वक्त उन्होंने बहादुरी दिखाई और लड़ाई लड़े। ये दोनों बहादुर आदमी हमारे बीच से चले गये। इनके निधन से हमें बड़ा दुख है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी और मेरे दल की भावनाओं को उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी स्वर्गीय श्री भारत सिंह चौहान तथा श्री श्याम सुन्दर गुप्त के सम्बन्ध में जो उद्गार माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी ने, माननीय नेता विरोधी दल ने तथा अन्य हमारे माननीय विपक्ष के नेताओं ने विचार व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, ये दोनों ही विभूति व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं, जिनके निकट में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मान्यवर, श्री भारत सिंह चौहान की लोकप्रियता इससे प्रकट होती है, वह 4 बार इस सदन के सदस्य रहे। वह दारुलशफा में रहते थे। उनके कमरे में उनके क्षेत्र के लोगों का तांता लगा रहता था। लेकिन जिन परिस्थितियों में उनका निधन हुआ है, वह हम सबकी चिन्ता की बात है। मैं मान्यवर, अनुरोध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

करता हूं कि शासन उनके निधन के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करे ।

मान्यवर, श्री श्याम सुन्दर गुप्त का व्यक्तित्व हमारे बीच से उठ गया। मान्यवर, श्री श्याम सुन्दर गुप्त अपने विद्यार्थी जीवन काल से ही सार्वजनिक कार्य-कर्त्ता के रूप में रहे । उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बी० ए० और एल-ए ल० बी० की उपाधियां प्राप्त की थीं । उन्होंने लोक स्वायत्त शासन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया था । अपने उरई जनपद जालौन में वकालत का कार्य प्रारम्भ किया और केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया । 8 वर्ष तक वह जालौन जिला सहकारी बैंक के संचालक रहे । एक बार आपने उसके प्रबन्ध संचालक के रूप में भी काम किया । आप उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ के भी संचालक रह चुके थे । सहकारिता के क्षेत्र में उनका काफी योगदान रहा । वह पत्रकारिता में भी एक प्रमुख योगदान दिया करते थे । वह एक सप्ताहिक समाचार-पत्र के भी सम्पादक रहे, और वह जिला पत्रकार समिति के महासचिव भी रहे । वह अपनी वकालत के साथ-साथ समाज के निर्बल वर्ग के लोगों की सेवा में अपना पूरा समय लगाकर काम किया करते थे ।

मान्यवर, वह निष्पक्ष और निःस्वार्थ भाव से काम करते थे । मान्यवर, बुन्देलखंड के विकास के लिए और वहां की समस्याओं के लिये वह सदन में बराबर आवाज उठाया करते थे । वह सत्ता पक्ष में रहते हुए भी वहां की आवाज को बुलन्द करते थे । आज उनके जाने से जो रिक्तता आई है, उसको पूरा करना सम्भव नहीं है । मैं अपने और अपने दल की ओर से इन दोनों दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे मान्यवर, प्रार्थना है कि मेरी और मेरे दल की भावना को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, माननीय नेता सदन की ओर से श्री अम्माद रिजवी और विभिन्न विरोधी दलों के नेताओं ने जो विचार माननीय भारत सिंह चौहान और श्री श्याम सुन्दर गुप्त के निधन के सम्बन्ध में प्रकट किये हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री भारत सिंह चौहान से मेरा निकट का सम्पर्क था । वह मेरे मित्र थे उनके सम्पर्क में रहने का लम्बे अर्से तक मुझे मौका मिला । उनका सम्बन्ध शिक्षा संस्थाओं से था, राजनीति और सामाजिक जीवन से उनका सम्बन्ध था वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिल रहा था और काफी हद तक लाभ मिला । ऐसे व्यक्ति के निधन से निश्चित रूप से शून्यता आयी है और उस रिक्तता को भरना सम्भव नहीं है । मान्यवर, जिन हालात में श्री चौहान की मृत्यु हुई है, वह खेदजनक बात है और खेदजनक प्रश्न है । उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उस तथ्य का सही पता लगाकर, दूषित या इस तरह का कार्य जो हुआ है, उससे दोषी व्यक्ति को दण्डित करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय गुप्त जी के निधन से भी राजनीतिक जीवन में एक कमी आयी है । मैं अपनी और अपने दल की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी व मेरे दल की भावना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, स्वर्गीय श्री भारत सिंह चौहान जो प्रदेश के मन्त्री रहे हैं और इस सदन के 4 बार सदस्य रहे हैं । इसके सम्बन्ध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं. उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मैं व मेरा दल उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

स्वर्गीय श्री श्याम सुन्दर गुप्त के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये गये हैं उससे भी मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मैं अपने दल की तरफ से अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

माननीय निर्माण मन्त्री और अन्य दलों के नेताओं ने जो भावनाएं स्वर्गीय श्री भारत सिंह चौहान और श्री श्याम सुन्दर गुप्त के बारे में प्रकट की हैं, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मैं इन दोनों दिवंगत आत्माओं के प्रति अपने दल की ओर से ओर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आप से निवेदन करता हूं कि मेरी व मेरे दल की भावनाओं को इन दोनों के शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

सभी माननीय नेताओं द्वारा व्यक्त किये गये शोक श्रद्धांजलि से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । स्वर्गीय श्री भारत सिंह चौहान से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित था । स्वर्गीय श्री चौहान बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और वह साहस के साथ अपने विचारों को जिस तरह के उनके विचार रहे, उसको कार्यान्वित करने और सफलतापूर्वक कहने के आदी थे । माननीय गुप्त जी के सम्बन्ध में जो उनके साहस की बात बताई गई, उससे स्पष्ट होता है कि वह अपने विचारों के प्रति समर्पित थे और उसके लिये किसी तरह के कष्ट को सहन करने के आदी थे । इतनी कम उम्र इन दोनों के दिवंगत हो जाने से हमको और हमारे समाज को क्षति हुई है । मैं अपनी तरफ से और सदन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह श्रद्धांजलि उनके परिवार तक पहुंचा दी जायेगी ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए ।)

[समय 12·25 अपरान्ह]

सिंचाई विभाग के वर्क चार्ज तथा मस्टर रोल के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की धमकी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नन्द राम--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रदेश में सिंचाई विभाग के वर्कचार्ज नियमित

[श्री नन्द राम—]

तथा स्थायी मस्टर रोल के 60 हजार से अधिक कर्मचारियों ने आज प्रातः से कार्य ठप्प कर दिया है। यह अपनी कुछ मांगों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। जब सभी रास्ते बेअसर हो गए तो मजबूरन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है।

मान्यवर, इनकी मांग है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट वर्कचार्ज कर्मचारियों पर भी लागू हो, 240 दिनों से अधिक कार्य करने वाले वर्कचार्ज व मस्टर रोल कर्मचारियों को स्थायी किया जाये, ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, आवास चिकित्सा, स्थानान्तरण भत्ता, प्रावीडेन्ट फंड, ग्रेच्युटी तथा पेन्शन की सुविधा दी जाए। इन्होंने यह भी घोषणा की है कि यदि मांगे पूरी न हुई तो 22 मार्च के बाद अनिश्चित कालीन हड़ताल होगी।

मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर मांग करता हूं कि उनकी न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें स्वीकार किया जाये।

बरेली में बल्ली-बांध के टूट जाने से बल्ली नहर कमांड एरिया में सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जयदीप सिंह—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली में बल्ली बांध के टूट अथवा काटे जाने से उत्पन्न गम्भीर एवं चिंतनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाकर शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं माह फरवरी के आखिरी सप्ताह में इस बांध का एक किनारा टूट गया अथवा किसी असामाजिकतत्व ने काट दिया, इसके फलस्वरूप इस बांध का सारा पानी बहकर बहुगुल (पश्चिमी) नदी में बह गया और इससे निकलने वाली बल्ली नहर सूख गयी है। इस नहर की कमांड एरिया की फसले सूख रही हैं और आने वाले महीनों में गन्ने इत्यादि की फसल भी पूर्णतया इस पर आधारित होने के कारण सूख जायेंगी। गर्मियों में इस नहर से ही इस क्षेत्र के पशुओं को पीने का पानी उपलब्ध होता है। अतः पानी के अभाव में यह समस्या भी भयंकर रूप धारण कर लेगी। बांध का बहुत थोड़ा सा सा भाग ही क्षतिग्रस्त हुआ है और पांच पजार रुपए से भी कम में वह एक सप्ताह के अन्दर पुनः बनाया जा सकता है। परन्तु खेद का विषय है कि अभी तक शासन द्वारा इस कार्य को करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यदि तुरन्त इस कार्य को करा दिया जाये तो 15-20 दिन के अन्दर हा जलाशय में काफी पानी हो जायेगा और नहर में पानी फिर से चलने लगेगा।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न की ओर, आपके माध्यम से शासन से आग्रह है कि बल्ली बांध, जनपद बरेली की मरम्मत का कार्य तुरन्त कराया जाये।

दिल्ली एवं हरियाणा से व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से सामान लाकर मथुरा में बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मेरे जिला मथुरा में आजकल दिल्ली एवं हरियाणा से व्यापारियों द्वारा बिक्री हेतु बहुत सा सामान बिकीकर एवं चुंगी की चोरी करके भारी मात्रा में लाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा रहा है । यह व्यापारी इस सामान को रेलों एवं अन्य वाहनों द्वारा मथुरा शहर में लाते हैं । जो सामान रेलों द्वारा जाता है, व्यापारियों द्वारा मथुरा जनपद के जंकशन के आउटर पर गाड़ियों की चेनपुल करके गाड़ियों को जबरिया रोक लिया जाता है और माल को आसानी से उतार कर गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाता है । इस तरह के सामान लाने वालों के सहायक आउटर पर रेल की पटरी के सहारे से पहले ही खड़े रहते हैं और रेल के रुकते ही एकदम सामान आसानी से उतार लेते हैं । इसमें टेम्पो आदि का भी डटकर प्रयोग किया जाता है । इसमें मथुरा जनपद के बिक्री कर के अधिकारियों की व चुंगी अधिकारियों की तथा क्षेत्रीय पुलिस की भी सांठगांठ है और माहवारी भी बंधी हुयी है । इस अवैध व्यापार से सरकारी खजाने को लाखों रुपए की हानि हो रही है तथा अवैध व्यापार को प्रोत्साहन मिल रहा है । वहां के रहने वाले तथा रेलों में अन्य यात्रियों पर इसका बुरा असर पड़ता है तथा शासन की छवि खराब होती है ।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के व्यापार को तुरन्त बन्द करा दिया जाय ।

मुजफ्फरनगर के कांधला क्षेत्र के कतिपय ग्रामों की फसल हरियाणा प्रदेश के प्रशासन द्वारा कटवाये जाने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री वीरेन्द्र सिंह---

माननीय, मुजफ्फरनगर जनपद में मेरे चुनाव क्षेत्र, कांधला के ग्राम गढ़ी रामकौर, डुंडूखेड़ा, ईशोपुरटील यमुना नदी के तट पर स्थित हैं । नदी के बहाव बदलने के कारण पूर्व में भी कई बार ऐसा हो चुका है कि उक्त ग्रामों की हजारों एकड़ भूमि यमुना नदी से पश्चिम में, अर्थात् हरियाणा राज्य की ओर चली जाती है । कभी उत्तर प्रदेश की ओर आ जाती है । यद्यपि श्री उमाशंकर दीक्षित एवार्ड के अन्तर्गत विधिवत् रूप से दोनों राज्यों की सीमा का निर्धारण हो चुका है । परन्तु हरियाणा राज्य का प्रशासन वहां के ग्राम खेड़ागोड़ा आदि के साथ षडयंत्र करके उपरोक्त ग्राम गढ़ी रामकौर, डूंडूखेड़ा आदि कृषकों की बोयी हुयी फसल को कटवाते हैं । इस समय सैकड़ों एकड़ भूमि में गढ़ी रामकोर, डूंडूखेढ़ा, ईसोपुरटील के किसानों द्वारा बोई हुई मसुरी की व गेहूं की फसल खड़ी है । मसुरी की फसल इस समय लगभग तैयार है और हरियाणा का प्रशासन वहां के कुछ ग्रामवासियों से मिलकर इस फसल को जबरदस्ती कटवाने की तैयारी कर रहा है क्योंकि इससे पूर्व भी वह लोग इस प्रकार तैयार फसल को कटाने में सफल हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार विशेषतया मुजफ्फरनगर का जिला प्रशासन कभी भी मेरे क्षेत्र के निवासियों की रक्षा करने में सफल नहीं रहा है ।

अतः इस बात की पूर्ण आशंका एवं सम्भावना है कि किसी समय भी उन लोगों की फसल को काट लिया जायेगा और यह लोग अपने लाखों रुपयों की सम्पत्ति से वंचित रह जायेंगें पूरे वर्ष तक इनका तथा इनके परिवार का जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं रहेगा । हजारों गरीब कृषकों की मौत व जिन्दगी का प्रश्न है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वीरेन्द्र सिंह--]

में आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में वह अत्यन्त अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न लाते हुए सरकार से आग्रह करता हूं कि उपरोक्त ग्रामों की फसल एवं अन्य सम्पत्ति के लिए तुरन्त प्रभावी कदम उठाये ।

फर्रुखाबाद में हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट के परीक्षा केन्द्रों में दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र सिंह यादव--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न नियम 301 में सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं । दिनांक 16-3-82 से हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट की परीक्षा प्रारम्भ हो गयी है किंतु फर्रुखाबाद जनपद में परीक्षा केन्द्रों की सही व्यवस्था नहीं है । परीक्षा केन्द्रों पर बैठने और लिखने तक की सुविधा नहीं है । कुछ परीक्षा केन्द्रों पर जहां 300 विद्यार्थी आसानी से बैठ सकते हैं, वहां 1,600 या इससे अधिक परीक्षार्थियों का केन्द्र बनाया गया है । ऐसे केन्द्रों पर जमीनपर खुले आसमान के नीचे परीक्षार्थी बैठे हैं । न फर्श बिछे हैं और न ऊपर कोई साया का प्रबन्ध है और न लिखने के लिए भी कोई मेज, दफ्ती आदि की व्यवस्था है । परीक्षार्थियों में ऐसे केन्द्रों पर घोर असन्तोष व्याप्त है । उदाहरण के लिए परीक्षा केन्द्र डी० ए० वी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, रजलामई, जनपद फर्रुखाबाद में जहां पर लगभग 300 परीक्षार्थियों के बैठने के लिए स्थान उपलब्ध है और उन कमरों में भी पूरा फर्नीचर नहीं है, फिर भी इस केन्द्र पर 1600 से अधिक परीक्षार्थियों का केन्द्र बनाया गया है । इस केन्द्र पर पूर्ण अव्यवस्था है, जहां पर व्यवस्था न करने के कारण दिनांक 16-3-82 को पहली पाली में 8 बजकर 30 मिनट पर प्रश्न-पत्र दिया गया । केन्द्र पर व्यवस्था न होने के कारण तथा परीक्षार्थियों में व्याप्त असन्तोष के कारण बहुत देर तक हुल्लड़ मचा रहा और पुलिस के हस्तक्षेप करने पर ईंट पत्थर चले । जिसमें पुलिस जनों को भी चोटें आयीं ।

अतः उक्त मामले की जांच कराकर ऐसे केन्द्रों पर परीक्षार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जाय ताकि परीक्षार्थियों में व्याप्त असन्तोष समाप्त हो सके तथा वह परीक्षा सही तरह से दे सके । भविष्य में परीक्षा केन्द्र बनाते समय परीक्षार्थियों की कठिनाइयों का ध्यान रक्खा जाये ।

जिला परिषद् आगरा के कर्मचारियों द्वारा तारकोल की चोरी से बेंच दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें जिला प्रशासन के भ्रष्टाचार का मामला खुले रूप में जनता के सामने आया है । आगरा जिले में तांतपुर मार्ग के ग्राम गासरी गांव से जाखआ कटरा तक के लिये जिला परिषद् का एक मार्ग है इस मार्ग की मरम्मत के लिये 80 ड्रम कोलतार स्वीकार किया गया था इसमें से 50 ड्रम कोलतार सड़क की मरम्मत के कार्य में लगाया गया है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

29 और ड्रम कोलतार सम्बन्धित अधिकारियों ने चोरी से ब्लेक में बेच दिया है। जिला परिषद के अध्यक्ष के नाते इस मामले को मैंने जिलाधिकारी के संज्ञान में ला दिया है किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो पायी है। जिलाधिकारी स्वयं ईमानदार और निष्ठावान हैं किन्तु भ्रष्ट कर्मचारियों को दण्डित करने में शिथिलता अनुभव करते हैं।

अतः आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करता हूं कि मामले को गम्भीरता से जांच कराई जाय और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाय।

कतिपय सदस्यों द्वारा अपनी नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को लिये जाने की मांग

श्री गौरीशंकर भैय्या--

मान्यवर, मैंने भी नियम 301 में सूचना दी थी। गन्ना बोवाई के समय कीटनाशक दवाओं का अकाल पूरे प्रदेश में हो गया है ...।

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 में जितनी सूचनायें स्वीकार होनी थी, स्वीकार हो गयीं। आप बैठ जायं।

(सचिव, विधान सभा को पुकारे जाने पर)

*श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, पिछले एक सप्ताह में मैं आपका ध्यान अनेकों बार नियम 301 के अन्तर्गत आकृष्ट कर रहा हूं, लेकिन सत्ता पक्ष मेरी तरफ देख नहीं सकता क्योंकि मैं विरोध पक्ष में हूं क्योंकि मैं अपनी पार्टी का अकेला व्यक्ति हूं। जो कुछ भी लिखकर दिया, आपने हमारे हितों की रक्षा नहीं की। मैं पिछले 10 सालों से इस विधान सभा का सदस्य हूं। मैंने अनेक बार कहा कि मुझे बोलने का मौका दिया जाय, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं!

श्री सत्यपाल सिंह--

मैं कहना चाहता हूं कि इसी मा0 सदन के अन्तर्गत झारखण्डे राय आये हैं, रामचन्द्र विकल आये हैं, मान्यवर, आपने हमारी कभी रक्षा नहीं की, हम आज आपके सामने कहना चाहते हैं कि. . . .

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री सत्यपाल सिंह--

यह मैं बहुत सुन चुका हूं। आपके इशारे पर आपके अनुरोध पर बैठा हूं हमेशा, आपने कभी मेरी रक्षा नहीं की. . . ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य । बैठ जायं ।

जो भी सूचनायें आती हैं, उनमें जो तथ्य दिये गये हैं, उनके महत्व के अनुसार स्वीकार की जाती है । इस बात का ध्यान रखते हुए कि इधर अब सदन की कार्यवाही शायद समाप्त होने जा रही है, मैंने कल से 5 की जगह पर 6 सूचनायें स्वीकार करना शुरू कर दिया है क्योंकि अधिक सूचनायें आती हैं । यह आपकी बात है कि आप अपने दल के अकेले सदस्य हों, 100 सदस्य हों या 4 सदस्य हों ।

श्री सत्यपाल सिंह--

आप रक्षा करें, मैंने आपसे यही कहा था ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री सत्यपाल सिंह--

मैं बहुत सुन चुका हुं, अब नहीं सुनूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, मा0 सत्यपाल सिंह ।

मा0 सत्यपाल सिंह जी के बहुत उच्च स्वर में बोलने से तथा बहुत क्रोध भावना में बोलने से भी उनके प्रति मेरे मन में यह भाव नहीं है कि उनके हक में कोई ऐसा निर्णय करूं इसको जानकर कि वे दल के एक हैं या उन्होंने बड़े जोर से मेरे निर्णय को स्वीकार नहीं किया या उसके प्रति कोई भावना व्यक्त की, लेकिन मेरे सामने जो प्रश्न आते है, ऐसा सम्भव है कि कभी-कभी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाय और कभी ऐसे कम महत्वपूर्ण प्रश्न स्वीकार हो जाय, यह केवल अपने विवेक की बात है । उसमें गलती और सही की कोई बात नहीं है । आपके दिमाग में भ्रम है कि जानबूझ कर आपकी उपेक्षा की गयी है । मैं जानबूझ कर उपेक्षा किसी दल के संबंध में, किसी व्यक्ति के संबंध में नहीं कर सकता हूं और न करता हूं । यह सिर्फ इसलिये ऐसा हुआ कि आपके मन में ऐसी भावना होगी हालांकि मैंने कभी ऐसा करने का प्रयत्न नहीं किया और मैं समझता हूं कि मेरी कोई कमी हो गयी है जिससे आपके भाव ऐसे हो गये । भविष्य में ध्यान रखूंगा कि ऐसा न हो अब आप बैठें और सदन की कार्यवाही आगे चलने दें ।

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982, जो विधान सभा द्वारा 10 फरवरी, 1982 को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 17 मार्च, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि भारती स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 1982 को परित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 17 फरवरी, 1982 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 मार्च, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981-82) का विशेष प्रतिवेदन†

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981-82) का विशेष प्रतिवेदन [भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1977-78 (सिविल) में उल्लिखित-प्रस्तर 3-8 पर, जो सिविल अस्पतालों में प्रयोग हेतु पशुओं की औषधियों के क्रय से सम्बंधित हैं, पर आधारित] प्रस्तुत करता है ।

यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1977-78 (सिविल) के प्रस्तर 3-8 में उल्लिखित दवाओं की एक अनियमित खरीदारी से संबंधित है जिसमें यह बताया गया है कि नवम्बर, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि में तत्कालीन अधीक्षक, मोती लाल नेहरू अस्पताल तथा तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, तथा इलाहाबाद के दो तत्कालीन उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने फर्मों से सांठ-गांठ करके बिना किसी विशेष प्रयोजन और परिस्थिति के पशुओं के लिये प्रयोग की जाने वाली दो प्रकार की दवाओं का मनुष्यों के प्रयोग हेतु क्रय किया था । वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 की समिति ने इस संबंध में अपनी दिनांक 16 जनवरी, 1981 तथा 24 अगस्त, 1981 की बैठकों में विचार किया तथा विभागीय सचिव एवं अन्य अधिकारियों का साक्ष्य लिया और प्रारूप प्रतिवेदन को अपनी दिनांक 10 फरवरी, 1982 की बैठक में स्वीकार किया । समिति ने प्रतिवेदन में सम्पूर्ण प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच शीघ्र करवाने तथा दोषी अधिकारियों को दंडित करने की संस्तुति की है ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1976-77 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन†

श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981-82) का प्रतिवेदन [भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1976-77 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित] प्रस्तुत करता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1976-77 (सिविल) पर आधारित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन†

श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1981-82) का प्रतिवेदन [भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1976-77 (सिविल) पर आधारित] प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, हम लोगों को रिपोर्ट की प्रतियां नहीं मिली हैं,, प्रतियां तो दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

मुद्रित हो जाने के बाद वितरित कर दी जायेंगी ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन, मैंने पहले भी लिख कर दिया था कि धारा 216 (3) के अन्तर्गत मैं फिर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं । इसके पहिले भी जब माननीय सभापति ने अपनी रिपोर्ट उस दिन प्रस्तुत की थी, मैंने मंत्री जी का ध्यान नियम 216 (3) के अन्तर्गत आकृष्ट करते हुए कहा था कि जो कमियां हैं, जो दवाओं के पचेंज का माध्यम है इसकी सूचना आप दें कि उसका क्या नियमों में प्राविजन है ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को देख लें कि जब-जब महालेखा परीक्षक की जांच आयी उसके बाद समिति ने भी छानबीन की और रिपोर्ट दे दी । तो तत्काल बाद शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ? यदि हमको इसकी जानकारी हो जाय, सदन में सूचना दे दें तो सदन इसका निर्णय कर सके कि समितियों के निर्णय पर शासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाती है ?

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, पशुओं की दवा मनुष्यों को दे दी गई. महालेखाकार ने रिपोर्ट दे दी । तो मंत्री जी आज ही घोषणा करेंगे कि इसकी जांच सी0 आई0 डी0 को दे दें ।

(व्यवधान)

इस पर तुरन्त कार्यवाही करें और जो दोषी अधिकारी हों उनके खिलाफ कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष--

216 (3) का हवाला जो दिया है तो नियम 216 के उप-नियम (3) के अन्तर्गत है कि संबंधित मंत्री या कोई मन्त्री उसी दिन या किसी भावी दिनांक को जब तक के लिए वह विषय स्थगित किया गया हो, सरकारी दृष्टिकोण और शासन द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर दे सकेंगे । आपको (मंत्री से) उत्तर देने का अधिकार है और जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, वह उनके समक्ष जायेगा और अगर (मंत्री जी) उत्तर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं । हम उनको निर्देशित नहीं कर सकते ।

ब्लिट्ज के विशेष संवाददाता, श्री बिशन कपूर की मेडिकल कालेज, लखनऊ के डाक्टरों की लापरवाही से मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)--

ब्लिट्ज के संवाददाता श्री बिशन कपूर की के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में दिनांक 14 सितम्बर, 1981 को निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को जांच करने के आदेश दिये गये थे । निदेशक द्वारा डा0 के0 पी0 भार्गव, प्रधानाचार्य, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई थी । इस समिति में निम्नलिखित सदस्य रखे गये थे :

1--डा0 के0 पी0 भार्गव, प्रधानाचार्य, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ---अध्यक्ष ।

2--डा0 के0 एन0 श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक---सदस्य ।

3--डा0 टी0 एन0 इडोलिया, प्रोफेसर आफ रेडियोथिरेपी, कैंसर इंस्टीट्यूट, कानपुर --सदस्य ।

इस समिति की रिपोर्ट निदेशक के पत्र दिनांक 24 नवम्बर, 1981 में शासन को प्राप्त हुई है । समिति की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि सर्वप्रथम श्री बिशन कपूर दिसम्बर, 1978 में बीमार हुये थे । इनकी बीमारी की जांच के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालोजी विभाग द्वारा की गई थी और यह डायग्नोसिस किया गया कि श्री बिशन कपूर एक्यूट ल्यूकीमिया से पीड़ित हैं । इसके बाद श्री बिशन कपूर, टाटा इंस्टीट्यूट आफ कैंसर, बाम्बे गये थे जहां उन्होंने 11 माह इलाज कराया था परन्तु उससे लाभ नहीं हो सका । पुनः श्री कपूर जून-जुलाई, 1979 में लखनऊ आये और के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालोजी विभाग में उन्होंने पुनः जांच कराई । जांच में पुनः बताया गया कि उन्हें एक्यूट ल्यूकीमिया है । इस जांच रिपोर्ट के साथ वे फिर बाम्बे गये और वहां उन्होंने पुनः जांच कराई टाटा मेमोरियल अस्पताल ने पाया कि श्री कपूर वास्तव में ल्यूकीमिया से पीड़ित हैं और उन्हें एन्टीकैंसर थेरेपी की सलाह दी गई । श्री कपूर को यह भी सलाह दी गई वे लखनऊ में डा0 एन0 सी0 मिश्रा से सम्पर्क करें और एन्टी कैंसर थेरेपी यथा आवश्यक, जारी रखें ।

नवम्बर, 1979 में श्री कपूर मेडिकल कालेज में भर्ती हुए और इनका इलाज डा0 एन0 सी0 मिश्रा द्वारा हो रहा था । मार्च, 1980 तक ये अस्पताल में रहे । डा0 मिश्रा द्वारा नवम्बर, 1979 से अगस्त, 1981 की अवधि में इलाज के दौरान कम्बाइन्ड कीमोथेरेपी की 8 से 10 सायकिल दी । इस इलाज का अच्छा असर हुआ परन्तु श्री कपूर को डायबेटीज, फीवर, म्यूकोसल अल्सेरेशन तथा डायरिया की भी बीमारियां थीं । विभिन्न बैक्टीरियल तथा वाइरल इन्फेक्शन की बीमारियां भी थीं जिनके लिए एन्टीबायटिक दिया गया । इस बीच मार्च, 1981

[श्री हरि सिंह--]

में अमेरिका के कैंसर विशेषज्ञ, डा0 एस0 एस0 लोधा लखनऊ आये थे जिनसे श्री कपूर ने भी परामर्श किया था और उन्होंन कपूर के इलाज से सहमति व्यक्त की थी ।

श्री कपूर दुवारा 27 अगस्त, 1981 को कीमोथेरेपी को फ्रेस कोर्स के लिये भर्ती हुये थे । श्री कपूर को 2 एम0 जी0 के एण्टी कैंसर इजेक्शन दिये जा रहे थे । परन्तु दिनांक 29 अगस्त, 1981 को उन्हें भूलवश हाउस आफिसर द्वारा 5 एम0 जी0 का इंजेक्शन दे दिया गया । यह भूल इस कारण हुई कि बिशन कपूर ने अन्य इंजेक्शनों के साथ अपने द्वारा लाये हुये 5 एम0 जी0 के इंजेक्शन को मिला कर रखा था । यह उल्लेखनीय है कि 5 एम0 जी0 का इंजेक्शन हास्पिटल द्वारा नहीं दिया जात है । इसकी सूचना मिलते ही डा0 जैसवाल सर्जन एवं डा0 एस0 एस0 अग्रवाल, फिजीशियन से इस भूल के स्पीडी एक्सक्रीशन की कार्यवाही तुरन्त की । डा0 एन0 सी0 मिश्रा बाहर गये हुये थे । मरीज पर इस इंजेक्शन का कोई टाक्सिक प्रभाव नहीं हुआ । दिनांक 1-9-81 को इन्हें बुखार जरूर हो गया था जिसका सफल इलाज किया गया था । दिनांक 5-9-81 तक इनकी अच्छी दशा थी । दिनांक 6-9-81 को इनकी दशा खराब हो गयी इन्हें तेज बुखार हुआ । डा0 जायसवाल सर्जन तथा डा0 महेश चन्द्र फिजीसियन ने मरीज को ब्लड ट्रांसफ्युजन दिया परन्तु अगले दिन उनकी दशा और बिगड़ गई तथा इनका इन्तकाल हो गया ।

श्री कपूर को एक्यूट ल्यूकीमिया था और इसके फर्स्ट अडियग्नोस से 3 वर्ष तक जीवित रहे ।

समिति ने इस पर गहराई से विचार किया कि क्या इंजेक्शन की अधिक मात्रा से इनकी मृत्यु हुई । समिति की रिपोर्ट में पैथालोजिकल साइंटिफिक तथ्य दिये गये हैं जिससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि हाई डोज के इंजेक्शन का कोई प्रभाव नहीं हो पाया और समय से उसे नियंत्रित किया गया । समिति ने यह भी पाया कि 5 एम0 जी0 का डोज थेरोप्यूटिक रेंज के अन्तर्गत ही आ जाता है । अतः समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि श्री कपूर की मृत्यु इस 5 एम0 जी0 के इंजेक्शन के दिये जाने से नहीं हुई । समिति ने पाया कि श्री बिशन कपूर को अनेक प्रकार की बीमारियां थीं और वे प्रोब्लेम केस साबित हुये । कैंसर को 4-बी स्टेज में इन्होंने रिपोर्ट किया इसके अतिरिक्त इन्हें मधुमेह की भयंकर बीमारी थी । इसके आलावा इन्हें डायरिया, अल्सेरेशन और बैक्टीरियल एवं वाइरल इंफेक्शन की बीमारियां भी थीं । फिर भी इनका संतोषप्रद इलाज किया गया । समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि श्री कपूर को घातक बीमारी थी और उसी के फलस्वरूप उनकी स्वभाविक मृत्यु हुई । इनमें किसी का भी कोई दोष नहीं है । क्योंकि 4-बी के स्टेज पर कैंसर के मरीज को लगभग 3 वर्ष से ज्यादा नहीं रखा जा सकता ।

माननीय सदस्य ने अपने पत्र में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि मार्च, 1982 बताई है परन्तु वास्तव में उक्त रिपोर्ट शासन को नवम्बर, 1981 में निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से प्राप्त हो गई थी ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक बिन्दु पर स्पष्टीकरण हो जाने दीजिए ।

ब्लिट्ज के विशेष संवाददाता श्री बिशन कपूर की मेडिकल कालेज, लखनऊ के 1077 डाक्टरों की लापरवाही से मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, केवल एक ही प्रश्न पूछें ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, जब श्री कपूर को केवल 2 एम0 जी0 का इंजेक्शन प्रेस्क्राइब्ड था तो उन्हें 5 एम0 जी0 का इन्जेक्शन क्यों दिया गया ? मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार 6 तारीख को जब उनकी हालत खराब हुई तो एक तो मौके पर कोई डाक्टर मिला नहीं और दूसरे बड़ी मुश्किल से ब्लड मिला और जब ब्लड मिला तब ब्लड ट्रांसफ्युजन नहीं हुआ जो तत्काल कारण बन गया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन दोनों बिन्दुओं पर जांच समिति ने ठीक से छानबीन की ? ब्लड ट्रांसफ्युजन जिस समय होना चाहिए वह ठीक समय पर नहीं हुआ और न ही सही व्यक्ति द्वारा किया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)—

श्रीमन्, जांच समिति की रिपोर्ट में यह दिया हुआ है कि यह 5 एम0 जी0 का इन्जेक्शन स्वर्गीय बिशन कपूर के साथ आया था । वह हास्पिटल का नहीं था और जांच समिति की रिपोर्ट में यह भी दिया हुआ है कि दिनांक 6-9-1981 को जब उनकी तबियत खराब हुई तो उनको ब्लड ट्रांसफ्युजन दिया गया । डाक्टर जायसवाल के कंसल्टेशन पर डाक्टर महेशचन्द्र मिश्र को सौंप दिया गया था कि जांच वगैरह करने के बाद श्री बिशन कपूर को ब्लड ट्रांसफ्युजन किया जाय ।

(व्यवधान)

जब डाक्टर जायसवाल, डाक्टर एन0 सी0 मिश्रा के स्थान पर काम कर रहे थे । डाक्टर जायसवाल उसी अथारिटी से सम्बन्धित विभाग में काम कर रहे थे और इसीलिये श्री बिशन कपूर का केस उनको सौंपा गया था । एक बात बतला दूं कि सन् 78 में जब श्री बिशन कपूर मेडिकल कालेज में आये तो पहली बार उनकी जांच करके बतलाया गया कि इनको निकोमिया है । फिर वे बम्बई चले गये । वहां इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली तो वे पुनः मेडिकल कालेज में भर्ती हुए तो जांच से मालूम हुआ कि उनको कैंसर की शिकायत है और वह चौथे स्टेज पर पहुंच गया है । एक्सेप्शन की बात मैं नहीं जानता लेकिन आमतौर से डाक्टरों की यह भावना है कि चौथे स्टेज पर कैंसर के मरीज की आयु तीन वर्ष तक ही सीमित रहती है ।

(व्यवधान)

श्री ख्वाजा हलीम—

वक्तव्य में माना गया है कि 5 एम0 जी0 का इनजेक्शन लगाया गया जब कि प्रिसक्रिप्शन में 2 एम0 जी0 लगाने के लिये लिखा हुआ है । वह इनजेक्शन कहीं से भी आया, लेकिन यह गलती क्यों की गयी जब को प्रिसक्रिप्शन मौजूद था ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बैठे आप । यह उत्तर में आ गया है ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

आपने जो जांच समिति बनायी थी । अपने अस्पताल से सम्बन्धित डाक्टर और मेट्रन से ही पूछ कर जांच पड़ताल कर ली उनका बयान ले लिया लेकिन श्री बिशन कपूर की सेवा करने वाले जो उनके परिवार वाले थे, क्या जांच समिति ने उनका भी बयान लिया ? जिनकी शिकायत है कि लापरवाही हुई है, उस समय क्या घटना घटी, इस सम्बन्ध में क्या जांच समिति ने उनके परिवार वालों से कोई पूछताछ की ।

श्री लोकपति—

श्रीमन्, केवल दो बिन्दुओं पर जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । अंग्रेजी में है—कम्पलेंट आफ इनडिफरेंस आफ दि हास्पिटल स्टाफ इन दि ट्रीटमेंट आफ श्री बिशन कपूर बिटवीन 21-8-81 ऐंड 7-9-81 । जांच करने के उपरान्त जहां तक स्टाफ पर कार्यवाही करने का प्रश्न है, डाक्टर जायसवाल को 10 वर्ष का अनुभव है और वे श्री बिशन कपूर के इलाज से पहले से सम्बन्धित रहे हैं । डाक्टर जायसवाल श्री बिशन कपूर के अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व उनके पारिवारिक कंसल्टेटिव डाक्टर रहे हैं । इसलिये यह सम्भावना नहीं मालूम होती कि मरीज के इलाज में कोई भूल-चूक या लापरवाही की गयी ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

शिकायतकर्ता से पूछा गया कि नहीं, इसका उत्तर नहीं आया ।

प्रदेश के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री भारत सिंह चौहान की रहस्यमय परिस्थिति में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15-3-82 को अपराह्न 14-50 बजे थाना नाका (लखनऊ) पर श्री भारत सिंह चौहान भू0 पू0 मंत्री निवासी जनपद इटावा की मृत्यु होने की सूचना बलरामपुर अस्पताल द्वारा प्राप्त हुई । सूचना के आधार पर पुलिस अस्पताल गयी और उन्होंने शव का पंचायतनामा करने के बाद शव को शव विच्छेदन हेतु भेजा । शव विच्छेदन से मृत्यु का सही कारण ज्ञात न होने के कारण मृतक श्री चौहान का विसरा परीक्षण हेतु भेजा गया ।

जांच से ज्ञात हुआ कि श्री चौहान अपने एक परिचित श्री पी0 एन0 दीक्षित के साथ यात्री होटल चारबाग, लखनऊ के कमरा नं0 102, दिनांक 13-3-82 को प्रातः सवा दस बजे आकर रुके थे । श्री दीक्षित के अनुसार मृतक मदिरा पान के आदी थे और मृत्यु के दिन भी उन्होंने दिन में मदिरा पी थी । रात्रि में खाना खाने के पूर्व भी उन्होंने बिना पानी मिलाये मदिरा पी और सो गए रात्रि में करीब 3 बजे आवाज होने पर श्री दीक्षित के अनुसार उन्होंने देखा कि श्री चौहान के मुख पर काफी पसीना आ गया है और वह इधर-उधर लुढ़क रहे हैं, श्री दीक्षित ने चौकीदार को जगाकर बलरामपुर अस्पताल सम्पर्क करने का प्रयास किया किन्तु सफलता न मिलने पर वह उनके एक रिश्तेदार के घर आलमबाग गए और वहां से दो व्यक्तियों को लेकर वापस होटल आए । इन लोगों ने चौकीदार की सहायता से श्री चौहान को एक टेम्पो में बैठाकर बलरामपुर अस्पताल पहुंचाया जहां उन्हें डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया । होटल के कर्मचारियों तथा चौकीदार

से पूछ-ताछ पर श्री चौहान को रात्रि में तबियत खराब होने और श्री दीक्षित द्वारा अस्पताल आदि को टेलीफोन करने आदि का प्रयास करने की पुष्टि होती है ।

अब तक की जांच से श्री चौहान की हत्या किए जाने की बात प्रकाश में नहीं आयी है ।

श्री राम गोविन्द--

एक प्रश्न ....

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन लेता हूं ... बैठिये, हर चीज में प्रश्न ....

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में कार्य-स्थगन की दस सूचनाएं प्राप्त हुई ।

पहली माननीय मोती लाल देहलवी, माननीय हुकम सिंह, माननीय मोहन सिंह, माननीय कुबेर भंडारी की प्रदेश में आवश्यक सामानों की अनुपलब्धता और अप्रत्याशित मूल्य बढ़ोत्तरी से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है ।

दूसरी माननीय राम आसरे वर्मा, माननीय मसरूफ जाफरी, माननीय खैरुल बशर, माननीय गोपी नाथ वर्मा की जनपद गोण्डा में पुलिस एवं डाकुओं की मुठभेड़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है ।

तीसरी माननीय कुंवर सिंह नेगी, माननीय नरेन्द्र सिंह भंडारी की गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में ट्रक हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है ।

चौथी माननीय प्रदीप कुमार यादव की लखनऊ के आलमबाग और काकोरी स्टेशनों के बीच रेलवे लाइनों के फिशप्लेटों को उखाड़ दिये जाने के सम्बन्ध में है ।

पांचवीं माननीय घम्मन सिंह गहलौत, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की कानपुर की सभी सूती मिलों के बंद होने के सम्बन्ध में है ।

छठी माननीय हरिवंश सहाय, माननीय नन्द किशोर सिंह की देवरिया जनपद के किसानों का गन्ना न लिये जाने के सम्बन्ध में है ।

सातवीं श्री सरदार सिंह की मथुरा के मंदिरों में देवी-देवताओं की मूर्तियों की चोरी के सम्बन्ध में है ।

आठवीं माननीय किरनपाल सिंह की प्रदेश के ट्रक चालकों द्वारा प्रदर्शन किये जाने के सम्बन्ध में है ।

नवीं माननीय रियासत हुसैन, माननीय राम गोविन्द चौधरी, माननीय अकबर हुसैन की भी इसी सम्बन्ध में है ।

दसवीं माननीय राम गोविन्द चौधरी की भी इसी सम्बन्ध में है ।

सभी सूचनायें जो कार्य-स्थगन की प्राप्त हुई हैं, अस्वीकृत हुईं ।

(व्यवधान)

(विपक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बैठ जाइये····सब बैठ जाइये····मैंने सब सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया है, अब सामान्य प्रशासन····बैठ जायं····आप बैठ जायं····जब कोई विषय होता है आप लोग····

(घोर व्यवधान)

(विरोधी दल के बहुत से सदस्य एक साथ खड़े होकर बोल रहे थे जिससे कुछ भी नहीं सुनाई दिया।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठ जायं। जब कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो मैं आपको बोलने का अवसर देता हूं।····

(व्यवधान)

श्री विद्या सागर नौटियाल—

पहाड़ों में खाने के लिये एक दाना भी नहीं रह गया है और सरकार हड़ताल खतम नहीं करवा रही है। इसके विरोध में हमारा दल सदन का बहिष्कार कर रहा है।

(श्री विद्या सागर नौटियाल सदन त्याग कर बाहर चले गये श्री खैरुल बशर भी सदन त्याग कर चले गए।)

(श्री मसरूर जाफरी के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

किसी का कुछ नहीं लिखा जायेगा। माननीय मसरूर जाफरी आप कृपया बैठ जायं। आप सब लोग बैठ जायं।

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62—सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67—सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68—सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77—सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग (क्रमागत)†

[समय 1 बजकर 5 मिनट]

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मांगों के ऊपर माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

†17 मार्च, 1982 की कार्यवाही से।

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान सख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग(क्रमागत)

श्री मसरूर जाफरी--

मुझे बोलने नहीं दिया गया इसके विरोध में मैं दो मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मसरूर जाफरी सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आज मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रान्ट पर बोल रहा हूं परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उस समय बोल रहा हूं जब कि प्रदेश के अन्दर लोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है । जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रान्ट है और प्रदेश में न्यूनतम एडमिनिस्ट्रेशन भी हो, वह हालत इस वक्त प्रदेश की है । श्रीमन् मैं यह महसूस करता हूं की अपनी इस बात को कहने में और मैं अपनी बात को यहां से शुरू करता हूं कि पहली बार इस प्रदेश के माननीय चीफ सेक्रेटरी भी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं । डेली वेजेज पर जहां प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी चल रहे हों वहां का क्या प्रशासन होगा इसका आप श्रीमन्, सहज ही अन्दाजा लगा सकते हैं । श्रीमन्, बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि किसी प्रदेश के शासन को चलाने के लिये काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स की ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी होती है परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की मंत्रि-परिषद् में कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें एक राय नहीं है । मिसाल के तौर पर जब मुख्य मंत्री ने यह कहा कि पहला वायदा वायदा होता है और दूसरा वायदा बेहयाई होता है । यह बात मुख्य मंत्री ने सदन में कही थी । मैं नहीं कह सकता कि इस डेढ़ महीने के बाद भी बेहयायी से बढ़कर और कौन सी स्टेज होगी । श्रीमन्, मुझे मालूम हुआ है कि जब यह मसला कैबिनेट में रखा गया तो वहां पर दो राय हो गई और कुछ सीनियर मंत्रियों ने उर्दू का जो आर्डिनेन्स लाना था उसका विरोध किया । इसलिये उसमें मंत्रि-परिषद् में विरोधाभास है ....।

कारागार मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

ऐसा कभी नहीं हुआ ।

श्री रियासत हुसैन--

उत्तर न दें । मुख्य मंत्री जी जब जवाब दें, उसमें वे इस बात को स्पष्ट कर दें । मैं तो साफ-साफ सवाल उठा रहा हूं । दूसरी बात यह है कि मुगलों के जमाने में जो पहले शहंशाह हुआ करते थे, उनके जो सूबेदार हुआ करते थे,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन--]

उनके जो खिताब हुआ करते थे--पंच हजारी, छः हजारी होते थे उसी तरीके से यहां काम हो रहा है। पूरे प्रदेश में सूबेदार मुकर्रर कर दिये हैं और हर डिविजन में एक मंत्री का एपाइंटमेंट कर दिया है कि वह सूबेदार वहां काम करे। परन्तु खेद की बात यह है कि यह जो सामान्य प्रशासन का किताब मिली है इसमें बहुत ढूंढा और जो माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण हुआ, उसमें भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया और न कोई जी० ओ० या आदेश पारित किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से मालूम हो कि इन मंत्रियों को जो हर डिविजन में नियुक्त हैं, उनको क्या परिधि है, उनके काम क्या-क्या हैं तो अभी तक कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई। मैं चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात का स्पष्ट जवाब दें कि आखिर उनकी पोजीशन क्या है ?

श्रीमन्, इस प्रदेश के अन्दर मैंने पिछली बार भी कहा था और आज फिर कर रहा हूं कि प्रजातंत्र की जो डैफीनीशन है वह है "गवर्नमेन्ट आफ दि पीपुल, बाई दि पीपुल एन्ड फार दि पीपुल" यानी हर चीज जनता के लिए होती है लेकिन यहां पर वह बात नहीं है। यहां की सरकार अधिकारियों की है, अधिकारियों के लिए है और अधिकारियों के जरिये से है। तो इस चीज को मैं श्रीमन्, साबित करना चाहता हूं कि अधिकारियों की कैसे है। यह उत्तर प्रदेश आय-व्ययक की रूपरेखा 1982-83 आपके यहां से मिली है इसकी तालिका 18 में यह बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर व्यय कितना होता है, इसमें देखें सन् 1975-76 से 1982-83 तक के आंकड़े दिये हैं। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के ऊपर, यह सारी मद करोड़ों में हैं यानी 183·71 करोड़ रुपये खर्च होता था जो बढ़ कर 294·60 करोड़ रुपया हो गया है, यानी करीब-करीब दुगुना हो गया तो जो परसेनटेज थी वेतन में अधिकारियों के खर्चे का सन् 1975 में 22·68 था टोटल आमदनी का वह बढ़ा नहीं वह घटा और घट कर 13·54 परसेंट आया परन्तु आगे आप देखें जो भत्ते हैं जिसे डी० ए० कहते हैं वह 1975-76 में 11·24 परसेंट था, जो बढ़ कर 23·77 हो गया। तो इसमें बढ़ोतरी हो गयी उसको आप रकम की शक्ल में देखें 91·2 से बढ़ कर 299·80 हो गयी यानी भत्तों की रकम तिगुनी बढ़ गयी। तो उस तरह से महंगाई के हिसाब से देखें 1975-76 8·3 था वह बढ़ कर 10·96 हो गयी। उससे आगे यात्रा भत्ता जो अधिकारी लेते हैं, उसको जरा देखें 1975-76 में वह 15·48 करोड़ रुपया था जो बढ़ कर 31·19 करोड़ हो गया यानी ढाई गुना बढ़ गया। और जो अन्य भत्ते हैं अन-एकाउन्टेड भत्ते उनके लिए 10·54 करोड़ रु० 1975-76 में जो बढ़ कर 27·18 करोड़ हो गया यानी दो सही तीन बटे चार टाइम्स वह बढ़ गये।

श्री अध्यक्ष--

रियासत साहब जरा एक मिनट रुक जायं। ऐसा है जो कुछ मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि इस अनुदान पर बहुत से लोग बोलना चाहते हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन की इच्छा से कुछ समय निर्धारित हो जाय ताकि अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का मौका मिल सके। इसलिए जहां तक नेता सदन और नेता विरोधी दल का सम्बन्ध है, मैं उनसे केवल यह अनुरोध करूंगा कि वह कम से कम समय में अपनी अभिव्यक्ति कर दें और अन्य जितने मंत्रि गण या दलों के नेता हैं, वह 20 मिनट का समय लें ? आपकी सहमति हो तो जो

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

अन्य सदस्य हैं, वह, अधिक से अधिक लोगों को बोलने का मौका मिल जाए, इसलिए 5 मिनट से ज्यादा न लें ?

श्री मोहन सिंह--

श्रीमन्, 5 मिनट में तो भूमिका पूरी होगी ।

(व्यवधान)

(5 मिनट का विरोध होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अच्छा सात-सात मिनट ले लीजिए ।

श्री रियासत हुसैन--

मैं यह कह रहा था आपकी गवर्नमेन्ट, गवर्नमेन्ट बाई दि आफिसर्स और फार दि आफिसर्स है और बाकी तो उनके शतरंज के मोहरे हैं । उनमें मंत्रीगण और हम सभी शामिल हैं और अब आप सरकार की मौजूदा स्थिति देखिए, सामान्य प्रशासन उसका देखिए । इनका हाल यह है कि आज आई० ए० एस० और पी० सी० एस० के लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं । उनमें अलग से झगड़ा है । एक झगड़ा लम्बे समय से आई० ए० एस० और पी० सी० एस० कैडर के बीच पड़ा हुआ है । मुख्य मंत्री जी से कभी आई० ए० एस० एसोसिएशन के लोग मिलते हैं और कभी पी० सी० एस० एसोसिएशन के प्रतिनिधि मिलते हैं और वह कहते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है । सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने एक आदेश दिया, जिसे यह सरकार कैरी-आउट नहीं कर रही है ।

अब रही सरकारी अधिकारियों और हम विधायकों के ताल्लुक की बात तो वह तो लोगों के गले पड़ गये इस बारे में कहते-कहते । और इस मामले में तो इधर के लोगों को कम और उधर के लोगों को ज्यादा शिकायत है, और उनकी केवल यह मांग है अपने अधिकारियों, मंत्रियों और मुख्य मन्त्री जी से और डिवीजनल मन्त्री से कि आप डी० एस० पी० और कलेक्टर को तो छोड़िये, सिपाही से ही कह दीजिए कि वह हमें कम से कम एम० एल० ए० तो समझ लें यदि कुछ अधिक नहीं । मैं कुछ गलत कह रहा हूं, तो आप बताइये कि हम गलत हैं और कहां गलत हैं और कितने गलत हैं ? मंत्रियों के जो आदेश हैं, उनकी अवहेलना किस तरह से होती है, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं । इस माननीय सदन में जिस दिन सूचना विभाग से सम्बन्धित बजट था, तो मैंने यहां ध्यान दिलाया था कि इन्फार्मेशन डायरेक्ट्रेट में 2/1 लड़कियां बिना एप्वाइन्टमेन्ट के काम कर रही हैं । मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया कि नहीं, सबका एप्वाइन्टमेन्ट है । लेकिन फिर मैं कहता हूं कि आप

श्री रियासत हुसैन--

बताएं कि मंगला शास्त्री किस पोस्ट पर हैं और उनके बारे में क्या यह कोशिश नहीं की जा रही है कि उनको किसी बैक-डेट से कहीं न कहीं नियुक्त कर दिया जाय ?

दूसरी जो हैं वह चन्द्र प्रभा ब.जकेयी वह हजरतगंज इन्फार्मेशन केन्द्र में किसी रिसेप्शनिस्ट आदि पद पर हैं, वह डायरेक्ट्रेट में किस काम पर लगी हुई हैं ? तो मेरी मांग यह है कि आपको यदि मेरी बात का कोई शक सुबहा हो तो मैं अपने अधिकारियों से ही मांग करता हूं--आप भूरे लाल जी से ही इस मामले को जांच करा लें। उन्हीं को आप जांच सौंप दीजिये और यह बात सामने आ जायगी कि यह दो लड़कियां किस लिए, किसके आदेश पर कौन सा काम कर रही है ?

होमगार्ड्स का मामला सन् 63 में इस सदन में सामने आया था, जब 20 अक्तूबर, 62 को चायना ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री गुप्त जी ने इस संस्था को बनाया था। लेकिन आज भी आप होमगार्ड्स के सिपाहियों को क्या देते हैं ? केवल 3 रुपये 50 पैसा आप पर-डे देते हैं, जेल मंत्री, राम सिंह जी अपने जेल यात्री को तो प्रति दिन 6 रुपया देते हैं, जिसमें से वह कुछ खाते हैं और कुछ चोरी हो जाता है। अब इस 3·60 रु0 में उनका खाना और चोरी दोनों कैसे हो सकता है ? तो उसमें आज तक कोई फर्क नहीं आया। 63 से उनकी वर्किंग और एप्वाइन्टमेन्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यह ट्रेनिंग में नहीं हुआ। उनका बहुत सा रुपया जो ट्रेनिंग के लिए था, वह अनस्पेन्ट सरेन्डर करना पड़ा। आखिर यह क्यों ? अभी बड़ा शोर मचा माधोपुर का। देवली साढ़ूपुर पहुंचे, हरिजनों का वहां पर कत्लेआम हो गया, लेकिन वहां के लोगों की इन्हें कोई चिन्ता नहीं है और उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध तक नहीं किया गया है। साढ़ूपुर कांड को जो 30 दिसम्बर, 1981 को हुआ था, लगभग 2 1/2 महीने हो गए हैं, लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री जी आज तक इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि साढ़ूपुर कांड हुआ क्यों था ? और अगर वे किसी नतीजे पर पहुंचे हैं तो वे बतलायें कि इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह कांड क्यों हुआ।

अब माधोपुर का कांड हो गया। कल मैं स्वयं वहां पर गया था और जो वहां पर हालत देखी वह बड़ी ही दर्दनाक थी। वहां पर औरतों की चूड़ियां टूटी पड़ी थी और गांव वालों के पास मक्का, जिसे जला दिया गया था, का एक दाना भी नहीं रह गया था। वहां पर हमारी बहादुर डी0 एस0 पी0, के0 पी0 सिंह, जिसने मरते-मरते भी साधू राम और तिवारी को मौत के घाट भेज दिया और स्वयं शहीद हो गये। जब उसकी लाश चली, उसके बाद 11 बजे भुलावन शुक्ला, श्री रघुनन्दन के घर में चला गया और एक रन्दे (मिट्टी का हारा) में छुप कर बैठ गया। वहां पर एक सिपाही भी घुसा, इस अन्दाज से कि वहां पर जो सन्दूक होगा, उसमें माल होगा। तो उसने उस सन्दूक का ताला तोड़ा और फिर उस रंदे में डन्डा डाला तब भुलावन पन्डित ने उसके अन्दर से गोली मारी। इसके बाद पी0 ए0 सी0 के आदमियों ने दोनों बदमाशों, भुलावन पंडित, जगराम और परिक्रमादीन जो साधू के भाई थे ये मारे गये। उसके बाद बदले की भावना से 7 आदमी और मारे गए, जिसमें उस गांव का कोई आदमी नहीं है। चूंकि रात को वे बरसीं के सिलसिले में मेहमान बुलाए हुए थे। जो गांव के लोग थे, जब गोली चली तो वे जंगल में निकल कर भाग गये, लेकिन जो लोग बाहर के थे, उनको पकड़ कर वहां पर मार दिया गया। मैं चाहता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर उन सातों की क्रिमिनल हिस्टरी बताने की कृपा करें। जो असली क्रिमिनल था,

वह निकल भागा, लेकिन इन 7 आदमियों को बदले की भावना से मार दिया गया । जिस समय आप गोंडा में परेड का निरीक्षण कर रहे थे, माधोपुर में 7 बेगुनाह मारे जा रहे थे । इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां पर जो एक जगह कुछ बीच में कुछ दूर पर 3 घरों में जो 100–100 गज के फासले पर थे, आग लगाई गई, उसका क्या कारण था ? सर्वश्री परिक्रमादीन, रघुनन्दन और पंडित के मकान में आग लगाई गई । तो इसका उत्तर माननीय मन्त्री जी दे दें ? जो शिकायतें सामने आ रही हैं, वे दफा 56 में आ रही हैं और उससे भी आपके सूबे की तस्वीर आपके सामने आ चुकी है । 10–2–82 को 3 डाकुओं के मरने के बाद बुलन्दशहर में जो 4था आदमी पकड़ा गया, वह पता चला कि पुलिस का सिपाही था । छविराम के सरेन्डर का भी मसला यहां उठा । उस वक्त कहा गया कि जांच करवा रहे हैं । इस बात से इनकार किया जाता रहा कि वह एक दिन हरनावपुर गांव में था । अब सही जांच होकर सामने आ सकेगी कि वह वहां उस गांव में था या नहीं था । इसी तरह से मान्यवर, एक यहीं लखनऊ में एक स्वामी नाथ का कत्ल हुआ । उसके बारे में यहां से मंत्रियों ने टेलीफोन किया कि इसे प्रेस न किया जाए । 23–2–82 के जागरण पेपर में वह घटना छपी है । समय नहीं है, मैं उसे पढ़ नहीं रहा हूं ।

यहां आपने बताया कि 228 एनकाउन्टर्स हुए और उसमें आपने यह माना कि 19 हिस्ट्रीशीटर्स थे, तो शेष की क्रिमिनल हिस्ट्री क्या थी, वह आपने अभी तक नहीं बताई ? आपने यहां कहा कि हां उसे देंगे , कौन्सिल में भी आपने आश्वासन दिया कि हम देंगे, मगर उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री आपने अभी तक नहीं दीं ।

20 सूत्रीय कार्यक्रम पर बड़ा जोर दिया जा रहा है । अभी ला एन्ड आर्डर की सीचुएशन पर एक प्रेस कान्फ्रेन्स माननीय गृह सचिव ने की जिसमें 23–2–82 को उन्होंने कुछ बदमाशों और डकैतों के नाम बताये जो यह थे–– कुंवरपाल, छविराम, पोथी, महावीरा, अनार सिंह, मलखान सिंह, घनश्याम, अमरसिंह, रघुनाथ सिंह, भूरा, भुजिया, चन्द्र प्रकाश, मल्लह, नरेन्द्र, तुलसी राम, श्रीराम, फूलनदेवी, अर्जुन, पासी वगैरह । आपके गृह सचिव ने इतने नाम बताये और इनमें से केवल 3 मारे गये, शेष अभी आतंक फैलाए हुए हैं ।

अभी मान्यवर, कल ही मुझे एक टेलीग्राम मिला है, जिसमें मुझे एक साहब ने लिखा है कि––"इनिमिकल पुलिस रेडेड हाउज टुक अवे गन एट्रसेक्ट्रा फेक इनकाउन्टर्स एक्सपिडेटेड सेपटी प्रेड लेटर आन"

श्री अध्यक्ष––

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री रियासत हुसैन--

यह मैगजीन 'रविवार' है इसमें मिस्टर एम0 जी अकबर साहब का एक इन्टरव्यू छपा है, में केवल उसकी दो तीन लाइनें पढ़कर समाप्त कर दूंगा...

(व्यवधान)

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

जो काशीनाथ जी ने कहा है, वह निकाल दिया जाय ।

श्री गौरी शंकर भंग्या--

काशीनाथ जी तो खुद डकैत पालते हैं ।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है । काशीनाथ जी ने जो कहा है इसको कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, बहुत कुछ कहा है । मैं केवल दो लाइन कोट कर देना चाहता हूं । जो ओपिनियन दिया है । उसने लिखा है अब तक राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को असफल, अकर्मण्य, असक्षम मुख्य मंत्री तो माना जाता था पर झूठा नहीं लेकिन देवली, सादूपुर हत्या काण्ड के बाद राजा साहब ने स्वयं को झूठा साबित कर दिया है । मैं अपनी बात खत्म करता हूं । मान्यवर, हरिजनों के बारे में आधा सेन्टेन्स कह कर समाप्त करता हूं । हरिजनों की इतनी मोटी किताब होने के बाद समय-समय पर आदेश जारी होने के बावजूद आप अपने शक्ल शीशे में देख लें । क्लास एक से चार तक 4-45 स्टेट सर्विसेज में उनका आरक्षण हो पाया है । लोकलबाडीज में 8-95 और कारपोरेशन में 1-25 प्रतिशत । इन सारे आदेशों के बाद । मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी, मैंने जो बातें उठाई हैं चाहे उर्दू के बारे में, चाहे माधोपुर के सम्बन्ध में, उसका जवाब दे दें तो उचित होगा । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ मिश्र ने रविवार अखबार के लिये कहा है । पूरे पत्र या अखबार के लिये ऐसा नहीं कहना चाहिये । अतः उसे निकाल दिया जायगा ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता अनुभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मत्री द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण बजट का मैं समर्थन कर रही हूं । मैं अपने विचार आपके समक्ष इस सम्बन्ध में रखना चाहती हूं । सबसे पहले मैं पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को और उनके द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता को होली का मुबारकबाद देती हूं । आपके बाल बच्चों को आशीर्वाद देती हूं । विशष कर मान्यवर, एक लम्बे अरसे के बाद होली का त्यौहार टेंशन मे नहीं प्रेम पूर्वक मनाया गया है । मुझे (इस समय 1 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री धर्मसिंह पीठासीन हुए ।) इस बात की खुशी है कि कई सालों के बाद मुरादाबाद में मुस्लिम मुहल्लों में होली का चन्दा दिया गया । मुस्लिम और हिन्दू ने एक साथ मिलकर होली मनायी । माननीय विश्वनाथ प्रताप के नेतृत्व में इस साल पिछले साल होली का त्यौहार, दशहरा दिवाली, और बकरीद का त्यौहार एक साथ खुशी से मनाया गया और सम्पूर्ण प्रदेश में शान्ति रही । मान्यवर, लखनऊ में कई सालों के बाद मुहर्रम के मौके पर 144 नहीं लगाई गई और वहां पर क्यों नहीं लगा । इसके लिये मैं जनता को धन्यवाद देती हूं और जो हमारे पुलिस विभाग ने सुन्दर व्यवस्था की है, उसके लिये मैं पुलिस विभाग के समस्त आफीसर और स्टाफ को हार्दिक धन्यवाद देती हूं । इसके साथ ही कुम्भ मेले के लिये जो यात्री स्नान के लिये आये थे, उनकी सुन्दर व्यवस्था हमारे विभाग ने किया ।

श्री मुख्तार अनीस--

जो कुम्भ मेले में बसें चलाई गयी हैं, उसमें 5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जहां एक करोड़ का जमघट हो और 5 स्नान हों वहां किसी प्रकार की दुर्घटना न हो तो यह हमारे पुलिस और पुलिस अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों की निष्ठा, बलिदान और कर्तव्यपरायणता का द्योतक है, उनमें इन चीजों की कमी नहीं है, केवल एक चीज की कमी है और वह है शाबाशी की । आज उनको शाबाशी दी जाय और उनका मनोबल बढ़ाये जाने की जरूरत है ।

मान्यवर, बजट पर बोलने के पहले विरोध पक्ष की ओर से एतराज है कि मैं गुस्सा हो जाती हूं, तो उसकी क्षमा याचना करते हुये एक शेर सुनाना चाहती हूं यह होली के त्यौहार पर है :--

जो दीवारें रंगी हैं या रंगी थीं खूने नाहक से,

उन्हें फिर गुलिस्तादर गुलिस्तां करके छोड़ूंगी ।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--]

मान्यवर, मुख्य मंत्री और माननीय अध्यक्ष की छत्रछाया और आपके सहयोग से जो शिक्षा के सत्र हैं वह कई वर्षों के बाद 1980-81 और 1982 समय से चल रहे हैं। इसके साथ ही जो सामूहिक नकल हुआ करती थी, वह बिल्कुल समाप्त हो गयी है, इसके लिये मैं पुलिस के अधिकारियों और शिक्षा के अधिकारियों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने सम्पूर्ण व्यवस्था ठीक से की।

मान्यवर, पुलिस विभाग का जो कुल 149.7504 करोड़ रु0 का बजट है वह पिछले साल से 28.3,920 करोड़ रुपये ज्यादा है। सबसे ज्यादा खर्च पुलिस के ऊपर 1982-83 में 100 करोड़ 76 लाख 60 हजार रुपये है और पी0 ए0 सी0 में 26 करोड़ 90 लाख 75 हजार रुपये खर्च होगा, इस प्रकार कुल प्रावधान पुलिस में 149.7,504 करोड़ रुपये रखा गया है।

मान्यवर, सेवेन्थ फाइनेन्स कमीशन का जो 24 योजनायें स्वीकार हुई हैं, 1979-84 के लिये, तो मुझे प्रसन्नता है कि 60 करोड़ रुपये पुलिस प्रशासन पर व्यय किया जायेगा और 7.20 करोड़ रुपये होमगार्ड पर। इसलिये 3 साल में ही हमारा यह लक्ष्य पूरा हो गया। इस प्रकार मान्यवर, 24 योजनाओं में से 17 योजनायें 1979-80 में कार्यान्वित की गयीं और 6 योजनायें 1980-81 में। मान्यवर, तृतीय पी0 टी0 सी0 की स्थापना से सम्बन्धित अंतिम योजना 81-82 में कार्यान्वित की गयी है जो 5 वर्षों में क्रियान्वित होनी थी वह 3 वर्षों में ही हो गयी जिसके लिये मैं अपने अधिकारियों को धन्यवाद देती हूं।

मान्यवर, इस विषय में 1979-80 में 6,51,36,000 रुपये खर्च हुए 1980-81 में 13, 15, 16,000 रुपये मान्यवर, 19 करोड़ रुपया 1981-82 में और 23 करोड़ 75 लाख 61 हजार रुपये 1982-83 में खर्च होगा। तो यह पैसा बहुत सी योजनाओं के लिये खर्च किया जा रहा है। योजनायें क्या हैं, वह मैं आपको बताना चाहती हूं। 203 नये थाने 50 रिपोर्टिंग चौकियां बढ़ा दी गयी हैं। पहाड़ी क्षेत्र में भी 19 थाने तथा 9 चौकियां बढ़ायी गयी हैं। जो रुपया निर्धारित हुआ है पुलिस के लिये वह 8 करोड़ 15 लाख 58 हजार रुपया है। नये थानों के लिये 1 करोड़ 35 लाख 56 हजार रुपया है। जो हम संख्या सिपाहियों और सब-इंसपेक्टरों को बढ़ायेंगे, वह इस प्रकार है। नये थानों में 223 सब इंसपेक्टर, 253 हेड कांस्टेबिल तथा 1,362 कांस्टेबिल नाग0 पु0 बढ़ाये जायेंगे। इसके अलावा 57 इंसपेक्टर, 1,404 सब-इंसपेक्टर, 882 हेड कांस्टेबिल और 8202 नाग0 पु0 कान्स्टेबिल के पद भी हमने सृजित करने की स्वीकृति भी दे दी है। इसके अलावा 134 सब-इंसपेक्टर, 1,161 हेड कांस्टेटिल तथा 7,062 कांस्टेबिल के पदों का सृजन सशस्त्र पुलिस के लिये विचाराधीन है। टोटल पुलिस फोर्स और अफसर 97,260 हैं। 22,365 पी0 ए0 सी0 की संख्या है जो काफी नहीं है लेकिन हम फेजेज में अपनी फोर्स को बढ़ायेंगे। इसके अलावा सेवेन्थ कमीशन के सिलसिले में जो हमारी योजना है, उसको हम इस साल पूरा कर देंगे। राजकीय रेलवे के लिये 1 करोड़ 58 लाख 37 हजार, अभिसूचना विभाग के लिये 30 लाख 99 हजार, अपराध शाखा को भी हम मजबूत बनाना चाहते हैं, उसके लिये हमने 15 लाख 7 हजार रुपये रखे हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की हम तरक्की करना चाहते हैं जिससे क्राइम्स की सिचुयशन को काबू में रख सकें, इसके लिये 16 लाख रुपये रखे गये हैं। मोटर परिवहन में वृद्धि में 1 करोड़ 30 लाख 84 हजार रुपया रखा गया है।

एक सदस्य––

यह कम है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

धीरे–धीरे चल मना, धीरे सब कुछ होय।

मान्यवर, रेडियो संचार व्यवस्था के लिए 25 लाख 92 हजार रुपये रखा है। इस प्रकार से यह 23 करोड़ 46 लाख 80 हजार होता है। मान्यवर, भवनों की बड़ी परेशानी है इसके लिये 23 लाख रुपये निर्धारित किया है। 4,512 लोगों के लिए बैरकें, 5706 अराजपत्रित एवं 32 राजपत्रित पुलिसजनों के लिए आवास गृह बनायेंगे और बनाना शुरू हो गया है। पुलिस जनों के लिए आवास बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये की एक अलग निधि है। इसमें 1980–81 में 468 कांस्टेबिलों के लिए और 1981–82 में 378 कांस्टेबिलों के लिए बनाये जा रहे हैं। 1982–83 के लिए 379 कांस्टेबिलों के लिए आवास बनाने की योजना हमारी है। इसके अलावा 40 कन्ट्रोल रूप बनाने की योजना उत्तर प्रदेश में है। कम्प्यूटर की व्यवस्था के लिए 22 लाख 28 हजार रुपये की हम स्वीकृति दे चुके हैं। मुरादाबाद में नया जो रेंज स्थापित हुआ है उससे क्राइम कन्ट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी। क्राइम को कम करने के लिए अपराधियों को परव्यू करने के लिए अभियोजन विभाग का निदेशालय बना दिया है। यह पहली बार बना है, इसमें डी0 आई0 जी0 की रैंक के निदेशक हैं।

क्राइम सिचुएशन के बारे में कल से काफी जोर डाला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम के अलावा और कुछ है ही नहीं। उसकी फीगर्स पहले तो उत्तर प्रदेश में क्राइम की क्या सिचुएशन है, यह मैं केन्द्र सरकार की जो आख्या है, जो फीगर्स हैं, उनको प्रस्तुत करके आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। एक लाख के ऊपर जितने क्राइम हैं, उसकी ये फीगर्स हैं। उत्तर प्रदेश में 1980 में 187.2 और 1981 में 171.44 तो मान्यवर, आप देखिये कि बराबर घटती चली जा रही है, पूरे स्टेट का एवरेज है 202.3, हमारा इस समय 171 है।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

कितनी एनकरेजिंग फीगर्स हैं, कहिये तो दिल्ली की फीगर्स सुना दूं।

श्री मोहन सिंह––

मान्यवर, यह इन्दिरा गांधी जी की फीगर्स सुनाने जा रही हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

दिल्ली की फीगर 624 है। महाराष्ट्र की 278, मध्य प्रदेश की 324, कर्नाटक की 223, गुजरात की 225, आसाम की 230 और पांडीचेरी की 649

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--]

हैं, उसके परिपेक्ष्य में हमारी 171 है । 1977 से सब जगह कमी आयी है, चाहे वह दिल्ली हो या राजस्थान हो ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शान्त रहिये ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

पुरानी फिगर्स आप लोगों के जमाने की 721 हैं ।

अब उत्तर प्रदेश में आइये । उत्तर प्रदेश में 4,187 डकैतियां पड़ीं 1977 में, आज 1981 में 2,858 तथा 1982 में और भी नीचे डाउन हुए हैं । ध्यान रखिए, क्राइम में ही डाउन हुए हैं और किसी में डाउन नहीं हुए हैं । जनवरी, 1978 में 352, जनवरी, 1979 में 343 और जनवरी, 1982 में 168, वर्ष है स्थिति ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, बहुत से लोग अभी बोले नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

ट्रांसफार्मर्स की चोरी में भी कमी हुई है । बहराइच में 60 प्रतिशत, बुलन्दशहर में, रिपोर्ट है 50 प्रतिशत, फतेहपुर में क्राइम डिक्लाइन्ड बाई 50 प्रतिशत । आजमगढ़ में जब मैं गयी हूं, तो मैंने स्पीच में कह दिया कि यहां तो 50 प्रतिशत डाउन हो गया, मुझे सबने हूट कर दिया, सबने कहा कि यहां पर तो 90 प्रतिशत डाउन है डकैती और क्राइम ।

जहां तक कम्युनल क्राइम्स हैं, उसमें भी कमी हुई है । 1979 में 226 थे, वहां वह 190 हैं । 1982 में तो और भी कम हैं कम्युनल क्राइम । बहुत-बहुत शुक्रिया कि हिन्दू और मुसलमान आराम से रह रहे हैं ।

जहां तक हरिजन का सवाल है, देवली और साढ़ूपुर का जो काण्ड हुआ, उसके लिए अफसोस है लेकिन देवली में जो काण्ड हुआ, फौरन हम वहां पहुंचे हैं और फौरन ऐक्शन लिया है और एक महीने के अन्दर सब को पकड़कर मुख्य मंत्री जी की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

यह मैं कह दूं कि छविराम के बारे में जो वहां पर कहा गया और मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने छविराम से सांठ-गांठ की है और सरेण्डर की बात-चीत कर रही हूं, इस हाउस में मैंने चैलेंज किया था कि उसको गिरोह के सहित पकड़ कर न दिखाया तो...

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की तेज थपथपाहट)

भगवान ने लाज रखी, पुलिस वालों ने लाज रखी और छविराम को गिरोह समेत पकड़ कर सबका खात्मा करा दिया । चाहे वह छविराम हो या भुलावन पंडित हो

• संख्या 8--कार्मिक विभाग,, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता अनुभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग, (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

या अनार सिंह हो, हमारी सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है, उसकी भी वही दुर्गति होगी, जो छविराम और उस पंडित की हुई है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त होने जा रहा है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी तो इब्दताये इश्क है, रोता है क्या, आगे-आगे देखिये होता है क्या ।

(व्यवधान)

(विपक्ष के सारे सदस्य उठकर खड़े हो गये)

श्री अधिष्ठाता--

जो अध्यक्ष महोदय ने समय निर्धारित किया है, उसके अनुसार आपका समय समाप्त हो गया है ।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं बस एक शेर सुनाकर समाप्त करती हूं--

गुलों को पंजये खूनी से जिस दिन मैं छुड़ा लूंगा,
उस दिन जाने चमन, जाने बहारां करके छोड़ूंगा ।

(व्यवधान)

(श्री मुख्तार अनीस का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, एक मिनट और दें । मान्यवर, मैं बजट के बारे में नहीं बोलूंगी . . .

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय कब का समाप्त हो गया है, अब आप बैठिये ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मुझे एक स्पष्टीकरण देना है ।

श्री अधिष्ठाता—

बाद में दे लीजियेगा । अभी आप बैठिये ।

(गृह मंत्री अपने स्थान पर खड़ी रहीं और बार-बार बोलने के लिए अनुज्ञा मांगती रहीं, दोनों पक्ष के सदस्यों की ओर से व्यवधान)

माननीया मंत्री जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कृपा करके बैठ जायं, मैंने दूसरे सदस्य को पुकार लिया है ।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, जब इनमें अनुशासन नहीं है तो पुलिस में कहां तक अनुशासन आयेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

मान्यवर, मेरे बारे में इस सेशन में मेरे ऊपर आरोप लगाये गये हैं । मान्यवर, जब तक मैं एक...

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपा करके बैठिये ।

(व्यवधान)

कृपा करके माननीय मंत्री जी आप बैठ जायं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

मेरे बारे में जो आरोप लगाये गये हैं, मैं पूरी तरह से उनका खंडन करती हूं । मान्यवर, मुझे एक स्पष्टीकरण देना है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपको बाद में आज्ञा दे दूंगा ।

श्री मुख्तार अनीस—

माननीय अधिष्ठाता जी, आज उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां असामान्य हो चुकी हैं और उन असामान्य परिस्थितियों में यह सामान्य प्रशासन का बजट आया है । मान्यवर, परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं और यह सत्ता इतने कमजोर हाथों में है । जो व्यक्ति स्वयं अपनी हार स्वीकार कर चुका है । प्रेस को इन्टरव्यू देते समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है स्वयं कि सचमुच मुकम्मल तरीके से मैं असफल हूं और मेरे पास कुशल मंत्रियों की संख्या भी नहीं है । तो मान्यवर, आज यह स्थिति हो गयी है । आज स्थिति यह है कि मुख्य मंत्री जी का कुर्ता भले ही सफेद हो लेकिन उनके मंत्रिमंडल में अनेकों कमियां हैं । इन कमियों के लिए आरोप लगाये गये और आरोप यह लगाये गये कि अनेक मंत्रियों के हाथ भ्रष्टाचार में रंगे हुये हैं ।

आज सामान्य प्रशासन में क्या हो रहा है ? कितने आई० ए० एस० आफिसर मुसलमान हैं, कितने एस० पी० मुसलमान हैं, कितने मुख्य मंत्री की खुशामद कर लेते हैं और कितने मंत्रियों की जेबें भरते हैं ? मैं एक साफ मिसाल देता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने अपने एक रिश्तेदार को कलेक्टर, फैजाबाद नियुक्त किया

है, जो कि अर्द्धविक्षिप्त हैं। खुद ही पुलिस की वर्दी पहन कर, रिवाल्वर लेकर खुद ही कहते हैं कि मैं एनकाउन्टर करने जा रहा हूं। कलेक्टर बनने के लिए इनका कोई सन्तुलन नहीं है। जब 16 फरवरी, 1980 को हमारी सरकार जा रही थी, उस समय हमारे यहां पिछड़े लोगों की, मुसलमानों की, हरिजनों की जो संख्या प्रशासन में थी, वह अब नहीं रह गयी है। आज केवल एक कलेक्टर मुसलमान है और 7 हरिजन हैं। इसी तरह से 3-4 मुसलमान एस0 पी0 हैं और 13 हरिजन एस0 पी0 हैं। यह आप अल्पसंख्यकों के हिमायती हैं, यह सरकार हरिजनों की हमदर्द है। यह जो दावा करती है, इनके सारे दावे खोखले होते हैं।

आज ही अखबार में छपा है कि उत्तर प्रदेश के वित्त सचिव को हटा करके एक ऐसे व्यक्ति को वित्त सचिव यह बनाने जा रहे हैं जिसके ऊपर सतर्कता विभाग से जांच चल रही है। मौजूदा जो मुख्य सचिव हैं, उनके स्थान पर उनको नियुक्त करने की बात है। इस सरकार के अन्दर लाठियां चलीं, गोलियां चलीं, मासूमों के खून से इनके कुर्ते लाल हैं। हालत क्या है, 1981 में 2,662 डकैतियां, 5,036 लूट, 5,217 लोगों के मर्डर, 8,640 दंगे, और हाउस ब्रेकिंग 20,319 हुई जिसमें हमारी गृह मंत्री बड़ी कुशल हैं। सारे अखबारों में कि आपने एनकाउन्टर के नाम पर कितने अपराध किए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने 3397 एनकाउन्टर किए हैं। ईरान के अयातुल्ला खुमैनी की संख्या से भी आगे बढ़ गये हैं। मुख्य मंत्री जी ने कल अपना लम्बा-चौड़ा भाषण दिया। इस वर्ष को उत्पादन वर्ष कहते हैं और कहते हैं कि इंदिरा जी ने घोषणा कर दी है कि नया वर्ष औद्योगिक उत्पादन वर्ष के रूप में मनायेंगे और हर जिले में बड़े-बड़े उद्योग लगायेंगे। मैंने उनके उद्योग विभाग से बातचीत की है। अधिकारियों से बातचीत किया, अधिकारी कहते हैं कि एक जिले में एक उद्योग के लिए 20 करोड़ रुपये की जरूरत है अगर 57 जिलों के अन्दर उद्योग लगाना होगा तो 1,140 करोड़ रुपये चाहिये, यह रुपया कहां से आयेगा? और फिर हालत क्या हो रही है? कंगाली की सीमा रेखा पर पहुंच चुके हैं।

1700 रुपये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है और प्रदेश की जो आय है वह 700 रुपये हो गई है। औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बिजली कहां से आयेगी, लोनिंग कहां से होगा और इनफ्रास्ट्रक्चर जो है उद्योगों का, कहां से देंगे? खाली थोथे नारेबाजी करते चले जा रहे हैं। घाटा कितना है, 27 करोड़ का घाटा चीनी उद्योग में, बिजली में 40 करोड़ प्रति वर्ष का घाटा, और इनका संस्थागत वित्त विभाग है, एक हजार करोड़ से भी ज्यादा रुपये पूंजीपतियों का बकाया है। वह रुपया क्यों नहीं वसूल हुआ? क्योंकि एक मंत्री मुजफ्फरनगर तथा एक बदायूं के हैं जब मंत्री बिक्री कर की चोरी करेंगे तो शेष पूंजीपति धन क्यों देंगे?

[मुख्तार अनीस—]

जो पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने लोक लेखा समिति का विशेष प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत किया है । इसमें क्या लिखा है, इलाहाबाद के अन्दर जानवरों की दवा मनुष्यों को दे दी गई । सारे मामले को दबाया गया और उसमें कौन दोषी था ? लिखा हुआ है कि उस समय सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश का प्रमुख कर्त्तव्य था कि वह मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दोषी पाये गये चिकित्सकों और कर्मचारियों की छानबीन करके दण्डित करते । उन्होंने दण्डित नहीं किया । मामले को दबाने की कोशिश की । जब यह मामला मजबूती के साथ उभरा तो उन्होंने कुछ लोगों को निलम्बित किया है । अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन के आचरण के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग से जांच कराइये तथा वह जांच उस अधिकारी द्वारा प्रभावित न हो सके इसके लिए आवश्यक है कि उनको तुरन्त हटा लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका एक मिनट बाकी है ।

श्री मुख्तार अनीस—

मैं अपने ग्रुप की ओर से बोल रहा हूं, मान्यवर । यह जांच तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक स्वास्थ्य विभाग के डाइरेक्टर, संयुक्त निदेशक को नहीं हटाया जाता । आज भ्रष्टाचार के तमाम मामले इस सरकार के सामने आ रहे हैं । आज भ्रष्टाचार से यह सरकार डूबी हुई है । हिंसा, डकैती और कत्ल के अन्दर यह सरकार डूबी हुई है और इसकी नाव मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को बहा ले जायेगी, ऐसा पूरा प्रयास है और ऐसी पूरी कोशिश है और मंत्रि मंडल के अन्दर आज सामूहिक जिम्मेदारी की भावना नहीं है । एक मंत्री कुछ बयान देता है, दूसरा मंत्री कुछ बयान देता है । (सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य की तरफ इशारा करते हुए) यह डकैतों से मिलकर आये हैं, डकैतों से इनकी दोस्ती है और यहां बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं । एक बात उर्दू के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा । सरकार ने आज तक उर्दू के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की । इस सम्बन्ध में माननीय विधायक राम सागर जी ने कुछ लिख कर भी दिया लेकिन तब भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, आप मुझको बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं ? मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो समय निर्धारित किया है, वह समय समाप्त हो रहा है । आप जल्दी अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मुख्तार अनीस—

इस शासन की कितनी खराब हालत हो रही है । मुख्य मंत्री जी ने अपनी टोटल असफलता मान लिया । मैं श्री अकबर अहमद, विधायक को धन्यवाद

दूंगा, जिनकी प्रेरणा से अब यहां पर मेनका जी 28 तारीख को आने वाली हैं और इनको वहां पर दुबारा अपना विश्वास प्राप्त करना चाहिये ।

[× × ×]

इनके जो पार्टी के लोग हैं उन लोगों का विश्वास नहीं है । इस तरह से यह सरकार कैसे चल पायेगी ? इस सरकार की हालत बहुत ही खराब है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें ।

माननीय मंत्री जी आप अपना कुछ स्पष्टीकरण देना चाहती थीं वह दे दें ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, इससे पहले कि आप माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण के लिए कहें, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय सदस्य ने माननीया प्रधान मंत्री जी के सम्बन्ध में बात कही कि उनके घर में

[× × ×]

नहीं है । यह बिल्कुल उनके व्यक्तिगत मामले में कहा, घर के बारे में कहा और वह यहां मौजूद भी नहीं हैं । यह निजी मामला है । इनको इस बात का अधिकार नहीं है कि वह यह कह सकें । मान्यवर, इन्होंने उनके बारे में जो कुछ भी कहा है उसे कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

जैसा माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, कार्यवाही को देखकर उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर ।)

(व्यवधान)

आप लोग बैठ जायं । मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । कृपा करके आप लोग बैठ जायं ।

(श्री विजय सिंह राना, श्री मोहन सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस और अन्य कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर ।)

(व्यवधान)

कृपा करके आप लोग बैठ जायं । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मैंने कोई गलत बात नहीं कही । मैंने इतना कहा कि 28 तारीख को मेनका जी आ रही हैं । प्रधान मंत्री के घर के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री को लेकर असन्तोष व्याप्त है, इसी की वह प्रतीक हैं । इसमें मैंने क्या बुरा कह दिया, मान्यवर ।

(श्री श्याम लाल बाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपा कर बैठिये आप । मैंने आपकी बात सुन ली थी ।

(व्यवधान)

माननीय मन्त्री जी ने कोई बात कही थी, उसके बाद मैंने यह कहा

(व्यवधान)

मैंने केवल यह कहा है था कि प्रोसीडिंग्स देख कर, उसको पढ़ने के बाद जो उचित होगा, वह किया जायेगा । कृपया आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

[समय 2 बजकर 10 मिनट]

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आज जो सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं । मान्यवर, बजट चर्चा शुरू करने के पूर्व आपसे मेरा एक निवेदन है कि कृपा कर लाल बत्ती जरा जल्दी न जलाइयेगा ।

मान्यवर, सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग का जो बजट माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस आदरणीय सदन में रखा है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं ।

(व्यवधान)

बीरज धरिये देहलवी भाई । मान्यवर, पुलिस बजट पर चर्चा के पहले सर्व-प्रथम मैं इस उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश के गृह मन्त्री, राज्य गृह मन्त्री, उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, को बधाई देता हूं कि छबिराम जैसा कुख्यात डाकू जो मारा गया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, इस बधाई के साथ-साथ मैं इस मुठभेड़ में जिन सिपाहियों ने, पुलिस कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, इस सम्मानित सदन के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको और उनके परिवारों को बधाई देता हूं । मान्यवर, इस समय कल से लेकर आज तक इस पुलिस विभाग और

सामान्य प्रशासन के बजट के ऊपर पक्ष और विपक्ष के अनेक लोगों के सुझाव और विचार सुनने का मुझे भी सौभाग्य मिला। निसंदेह पुलिस प्रशासन जो है सम्पूर्ण प्रशासन की रीढ़ है। उसका आचरण अच्छाइयों और बुराइयों की मिसाल होता है। पुलिस सुरक्षा की जिम्मेदारी रखती है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि बारम्बार और रोज-रोज जो यह विलाप होता है, क्या इस पक्ष से, क्या उस पक्ष से, हम चुन कर आते हैं और आरोप प्रत्यारोप में ही 5 वर्ष बिता देते हैं। परन्तु कभी किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं सोचा कि इसके अलावा भी हमारा देश और प्रदेश के प्रति कुछ कर्त्तव्य है। मान्यवर, आखिर यह क्या बात है ? यह चर्चा आती है हमारे बीच में

(व्यवधान)

क्या कांय-कांय कर रहे हो ? कहो तो मैं बैठ ही जाऊं।

मान्यवर, इस पुलिस प्रशासन में कुछ मूलभूत कमियां हैं जिसकी ओर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय गृह मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वास्तव में अगर आप पुलिस की छवि को उज्जवल करना चाहते हैं तो, मान्यवर, तफतीशी और इंतजामिया पुलिस को अलग-अलग करना होगा। जिस समय आप अलग-अलग कर देंगे तो आज जो जिले-जिले में थानों का निलाम हो रहा है, पैसे के ऊपर थाने बिक जाते हैं, ये सारी चीजें समाप्त हो जायेंगी और आप के सामने वह कोई समस्या नहीं होगी कि हम यह कहें कि पैसा लूटा, गोली मारी। आज क्या है, मान्यवर ? इस पुलिस विभाग के बारे में जो भी कहा जाय, जितना भी कहा जाय, वह कम होगा। मान्यवर, एक ओर जहां इनकी कर्तव्य परायणता की हम सराहना करते हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी निरंकुशता के सामने भी मस्तक झुक जाता है। कारण यह है कि बेलगाम हो चुके हैं, नियन्त्रण रहित वातावरण में चल रहे हैं और इनके नियन्त्रण के लिए यही एक चीज आवश्यक होगी कि इन्तजामियां और तफतीशी पुलिस को आप अलग करें। तब यह बात नहीं होगी।

मान्यवर, एक और कारगर सुझाव माननीय मन्त्री जी को देना चाहता हूं। सबसे पहली जो बुराई पैदा होती है जिले में इस बात की चिन्ता पैदा होती है कि कौन-सा थानेदार किस थाने पर जाय। किसी समय में पुलिस कप्तान के लिए तो हुआ करता था एक-दो थानेदार जो उनका तथा मेहमानों का खर्च उठाया करता था। आज मित्रवर सामान्य शिष्टाचार बन गया है कि जैसे दुकान लेने के लिए दस हजार पगड़ी और किराया अलग से। तो थाना आवंटन के लिए इतना पैसा पहले और माहवारी बाद में। तो, मान्यवर, इस व्यवस्था के लिए भी एक उपाय है। इसलिये उपाय बता रहा हूं कि शासन की मन्शा है कि कुछ सुधार करें परन्तु कोई कारगर उपाय उनको नहीं मिल पाता। इसलिए कारगर उपाय बता रहा हूं।

[श्री श्याम लाल बाजपेयी---]

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आज नये-नये बछड़े आई० पी० एस० पुलिस कप्तान का पद संभालते हैं। सबसे पहले उनके लिए आप निश्चित कर दीजिये कि इन्सपेक्टर रैंक से डी० एस० पी० तक निश्चित रूप से दस साल तक काम करके तब जिले का चार्ज लेगा। दूसरी चीज यह होगी कि थाने में उसी को आप थाना अधिकारी नियुक्त करेंगे जो जिले में वरिष्ठतम् हो। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो प्रदेश के समस्त थानों में थाना अधिकारी का पद इन्सपेक्टर रैंक को दे दीजिये जिससे कुछ तो सुधार होगा। यदि इस ओर माननीय मन्त्री जी आप कदम उठायें तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूंगा।

पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की बात होती है। आप जानते हैं सब इन्सपेक्टर का इम्तहान होता है। मगर सब इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर बनने के लिए, इन्सपेक्टर से डी० एस० पी० बनने के लिए और डी० एस० पी० से एस० पी० बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं है। वह केवल आई० ए० एस० और आई० पी० एस० स्तर पर निर्भर करता है। जो जितनी रकम लगा सकता है उतनी जल्दी छलांग लगा सकता है। आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक निर्णय लें। वह निर्णय इस तरह का होना चाहिये कि सब इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर बनने के लिए परीक्षा हो, इन्सपेक्टर से डी० एस० पी० और डी० एस० पी० से एस० पी० बनने के लिए कठोरतम् परीक्षा हो और जो उसमें उत्तीर्ण हों इस पद को सुशोभित करें, पैसे के माध्यम से, चाटुकारिता के माध्यम से न हों, तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जायगा।

मान्यवर, पुलिस विभाग का एक विंग है जिसका नाम है अभिसूचना। मान्यवर, रुपये में दो पैसे भी बोल नहीं पाया। मैं सभी पक्षों से समय की मांग कर रहा हूं। समय दान दीजिये। मान्यवर, इस अभिसूचना विभाग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक पुस्तिका विभाग से निकली है और इसमें बताया गया है कि बड़े-बड़े संगठनों का भंडा-फोड़ होता है। मान्यवर, कांग्रेस के एक वफादार सिपाही के रूप में मैं आपके सामने कह रहा हूं कि यह अभिसूचना विभाग षड़यन्त्रों का भंडा-फोड़ करने का विभाग है, शुद्ध धोखा-धड़ी का विभाग है। यह मनभावन रिपोर्ट तैयार करता है। मान्यवर, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी यूनियन का सेक्रेटरी था। जब नजरबन्द कानून से वापस आया था तो हमारे उस समय प्राक्टर श्री बी० एन० शर्मा जिनको मैं बार-बार प्रणाम करता हूं उनके कमरे में हम बैठे हुये थे। श्री इब्ने हसन और हैदर अब्बास। किसी ने शर्मा जी को बाहर बुलाया और जब वे लौटकर आये तो कहने लगे कि विजीलेन्स के कुछ अफसर यह कह रहे थे कि श्यामलाल वाजपेयी कुछ लोगों को लेकर काली प्रसाद के बंगले में आग लगाने के लिये गये हुये हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि जल्दी पकड़कर लाओ। मैंने उनसे मत्था ठोक कर कहा कि मैं आपके सामने सशरीर बैठा हुआ हूं, यह कैसे हो जायेगा।

मान्यवर, इस अभिसूचना विभाग का एक उदाहरण और दे दूं। एक मंडल धीश हैं मिस्टर बी० डी० गुप्ता। उन्होंने रिपोर्ट लिखी कि श्यामलाल वाजपेयी कुछ विधायकों के साथ लोकतान्त्रिक समाजवादी दल के नेता, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा से मिले और मैंने उनसे कहा कि मैं यहां घुटन महसूस कर रहा हूं, मुझे दिशा दो। मान्यवर, मैं सन् 1955 से देख रहा हूं

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 26--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता अनुभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 14--नागरिक सुरक्षा विभाग

ऐसे-ऐसे आई० ए० एस० और आई० पी० एस० न मालूम कितने मेरे सामने आये और चले गये । जब यह सूचना मेरे पास आई तो मैंने एक पत्र मुख्य मन्त्री को लिखा और सचिव को भी दिया कि इसकी जांच करा लीजिये और अगर एक अंश भी इस सूचना का सत्य निकले तो मैं प्राथमिक सदस्यता से तो नहीं लेकिन इस विधान सभा की सदस्यता का मेरे लिए कोई अधिकार नहीं होगा और आज भी मैं आपके सामने सदन के अन्दर यह चुनौती देता हूं कि अगर इस सूचना का एक वाक्य भी सही होगा तो मैं यहां से इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन से और शासन से कहना चाहूंगा कि ऐसे नीच, निकम्मे, निकृष्ट और भ्रष्ट अधिकारी का आप तुरन्त वहां से तबादला कर दें उसका वहां से निष्कासन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए।

मान्यवर, दो शब्द आई० ए० एस० के लिये भी कहूंगा । पुलिस के कार्य-कलापों के बारे में इस पुस्तिका के पृष्ठ 8 में खंड 6 में बाराबंकी की एक मुठभेड़ का जिक्र किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री मुख्तार अनीस--

आप बहुगुणा जी से मिले या नहीं मिले, यह बात आप अपनी पार्टी वालों से कहें । सदन में कहने से क्या लाभ है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि इस पुस्तिका के खन्ड 6 में लिखा है कि बाराबंकी में एक मुठभेड़ हुई । मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं कि शासन की उपेक्षा, शासन का अपमान करने की मेरी कोई मंशा नहीं ह और शासन ने वही छापा है जो खबर वहां से आयी है मगर सत्य से वह बहुत दूर है । उसमें बलराज भोला का नाम लिया गया है । वह इतनी शराब पीता है कि दफ्तर से निकलता ही नहीं है, पचौरी जी का नाम लिखा है . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया बैठ जायं ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

दो इंसपेक्टर पकड़ कर ले आये, उनको मार दिया और फोटो छपवा ली..

(व्यवधान)

[श्री श्याम लाल बाजपेयी—]

मान्यवर, समाप्त कर रहा हू । थाना सफदरगंज में दो इनकाउन्टर दिखाये गये हैं । मैं उससे असहमति प्रकट करता हूं ।

इसके अलावा इस पुलिस विभाग की जो जांच की प्रक्रिया है, वह कागज में हो जाती है और कहते हैं जांच की गयी आरोप निराधार और श्री बाजपेयी का स्वभाव है । तो मान्यवर, जांच की बात करना अपने मुंह पर झापड़ मारना है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मैं एक मिनट में इन आई० ए० एस० के बारे में कहना चाहता हूं । जिस प्रकार से गाय का बछड़ा जब मर जाता है तो किसान जो है उसमें भूसा भर कर गाय के सामने रखकर उसको दुहता है तो आज मान्यवर, भारत माता के सपूतों को अपंग करके इस देश के आई० ए० एस० जनप्रतिनिधियों को सामने करके भारत माता का दोहन कर रहे हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिनको आप गांधी जी के सपूत कहते हैं, जो इस प्रदेश के जनप्रतिनिधि हैं, उनको जब तक इन थानेदारों और एस० डी० एम० के तमाम कार्यों की समीक्षा का अधिकार नहीं देंगे तब तक जनतन्त्र अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है ।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री मोहन सिंह का नाम पुकारे जाने पर) आपको केवल 7 मिनट का टाइम है ।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश का पिछला वर्ष प्रशासनिक मूर्खता और राजनैतिक संकल्पहीनता का वर्ष रहा है । मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि आज उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा स्फूर्ति देने वाला नेतृत्व नहीं है जिसकी वजह से आज प्रदेश के प्रशासन में पकड़ नहीं है । केवल ऐसे लोग, जिनका जीवन का आधार केवल चुगली और चापलूसी करना है, आज वह उत्तर प्रदेश के प्रशासन में कुंडली मारे बैठे हैं । इसलिए ऐसे लोगों से आशा करना कि वह कानून और व्यवस्था की हालत में सुधार करेंगे, यह अपेक्षा बिलकुल व्यर्थ साबित होगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे मित्र अकबर अहमद का कांग्रेस से निष्कासन किया गया है । मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में राज करने वाले तन्त्र के अन्त की शुरुआत है । हम लोग निरन्तर इस बात को इस सदन और बाहर भी कहते आये हैं कि इस प्रशासन में 99 फीसदी लोगों को फर्जी मुठभेड़ में मौत के घाट उतारा जा रहा है । अब उन बातों को पुष्टि प्रशासन के अफिसर भी कर रहे हैं । मेरे सामने इस समय जनमोर्चा अखबार है, जो फैजाबाद मंडल का प्रमुख अखबार है यह 18 मार्च के अंक में प्रकाशित हुआ है कि 99 प्रतिशत मुठभेड़ फर्जी होती हैं । इसमें बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक की स्वीकारोक्ति है । इसमें लिखा है "बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक ने तपाक से कहा कि आपको नहीं मालूम केवल एक प्रतिशत रीयल इन्काउन्टर होता है शेष 99 प्रतिशत मुठभेड़ इसी प्रकार की होती है लेकिन सब जानते हुए खामोश रहते हैं । जहां कहीं कुछ लोगों को अपनी व्यक्तिगत रुचि होती है वहीं पर वे आंसू बहाने लगते हैं, जैसे इन मामलों को खबर वाले भी तभी उछालने लगते हैं" तो जब प्रशासन में बैठे लोग इस प्रकार की स्वीकारोक्ति करें तब आरोप लगाने का हमारे लिए औचित्य नहीं रह जाता है ।

मुझको खुशी है कि उत्तर प्रदेश शासन ने मुठभेड़ में मारे गये पुलिस कर्मियों के परिवारों की सुरक्षा के लिए कोष बनाया है । लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि इस मंत्रिमंडल के अनेक माननीय सदस्यों ने अनधिकृत रूप से अधिकारियों की मीटिंग करके लोगों को मौत के घाट उतारने की कोशिश की लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का चप्पत लगा तो माननीय मुख्य मन्त्री जी की तरफ से घोषणा होने लगी कि जो फर्जी मुठभेड़ किये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । तो आपके कार्यों में विरोधाभास है । एक तरफ आपने सी० आर० पी० सी० और संविधान की हत्या कर लोगों को फर्जी मुठभेड़ में कत्ल करवाया और जब आपकी गरदन फंसने लगी तो कहने लगे कि जिन लोगों ने फर्जी मुठभेड़ की होगी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की सरकार ने भी स्वीकार किया है कि बहुत से लोगों की फर्जी मुठभेड़ में हत्या हुई, तो वह भी इसी भारत माता के सपूत हैं, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए जिनके लिए आप स्वीकार करते हैं कि फर्जी मुठभेड़ में मारे गये उनके आश्रितों के जीवन यापन के लिए अलग से कोई कोष आपको बनाना चाहिये । और उनकी रक्षा का भी प्रयास करना चाहिये आज तक इतिहास में हमने ऐसी कोई सरकार नहीं देखी जो अपने मुख्य मंत्री या सरकार के बयान से पूरे प्रदेश में आतंक का वातावरण पैदा कर दे । यह इनकी सरकार वही कर रही है । कल मुख्य मंत्री जी ने यहां पर बड़े दम्भपूर्ण ढंग से यह घोषणा की कि साम्प्रदायिक उन्माद पर इस सरकार ने काबू पा लिया है ।

लेकिन उर्दू का जहां तक सम्बन्ध है, मैंने मांग नहीं की थी मुख्य मन्त्री ने प्रदेश में व प्रदेश के बाहर कहा कि उर्दू इस प्रदेश की दूसरी राज भाषा बनेगी । उसके लिए एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर भी हो गया और उसके बाद संविधान के

[श्री मोहन सिंह---]

अनुसार सभी अध्यादेश इस सदन में पेश किये जाते हैं। 11 नम्बर को यहां ले किया गया, 13 नम्बर को ले किया गया, लेकिन 12 नम्बर का उर्दू सम्बन्धी अध्यादेश नहीं ले किया गया। वह 12 नम्बर वाला कहां चला गया? उसके बावजूद मुख्य मंत्री ने घोषणा की कि मैं इस सदन का आदर करता हूं, चूंकि विधान सभा चल रही है, मैं उसका अध्यादेश नहीं विधेयक पेश करूंगा। उसके बाद इनके मंत्री ही कहने लगे हैं कि उर्दू इस प्रदेश की दूसरी भाषा हो ही नहीं सकती है। इसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत और उर्दू समर्थकों के मध्य एक द्वेश, भेदभाव पैदा हो गया। टकराव और उन्माद की स्थिति पैदा हो गयी इस सरकार ने दोनों में उन्माद पैदा करके उनको लड़वा दिया।

दूसरी चीज यह है कि इस सरकार के मुख्य मंत्री ने कहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरिजनों की सामूहिक हत्या का प्रयास हो रहा है। इस पर जब सदन में पूछा गया कि इसका आप सबूत दीजिए, तो यह उसका कोई प्रमाण नहीं दे पाये। इनके पास कहने को कुछ था ही नहीं। जो मुख्य मन्त्री खुद अपने बयान से प्रदेश में उन्माद व आतंक का वातावरण पैदा करे, उस मुख्य मन्त्री से हम यह कल्पना करें कि प्रशासन में इफेक्टिव कन्ट्रोल होगा यह व्यर्थ की बात है। प्रशासन का जहां तक सवाल है, उसमें अनेक तरह के झगड़े हैं। कल मेरे नेता ने मुख्य सचिव की बात कही थी। तो मैं कहना चाहता हूं जब तक प्रशासन में सेवा निवृत्ति के बाद सेवा-विस्तार पाए अधिकारी रहेंगे और सेवा विस्तार की प्रथा रहेगी, प्रशासन में किसी सुधार की बात करना व्यर्थ है। क्योंकि अधिकारी मन्त्रियों की कृपा से रिटायरमेंट के बाद, सेवा विस्तार के लालच में उनकी (मन्त्रियों) सेवा में लगे रहेंगे और ऐसे अधिकारियों से हम किसी निष्पक्ष निर्णय की आशा नहीं कर सकते हैं। तो यह सरकार की साजिश है अधिकारियों के साथ उनको अपने कर्तव्यों के बजाए अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध बनाने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि सेवा विस्तार के नियम को इस प्रदेश में सदा सर्वदा के लिए खत्म किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही अब मैं दूसरी बात इसी मुख्य सचिव के बारे में कहना चाहता हूं, जब से यह मुख्य सचिव हुए हैं, एक जाति विशेष के आदमी प्रशासन में और सचिवालय में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भरे गये हैं। आप उठाकर देख लीजिए कि आज प्रत्येक विभाग के सचिवों और विभागाध्यक्षों में किस जाति विशेष के अधिक लोग हैं। इन सब पदों पर एक विशेष जाति के लोग पदारूढ़ हैं। वैसी ही स्थिति पुलिस प्रशासन में भी है, 36 परसेंट पुलिस अधिकारी, फील्ड में बैठे हुए लोग एक जाति के रखे गये हैं। शेष में द्वेष और झगड़ा पैदा हुआ है।

सारे स्तर पर पी० सी० एस० के लोग प्रोन्नति होकर आई० ए० एस० में आये तो उनके प्रति भेदभाव और नफरत है। जो लोग सेना से आये हैं, जो रिजर्वेशन से आए हैं या जो लोग तहसीलदार से प्रमोट होकर आए हैं, उनको अछूत समझा जाता है और उनको नफरत की निगाह से देखा जाता है। उसके साथ खुला भेदभाव बरता जाता है और उनके हक उनको नहीं मिलने पाते हैं। जो पी० सी० एस० से प्रमोट होकर आते हैं, उनकी फाईल दाब ली जाती है, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। जो आई० पी० एस० के लोग हैं, वह इंस्पेक्टर्स से प्रमोट हुए पी० पी० एस० लोगों के साथ भेदभाव बरतते हैं उनसे नफरत करते हैं। इस सबका परिणाम यह है कि पूरे शासन में सभी स्टेजेज पर असन्तोष और अराजकता व्याप्त है। इसलिए शासन को चाहिए कि वह प्रोन्नति

आदि मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक कमेटी या कमीशन बनाए और एक नियमावली का निर्माण करें। यह बात कल बहुत बार प्रसारित की गई कि जिनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, ड्यूरिंग पेंडिंग आफ इन्क्वायरी उनकी प्रोन्नति रोकी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनको पी० पी० एस० कैडर में सीनियर कैडर नहीं दिया जाता है। सुना है कि इन्सपेक्टरों के लिए कोई नियमावली बनाने जा रहे हैं। मेरा तो कहना यह है कि जो एस० पी०, इन्सपेक्टर्स के ऊपर इफेक्टिव कन्ट्रोल नहीं कर सकता है, इसको जिले का चार्ज नहीं दिया जाना चाहिए।

शासन की ओर से कहा गया कि हम तदर्थ रूप से नियुक्तियां नहीं करेंगे लेकिन मन्त्रिमंडल में बैठे हुए लोगों ने एक वरिष्ठ एस० पी० के लड़के को बिना परीक्षा लिए, तदर्थ रूप से, बिना परीक्षा लिए हुए वैयक्तिक सहायक के पद पर नियुक्त किया गया है। एल० एस० जी० डिपार्टमेंट में भी इसी प्रकार की नियुक्तियां होती चली जा रही हैं। मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए पाबन्दी होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ में माननीय विरोध दल के नेता द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि इस सरकार का कोई इफेक्टिव कन्ट्रोल प्रशासन के ऊपर नहीं रह सकता है। इसलिए एक पैसा भी इनको देने के मैं हक में नहीं हूं।

*श्री मंजूर अहमद---

आज मान्यवर, 21 महीने में, मैं पहली बार माननीय सदन में आज सामान्य प्रशासन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं नेता विरोधी दल और शासक दल के माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा और आपसे भी मान्यवर, दरख्वास्त करूंगा कि लाल बत्ती न दिखाकर मुझे ज्यादा समय देने की कृपा करें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

"यह दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है।

चुप हूं तो नदामत है, बोलूं तो बगावत है॥"

मान्यवर, आज से नहीं माननीय चन्द्र भानु गुप्त के जमाने से मैंने अब तक बहुत से मुख्य मन्त्रियों और मन्त्रिमंडल के सदस्यों को देखा है। न मालूम क्या खास बात है कि इन कुर्सियों में उधर बैठकर आपकी दूसरी भाषा होती है और इधर आने के बाद दूसरी भाषा हो जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह--

इसीलिए, मान्यवर, ये बीच में हैं ।

श्री मन्जूर अहमद--

आप जिस दल में हैं, उनके सोचने के अन्दाज को मैंने बहुत करीब से देखा है, आप तो दूर से देखते हैं, मैंने तो बहुत ही करीब से देखा है । वे छपरौली से आगे तक की नहीं सोचते हैं, भारत तो बहुत बड़ी चीज है ।

श्री हुकम सिंह--

आप इटली की बात कहिए ?

श्री मन्जूर अहमद--

आज तक किसी भी दल का माननीय सदस्य जब खड़ा होगा तो पुलिस के अलावा उसका ध्यान इधर-उधर नहीं जाता है । मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूं, जो मेरा विचार है, जो मैंने देखा है, कोई भी आई० ए० एस० अधिकारी, पी० सी० एस० अधिकारी, तहसीलदार, इन्कम टैक्स आफिसर, मुंसिफ, डिस्ट्रिक्ट जज आप किसी को भी अदालत में जायेंगे तो उनके पेशकार सबके सामने पैसा लेता है, हांलांकि 1972 से मैं भी कई बार जेलों में रहा और अदालतों में गया, मैंने नहीं देखा लेकिन किसी भी, बेइमान से बेइमान एस० पी० का पेशकार रिश्वत नहीं ले सकता है । यह तो हाल है समस्त दूसरे विभागों का और पुलिस का । इनकम टैक्स की चोरी करने वालों को, सेल्स टैक्स की चोरी करने वालों, एम० एल० ए० को गाली देने वालों को, मंत्री लोगों को कुछ कहने या उनके खिलाफ कहने वालों को, यह पुलिस ही पकड़ने का काम करती है । आई०ए०एस० आफिसरों की हिफाजत यह पुलिस ही करती है । कई हमारे माननीय विधायक भी ऐसे हैं जिनको शंडों मिले हुये हैं और उनकी हिफाजत के लिए पुलिस रहती है । आज एक्साइज वाला 10 हजार छोड़ता है तो 2 हजार लेता है, इनकम टैक्स वाला 50 हजार छोड़ता है तो लाला से 25 हजार लेता है । सेल्स टैक्स वाला एक लाख छोड़ता है तो 50 हजार लेता है । माननीय राजेन्द्र सिंह जी हैं यह बिना पुलिस के नहीं चल सकते । बिना पुलिस की हिफाजत किये हमारे बच्चे भी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते । मगर इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता ।

आज आई० पी० एस० और आई० ए० एस० दोनों में इतना अन्तर है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है । 12-13 साल की सर्विस के बाद आज एक आई० ए० एस० कमिश्नर बन जाता है पर एक पुलिस वाला क्या बन पाता है ? इस पर कभी आपने विचार किया ? वह मुश्किल से एस० पी० या ज्यादा से ज्यादा डी० आई० जी० बन सकता है । आज एक सीनियर व्यक्ति जो होता है, वह तो डी० आई० जी० हो जाता है और जूनियर व्यक्ति आई० ए० एस० होने के नाते कमिश्नर बन जाता है । इन दोनों में जो फर्क है, इसे दूर करना चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी तो इस समय हैं नहीं, और मन्त्री लोग बैठे हैं, वे इस तरफ तवज्जह दें । पुलिस कैडर के बारे में कृपया सोचें ।

इनके सामने एक दिक्कत और आती है । गाजियाबाद से अगर एक मुजरिम को पकड़ कर पुलिस को ले जाना है, 3 मील दूर उसे जाना है, तो उसके लिए न रिक्शा मिलता है, न और कोई व्यवस्था रहती है ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी । मुझे कुछ और समय दिया जाये । मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको जो भत्ता बहुत पहले दिया जाता था । आज इतनी महंगाई के समय में भी उनको उतना ही पैसा दिया जाता है जो बहुत कम है । उसको खाने का भी उतना ही पैसा दिया जाता है जो पहले दिया जाता था ।

(व्यवधान)

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि पुलिस में भी सीधे भर्ती होना चाहिये । जाति बिरादरी वाली बात जो माननीय सदस्य देवरिया कर रहे थे इस प्रदेश में इस बीमारी को किसने बोया । उसके तो जन्मदाता आपके लीडर हैं जिसके साथ आप हैं । आज जाति बिरादरी की बात करते हैं । मैं कहना चाहता हूं इससे जमहूरियत यह देश और यह जनतन्त्र बढ़ने वाला नहीं है, यह इसके लिए मुनासिब नहीं है । इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा । मैं आपके द्वारा सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि मौजूदा सरकार चाहे कोई हो, मिनिस्टर हो, चाहे एम0 एल0 ए0 हो चाहे विरोध के हो चाहे सत्ता पक्ष के हों यदि कोई प्रशासन में दखलन्दाजी करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये । यह मेरी दरख्वास्त है । इस प्रदेश की आजादी बद्रीनाथ से बलिया तक है । जब मंत्री शपथ लेता है तो वह एक जिले के लिए नहीं लेता है पूरे प्रदेश के लिए लेता है । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं । मैं 100 फीसदी कह सकता हूं भ्रष्टाचार करने वाले आज ज्यादा चिल्ला रहे हैं और खुद भ्रष्ट है । मान्यवर, मैं आप सब का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । एक शेर कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं :

(व्यवधान)

जिन चिरागों से ताहसुफ में उजाला फैले,

आओ उन सारे चिरागों को जलाया जाय ।

(व्यवधान)

* श्री अकबाल हुसैन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, सामान्य प्रशासन नाम की इस उत्तर प्रदेश में कोई चीज बाकी नहीं रह गई है । इसी उत्तर प्रदेश में 6 फरवरी से 8 फरवरी तक डाकू छबिराम का राज्य रहा । इस बात को हमारे नेशनल प्रेस ने स्वीकार किया है । इस तरह का जो डाकुओं का आतंक पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, उससे हमारी सरकार मुकाबला करने में बिल्कुल असफल रही

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अकबाल हुसैन---]

है । अभी-अभी गोण्डा जिले के माधोपुर के गांव में 12/13 को रात में जो हादसा हुआ उसको मैं और लोकदल के आजम खां और रियासत हुसैन ने मौके पर देखा है वहां पर पुलिस का जो नंग नाच हम लोगों ने देखा है, उससे हम रा शर्म से सिर झुक जाता है । श्री रघुनन्दन पाण्डेय और साधू का घर जला दिया गया है । रघुनन्न के घर में 8 साल का बच्चा और 90 वर्ष की मां तथा उसकी बेवा है । उसके घर में रघुनन्दन का बच्चा चना उखाड़ कर लाता है तो लोग खाते है । आज उनके घर में खाने की कोई चीज नहीं है । आज उनके यहां न अनाज है न कपड़ा है । मान्यवर, के0 पी0 सिंह, उप पुलिस अधीक्षक जो शहीद हुआ है, उसका रहस्योद्घाटन मैं इस सदन में करन चाहता हूं । यह बात सही है जो उनकी बेवा आभा सिंह ने इल्जाम लगाया है । इस प्रकार मान्यवर, उप पुलिस अधीक्षक का जो हत्या की गई है ? उसके बारे में उसकी बेवा ने जो कहा है वह पुलिस की एक साजिश की ओर इशारा है ।

मान्यवर, मैं मौके पर गया हूं तो मुझे मालूम हुआ कि गोंडा जिले की पुलिस खास तौर के कटरा की पुलिस इसके पहले डाकुओं से पैसा लेती थी और पैसा लेकर वहां जो डाकुओं का राज्य कायम हो गया था, उसके बारे में इसी सदन में 301 में मैंने एक नोटिस दिया था 23 और 24 फरवरी को कटरा क्षेत्र में वर-वधूओं को डाकू उठा ले जाते हैं और काफी पैसा लेकर उनको छोड़ते हैं, इसकी पुष्टि कल हुई । मान्यवर, वहां पर श्री के0 पी0 सिंह ने इस बात का विरोध किया था और एक सब इन्सपेक्टर तथा थाना इंचार्ज को लाईन हाजिर किया था जिससे वहां के पुलिस के लोग उनसे नाराज हुए और जिस स्थान पर श्री के0 पी0 सिंह की हत्या हुई है वह साधू के दरवाजे से लगभग 3 मीटर दूरी पर आंगन में हुई जो साधू के वहां से गोली नहीं मारी गई बल्कि पास के घर से, जो मात प्रसाद का है, वहां से फायर हुआ है, और वह श्री के0 पी0 सिंह को लगा और मरते-मरते उस वीर ने एक डाकू रामधन और साधू को मार दिया जिससे पुलिस में भगदड़ मच गई । उस घायल जवान, श्री के0 पी0 सिंह ने अपने पेशकार से कहा तुम मुझे बचा लो, हम जैसा अधिकारी तुमको नहीं मिलेगा । उसके बाद फिर गोली की बौछार की गई और उनको घसीट कर ले जाया गया । माधोपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस अधीक्षक मिले जो उनको गोंडा लेकर गए जबकि शान्ति नगर अस्पताल, जो गोंडा अस्पताल से ज्यादा अच्छा है और माधोपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर था, नहीं ले गए । उसके बाद गांव के जगराम आदि को पकड़ कर इनकाउन्टर किया गया । श्री के0 पी0 सिंह की मृत्यु की सूचना उनकी पत्नी, जो शिक्षित औरत हैं, को नहीं दी गई । पुलिस की गाड़ी उनको ले जाने के लिये तैयार नहीं थी । इस तरह श्री के0 पी0 सिंह को पुलिस की साजिश से डाकुओं ने तीन तरफ से घेर लिया था और उनकी हत्या करवा दी गयी ।

मान्यवर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने जो अच्छी नीतियां रखी थीं जैसे जिन आबंटियों को कब्जा नहीं मिल पाता है उनको एस0 डी0 एम0 वहां के विधायक को साथ ले जाकर कब्जा दिलायेंगे । मान्यवर, एस0 डी0 एम0, बलरामपुर, जो एक शराबी है, आज तक मेरे कहने के बावजूद इस नीति का पालन नहीं किया । इसके अलावा मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि इस नीति के सम्बन्ध में जब श्री गोरे लाल शाक्य ने अपने वहां एस0 डी0 एम0 से कहा कि आबंटियों को कब्जा दिला दें तो उनको एस0 डी0 एम0 द्वारा उत्पीड़ित किया गया था । इसलिए इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ।

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता अनुभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

मान्यवर, अब मैं अपने जिले के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में पुलिस अधीक्षक, गोंडा रुपया लेकर ट्रांसफर को रोकते और करते हैं। उनकी ससुराल बस्ती में है, इसलिए बस्ती के लोगों को वह रुपया लेकर सिफारिश करते हैं। मान्यवर, आज गोंडा जिले में प्रशासन व्यवस्था अपंग हो गई है, वहां पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है, वहां आज डाकुओं का राज्य है। इसलिए गोंडा में कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस अधीक्षक को और जो 10-10 सालों से उप पुलिस निरीक्षक हैं, उनको तुरन्त हटाया जाय क्योंकि इनका डाकुओं से मेल है और इससे वहां की कानून-व्यवस्था में सुधार हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत इस कटौती के प्रस्ताव का तीव्र विरोध करता हूं। मान्यवर, 1980 में जब जनता सरकार तो मैं नहीं कहूंगा, जब जनता सर्कस का तंबू खेमा उखड़ा था तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को लूट, हत्या, डकैती और अन्य अपराधों में जलता हुआ छोड़ा था। उस समय जब हमने इस प्रदेश की सत्ता को संभाला था तो उस समय हमारे सामने, सत्तारूढ़ दल के सामने दो ही विकल्प थे। एक तो यह था कि हम इनकी तरह बुजदिली का रास्ता अख्तियार करते और अपनी पुलिस को रस्मी परेड और मंत्रियों की शोभा की चीज बनाते या हमने जो जनता से वायदे किये थे, इस प्रदेश की 11 करोड़ जनता से जो वायदे किये थे कि प्रदेश में शांति-व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित करेंगे उसको पूरा करते।

तो मान्यवर, इधर बैठा हुआ सत्तारूढ़ दल आज स्वाभिमान के साथ कह सकता है कि मान्यवर, हमने दूसरा विकल्प अपनाया और जनता से जो वायदे किये थे उन वायदों को पूरा किया। मान्यवर, इसके लिये जो जेहाद हमने छेड़ा था उसमें पुलिस के 110 जवानों ने अपना बलिदान देकर उसको पूरा किया। जो यज्ञ की आहुति दी गयी थी उसमें इंसपेक्टर मूल चन्द ने अपने खून से तिलक लगाया, उसको राजपाल सिंह ने अपने खून से सींचा और मान्यवर, छबिराम के साथ मुठभेड़ में पांडे ने अपनी जान देकर अपने उस वायदे को पूरा किया कि वह प्रदेश की जनता की रक्षा करेगा। इस जेहाद में 110 पुलिस कर्मी शहीद हुये और 465 घायल हुये।

लेकिन जब जंग होता है, धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है तो धर्म की आखिर में विजय होती है। आज सत्तारूढ़ दल कह सकता है कि धर्म की विजय हुई है। इस प्रदेश के नक्शे से चाहे छबिराम हो, चाहे राधे हो या संतोषा का गैंग हो या चाहे विद्याराम का गैंग हो चाहे बादशाह या बलवान का गैंग हो, 17 गैंगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रमोद कुमार--]

को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। मान्यवर, किसी लोकतांत्रिक देश में अगर सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी है तो विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकता है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि विपक्ष की भूमिका पूर्णतः नकारात्मक रही है। मान्यवर, इनकी स्थिति यह है कि एक बदसूरत औरत फूलन देवी को यह दस्यु सुन्दरी बना देते हैं और मान्यवर, छविराम जिसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुय हैं, उसको ये अपना नेता बना लेते हैं। लेकिन जब पुलिस अपने कर्तव्य का पालन करती है और शहीद होती है, अपनी मां की गोद सूनी करती है तो यह विपक्ष बैठकर शेम-शेम के नारे लगाता है।

मान्यवर, ऐसे विपक्ष से प्रदेश की शांति-व्यवस्था बनाये रखने में कोई मदद नहीं मिली है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी के सामने कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। आई० जी० के स्थान पर एक नये डी० जी० के पद का सृजन हुआ है। लेकिन यह पद मात्र आडम्बर का न बना रहे, उनको कुछ सुविधायें, सुरक्षा और बल दिया जाय। जिस तरह से बार्डर सिक्योरिटी फोर्स का संगठन है या अन्य जो ऐसे संगठन हैं, उसी के अनुरूप डाइरेक्टर जनरल को 3,500 के वेतनमान में रखा जाय और उसकी सी० आर० लिखने की शक्ति गृह मंत्री या मुख्य मंत्री तक ही सीमित रहे।

मान्यवर, पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। जिन प्रदेशों में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की गयी है, वहां पर अपराध स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। तो चाहे प्रयोग के तौर पर यहां करें, कुछ कवाल टाउन्स में आप पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति करें, मेरा निश्चित मत है कि अपराधों में गिरावट आयेगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुलिस विभाग में जीप, गाड़ियों की संख्या रोडवेज से अधिक है, कम नहीं है। आज भी इनके पास वर्कशाप नहीं है, जब तक वर्कशाप नहीं होगा, उनका काम पूरा नहीं होगा।

एडीशनल एस० पी० के पदों का सृजन है, उन्होंने सचल प्रयोगशाला की भी मांग की है, वह भी पूरी होनी चाहिये।

अपराधों के पीछे हमेशा कोई कारण होता है, जब तक कारण बना रहेगा, जब तक देश या प्रदेश में भूख बनी रहेगी, अपराध रहेंगे। जरूरी है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम, उत्पादकता के नारे को साकार बनाया जाय, जिस दिन भूख मिटेगी, अपराध समाप्त हो जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री प्रमोद कुमार--

बस मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। इसके साथ ही मैं सरकार को बधाई देता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी सत्ता पक्ष के लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, गृह मंत्री तथा आई० जी०, पुलिस के लिये आभार प्रकट किया, धन्यवाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 8––कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17––गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23––नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25––नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26––नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36––प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62––सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63––सतर्कता अनुभाग, अनुदान संख्या 67––सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68––सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77––सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15––गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24––नागरिक सुरक्षा विभाग

दिया डाकू छविराम के लिये कि उसको समाप्त कर दिया । मैं समझता हूं कि डाकू छविराम एक कुख्यात डकैत था और उसका समाप्त होना उत्तर प्रदेश के हित में था, लेकिन उसकी मौत की बात आज सारे उत्तर प्रदेश में रहस्य बनी हुई है कि क्या पुलिस ने बहादुरी से इन्काउन्टर से उसको मार गिराया है ? या तथ्यों को उसी तरह छिपाया है जैसे यह उत्तर प्रदेश की सरकार 4 और 6 मार्च तक जब छविराम घूमता रहा, उस समय यही सरकार कुछ नहीं कर सकी, उसी के समान यह वर्तमान प्रशासन, हमारी गृह मन्त्री, जिनको दीदी कहता हुं, वह तथ्यों को छिपा रही हैं, जब कि किसी हालत में भी छविराम का इन्काउन्टर नहीं हुआ, जहर पिलाकर उसे मारा गया, जिसका बदला उसके साथी अनार सिंह ने लिया और पुलिस वालों को मारा । यह सरासर रहस्य बना हुआ है, जिस राजपाल सिंह, दारोगा को मौत के घाट उतारा, उस समय भी, पुलिस वालों ने षड्यंत्र रचा और धोखा किया । जैसा हमारे एक साथी बोल रहे थे गोण्डा जिले में अभी जिस के0 पी0 सिंह की डाकुओं द्वारा हत्या की गयी है, उनकी पत्नी ने कहा है और यह सब इस वर्तमान शासन के अन्तर्गत रहस्य बना हुआ है । उसने आरोप लगाया है कि उसके पति को पुलिस के ही कर्मचारियों ने मरवाया है । उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, गोली लगने के बाद तत्काल अस्पताल पहुंचाना चाहिये था, लेकिन नहीं किया गया ।

यह इन्काउन्टर्स की सरकार जो आज यह कहती है कि अभी मैंने देखा कि 5000 के लगभग आपका दावा है कि आपने बदमाशों को मार गिराया है। 5 लोग मेरे जिले में भी मारे गये हैं, एक भी इन्काउन्टर आपकी सरकार और पुलिस ने नहीं किया है । सारे उन लोगों को जिन पर मामूली मुकदमे थे, आपके मुख्य मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए आपके आदेश से पुलिस अधीक्षक ने पकड़वाकर मौत के घाट उतारा और उनके बच्चों को भी बेसहारा कर दिया, जिसके लिये आप कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बहुत बड़ी सराहना के पात्र हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं किसी भी जेल में जाकर देखिये, किसी भी जिले में जाकर देखिये कि पुलिस कितनी समर्पित है गुन्डों को मारने के लिये, जनता को सुरक्षा देने के लिये, यह सब उसका उत्तरदायित्व है । जिस तरह से चाइना की लड़ाई के समय हमारे देश की बहू बेटियों ने उनकी झोलियों में सामान डालकर उनका स्वागत किया कि जाओ भाई आज भारत मां की सुरक्षा का बोझ तुम्हारे कंधों पर है । पर मुझे दुख है कि हमारी पुलिस के सिपाही में सुरक्षा की भावना नहीं है, उनमें जनता को सुरक्षा देने की कोई बात नहीं है । यह दीदी के समय की बात मैं अकेले नहीं कर रहा हूं, इस पुलिस के प्रशासन पर अंकुश सरकार कभी नहीं लगा पायी है ।

हम लोग विधायक हैं, यहां आते हैं और विरोधी पक्ष में बैठकर अपनी बातों को कहते हैं कि वहां पर यह हो रहा है, जिलाधिकारी से कह कर उसे हटवाइये, पर कुछ नहीं होता है । किसी तरह से जनता के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

[समय 3 बजकर 5 मिनट]

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सामान्य प्रशासन और जो दूसरे 12 बजट प्रस्तुत किये गये ह, उन पर बोलने का मुझे अवसर दिया है । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सारे बजटों का समर्थन करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, कल नेता विरोधी दल बोल रहे थे और आज हमारे विरोधी पक्ष के नेता बोले और भी कुछ सदस्य बोले । मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय नेता विरोधी दल अखबारफरोश हो गये हैं या कोई दारोगा हो गये हैं । सदन में कोई अखबारफरोश बोल रहा है या फिर कोई दारोगा बोल रहा है । मान्यवर, चाहे नेता विरोधी दल बोले या विरोधी पक्ष के और भी सदस्य बोलें परन्तु उन्होंने कोई कंक्रीट सुझाव इस सदन में नहीं दिया है बल्कि सारा समय अखबारों का हवाला दे-दे कर बोलते रहे थे । माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि हमारे जी0 डी0 में यह बात इन्ट्री है । तो मान्यवर, जी0 डी0 तो दरोगा के पास होती है । माननीय नेता विरोध दल के पास, यदि वे दरोगा नहीं हैं तो यह बात कैसे आ गयी ? उनके बोलते समय यदि हमारे पक्ष का कोई सदस्य बीच में टोक देता है तो वे नाराज हो जाते हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल जी, जब आप हमारी तरफ देखिये तो जरा मीठी नजरों से देखें ।

मान्यवर, अपने भाषण के दौरान अब वे माननीय मुख्य मंत्री जी कोई बात कहना चाहते हैं तो वे मुख्य मंत्री जी का नाम लेकर कहते हैं कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार । बड़े शान से राजा शब्द का उच्चारण करते हैं । उनको मैं बता देना चाहता हूं कि राजा का मतलब क्या हुआ करता है ? राजा का मतलब है कि अच्छा इन्सान । यद्यपि वे राजा शब्द कह कर अपने मन का कलुष निकालते हैं लेकिन यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा राजा व्यक्ति मुख्य मंत्री के रूप में मिला है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों का थपथपाया जाना ।)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी दिल से राजा हैं, विचारों से राजा हैं, अपने कार्यक्रमों में वे राजा हैं, यह बात मैं कह सकता हूं कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में अच्छे इन्सान हैं, बढ़िया इन्सान हैं, इसलिये मैं....

श्री विजय सिंह राना--

यह बजट पर बोल रहे हैं ।

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--

इसलिये मैं उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं मान्यवर, उनके बजट का मैं समर्थन इसलिये भी करता हूं कि उन्होंने पिछले 14-15 वर्षों के इतिहास को तोड़ा है । इन्हीं मुख्य मंत्री जी के शासनकाल में पिछला बजट समय से आया और आज यह बजट भी समय से आया है । हमारे बजट का हिस्सा हर जिले के

संख्या 8––ार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17––गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23––नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25––नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26––नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36––प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62––सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63––सतर्कता अनुभाग, अनुदान संख्या 67––सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68––सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77––सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15––गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24––नागरिक सुरक्षा विभाग

लिये हैं, मण्डल के लिये हैं । मण्डलों में एक–एक मंत्रियों को नियुक्ति करके इन्होंने इस बात का परिचय दिया है इससे प्रशासन में तेजी आयी है और जो विधायक लोग बेकार घूमा करते थे, वे चुस्त हो गये हैं । उन्होंने जो यह नई प्रणाली दी है, इससे प्रशासन का कार्य सुदृढ़ हुआ है । मान्यवर, मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में बिजली का उत्पादन बढ़ा, उद्योग बन्धुओं की स्थापना कर के देश में जो तमाम उद्योगों में लगे हुए थे, उन अवसर दिया । श्रमिकों का जो बकाया था मिलों पर, उसके लिए मिलों से कहा कि एक समय के अन्दर अगर रुपया नहीं देंगे तो लैण्ड रेवेन्यू की तरह से उसे वसूल किया जायेगा और डेढ़–पौने दो वर्ष के अन्दर अभी आन्दोलनों को मुख्य मंत्री जी ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया । भारत बन्द जैसे बड़े नारे को मुख्य मंत्री जी ने विफल कर दिया । ग्राम सभा के चुनाव 12 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में करा दिये और उसके कार्यक्रम घोषित किये । लखनऊ में उत्तर प्रदेश के देहात और गांवों के जो लोग हैं, उनके लिए पंचायत भवन का निर्माण कराया । डाकू विरोधी अभियान चलाया । गांवों के विकास के लिए गांवों में मकाने बनाने के लिए ग्रामीण विकास योजना लागू की।

जो बजट का रुपया है अगर हमें समय से दे दिया जाये तो समय से वह व्यय कर दिया जायेगा । मान्यवर, एक–दो सुझाव देना चाहता हूं कि प्रशासन के सम्बन्ध में, अभी तक थाने से 145 में जो जायदाद कुर्क की जाती है, वह थाने वाले रिपोर्ट करते हैं मैजिस्ट्रेट के पास लेकिन उसमें कोई न कोई कब्जा कर लेता है और जब मैजिस्ट्रेट फैसला देता है तो थाने वाले 4–7 महीने बाद उसे लागू करते हैं । तो पहले जो प्रणाली थी उसी को लागू किया जाये । इसका एक कारण यह भी है कि जो अधिकार एस0 डी0 एम0, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिया हमने जूडिशियरी मे नाम पर उस से प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के बीच में एक बड़ी खाई हो गई है । इन शब्दों के साथ में मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल––

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । जब मुख्य मंत्री कल अपना भाषण दे रहे थे तो श्रीमन् आपको भी लगा होगा कि वे जैसे बहुत थके हुए से थे । जैसा मुख्य मंत्री जी का लिखा हुआ भाषण हो । मुख्य मंत्री जी आज नहीं है यहां पर लेकिन एक रुपया नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव रखा है मुख्य मंत्री जी का देने का और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल 7 ग्रहण लगने वाले हैं, मुख्य मंत्री जी चार आने और मिलायें और सवा रुपये का किसी ग्रहण के दिन दान कर दें नदी के किनारे क्योंकि उन्होंने बार–बार संकल्प की बात की । चुनौती और संकल्प, चुनौती और संकल्प । तो अगर संकल्प के नाम पर राजेन्द्र सिंह जी दे रहे हैं तो चार आने अपनी जेब से मिलायें और ग्रहण के दिन सवा रुपये का संकल्प कर दें । इस

[श्री विद्या सागर नौटियाल—]

सरकार के पाप धुल नहीं सकते । मैं उस इलाके से आया हूं जहां आज भी घरों के अन्दर ताला नहीं लगता। लेकिन जब से यह सरकार सत्ता में आयी तब से हमारे घर-घर के अन्दर दहशत फैल गई ।

इस सरकार में, जो जनतन्त्र की बात करती है, आज गढ़वाल का चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है । आज से डेढ़ सौ साल पहले नेपाल और गढ़वालियों का युद्ध हुआ था, मान्यवर, 12 साल तक नेपालियों तथा गढ़वालियों ने लड़ाई लड़ी लेकिन 12 साल की उस लड़ाई के दौरान इतनी ज्यादा फौज गढ़वाल के अन्दर नहीं थी, जितनी हरियाना और पंजाब से चुनावों के दौरान विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने पी० ए० सी० के नाम पर और पुलिस के नाम पर बुलवाई थी । उस समय 11 हेलीकाप्टर गढ़वाल के अन्दर घूम रहे थे, यह बात वहां की जनता को हमेशा याद रहेगी। वहां 10 अप्रैल, 1981 को कोटद्वार के अन्दर गोलीकान्ड हुआ उसमें एक नौजवान मारा गया, जो कि हरिजन था और 18 घायल हुए थे । वहां पर माननीय ब्रह्मदत्त जी गए, बलदेव सिंह आर्य जी गए, मुख्य मंत्री जी ने इनको भेजा । उन लोगों ने कहा कि थानेदार आर्य को हटाया जायेगा, तहसीलदार, नेगी को हटाया जायेगा और जुडिशियल जांच होगी । आज श्रीमन्, एक विशेष जज साहब वहां नियुक्त कर दिये गए । जज सुरेश कुमार भार्गव इसकी जांच कर रहे हैं लेकिन आज भी कागजात सी० आई० डी० के पास हैं और वह थानेदार और तहसीलदार आज भी वहां मौजूद हैं और जब जनता का कोई आदमी गवाही देने की तैयारी करता है आयोग के सामने तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि अगर तुम गवाही देने गये तो तुम्हारे वापस आने से पेश्तर तुम्हारे बच्चे खत्म कर दिये जायेंगे । यह सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के जमाने में यह हो रहा है । मैं 3-4 तारीख को वहां था और फिर 13-14 तारीख को जनता की तरफ से आयोग के सामने उपस्थित हुआ । मैंने आयोग को बताया कि इस तरह से जनता में दहशत फैली हुई है तो आयोग कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उस थानेदार और तहसीलदार का तबादला होना चाहिए । माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इतने विद्वान और दार्शनिक मुख्य मंत्री हैं इनके रहते हुए हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्र के अन्दर एक दाना भी अनाज नहीं रह गया है । पूरे पहाड़ के अन्दर एक भी दाना अनाज नहीं है । कहीं तेल नहीं है, कहीं चीनी नहीं है । पूरे पहाड़ के अन्दर भुखमरी फैली है और यहां पर मुख्य मंत्री जी बड़ी-बड़ी घोषणायें करते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि थापर कम्पनी से इस सरकार के कर्णधारों ने कितना रुपया लिया था । वहां 300 मजदूरों को एक साथ हटाकर गुन्डे बुलाये गए । मैं श्रम मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 300 मजदूरों को हटाने के बाद उनकी जगह पर गुन्डे लाये गए और आज भी टिहरी के अन्दर फौजी प्रशासन के बल में वह कम कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

आप ऐसी घोषणा न करें मान्यवर । अभी कैसे मेरा समय समाप्त हो सकता है । अभी मेरी जिन्दगी के बहुत अरमान बाकी हैं । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री मुईद अहमद--

माननीय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो सामान्य प्रशासन तथा दूसरा बजट रखा गया है। उसका समर्थन करते हुए और नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 11 करोड़ जनता के दिल और दिमाग में जो भावना इस 20 महीने की विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से जागी है, वह सबसे बड़ी भावना यह जागी है कि यह सरकार डाकुओं का सफाया कर रही है। इसके लिए मैं चुनौती देता हूं। आप चुन कर आये हैं और आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने क्षेत्र की जनता के दिल व दिमाग की बातों को यहां कहते हुए उनकी बातों को उनकी आवाज को यहां भी बतलावें। मैं फिर दोहरा रहा हूं और मैं पुनः उन सिपाहियों और पुलिस कर्मियों को बधाई देता हूं। बारबार 6 महीने से जब सदन शुरू होता है तब फर्जी मुठभेड़ की बात भाषण में सुनता हूं। किसी विरोधी पक्ष के सदस्य ने कभी यह नहीं कहा कि डाकू भी मारे जा रहे हैं दुष्ट भी मारे जा रहे हैं। डाकुओं और दुष्टों का दलन हो रहा है यह किसी सदस्य ने नहीं कहा। अगर आप चुन कर आये हैं तो आपको अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को यहां उठाना चाहिये। तथा पुनः बधाई दीजिये, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगिये।

माननीय, अगर ये फर्जी मुठभेड़ होते तो इतने पुलिस कर्मी अपनी जान न देते और शहीदों में अपना नाम दर्ज न कराते। बड़े शौक से कहते हैं कि छबिराम पुलिस द्वारा नहीं मारा गया है। अगर उसे पुलिस वालों ने नहीं मारा है तो और किसने मार दिया? आपने मारा या आई० जी० ने मारा?

(व्यवधान)

मैं पुनः कहता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर सिपाहियों और पुलिस कर्मियों द्वारा ही डाकुओं और चोरों तथा दुष्टों का सफाया होगा चाहे इसके लिए आप कितना ही चिल्लायें और नारे लगायें। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

सुझाव के रूप में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो कारतूस बनाने वाली फैक्टरीज हैं उनके ऊपर उसी तरह का नं० डलवाने की व्यवस्था करा दें जिस तरह से नोटों पर गवर्नर का दस्तखत होता है और नं० होता है और इसके साथ ही यह व्यवस्था भी करा दें कि इस नं० से इस नं० तक का कारतूस फलां दूकान पर रहेगा और इस नं० से इस नं० का कारतूस फलां दूकान पर रहेगा। इससे यह होगा कि जब कोई कारतूस या खोखा किसी डाकू या चोर के पास से बरामद हो तो पता चल जायेगा कि किस दूकान से यह कारतूस लिया गया है। तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री म ईद अहमद---]

ला ऐंड आर्डर, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा सामान्य प्रशासन दुरुस्त है तो सारा प्रशासन दुरुस्त होता है । मैं आपको इतनी बात बतला दं कि अगर ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था दृढ़ हो जायेगी, ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था मजबूत हो जायेगी तो सारा प्रशासन अपने आप ठीक हो जायेगा । स्मगलर चोर डकैत के साथ-साथ जितने भी क्रीमिनल्स हैं वे भी डरने लगेंगे ।

इसके अलावा मेरा एक सुझाव और है कि क्राइम्स ड्राइव जो पुलिस चलाती है उनके लिए कोई संख्या न बांधी जाय । क्राइम्स ड्राइव जो 15 या 20 दिन के लिए चलाया जाता है, वह चलता रहे ठीक है वह पहले जैसा ही चलता रहे लेकिन संख्या बांध देने से क्राइम्स की फर्जी संख्या बहुत दी जाती है । इन शब्दों के साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी बढ़ गयी है और तमाम सारे काम बढ़ गये हैं उसके अनुपात में पुलिस की संख्या बहुत कम है । 10, 15 वर्ष पहले जो पुलिस कर्मियों की संख्या थी करीब-करीब वही आज भी है । आप पुलिस की संख्या बढ़ाइये मुंशी व दरोगा की संख्या को बढ़ाइये । थाने पर आज भी 10 साल पहले जितने ही सिपाही हैं । इन शब्दों के साथ में जो चुनौती विरासत में मुख्य मन्त्री जी को मिली है, उसका जिस तरह से वे सामना कर रहे हैं, उसके लिए उनको बधाई देता हूं और इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं ।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, अभी जैसा कि माननीय नौटियाल जी ने बताया गढ़वाल मंडल और कुमायूं मंडल में ग्रामीण अंचलों में ताले नहीं लगाये जाते थे और आज भी नहीं लग रहे हैं । लेकिन मौजूदा सरकार क्योंकि पुलिस पर ही निर्भर है, यह हमारे ग्रामीण अंचलों में भी पुलिस भेज रही है । कुमाऊं में क्षेत्र समितियों के द्वारा जिला परिषद् के द्वारा गढ़वाल में क्षेत्र समितियों के द्वारा, जिला परिषद् के द्वारा, इस का विरोध किया गया कि ग्रामीण अंचलों में पुलिस न भेजी जाय । लेकिन मान्यवर, यह इनकी हठधर्मी है । मैं आप को याद दिलाऊं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र विकास खण्ड सल्ट में पुलिस तैनात कर रखी है । वहां कोई भी खतरा वगैरह नहीं है लेकिन उनको तैनात कर रखा है और उनका आज एक नया धन्धा बन रहा है । पहले पहले तो दुखी थे । खाना नहीं मिल पा रहा था । और अब कोई गाड़ी उधर से जाती है तो दस रुपये नहीं दिये तो ड्राइवर को, दूसरों को परेशान करते हैं ।

इस बीच में स्वयं अपने क्षेत्र में जा रहा था एक ट्रक में । डीजल का अभाव था । रास्ते में मुझ वहां के जो थानेदार थे और दो सिपाही मिल गये । आप जानते हैं मुझे कोई विधायक नहीं बतलाता । ट्रक रोकी और जगह नहीं मिली । ट्रक में मैं स्वयं बैठा हुआ था । वे अकड़ कर बोले हम को बिठलाओ यहां पर । ड्राइवर ने कहा जगह नहीं है विधायक जी बैठे हैं । विधायक सुनने पर वह जरा हिचकिचाये और कहने लगे बाद में हम तुम को देखेंगे । मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार हम पर कृपा करे । पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों में जो पुलिस बैठी है, उसे वापस बुला लें । पटवारी वहां रेवेन्यू का काम करता है और पुलिस का काम भी करता है । उनको कुछ सुविधायें दें । अभी उनकी हड़ताल चली थी । माननीय ब्रह्म दत्त जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से दस दफे मिला और उनसे कहा कि इनकी मांगों पर विचार करें और जल्दी रिपोर्ट दे दें। मेरा अनुरोध है कि सरकार जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं को समझे और उनकी जो न्यायोचित मांगे हैं उन को स्वीकार करे।

इसके अलावा दो बातें और कहना चाहता हूं। पहले हमारे गांवों में सरकारी कर्मचारी देखने को नहीं मिलते थे। अब वहां सरकारी कर्मचारियों की फौज जमा कर दी है। उनका एक मात्र काम है गांवों वालों को लूटना। कोई सरकार। कर्ज के नाम पर लूट रहा है। कर्ज दे नहीं पा रहे हैं लूट खूब रहे हैं। कोई दूसरे नाम पर लूट रहे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है अगर इस सरकार के अंदर सद्बुद्धि आ जाय यह बहुधन्धी कार्यकर्ता नियुक्त करे जो सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों के बारे में गांवों वालों को जानकारी दे।

एक चीज और कहना चाहता हूं। इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में भयंकर भुखमरी फैली हुई है। ट्रकों की हड़ताल चल रही है आप सब जानते हैं। बरेली, मेरठ डिवीजनों से हमारे यहां माल जाता है। टनकपुर, राम नगर, हलद्वानी, कोटद्वार और ऋषिकेश हमारी खास मण्डियां हैं। हड़ताल की वजह से अनाज का एक दाना नहीं आ रहा है, साक सब्जी, गुड़, तेल, कुछ नहीं जा रहा है। मैं आप के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर तत्काल ध्यान देकर व्यवस्था कराये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सतीश अजमानी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, महान प्रदेश के महान मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जिनके कर्मठ, ईमानदार नेतृत्व में यह प्रदेश चल रहा है द्वारा रखे गये बजट को हृदय से स्वागत करता हूं और विरोधी दल के नेता द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। श्रीमन् पिछले कुछ समय से जब-जब छविराम का नाम आता है तो तब-तब उसके साथ मेरा भी नाम जोड़ दिया जाता है...

(व्यवधान)

मान्यवर, तीन महीने बाद बोल रहा हूं, जरा शांत रहें। मैं निवेदन कर रहा था कि छविराम के साथ मेरा नाम भी जोड़ दिया जाता है यह एक अलग बात है लेकिन उसके साथ-साथ जो विरोधी दल के लोगों को मेरे नाम के साथ स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण का नाम भी जोड़ना चाहिए राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री भैरो सिंह सेखावत का नाम भी जोड़ना चाहिए जिन्होंने डाकुओं का आत्म-समर्पण अपने राज्य में करवाया था।

[श्री सतीश अजमानी---]

• श्रीमन्, श्री जय प्रकाश नारायण जी के कार्य में और मेरे कार्य में केवल इतना ही फर्क है कि जय प्रकाश जी ने केवल श्रेय ही श्रेय लिया डाकुओं के पास आने का, काम दूसरे लोगों ने किया सुन्दरता और मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर और जवानी को खतरे में डालकर यह हाउस की चका चौधन को भुला करके अपने बीबी और बच्चों को मोह त्याग कर देश और प्रदेश की जनता की भलाई के लिए यह कदम उठाया। दोनों अलग चीजें हैं। श्रीमन् डाकुओं से मिला होना और आत्मसमर्पण के लिए प्रयास करना।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप अपने भाषण में यह भी स्पष्ट कर दें कि आपने अपने जीवन को खतरे में डालकर वह कार्य किया जो कि जय प्रकाश जी ने किया था तो क्या आपको यह मालूम था कि छविराम के ऊपर एक लाख रुपये का इनाम रखा गया है ?

श्री सतीश अजमानी---

मैंने नहीं कहा कि मैं छबिराम से मिला, मैंने कहा कि मैंने छविराम से मिलने का प्रयास किया। मान्यवर, डाकू से मिले होना और आत्म-समर्पण कराना ये दोनों भिन्न-भिन्न बातें हैं। दोनों में बहुत अन्तर है। मान्यवर, गांधी जी ने कहा था कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं। मैं गांधी जी या जय प्रकाश तो नहीं हो सकता लेकिन उनके बनाये रास्ते पर, उनके उसूलों पर चलने का प्रयास जरूर करता हूं। श्रीमन्, विरोधी दल तो अपन नेता जय प्रकाश नारायण के भी न हुये जिसने इनको सत्ता पर बिठाया। जय प्रकाश नारायण ने आप लोगों का साथ दिया। जब वे जिन्दा थे, तब भी आपने उनको चैन से नहीं रहने दिया आपस में आप लोग लड़ते रहे और आज जब वह मर गये इस दुनियां को छोड़ कर चले गये, तो भी उनके उसूलों का पालन आप आज नहीं करते हैं और न हमारे जैसे लोगों को उन उसूलों का पालन करने देते हैं। उसमें भी आपको परेशानी है। यह आपके नेता जय प्रकाश जी ने कहा था कि आत्मसमर्पण अच्छी बात है।

(व्यवधान)

प्रश्न यह उठता है कि ये डाकू किसने पैदा किये ? सन् 1977 से लेकर सन् 1980 तक जनता पार्टी के राज में आजादी के नाम पर, आपने डाकू को डाका डालने की आजादी दे दी, कातिल को कत्ल करने को आजादी दे दी, चोर को चोरी करने की आजादी दे दी थी। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि डाकुओं के अन्न-दाता विरोधी दल वाले हैं। हमारे विरोधी दल के एक नेता माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त इस समय आज हाउस में नहीं है। उन्होंने कहा था कि छविराम के साथ अजमानी हाथ मिला रहा था। राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी क्या मुझ को देख रहे थे कि मैं हाथ मिला रहा था, लेकिन मैं यह कहता हूं कि राजेन्द्र कुमार गुप्ता छविराम के पांव छू रहे थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कोई सबूत हो उनके पास तो बतायें, मैंने ऐसा सुना है कि विरोधी दल के लोग छविराम के पांव छुवा करते थे ऐसा मैंने सुना है। अगर मैंने उनसे हाथ मिला लिया जैसा राजेन्द्र गुप्ता जी ने सुना है तो कौन सा आसमान टूट गया। मान्यवर, कोई गलत व्यक्ति अगर सच्चाई के रास्ते पर आ जाये गलत काम को छोड़ कर तो मैं आज भी उन लोगों से हाथ मिलाने

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63--सतर्कता अनुभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

के लिए तैयार हूं। राजेन्द्र गुप्ता जो ऐसी पार्टी के सदस्य हैं, जनसंघ जो कि देश का विभाजन करना चाहती है, जो देश के टुकड़े-टुकड़े करना चहती है अगर वह अपनी उस गलत पार्टी को छोड़ कर श्रीमती गांधी को सही पार्टी में आ जाये जो देश के हित में है जो देश के गरीबों का नेतृत्व कर रही हैं, मैं उनसे हाथ मिलाना तो क्या उनके गले लगने को भी तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये। आपने एक प्राविधान बना दिया है कि किसी के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होगा, किसी पार्टी विशेष को इस तरह से लांछित नहीं किया जायेगा। हमारे परम मित्र आजमानी साहब जो मेरे जिगरी यार हैं, एक पार्टी विशेष पर आक्षेप लगा रहे हैं कि वह पार्टी देश का विभाजन करना चाहती है, तो इसे कार्यवाही से निकाल दें।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

यहां पर इंदिरा गांधी पर इलजाम लगाया जाता है। वैसे भी अब जनसंघ कोई पार्टी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शांत रहे।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आरम्भ से जनसंघ कार्यकर्त्ता रहा हूं और आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्त्ता हूं मेरा विश्वास है मैं उस पार्टी का वफादार सिपाही हूं जो एक आदर्श पर चलती है।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है

(व्यवधान)

जनसंघ अब कोई पार्टी नहीं है ।

श्री सतीश अजमानी—

वर्तमान सरकार को मेरा एक सुझाव है कि जहां दस्यू उन्मूलन आप चला रहे हैं, वहां साल में एक महीना चाहे वह अंत में हो या शुरू में हो ऐसा रखें कि जो लोग गलत रास्ते पर जा चुके हैं अगर वह आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उनके उस एक महीने में कुछ न कुछ सहूलियतें दे कर आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए क्योंकि अकसर यह देखा गया है कि अगर घर में बिल्ली भी घुस आती है और हम उसे निकालना चाहते हैं । मारते समय उसके लिए दरवाजा खुला रखते हैं ताकि वह घर से बाहर अपने आप निकल जाय । जो दस्यू उन्मूलन के साथ-साथ आत्मसमर्पण करना चाहते हैं उनको कुछ न कुछ सहूलियत दी जानी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सतीश अजमानी—

श्रीमन्, अंत में मुझे कहना है कि आज जो प्रदेश में ट्रकों की हड़ताल चल रही है इस पर सरकार खासतौर से तवज्जह दे क्योंकि उसका आम व्यक्ति से जनजीवन से बहुत ही ज्यादा सम्बन्ध है । इन शब्दों के साथ में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विरोधी दल द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

[× × ×]

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, आप बिना इजाजत बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वह कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा ।

श्रीमती विमला राकेश—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन पर बोलने की स्वीकृति दी । मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं । मान्यवर, मुझे इस

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

बात की खुशी है कि इस देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एक महिला हैं मुझे यह भी खुशी है कि इस प्रदेश की गृह मंत्री, श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी भी एक महिला हैं, जो इस प्रदेश के पुलिस प्रशासन को चला रही हैं। मान्यवर, मुझे यह भी कहते हुए संकोच का अनुभव नहीं हो रहा है कि एक महिला के प्रधान मंत्री होते हुए और एक महिला के प्रदेश का गृह मंत्री होते हुये भी महिलाओं पर अत्याचार हो, व्यभिचार हो, उनकी इज्जत लूटी जाती हो, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किये जाते हों, उनको नंगा नचाया जाता हो और उनकी नंगी तस्वीरें नगर के प्रमुख चौराहों पर देखने को मिलती हों, मान्यवर, इससे अधिक लज्जाजनक तथा शर्मनाक बात माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के लिए और इस सरकार के लिए और क्या हो सकती है ?

मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगी, मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूगी, इस कांग्रेस सरकार से कहना चाहूंगी कि वह महिलाओं के आत्म सम्मान को गिरने न दें, उनको सुरक्षा हो और वह सम्मान के साथ अपना जीवनयापन कर सकें। उनको कोई संरक्षण दे। जहां तक शान्ति व्यवस्था की बात है शान्ति व्यवस्था पर लाखों-करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, फोर्स बढ़ाई जा रही है, थाने खोले जा रहे हैं, अई० जी०, डी० आई० जी० बढ़ाए जा रहे हैं, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि फिर भी शान्ति व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, बसें लूटी जा रही हैं, ट्रेनें लूटी जा रही हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, दिन-दहाड़े चोरी, डकैती, राहजनी व कत्ल हो रहे हैं। मान्यवर, आज हरिजनों का नरसंहार किया जा रहा है, हरिजनों की सामूहिक हत्याएं की जा रही हैं, आए दिन सवर्णों की बन्दूक से निकली गोलियां किसी भी बेकसूर हरिजन को मौत के घाट उतार जाती हैं उनको लूटा जा रहा है, उनकी बहू-बेटियों को अपनी बेहशी, हवोश का शिकार बनाकर, उनकी सम्पूर्ण जाति को अपमानित किया जा रहा है। मान्यवर, मैं सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोगों से कहना चाहूंगी कि वे जातिवाद से ऊपर उठकर ऊंच-नीच के भेदभाव को मिटाकर, अपनी स्वार्थपूर्ण राजनीति से बाज आएं। यदि समय रहते सही कदम नहीं उठाए गये, तो हिंसा की यह आग इस पूरे प्रदेश को जलाकर राख कर देगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगी कि यदि वे अपने 1 1/2 वर्ष के काले कारनामों का व्याख्यान सुनना चाहें तो सुनें, प्रदेश की बसों में बैठकर, देखना चाहें तो देखें रेलों में यात्रा करके और यदि सुनना चाहें तो सुनें प्रदेश के चौराहों पर खड़े होकर। यदि देखना चाहते हैं तो देखें प्रदेश में शांति व्यवस्था की स्थिति को देखें। मान्यवर जिस स्वराज्य को हमने 15 अगस्त, 1947 को प्राप्त किया था वह ही राम राज्य का जिसे महात्मा गांधी जी स्वप्न में सोचा करते थे, एक मात्र साधन है। गांधी जी अपने स्वप्नों के भारत की चर्चा करते हुए कहा करते थे कि मैं तो भारत को

[श्रीमती विमला राकेश---]

एक एसा जगमगाता हुआ सूर्य देखना चाहता हूं जो सूर्य की तरह से चमकदार हो और मंगलमय हो ।

मान्यवर, मैं अपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि आज गांव के लोग बुरी तरह से आतंकित हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं । गांव में अगर कोई पुलिस वाला जाता है तो लोग अपने-अपने घरों को छोड़ कर भाग जाते हैं । उनका इस पुलिस पर भरोसा नहीं है वह किसी भी बेकसूर हरिजन को मार कर या कत्ल करके डाकू बतला सकते हैं । मेरा सुझाव है कि जिन क्षेत्रों में कत्ल हों, डकैतिय पड़ें, उनमें तैनात अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाये और उसको उचित दंड दिया जाये । जिन क्षेत्रों में डकैतियां और चोरियां हों उस क्षेत्र के अधिकारियों को भी दंडित किया जाय और जिन क्षेत्रों में साम्प्रदायिक दंगे हों, उन क्षेत्रों के समस्त लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर सामुहिक जुर्माने किए जाएं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

श्रीमती बिमला राकेश---

जितनी हमारी जनता है, उसको न्याय मिल सके और वह सुख से रह सके और संतुष्ट हो । अंत में, मैं चाहूंगी कि हाई कोर्ट की एक बेंच मेरठ में स्थापित हो जिससे उधर के लोगों को सस्ता न्याय मिल सके ।

(व्यवधान)

इन शब्दों के साथ मैं पुनः विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं, मश्कूर हूं कि आपने मुझे इस सामान्य प्रशासन के अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, कल से आज तक मैं बड़ी गौर से इस पक्ष के और उस पक्ष के लोगो के विचारों को सुन रहा था । माननीय नेता, विरोधी दल और उनके तमाम साथियों ने अपनी शासन व्यवस्था की दुहाई देते हुए इस बात की नाजायज कोशिश की है कि कांग्रेस सरकार असफल रही है और वह भी हर पहलू पर । मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक शब्द है जिसको मेडिकल दुनियां में मान्सटर (राक्षस) चाइल्ड कहा है । यह उस बच्चे को कहा जाता है जिसके बच्चे के कई पैर हों कई सिर हों, कई हाथ हों, नाक हों व आंख हों । उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान की पावन धरती पर एक ऐसा बच्चा 1977 में पैदा हुआ जिसका नाम था जनता पार्टी । मान्यवर, जिस परिवार में ऐसा बच्चा जन्मता है उसे राक्षस व अशुभ समझते थे । इस देश में एक ऐसी पार्टी ने जन्म लिया था जो इस देश के अशुभ साबित हुई

(व्यवधान)

मान्यवर, वह दिन देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब उस बच्चे का जन्म हुआ था, अर्थात् जनता पार्टी का जन्म हुआ । मान्यवर, यह आरोप लगाते हैं कि शासन में रहने वाले लोग भ्रष्ट हैं शासन कानून व्यवस्था कायम रखने में असफल रहा है इसप्रकार के तरह-तरह के आरोप आपने लगाये हैं, मैं आपके सामने एक पत्र पढ़ना चाहता हूं जो माननीय राजनारायण के सगे चाचा जी श्री देवी प्रसाद मिश्र का है । वह एक भूतपूर्व विधायक एवं एक डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं । यह पत्र उन्होंने शिक्षा मंत्री जी को लिखा है जो 22-9-81 का है, इसे मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

(शोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय जैतली साहब, जिस पत्र को आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने से पूर्व आपको उसकी एक प्रति मुझे देनी चाहिये थी, नियमों के अनुसार, तभी आप उसे पढ़ सकते थे।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मैं उसका हवाला दे रहा हूं, मान्यवर, उसकी एक ही कापी मेरे पास है, इसको मैं आप के पास भिजवा रहा हूं ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी विरोध पक्ष के एक माननीय सदस्य मुरादाबाद ने, माननीय उप नेता लोकदल तथा अन्य लोगों ने उधर से कई पत्र पढ़े और अखबारों का हवाला दिया, पेपर्स को पढ़ कर सुनाया । तो मैं व्यवस्था आपकी चाहता हूं कि क्या विरोध पक्ष को इसका अधिकार है कि वे बिना उसकी कापी आपको दिये उसे पढ़ दिया करें ?

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, यह आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं ।

एक सदस्य--

यह पहले जब इधर विरोध पक्ष में बैठते थे तब भी ऐसी ही बातें किया करते थे ?

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मैं उस पत्र का हवाला दे रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

उसकी कापी मुझे भेजना चाहिये थी ।

(व वधान)

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, यह पत्र मिश्रा जी ने माननीय शिक्षा मंत्री को भेजा है मैं आपके पास भेज रहा हूं ।

(व्यवधान)

यह इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से इन लोगों ने अपने समय में सत्ता का दुरुपयोग किया है ।

(व्यवधान)

दूसरी बात मैं माननीय विरोध पक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि माननीय राम नरेश यादव जी ने जब अकबरपुर में श्रमिकों पर गोली चलवाया थी तो उन्होंने स्वयं एक हाई पावर कमेटी श्रमिको की मांगों पर करने के लिये बुलाई थी । उस कमेटी की मिनट में लिखा है जिसको शासन के अधिकारियों द्वारा सदन से छुपाया गया । उस मीटिंग की मिनट में आपको माननीय राम नरेश यादव जी ने कहा कि जिन लोगों ने हमारी मदद की है, उनकी मदद होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

इसी सम्मानित सदन के अन्दर और विधान परिषद् के अन्दर भी जो कुछ नियम 51 ब 105 में कहा गया वह सत्य को छुपा कर सदन को माननीय राम नरेश यादव माननीय बनारसी दास जी ने गुमराह किया सदन को गलत सूचना दी। सदन के अन्दर उन तथ्यों को रखा गया जिसके बिल्कुल विपरीत जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी है । वह रिपोर्ट आज भी मेरे पास मौजूद है वह देखी जा सकती है । मगर यहां इस सदन में और उस सदन में, अर्थात् परिषद् में, माननीय राम नरेश यादव जी, माननीय बनारसी दास जी ने जिस तरह से तथ्यों को छुपाया है, उसके खिलाफ मैं चाहता हूं कि यह सदन एक निन्दा का प्रस्ताव पारित करे । इस सदन को भी यह मालूम होना चाहिये कि किस तरह से उन्होंने रिपोर्ट के खिलाफ तथ्यों को यहां रखा.. मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ आप से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिस मुस्तैदी के साथ कानून-व्यवस्था में कामयाब रही है, हमारे विरोधी पक्ष को उसकी तारीफ करनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त ।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रियदर्शी जंतली--

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि शासन व जनता के हित में आवश्यक हो गया है कि पुलिस विभाग में ला एन्ड आर्डर तथा इन्वेस्टीगेशन की दो अलग-अलग शाखायें करें। इससे कार्य कुशलता भी बढ़ेगी व भ्रष्टाचार में भी कमी आयेगी और शासन की तस्वीर भी अच्छी बनी रहेगी। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं बहुत ही सीमित बिन्दुओं पर अपने आप को सीमित रखूंगा और मैं चाहता हूं श्रीमन्, मेरी बात को कृपा करके सुनें। मान्यवर, मैं किसी के बोलने में अव्यवस्था नहीं डालता हूं और मेरा अनुरोध है कि मेरे बोलने में भी कोई अव्यवस्था न डाली जाय। मान्यवर, आज ही इस माननीय सदन में लोक लेखा समिति की तीन रिपोर्टस पेश हुई हैं और वह रिपोर्ट्स ज्यादा तर सामान्य प्रशासन की व्यवस्था चल रही है और विगत वर्ष में क्या क्या रही है तथा वर्तमान में क्या है, उस पर प्रकाश डाला है।

मैं श्रीमन्, विशेष रूप से आपका ध्यान मान्यवर, आपके माध्यम से इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ब्योरेक्रेसी एक ऐसा अड़ियल घोड़ा है कि इसको दौड़ाने के लिए जो चालक हैं, जो घुड़ सवार हैं, उसकी रानों में ताकत होनी चाहिये और मैं इस बात को इसलिए विशेष रूप से कहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी नाम का यह अड़ियल घोड़ा जब तक ताकत से नहीं दौड़ाया जायगा, तब तक इसकी स्पीड में वृद्धि नहीं आयेगी और न यह आगे बढ़ेगा। श्रीमन्, आप तो एक राजा हैं और राजा को भी यह बताना पड़ेगा कि घोड़ा कैसे दौड़ाना पड़ेगा? मैं यह आपसे श्रीमन्, अनुरोध करूंगा कि आप इस ब्यूरोक्रेसी नामक घोड़े पर और ताकत लगायें, तभी इसकी चाल में वृद्धि आ पायेगी। श्रीमन्, एक बात की ओर आपका ध्यान मान्यवर, आपके माध्यम से मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि टाप से ब्यूरोक्रेसी को लेकर नीचे तक जो आपके प्रशासन का रवैया है, उस पर आपकी दृष्टि जानी चाहिये।

हरिजनों से सम्बन्धित बहुत से आपके जी0 ओज0 हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो उसका उल्लंघन करेंगे, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी, उसको एडवर्स इन्ट्री दे दी जायगी, उसका प्रोमोशन रोक दिया जायगा। तो मैं श्रीमन्, यह जानना चाहता हूं कि वह जी0 ओ0 मान्यवर बता दें कि कौन सा जी0 ओ0 है जिसका कि आज अनुपालन हो रहा है और उन जी0 ओज0 में से किसी भी जी0 ओ0 का इस प्रशासन में अनुपालन हो रहा है? नहीं हो रहा है मान्यवर। यही कारण है कि इस 30-35 सालों में आज आरक्षण क्लास वन में 5 परसेंट, क्लास टू में 9 परसेंट, क्लास थ्री में 13 परसेंट और क्लास फोर्थ में भी 14-15

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट---]

परसेंट से अधिक नहीं बढ़ सका । मान्यवर, इससे साबित होता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी इन सारे प्राविजनों के होने के बावजूद भी कुछ करना नहीं चाहती ह या करने का इरादा नहीं रखते हैं ।

मान्यवर, समाज के सामने दो ही खासतौर से मुद्दे हैं । एक तो है आर्थिक व्यवस्था और उसको समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाना पड़ेगा । मान्यवर, अगर आप कर सकें तो जमीन की व्यवस्था जो है, उसको आप फिर से करें । जमीन आप सबको लेकर बराबर सबको बांट नहीं सकते । लेकिन अगर आप इस जमीन को बांट दें और यदि ऐसा हो जाय, तो यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, लेकिन इसको आप कर नहीं सकते और अब उनके सामने केवल सर्विस का ही रास्ता रह जाता है । दूसरी समस्या आती है सामाजिक विषमता की । गांव गली में रहने वालों का आज इज्जत सुरक्षित नहीं है । मेरा निवेदन है कि गांव गली में रहने वाला व्यक्ति आज यह चाहता है कि भले ही उसे बाजरे की रोटी खाना पड़े लेकिन जब वह चौराहे पर निकले तो उसकी इज्जत हो । जाति बिरादरी के नाम पर उसकी बहू-बेटियों की इज्जत न लूटी जाय । उसके समाज में, जाति बिरादरी के नाम पर उपेक्षा न की जाय । यदि माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसा कर सकें तो मैं समझता हूं कि बहुत क्रांतिकारी कदम यह होगा । मान्यवर, आज गांव-गली से जो आवाज उठ रही है मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं--

हमारी सदा को दबाना खैर मुमकिन है,
मगर हयात की तलवार कौन रोकेगा ।
फसीले आतसी आइन बहुत बुलन्द सही,
बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा ।
नए खयाल की परवाज रोकने वालो,
नए आवाम की तलवार कौन रोकेगा ।

मान्यवर, जो आवाज गांव गली से उठ रही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं--

वक्त को जिसने नहीं समझा,
उसे मिटना पड़ा है ।
बच गया तलवार से तो,
फूल से कटना पड़ा है ।
चाहे जितनी ही बड़ी हो,
चाहे जितनी ही कड़ी हो,
हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

[समय 4 बजकर 2 मिनट]

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आदरणीय सदन में सम्मानित सदस्य चाहे विपक्ष के हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों, बहुत से लाभदायक सुझाव दिये हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने कल उनके सुझावों को सुना तथा आज हमने शासन की तरफ से माननीय सदस्यों को सुना और सुझाव नोट किया। शासन की ओर कुछ निश्चित तौर पर लाभदायक सुझाव थे, उनको कार्यान्वित करने के निर्देश दिये गये हैं। मान्यवर, आज समय की सीमा है कल माननीय नेता विरोधी दल ने असीमित समय में बहुत से बिन्दु उठाये। आज आपकी घड़ी 4 बजा रही है। कार्यवाही को पूरा करने की जो प्रक्रिया है, माननीय मुख्य मंत्री उत्तर देंगे और बहुत से माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष के विचार प्रस्तुत करेंगे। मान्यवर, समय की सीमा को देखते हुये मैं कुछ बातों को कहूंगा और एक पत्र प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे पास एक पत्र है किसी को भेज दें मैं इसकी कापी आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं, मैं सील आपके सामने तोड़ रहा हूं। मान्यवर, एक पत्र के माध्यम से जो आरोप या प्रत्यारोप हैं, उसमें सुधार करने के लिए उस बिन्दु तक कहने का प्रयास मैं करूंगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे मित्र गौरी शंकर ने एक बहुत बढ़िया कविता के माध्यम से कुछ बातें कही हैं। एक कविता मैं भी कहना चाहता हूं। सुनना तो मोहन सिंह को चाहिये था लेकिन वह हैं नहीं। श्रीमन्, कविता सुनना आवश्यक है और श्रीमन्, कविता यह है--

सफर में गीत हमको हौसले से गुनगुनाने हैं,
हमें खुद रास्ते में मोल के पत्थर लगाने हैं।
जरा सी धूप लगने दो, बदल जायेंगे पानी में,
यह पर्वत बर्फ के बस देखने भर को सुहाने हैं,
हमारी धमनियों में खून है फिर सोचते हो क्यूं,
हमें जलते हुये अंगारे, मुट्ठी में उठाने हैं।

मान्यवर, श्री मोहन सिंह का कहना है कि वह पुराने सदस्य हैं और हम लोग नये हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, लेकिन वह इस समय हैं नहीं, कि जब कोई उनको अनर्गल बात कहनी होती है तो वह कहते हैं कि हम पुराने सदस्य हैं। इसलिए मान्यवर, मैं अपने मित्रों को सुनाना चाहता हूं कि--

यहां जिन्दा रहे कैसे इसी से पूछ लेते हैं,
यह कहते हैं इस मुल्क में सबसे पुराने हैं,
लेकिन जरा सी रोशनी देकर यह सारा घर जला देंगे,
उठो जल्दी करो ऐसे दिये हमको बुझाने हैं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

मान्यवर, अभी तो जले नहीं और जो जल रहे हैं उनको बुझा रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल ने पुलिस पर प्रहार करते हुए कुछ मुद्दों पर कहा, उनको गिनाया नहीं जा सकता है लेकिन एक मुद्दा इंकाउन्टर को भी उन्होंने चुना और कहा अंग्रेजी में लेकिन उसका उत्तर मैं अंग्रेजी में दूं तो कहा जायेगा कि यहां भी इंकाउन्टर कर रहे हैं। मान्यवर, इंकाउन्टर तो एक मजबूरी हो गयी है, इच्छा नहीं है, यह इंकाउन्टर विवशता है। इसलिए पुलिस के जो लोग काम करते हैं, बहादुरी करते हैं, जान देते हैं, मारे गये हैं और मारे जायेंगे, लेकिन कुछ लोगों की नजर में एक मर्ज आ गया है जैसे पीलिया रोग किसी को हो जाता है तो उसको पीला ही पीला दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार का रोग विरोध पक्ष को हो गया है।

मान्यवर, मैं विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आदरणीय नेता विरोधी दल ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और बहुत ही बैलेंस बातें कही हैं, लम्बी-चौड़ी कही, चाहे उसमें तथ्य न रहा हो यह बात अलग है लेकिन उन्होंने शालीनता से कही हैं, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मान्यवर, उन्होंने एक बात कही कि जब पुलिस के लोग मारे गये, उन्होंने कृपा किया और कर्तव्य पालन किया और श्रद्धांजलि अर्पित किया एवं नमन किया। उन्होंने कहा जब पुलिस के लोग मारे गये, छविराम मारा गया तो एक लाख रुपये के इनाम में उन्हीं के साथी को ज्यादा हिस्सा दे दिया जाय। इससे इनको शंका हो गई है कि उसी के साथी ने उसको मरवा दिया है। डकैतों के बारे में शंका करें तो इसके क्या सबूत हो सकते हैं? मान्यवर, आपके पत्र मेरे पास जो है उसको मंगवाया नहीं क्योंकि उस पत्र की आवश्यकता आ गयी है, पत्र को मंगवा लें और मुझे उसके पढ़ने की इजाजत दे दें। इस स्थिति में आदरणीय सदन का जो इतिहास लिखा जायेगा उसमें जो सबूत हैं, वह अंकित होंगे, उनको पढ़ा जायेगा और शोध ग्रन्थों में उनको अंकित किया जायेगा। मान्यवर, नेता विरोधी दल अच्छे आदमी हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं है लेकिन उनका दुर्भाग्य से उस दल से सम्बन्ध है, जहां इनके लोग इन्हें बहुत दबाने की कोशिश करते हैं, वह बहुत बड़े नेता हैं, नाम नहीं ले सकता हूं, उनके तमाम अत्याचारों की कहानियां यहां नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन इस पत्र के माध्यम से उनके दल के एक आदरणीय सदस्य हैं, उनके सर्वोच्च नेता के रिश्तेदार और वह ऐसे रिश्तेदार जो उनके शासनकाल में उनको एक आदर दे रखा थी। उन्होंने विस्मय व आश्चर्य प्रकट करते हुए एक पत्र लिखा, मुझको लिखा, व्यक्तिगत तौर पर लिखा। उस पत्र के कुछ अंशों का मैं आपके सामने निवेदन करूंगा: उस पत्र की कापी आप देख लें।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया पत्र की कापी भेज दें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं। पत्र की कापी आपके पास भेज रहा हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि छविराम के मारे जाने से जहां प्रशंसा हुई है वहीं पर कुछ लोगों को निराशा एवं दुःख

(इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

हुआ है और उस दुख को प्रकट करने का एक दूसरा रास्ता निकाला गया और कहा गया कि एक लाख के इनाम में मथुरा सिंह को बड़ा हिस्सा दिया जाय।

डकैत का नाम लिया गया यहां पर कि उसको इनाम दिया जाय । कृष्णपाल पांडेय की धधकती चिता की ज्वाला ठंडी नहीं हुई थी और वहां पर प्रयास जारी था, छविराम के भागे हुए साथी और विस्वस्थ लोगों की तलाश जारी थी । यह डकैत जो व्यक्ति है उसका जाति दुर्भाग्य से अवश्य दूसरी है, जाति अपराधी की एक होती है । तो मैं इस मानसिकता के ऊपर आपके माध्यम से एक बार प्रहार करना चाहता हूं कि जो जाति के दायरे से निकल कर कुछ सोच भी नहीं सकते, कृपा करके जाति के दायरे से निकल कर सोचने की प्रकिया अपनायें । वर्तमान शासन ने जाति के आधार पर न तो कोई कार्य करने का निश्चय लिया है और न जाति के आधार पर किसी को सुरक्षा देने का कोई काम किया है । इसलिये आप पुरानी मानसिकता को त्याग कर नये वातावरण में सोचने का प्रयास करें। श्रीमन्, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, श्रीमन्, अगर पत्र आप तक पहुंच गया हो तो मैं पढ़ने के लिए आपकी इजाजत चाहता हूं । पत्र आपके कर कमलों में पहुंच गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे प्रसन्नता है कि मेरा काम अब आपने शुरू कर दिया है । मंत्री जी आप पत्र पढ़ें ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय गुरुदत्त सोलंकी, जो माननीय परम आदरणीय नेता चरण सिंह के रिश्तेदार हैं, उनके बारे में पत्र है उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं । उन्होंन लिखा है कि "प्रिय श्री राजेन्द्र त्रिपाठी जी. कुछ खेदजनक स्थितियां ऐसी हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं ।

हमारे कतिपय राजनीतिक नेताओं द्वारा अपने वक्तव्यों तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से यह बात बार-बार कही जा रही है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति शासन के नियंत्रण से बाहर हो गई है ।"

श्री कुबेर भण्डारी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

केवल पद-च्युत नेता ही नहीं, सत्ता पक्ष के कुछ नासमझ विधायक तक ऐसे वक्तव्य समाचार-पत्रों में छपवाते हैं । ऐसी विषम स्थिति बड़ी त्रासदायक होती है, क्योंकि जनमानस में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो जाना सभी जिम्मेदार व्यक्तियों

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---]

के लिए चिंतनीय हो जाता है । इस समस्या का निदान ढूढ़ने तथा उसका निराकरण करने के लिए हमें दलीय राजनीति से ऊपर उठकर उन पर विचार करना होगा ।

अभी कुछ दिनों से, संभवतः राजनीतिक कारणो से भी, यह बात विशेष रूप से उछाली गई है कि कानपुर, इटावा, मनपुरी तथा एटा जनपद विशेष रूप से डाकू प्रभावित क्षेत्र रहे हैं । यह भी बार-बार कहा गया है कि डकैतों तथा अन्य अपराधी को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता संरक्षण ही नहीं देते, उन्हें अपने निजी हितों के लिए अपना हथियार बनाये हुये हैं । कई नेताओं का डाकुओं से संपर्क तथा सहयोग जग जाहिर भी हो चुका है ।

इसी संदर्भ में मैं इस समय केवल एक जिले इटावा की स्थिति आपके सामने रखना चाहता हूं ।

पिछले कई वर्षों से लोकदल के प्रादेशिक अध्यक्ष, श्री मुलायम सिंह यादव का नाम कई डकैतों, हत्या के अपराधियों तथा तस्करों के साथ जुड़ता रहा है । दो डकैत, गौतम तथा अनार सिंह के श्री मुलायम सिंह यादव के सहयोग तथा उनके पास आने और उनके घर ठहरने की चर्चा समाचार-पत्रों तक में हो चुकी है ।

श्री कुबेर भण्डारी--

यह फर्जी पत्र बनाया है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

लोकदल के प्रादेशिक अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के पश्चात् उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में, जिनमें उनका चाहे किसी कारण से कुछ प्रभाव है, लोकदल की संगठनात्मक इकाइयों, लोकदल तथा युवालोकदल की जिला एवं नगर समितियों को अपराधी तत्वों की शरणास्थली बना रखा है । जैसे कि अन्य राजनीतिक संगठनों में भी अपराधी तत्व घुसे हुए हैं जैसा कि मुझे जानने-सुनने को मिला है कि लोकदल इटावा के श्री मुलायम सिंह यादव के कुछ विशेष कृपापात्र व्यक्तियों के बारे में मैं यह क्लेरीफिकेशन चाहता हूं कि....।

(घोर व्यवधान)

श्री हुक्म सिंह--

किसी पत्र का हवाला देकर अभी जो राज्य मन्त्री जो कह रहे थे, उस सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

बार-बार इस पीठ से यह निदेश हुए कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपना स्पष्टीकरण या कोई जवाब दे सके तो उसके विरुद्ध कोई आरोप लगाना उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

अब इस व्यवस्था को खत्म करने का तरीका इन्होंने यह निकाला कि किसी व्यक्ति से पत्र लिखवा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया । इन्होंने उस व्यवस्था को समाप्त करने का तरीका निकाल लिया । अगर इनको यह अधिकार हो जाय कि किसी भी व्यक्ति से पत्र लिखवाकर पढ़ना शुरू कर दें, तो यह भी देखना होगा

कि वह पत्र किसका लिखा हुआ है और 'अथेन्टिक' है या नहीं। श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नाम का पत्र जब यहां आया था, तब यह मामला उठा चुके हैं। जब तक इस पत्र की अथेन्टिसिटी साबित न हो जाय, तब तक आपसे मेरा आग्रह है कि पत्र के माध्यम से इन व्यवस्थाओं को नकारने का अवसर इन्हें न दें।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आपकी मंशा अध्याय 20 के 289-क से ताल्लुक रखती है।

श्री हुकम सिंह—

जी हां, उसी से रखती है।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्याय 20 के 289-क में यह कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई आरोप सदन में लाना हो....कृपया पढ़ें।

श्री हुकम सिंह—

माननीय, आप ही पढ़ दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इसलिए नहीं पढ़ा कि ईश्वर की कृपा से हम दोनों पढ़ लेंगे तो समय बच जायगा।

श्री हुकम सिंह—

माननीय, आपका ध्यान प्रकिया नियमावली की ओर दिलाते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस बात से सभी सहमत होंगे कि अभी तक संसदीय परम्पराओं के अनुकूल यह परम्परा रही है कि जिस व्यक्ति को यहां स्पष्टीकरण देने का मौका न मिल सके, उसके विरुद्ध आरोप न लगाया जाय। यदि उस व्यवस्था को समाप्त....।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिषयान्तर हो रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया कि क्या आपकी व्यवस्था का प्रश्न अध्याय 20 के नियम 289-क से ताल्लुक रखती है, आपने कहा 'हां'....।

श्री हुकम सिंह—

289 ही कहा था मैंने। 289-क भी एक बिन्दु है। उसके साथ-साथ जो परम्परा इस सदन में रही है, उसको समाप्त नहीं करती। 289-क में यह

[श्री हुकम सिंह--]

एक प्रकिया दी हुई है । यदि आरोप उन सदस्यों पर लगाना होगा जो मेम्बर हों या मन्त्री हों तो उस व्यक्ति.....।

(श्री राम भजन लाल के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राम भजन जी, आप बैठ जायं । आप विराजें और मुझे व्यवस्था का प्रश्न सुनने दें । पहिले मुझे माननीय हुकम सिंह जी जो व्यवस्था की फांसी का शेर सुना रहे हैं उससे मुझे सरकने दें तब आप अपना शेर पढ़ें ।

अध्याय 20 के नियम 289 को स्पष्ट करने के लिए ही 289-क बढ़ाया गया है और जब यह बढ़ गया तो उसमें हुआ कि किसी व्यक्ति के बारे में भाषण दिया जाय या कुछ कहा जाय तो उसकी सूचना पीठासीन अधिकारी को और अगर उसका तल्लुक किसी मिनिस्टर से है तो उस मिनिस्टर को, ताकि वह सफाई दे सके, दिया जाय । जहां तक पत्र का तल्लुक है, कोई पत्र मेरे सामने बिना आए पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता है ।

(व्यवधान)

माननीय हुकम सिंह जी, आप बैठ जायं । आप बेसब्र हो रहे हैं।

एक सदस्य--

चोर की दाढ़ी में तिनका जो है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई आदमी ऐसा पत्र पढ़ता है जिसकी आथेन्टिसिटी में सन्देह है तो जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है, हमारे या आपके ऊपर नहीं । अभी तो रसोई पक रही थी, पत्र पढ़ा जा रहा था । अभी भोजन परोसना शुरू हुआ नहीं और आपने पत्तल बिछा दिया ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं नियम को पढ़ दूं ?

श्री उपाध्यक्ष--

जहां तक पत्र को पेश करने का सवाल था और उसे पढ़ने का सवाल था पत्र पेश किया गया था, पत्र की प्रतिलिपि मेरे हाथ में है । जब पत्र की प्रतिलिपि मेरे हाथ में आ गयी है तो किसी को पत्र पढ़ने से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन यदि उसमें किसी का नाम आए, जो सदन में उपस्थित होकर अपनी सफाई न दे सके तो व्यवस्था का प्रश्न हो सकता था परन्तु आपने विषयान्तर कर दिया ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, 289 का सब-रूल (2) के (ग) को आप देखें जिसमें लिखा है कि किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप तथा लांछन नहीं लगायेंगे । यह जहां रूल है उसका एक्सेप्शन 289 (क) में दिया है । जब कोई लांछन लगायेगा तो उसकी एक प्रतिलिपि आपके पास दे देगा और एक प्रति सम्बन्धित सदस्य को देगा प्रमाण के लिए ।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य, आपका प्रमाण से क्या मतलब है ?

श्री हुकम सिंह––

मान्यवर, पत्र आपने मंगा लिया, प्रमाण भी मंगा लें, कुछ भी मंगा लें कि यह पत्र प्रमाण करने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष––

जहां तक पत्र पेश करने का सवाल था, वहां तक व्यवस्था व्यवस्थित है। पत्र वह पढ़ना चाहते थे, पढ़ सकते थे।

श्री अम्मार रिजवी––

मान्यवर, मैं एक मिनट चाहूंगा जिस नियम का हवाला माननीय हुकम सिंह जी ने दिया है उसके लिए।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री अम्मार रिजवी––

मान्यवर, माननीय हुकम सिंह जी ने 289 के (ग) का हवाला दिया है। इसमें बिलकुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि किसी सदस्य पर। मान्यवर, इसमें सदस्य पर लिखा हुआ है। "सदस्य" शब्द लिखा हुआ है, जिसके बारे में यहां बात हो रही है वह सदस्य यहां नहीं है।

(व्यवधान)

तो वह पढ़ा जा सकता है। अब मुझे कह तो लेने दीजिए। अपने भाषण के बीच आप स्वयं व्यवस्था दे चुके हैं और पूरे विधान सभा की व्यवस्थायें और इस पीठ से दिए जाने वाले निर्णय हैं, बर बर लोगों के रेफेरेन्सेज आते रहे हैं, बराबर लोगों के हवाले दिए जाते रहे हैं। माननीय हुकम सिंह जी ने जैसा कहा कि किसी का नाम नहीं आ सकता तो छवि राम का नाम, अनार सिंह का जिक्र भी यहां पर नहीं हो सकता. . . .

श्री उपाध्यक्ष––

आप अपना आसन ग्रहण करें। मैंने व्यवस्था का प्रश्न सुना और व्यवस्था दे दी। इस सम्बन्ध में . . . .

(श्री श्याम लाल बाजपेयी द्वारा बहुत जोर से बोलने पर।)

(व्यवधान)

[श्री उपाध्यक्ष--]

आपने पत्र की प्रतिलिपि मुझे दी, आप इसको पढ़ सकते थे लेकिन इसमें जो आक्षेपात्मक नाम आये हैं या जो व्यक्ति अपना नाम सुन नहीं सकते, उसको आप न कहें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मान्यवर । ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से मुझे यह कठोर दायित्व का निर्वहन करना पड़ा । कठोर दायित्व मुझे क्यों निर्वहन करना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों ने अपने नाम के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी और जब शुरू कर दी तो मुझे विवशतन और उनके लोगों को जानते हुए, उनके दल के लोगों को जानते हुए, माननीय सदस्यों को जानते हुए। इसलिए उनका नाम अब बिल्कुल नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राज्य गृह मंत्री, मैं आपकी विवशता को समझ रहा हूं जितना आप पढ़ चुके हैं, उसकी कापी मेरे पास आ गयी है, अब आप सदन की व्यवस्था को समझें और समय की व्यवस्था को समझें । इसलिए अपना भाषण आगे जारी रखें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

आपकी आज्ञा मैं हर तरह से मानूंगा । शिरोधार्य है । उस पत्र में माननीय विरोध पक्ष के सम्मानित नेता की चिन्ता व्यक्त हुई, चिन्ता व्यक्त हुई और कुछ लोगों की कुछ ऐसे दल के लोग हैं जो डकैतों या अपराधियों के साथ सम्बन्ध पैदा कर रहे हैं । मैंने आदरणीय सदन को अवगत कराना कर्तव्य माना था । कल माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही थी । आज लूकर के सम्पादक के बारे में उन्हें चिन्ता पैदा हो गई है । मुझे तो तकलीफ नहीं हुई, माननीय मुख्य मंत्री जी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के वक्तव्य को छापा गया टोटल फेल्योर, मान्यवर, जैसी भावना है, देख रहे हैं लेकिन दुख इस बात का है कि अगर कहीं सूरदास जी आज लूकर के सम्पादक को मिल गये होते और सूरदास जी भजन गाते हुए मिलते कि "मोहि सम कौन, कुटिल, खल--कामी" तो जाकर छाप देते कि वह कठोर भी हैं, अधम भी हैं और कामी भी हैं....

(व्यवधान)

मुझे तकलीफ इस बात की है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भावना, भाषा को समझते नहीं, केवल शरीर के प्रयोग का ही एहसास उन पर होता है । श्रीमन्, एक बात कहना चाहता हूं, यही नहीं विनम्रता की अपनी शैली हुआ करती है और उसमें एक बात कही नेता विरोधी दल ने, किसी पत्र का आशय दूसरा प्रकट किया है । उन्होंने केवल एक बात कही कि एक कहानी में संक्षेप में तीन वाक्यों में सुनाना चाहूंगा ।

श्रीमन्, एक बार इसी तरह कोई नए मुसलमान पैदा हो गए थे और उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की कुरान शरीफ को पढ़कर उद्धरण दिया कि मत जा नजदीक नमाज के, सबसे कहने लगे कि तुमने कुरान शरीफ क्यों पढ़ा ? नमाज के पास क्यों गए ? तो एक बड़े बुजुर्ग थे जैसे हमारे रियासत भाई हैं, जब उनके पास गए तो उन्होंने बुलाकर कहा कि बैठो और पहले एक गिलास पानी पीओ फिर कहा कि अब इसको पूरा पढ़ो--उसमें लिखा था कि "मत जा नजदीक नमाज के, जब कि तुम नशे में" । मैं चाहूंगा कि नेता विरोधी दल भी एक गिलास

पानी पीकर रियासत साहब से कुछ सीख लें उन्होंने केवल एक ही बात का उद्धरण कर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मान्यवर, वह कुरान शरीफ का हिन्दी अनुवाद था क्या ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि उन्होंने आन लुकर का वक्तव्य पढ़ा पर श्रीमन् एक निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने फैल्योर तो पढ़ लिया लेकिन आगे नहीं पढ़ा । माई फैल्योर इज टोटली वीकाज आई कुड नाट इनवाल्व माई सेल्फ इन दि बिजिनेस आफ चीफ मिनिस्टरशिप । उन्हें माननीय राम नरेश जी का ध्यान रहा हो, माननीय बनारसीदास जी का ध्यान रहा होगा । उनके विचार में चीफ मिनिस्टर का काम पूंजीपतियों से मिलकर चन्दा बटोरने का रह गया, इस तरह से तो वह चीफ मिनिस्टर का दायित्व पूरा नहीं कर सकते थे । एक बात माननीय नेता विरोधी दल ने चौकियों के लिए कही, झांकी के लिए कही, उनको बड़ा दुख हुआ । आजकल वह आन लुकर का ही पूरा-पूरा अध्ययन रामायण और गीता की तरह कर रहे हैं क्योंकि एक अंश उसमें यह भी था कि वहां की चौकी हटा दी गई । जब मैंने जानकारी की तो पता चला कि उसमें मुख्य मंत्री को राम और फुलन को सूर्पनखा बनाया गया था लेकिन कुछ लोगों, डकैत समर्थकों को उसमें रावण और खरदूषण भी बनना चाहिए था इसलिए जो नहीं बनाया गया था वह हटा दी गई। मान्यवर, एक बात कही गई आत्मोत्सर्ग के बारे में ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे ऐसा बताया गया कि होली मिलन में फूलन राज्य गृह मंत्री जी के घर पधारी हुई थी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय सदस्य को मैं मामा कहता हूं और मामा की बात को न मानने में बड़ा पाप लगता है । कंस की आज्ञा कृष्ण से भी नहीं टली ? थी । मान्यवर, एक नीति है जैसे कि चाणक्य नीति है, कौटिल्य नीति है, उसी तरह से एक शल्य नीति है । महाभारत में शल्य का एक प्रकरण आया है । शल्य कुछ नहीं करता था । जब कभी अर्जुन बाण चलाते थे तो कहता था कि कैसे बाण चलाया है । इसी तरह से डकैतों के किसी प्रकारान्तर में उनकी तारीफ करते हुए शल्य नीति का इन्होंने आश्रय लिया है । शल्य जैसी उनकी ऐसी नीति को आप समझ लें । अनेकों लोग जो बलिदान हुए हैं, जिन्होंने जनता की सेवा के लिये अपनी जान अर्पित की है उनकी तो सराहना करनी चाहिये ।

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--]

श्रीमन्, एक बात मैं और कहना चाहता हूं । विरोधी दल के एक माननीय आदरणीय नेता ने इलाहाबाद के एक केस का जिक्र किया कि एक भूतपूर्व विधायक थे जिनका केस वापस ले लिया गया । अगर शासन को कोई प्रार्थना-पत्र देता है तो सरकार उस पर विचार करके कार्यवाही करती है । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अगर उनकी तरफ से कोई प्रार्थना-पत्र आयेगा तो उनके मुकदमे को वापस लेने के प्रश्न पर निश्चय ही विचार होगा, उसमें कोई कोताही न होगी ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं गोंडा के लोगों के बारे में अगर हमारे आदरणीय नेता, श्री रियासत हुसैन जी वहां से होकर नहीं आये होते तो दूध का दूध और पानी का पानी आज यहां नहीं हो पाता । कुछ लोगों ने कहा कि बहुत सारे घर जला दिये गये । रियासत साहब ने कहा कि मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, केवल तीन घर जले हैं । कुछ लोगों ने कहा कि पूरे गांव के लोग मार डाले गये, रियासत साहब ने कहा कि 8 आदमी मारे हैं । तीन डकैत मारे गये हैं और भुलावन पंडित के यहां एक बेचारा नाई आया था, वह भी मरा है । जब गोली चल रही थी और बहादुर के० पी० सिंह ने उनका मुकाबला किया तो विरोधी पक्ष को उसकी तो प्रशंसा करनी चाहिये थी । समय ज्यादा नहीं है लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि पुलिस के लोगों का और खासतौर पर स्वर्गीय के० पी० सिंह की बहादुरी का नाम उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा ।

यह कहा गया कि क्राइम्स वीक न मनाया जाय । मान्यवर, वर्तमान शासन तो हमेशा निश्चित रूप से साल के 365 दिनों क्राइम्स ड्राइव को चलाता रहेगा और उससे पीछे नहीं हटेगा । कुछ लोगों के दिल में हरिजनों का दर्द बहुत दिखलायी दिया । कहा गया कि हरिजनों की सामूहिक हत्यायें हुईं । सामूहिक हत्याओं का रिवाज कब से हुआ वर्तमान शासन ने तो सामूहिक हत्याओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जितने भी अपराध हैं, उन सब को खतम करने का निश्चय कर रखा है ।

आदरणीय मोहन सिंह जो बहुत पुराने सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि सचिवालय में जातिवाद के आधार पर कुछ नियुक्तियां की गयी हैं । जातिवाद के आधार पर कितनी नियुक्तियां पुलिस विभाग में और विभागों में जनता और लोकदल के शासनकाल में हुई हैं, उनके आंकड़े मैं प्रस्तुत कर सकता हूं और उससे आप स्वयं निर्णय कर लेंगे कि किस समय जातिवाद के आधार पर किसने कितनी नियुक्तियां की हैं । मेरे पास ज्यादा समय नहीं है वरना मैं सारे आंकड़े आपको दिखलाता ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें । आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

एक बात मैं और कह कर समाप्त करता हूं कि कुछ लोगों के प्रति जैसा कि तुलसीदास ने कहा है, उनको अपने साथ नहीं रखना चाहिये । किसी कवि ने कहा है निन्दक नियरे रखिये आंगन कुटी छवाय अब आगे का आप समझ लें । माननीय नेता विरोधी दल को उत्तर प्रदेश में ला एंड आर्डर

की स्थिति पर उदार होकर सराहना करनी चाहिये जिसको इस शासन ने कायम कर रखा है और उन्हें अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लेना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष––

कटौती का प्रस्ताव हम नहीं वापस करेंगे । माननीय नेता विरोधी दल ही कटौती का प्रस्ताव वापस करेंगे अगर चाहें तो ।

श्री विजय सिंह राना––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे आस–पास के जिलों में एक कहावत है आई गयो और बरात को, गाजर दूल्हा खांहि तो अध्यक्ष महोदय, यही स्थिति यहां हो रही है । जिस प्रदेश को आबादी 14 करोड़ के आस–पास हो, दुनिया के एक देश के बराबर जिसकी जनसंख्या हो, धरती के एक प्रगतिशील देश के बराबर महत्व रखने वाले इस प्रदेश को गृह मंत्री, स्वरूप कुमारी बख्शी जैसी हों, तो आई गयो और बरात को, गाजर दूल्हा खांहि, वाली बात अपने आप सिद्ध हो जाती है । यह स्पष्ट बात है, सारी दुनिया की नीति और सिद्धान्त की बात है, कि कभी कोई राजा अपने राज्य की स्वयं नहीं रख पाता । वह अकेला कभी अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकता । राज्य को चलाने के लिए प्रशासनिक योग्यता चाहिये, क्षमता चाहिये और सबसे बड़ी बात यह है कि राजा स्वयं रक्षा नहीं करता उसका रौब राज्य चलाता है । इसीलिए संस्कृत में मनु ने कहा था, दण्ड शास्ति प्रजा सर्वा दण्डः एवाधि रक्षति, दण्डः सुप्तेषु जागर्ति, दण्डः धर्म विदुर्बुधाः

उपाध्यक्ष जी, मैं उसी सिलसिले में कहना चाहता हूं कि आप स्वयं देख रहे हैं कि इस प्रदेश का सम्पूर्ण प्रशासन लचर–पचर हो रहा है, शासन में क्षमता नहीं रह गई है इसलिये रोज नये–नये छोटे–छोटे कानून बनाने पड़ रहे हैं । हमारे यहां दस्यु उन्मूलन अधिनियम की क्या आवश्यकता पड़ी ? हमारे पास आई० पी० सी०, सी–आर० पी० सी० हैं और इन सामान्य कानूनों व व्यवस्थाओं के रहते इस प्रदेश की व्यवस्था जब नहीं कर पाये तो इनको इस प्रकार के अधिनियमों को बनाने की आवश्यकता पड़ी जो आदमी बौना होता है उसे ऊंचाई तक पहुंचने के लिये सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है । और जो स्वयं ऊंचा है उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इस प्रदेश के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री की स्वयं शासन चलाने की क्षमता नहीं थी, इसलिये सामान्य कानून की व्यवस्था से इनका काम नहीं चल पा रहा है । इसलिए निरंतर इस प्रकार के कानून बनाते जा रहे हैं अभी माननीय गृह राज्य मंत्री जो बोल रहे थे । सारी बातें कही लेकिन कोई तथ्य नहीं दे पाये । कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम निरन्तर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, कहां चुनौतियों का सामना कर रहे हैं । आप कहते हैं कि डाकुओं को मार रही है तो पुलिस मार रही है । पर मैं कहता हूं कि पुलिस के कर्मचारियों को भी पुलिस ही मार रही है ।

[श्री विजय सिंह राना—]

चुनौती आप को डकैत नहीं पुलिस स्वयं आपके लिये एक चुनौती बन गयी है। पुलिस के बहादुर इंसपेक्टर राजपाल सिंह को किसने मारा ? मैं चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं कि उन्हें डकैतों ने नहीं मारा स्वयं पुलिस ने मारा। के0 पी0 सिंह को किसने मरवाया ? स्वयं पुलिस ने पुलिस कर्मचारियों को पुलिस का ही डर हो गया है। पुलिस स्वयं ही अनुशासनहीन हो गई है। स्वयं पुलिस को पुलिस से खतरा हो गया है। इसलिय प्रशासन चलने की स्थिति में नहीं रह गया है। उपाध्यक्ष महोदय, शासन को जितनी चुनौती इस प्रदेश की पुलिस से है। उतनी डकैतों से है और उतनी ही चुनौती यहां पर सत्ता में बैठने वालों से भी है। इस सदन का सौभाग्य है कि माननीय आजमानी जी के बारे में जो कुछ कहा जाता था वह सारा का सारा उनके ही मुंह से इस सदन में कहा गया है।

मैं अपने आगरे जिले के बारे में कहना चाहता हूं। एक तरफ प्रशासन चल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस (आई) के एम0 एल0 एज0 स्वयं अपनी गवर्नमेन्ट चला रहे हैं। वहां का प्रशासन दुःखी है, एस0 एस0 पी0 दुखी है, कलेक्टर दुखी है। अपने आप एक शहरी क्षेत्र के विधायक ने दस लाख की बिल्डिंग अपने नाम एलाट कर ली ट्रक यूनियन की गुण्डा गर्दी और उसके समान्तर प्रशासन की बात माननीय श्री बदन सिंह जी ने 301 के अन्दर रखी थी। यह ट्रकों की यूनियन एक स्थानीय विधायकों से सम्बन्धित है। उनके पास बहुत बड़ी संख्या में गुण्डों की फौज है। इस फौज के आगे पुलिस व प्रशासन पंगु हो रहा है। खैरागढ़ तहसील में कितनी डकैतियां पड़ीं, कितने अपहरण हुए और कितनी हत्याएं हुई, इसकी जांच केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो से करा लें मामला साफ हो जायेगा। मैंने माननीय गृह मंत्री जी से कहा। वहां का प्रशासन स्थानीय विधायक के हाथ में है, वहां तहसीलदार कुछ कर नहीं सकता, परगनाधिकारी कुछ कर नहीं सकता और पुलिस तो पूरी तरह लुंज पुंज हो गयी है। जब इस प्रकार प्रशासन और पुलिस एक विधायक की जागीर बन जायेगा तो कहां रहेगा न्याय और कहां रहेंगी कानून व्यवस्था आपके प्रशासन के बिखरने का यही कारण है।

मान्यवर, आगरा के मधुनगर मोहल्ले में एक डकैती पड़ी जिसमें 3 आदमी मारे गये। आगरे के एक स्थानीय विधायक ने इस मामले को छिपाने के लिये मामला सी0 आई0 डी0 को दिला दिय। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र त्रिपाठी कहते हैं कि हम डकैती के मामलों को इसलिये सी0 आई0 डी0 और एस0 आई0 एस0 को नहीं देते हैं क्यों कि उसमें विलम्ब का लाभ उठाकर अपराधी अपराध से बचना चाहता है। किन्तु महोदय, इस मधुनगर के कांड में स्थानीय विधायक के कहने से मामले को सी0 आई0 डी0 को दिया गया और जब उसके एक इन्सपेक्टर मामले की तफतीश कर रहे थ और उससे जब यह आशा नहीं रही कि वह अपराधी को निर्दोष बता पायेगा तो उस मामले को सी0 आई0 डी0 के दूसरे कर्मचारी को पुनः बदलवा दिया गया। यह आपकी कानून व्यवस्था है। आपकी पार्टी के एम0 एल0 ए0 और सही मुलिजमों को बचाने के लिये आपसे रोज तफतीश बदलवाते रहते हैं और हम सही मामलों में भी रिपोर्ट नहीं बदलवा सके। यह आपकी दोहरी शासन व्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से दोनों पक्षों को सुनें और न्याय के सामने सबको समान दर्जा दें।

हमारे एक साथी ने यह कहा था कि महाराजा साहब, मदावर डकैतों को संरक्षण देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराजा साहब के गांव नौगमा में पुलिस का गार्ड रहता है। महाराजा साहब का स्वयं के आगरे के महल पर भी पुलिस का गार्ड रहता है। क्या इस पुलिस गार्ड ने कभी शासन को यह सूचना दी

है कि महाराजा साहब के यहां कोई डकैत मिलने के लिये आता है ? यदि उस गार्ड ने यह सूचना नहीं दी है तो माननीय सदस्य ने महाराजा साहब पर यह झूठा आरोप किस आधार पर लगाया है ? इसकी जांच होनी चाहिए । अपने पापों को छिपाने के लिये दूसरे पर झूठे दोषारोपण करने वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिए । मेरी स्वयं की जानकारी है कि महाराजा साहब दो साल से कभी बाहर नहीं गये । तब किसी डकैत से मिलने या न मिलने का सवाल कैसे पदा होता है ?

मुख्य मंत्री जी ने कल यहां पर कहा था कि हम निरन्तर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं । पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह किस–किस चुनौती का सामना कर रहे हैं । डकैतों की चुनौती का, पुलिस के अन्दर बैठने वाले गद्दारों का भ्रष्टाचार की चुनौतियों का या सत्ता पक्ष में बैठने वाले अपराधी प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ? मैं इस बात को चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि आपको जितनी भी चुनौतियां डकैतों ने नहीं दी हैं जितनी कि पुलिस ने और सत्ता पक्ष के लोगों ने दी हैं । पुलिस के महान सब–इन्सपेक्टर, श्री राजपाल सिंह तथा श्री के0 पी0 सिंह,, डी0 वाई0 एस0 पी0 को पुलिस ने मरवाया, डकैतों ने नहीं । इसलिये पुलिस के अन्दर ज्यादा भयंकर लोग बैठे हुये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में अगर ईमानदारी से और सच्चाई के आंकड़े लिये जांय तो इस प्रदेश में 115 डाकू कुल नहीं मारे गये जितने कि इस प्रदेश के 115 पुलिस कर्मी मारे गये हैं । यह शासन के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है । राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह आप इस कलंक को धो नहीं पायेंगे ।

अन्त में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको प्रशासन सही ढंग से चलाना है, इस प्रदेश की जनता को स्वच्छ और चुस्त प्रशासन देना है तो आप अपनी नीयत साफ कीजिये, आपकी नीति और आपका आचरण साफ होना चाहिए । शासन की दृष्टि में जब तक पक्ष और विपक्ष का भेद रहेगा तब तक आप जनता को स्वच्छ प्रशासन नहीं दे सकेंगे । मान्यवर, औंधे–सीधे, आड़े–तिरछे कानून बनाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है । आप शासन में क्षमता पैदा करें और प्रशासन में आतंक और भय पैदा करें जब जनता के अन्दर भय पैदा होता है तो प्रशासन स्वतः ही रास्ते पर चलने लगता है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि—

क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल है

उसको क्या जो दन्तहीन, विषरहित विनीत सरल है ।

आप क्षमा और न्याय को एक साथ लेकर चलें । पक्ष और विपक्ष के भेद को मिटाकर चलें और इस प्रदेश में सुशासन और सुराज स्थापित करें ।

श्रीमती पुष्पा चौहान—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा बहुत ही सहज ढंग से प्रस्तुत चुनौतियों में खरे उतरने वाले बहुत ही प्रभावशाली इस सामान्य बजट पर बोलने हेतु आपने मुझे मौका दिया उसके लिये मैं आपकी हार्दिक कृतज्ञ हूं । मान्यवर, मैं इस प्रशंसनीय बजट का प्रबल समर्थन करती हूं और खुले दिल से समर्थन करती हूं और साथ ही अनियंत्रित भीड़ जैसे दल में माननीय नेता विरोधी दल द्वारा थानों की फाइलों का संग्रह जैसे कटौती के निर्बल प्रस्ताव का मैं शत-प्रतिशत विरोध करती हूं । मुख्य मंत्री जी ने उपलब्धियों और चुनौतियों का ब्योरा दिया । असलियत के धरातल पर तथा तर्क की पृष्ठभूमि में उसे कोई झुठला नहीं सकता । कुतर्क के सहारे झूठे ही विरोध करने की ये लोग कोशिश करते हैं तो एक नेतृत्व विहीन दल का ही इससे सबूत मिलता है । मान्यवर, जिन्दगी बड़ी अच्छी चीज है, इन्सान आता है और चला जाता है । पद आता है चला जाता है लेकिन एक चीज ऐसी रह जाती है जिसको कोई ले नहीं सकता है, वह है अपना पवित्र आचरण । अतर और वाह्य से पहाड़ की चोटी पर जमे हुए स्वच्छ हिम जसे स्वच्छ चरित्रवाले मुख्य मंत्री जी तथा इतने अच्छे आदर्श वाले मुख्य मंत्री जी को यह विधान सभा की दीवारें देख रही हैं और एक दिन यह विरोधी दल के लोग देखेंगे कि उनको कोई मिटाने वाला है नहीं कि इस प्रदेश में एक ऐसे उच्च चरित्र वाले मुख्य मंत्री जी आये थे । कल मैंने सुना ऐसे आदर्शमय मुख्य मंत्री जी को नेता विरोधीदल कलयुगी राम की उपाधि दे रहे थे, तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूं उन्होंने अपने लिए कौन सा पद छोड़ रखा है या रावण का पद किसके लिए छाड़ रखा है ? मान्यवर, मुझे एक क्षेत्र विरासत में मिला है जिसको विरोधी दल के नेताओं ने रौंद डाला । मान्यवर, जिन मुट्ठियों में कभी ताजा गुलाब के फूल रहते थे आज वहां केवल सूखी पंखुड़ियों में उसके कांटे ही नजर आते हैं उसके अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आता है ।

मैं उस क्षेत्र की समस्याओं को आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं । मेरा सिकन्दराराऊ क्षेत्र विभिन्न विषमताओं का क्षेत्र है, मुझे इस क्षेत्र से चुन कर लोगों ने भेजा है, यहां की जनता को जनता कहते हुए मेरी जबान इसलिए लड़खड़ाती है क्योंकि मेरे बचपन के एक मामूली धागे से खींच कर यहां के लोगों ने चुना है यहां, तो मुझे वहां जनता का नहीं एक बहुत बड़े परिवार का बोध होता है । जहां एक तरफ धान, मक्की, गेहूं, जौ, गन्ना पैदा होता है और हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गुलाब होता है वहां दूसरी तरफ सैकड़ों बीघे रेहीले बंजर पड़े हैं । एक तरफ रत्ती के नगला पर दूर-दूर से शिकार करने के लिए लोग आते हैं तो दूसरी तरफ खजूरपुर और वाजीपुर में राजस्थान की तरह पीने के पानी के लिए लोग तरसते हैं । एक तरफ हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी रोड जी० टी० रोड है तो दूसरी तरफ वहां सिकन्दराराऊ में बस स्टैंड की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई भवन उसके लिए नहीं है तथा नगरिया पटैटी देवरी तथा मदेरसिंगपुर जैसे गांव हैं जो शहरों से कटे हुए हैं, सुजावलपुर से ग्राम बढ़ानू तक तथा ऐसे ही कि तने गावों पर कोई लिंक रोड नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती पुष्पा चौहान—

एक मिनट में समाप्त करती हूं । अंत में मैं एक समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं, समस्यायें तो काफी हैं लेकिन समय इतना नहीं है, मांगने

को तो बहुत है श्रीमन् एक बार में एक चीज मांगती हूं बुराबात को क्षमा होना चाहिये तो ऐसी बात हो जायेगी कि ममता में दोनों गये माया मिली न राम। इसलिए केवल शीघ्र से शीघ्र पेट्रो केमिकल प्रोजेक्ट ही मांगती हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती पुष्पा चौहान--

मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है। एक मिनट और दे दें। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक महिला निःसंतान और गरीब थी, महीनों तपस्या करने पर एक दिन मातादेवी उससे प्रसन्न हुईं तो उन्होंने कहा एक बार जो मांगना हो मांग लो

(व्यवधान)

में खतम कर रही हूं। वह पुत्रविहीन थी, धनविहीन थी, तो उसने जल्दी से कह दिया में अपने पोते को सोने की कटोरे में दूध पिलाऊं।

उस प्रकार अगर हमें हमारा पेट्रोलकेमिकल प्लान मिल जाता है तो हमारे क्षेत्र की सारी समस्यायें एक साथ हल हो जाती हैं, वक्त कम है और हमारी समस्या बहुत अधिक हैं, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के बजट का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और जो मांगें हैं, उसके बारे में फिर कभी आपसे मांगूगी।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, बोलने से पहले मेरा निवेदन था कि आप इसका समय बढ़वा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें, समय तो वैसे ही बढ़ा हुआ है।

श्री धर्मन सिंह गहलौत--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन था, मेरे दल के नेता के बारे में....

(व्यवधान)

पर से कुछ आरोप लगाये गये हैं और में उनके स्पष्टीकरण....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष--

आप बैठें।

[समय 4 बजकर 55 मिनट]

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, सामान्य प्रशासन पर कल से चर्चा चल रही थी। इस सम्बन्ध में सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सभी ने अपने-अपने भाव रखे हैं। वह चाहे मेरे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में हों या विरोध में हों, उन सभी माननीय सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक परम्परा है और उसका निर्वहन किया गया, जो हमारे भाव होते हैं, उनको सदन में हम रखते हैं और अपने सुझाव देते हैं। श्रीमन्, मैं अधिक धन्यवाद देता हूं अपने माननीय सदस्य, श्री श्याम लाल बाजपेयी जी को, हालांकि हमारे गृह राज्य मन्त्री ने उनको एक शठ की संज्ञा दी, जो उनको नहीं देनी चाहिये थी। उनके अपने भाव थे, उन्होंने शासन की बुराई न करके प्रक्रिया की बुराई की। मैंने भी कल यह कहा था कि प्रशासन में नये-नये आदमियों को लेकर आप जो एक्सपेरीमेन्ट्स कर रहे हैं, वह कामयाब नहीं हो रहे हैं। एक बात और उन्होंने कही थी, जिसका राज्य गृह मन्त्री ने विरोध किया। उन्होंने एन्काउन्टर के बारे में कहा था, जो उसके बारे में हम कहते रहे हैं। मान्यवर, राज्य गृह मन्त्री के क्वार्टर से यह बात सामने आ गई कि बाराबंकी का एन्काउन्टर झूठा है, एन्काउन्टर नहीं हुआ, पुलिस उनको घर से पकड़ कर लाई, गोली मार कर 302 का केस किया। इस सम्बन्ध में इस घटना के बारे में सत्ता पक्ष के उन सदस्यों ने सही बातें कही हैं, जो उस जिले के ही हैं, निश्चित ही वह इस विषय में हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, उन्होंने बाराबंकी के एन्काउन्टर को झूठा बताया है। अतः मैं चाहता हूं कि आप अपने जवाब में इसके बारे में बताएं, जब तक यह शासन की और आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी कि आप ऐसे अधिकारियों, डी0 एस0 पी0, कलेक्टर, एस0 ओ0 या गृह सचिव जो भी हों, के खिलाफ सख्त ऐक्शन नहीं ले पायेंगे, तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसे लोगों को कदापि बख्शा नहीं जायेगा। जिन्होंने इस प्रकार के बाराबंकी में या दूसरी जगह पर झूठे इन्काउन्टर किये हैं, उन पर क्या आपने दफा 302 का केस किया है? नहीं किया है तो यह बच नहीं पायेंगे, कभी न कभी इनके विरुद्ध हत्या के केस होंगे। अभी एक अखबार पढ़कर हमारे मोहन सिंह जी ने बताया है कि एस0 पी0 बाराबंकी ने स्वीकार किया है कि 90 प्रतिशत इंकाउन्टर्स हमें झूठे करने पड़े हैं, मजबूरी में हम कुछ कह नहीं सकते हैं।

श्रीमन्, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, अभी राज्य गृह मन्त्री ने डकैतों के सम्बन्ध पर चिन्ता प्रकट की। राज्य गृह मन्त्री जी चिन्ता तो आपको बहुत ज्यादा है, क्योंकि तीन महीनों के अन्दर सदन के अन्दर और बाहर हमने डकैतों के साथ आपके सम्बन्धों को बेनकाब किया है। चिन्ता तो आपको हुई, हमने तो अपने काम को अंजाम दिया।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर इतना जेहाद न किया गया होता तो राघे और सन्तोष आपके हाथ न आते। यह विरोध पक्ष ही है, जिसने आपको मजबूर कर दिया कि आप छवि राम के खिलाफ ऐक्शन लेने पर मजबूर हो गये। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रशासन स्वच्छ हो, सभी की गलती निखर कर सामने आये तो आप किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक कमीशन बैठा दीजिए और एक बार जांच करे कि किसका किससे सम्बन्ध है। आप सत्ता पक्ष में हैं, इसको स्वीकार कर लीजिए।

कल जब मैं माननीय अम्मार रिजवी साहब के यहां एक फंकशन में गया था तो दोनों पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की कि मैंने कुछ सुझाव नहीं

दिए खासतौर से कृषि के सम्बन्ध में सुझाव नहीं आये । कल भी मैंने एक सुझाव दिया था और करप्शन के बारे में कई केसेज बताये थे । श्रीमन्, कृषि विभाग में एक ब्रह्मानन्द शर्मा नाम के डिप्टी डायरेक्टर हैं, वे मेरठ जनपद, गृह जनपद में हैं, पोस्टेड हैं । विभागीय आडिट रिपोर्ट के माध्यम से जिसके सम्बन्ध में आपने संख्या 43 पर अतारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तर दिया और बताया कि इस व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का 44, 354 रुपये का मामला है, गबन के मामले हैं, 17, 24, 100 रुपये का और अनियमित भुगतान का धनराशि 93,871 रुपये हैं । तो जिस व्यक्ति के खिलाफ करोड़ों रुपये के गम्भीर मामले हैं, वह आज भी अपने गृह जनपद में ही बैठा हुआ है । मैं राजा साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके ऊपर बड़ा ही दबाव पड़ेगा सेन्टर से दबाव पड़ेगा, यदि उसका स्थानान्तरण कर दियाजाता है सस्पेन्शन तो क्या आप स्थानान्तरण नहीं कर सकते हैं । मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वह अपने गृह जनपद में क्यों आज तक वहां पर बैठा हुआ है ?

कृषि के सम्बन्ध में जब माननीय भगवान दीन कुशवाहा, को उनके क्षेत्र में झींझक भूमि संरक्षण अधिकारी के खिलाफ नालियों की शिकायत मिली कि आपके यहां पर बहुत घपला है तो समस्त कागजात को सील करा लिया और फिर कहा गया कि विभाग के कमिश्नर के पास, सुनाता कान्डपाल के यहां, उस सील्ड बन्डल को रख दिया जाय, लेकिन वे कानपुर में मौजूद नहीं थे, इसलिए उनको पुलिस स्टेशन में रख दिया जाय । जिन कागजों को सील कर दिया गया था, उनको थाने में रख दिया जाए, तो उपरोक्त अधिकारी ने कानपुर जाकर दूसरे दिन एक दरख्वास्त जिलाधिकारी, कानपुर को दी कि एक सील्ड बन्डल विधायक जी जबरदस्ती लेकर थाना, मंगलपुर में जमा कर आये हैं । तो कागजात चुराने का एक षड्यंत्र उन पर लगा दिया जाय, जबकि इनको उसे ले जाने का अधिकार नहीं था । इसके बारे में थाने में जनरल डायरी में लिखा होगा तो मैं चाहूंगा कि इस मामले में ऐक्शन लेना चाहिये । हमारे एस० पी० और जिलाधिकारी मिल कर इसे चोरी बतला रहे हैं ।

जहां तक करेप्शन का प्रश्न है मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को सिंचाई विभाग की 19 फरवरी, 1981 को एक शिकायत की थी । अपने 6 मार्च को यह पत्र भेज दिया कि यह सूचना नीचे भेज दी है । जिस व्यक्ति के खिलाफ यह शिकायत थी, उस अधिकारी का पत्र मुझे 15-3-82 का मिलता है कि मैं साक्ष्य देने से लिए उनके सामने प्रस्तुत होऊं । यह आपका क्या न्याय है कि मेरी शिकायत एक साल के बाद उसी अधिकारी के पास पहुंच गई, जिस अधिकारी की मैंने शिकायत की थी ।

खाद और बीज की कृषि के लिए बहुत आवश्यकता होती है । इसके लिए कीट-नाशक दवाओं की खरीद आदि के बारे में बहुत भ्रष्टाचार है । अभी मुजफ्फरनगर और शाहदरा में उनका बहुत बड़ा स्टाक पकड़ा गया, पर जहां तक मेरी जानकारी है, कोई ऐक्शन नहीं हुआ है जो कि तुरन्त होना चाहिए था, ऐसे मामलों में ।

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

आलू की खरीद के बारे में भी एक सुझाव देना चाहता हूं। राव वीरेन्द्र सिंह से आपने बात की। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आज ट्रकों की वजह से भी आलू पड़ा हुआ खराब हो रहा है आप इसकी खरीद के लिए पूरे प्रदेश में केन्द्र बनाएं और ऐसा भी करें कि जो आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा जाये, उसकी कीमत 75 प्रतिशत या जो भी आप तय करें, वह रकम किसान को दिलवा दें।

गेहूं की खरीद के बारे में आपने 142 रुपये दाम रखा है आप कहेंगे कि यह तो केन्द्र तय करती है, पर आप चाहें तो किसान को 20-25 रुपया एक्सट्रा भी दे सकते हैं। मैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। केन्द्र ने धान की जो कीमत तय की। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने उससे ज्यादा 15 रुपये की क्विन्टल कीमत अपने यहां के किसानों को दी। आप भी ऐसी परम्परा डाल सकते हैं।

ओला वृष्टि से जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में यहां इस पक्ष से बार-बार यह मांग की गई है कि हरियाणा की तरह आप भी जहां बहुत अधिक नुकसान हुआ हो, वहां 1 हजार रुपये फी हेक्टेयर मुआवजा दें। आप माननीय मुख्य मन्त्री जी अपनी केबिनेट बुला कर ओवर नाइट यह फैसला ले सकते हैं कि हम भी अपने यहां के किसानों को एक हजार या 750 रुपये फी हेक्टेयर के देंगे। बीमा योजना बनाना सम्भव नहीं है, पर यह काम आप कर सकते हैं। हिसाब से सहायता आप किसी भी प्रकार से दे सकते हैं।

बिजली के बारे में कहा गया कि इतना उत्पादन बढ़ गया। गांव में 15 घंटे बिजली मिलने लगी है। मैं आप से कहता हूं कि आज भी किसान को 5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है सिवाये उन स्थानों को छोड़ कर जहां फीडरों से सीधा लाइन जाती है। सरकार के जो लिफ्ट पम्प लगे हैं, वहां भी आप 15 घंटे बिजली दे रहे हैं, पर छोटे और प्राइवेट किसान को 5 घंटे ही मिल रही है। आपकी नीयत ग्रामोन्मुखी नहीं है, वह शहरमुखी है। आप को चाहिए कि आप गांव की तरफ अधिक ध्यान दें।

बिजली के मामले में बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें आप एक टाइम बाऊन्ड प्रोग्राम बना कर निश्चित कर दीजिये कि बिजली के लिए एप्लीकेशन मिलने के इतने दिन के अन्दर इस्टीमेट जरूर बन जायेगा, उसके बाद इतने दिन के अन्दर एग्रीमेंट हो जायेगा और फिर इतने दिन के बाद कनेक्शन मिल जायेगा। अगर आप ऐसा कर दें तो भ्रष्टाचार बहुत कम हो जायेगा।

आपके यहां एक त्रैमासिक लिस्ट बनती है। अगर वह लिस्ट क्षेत्रीय विधायकों को भी मिल जाया करे तो उससे यह लाभ होगा कि उनको यह पता होगा कि क्या काम हुआ है, अगर उसके खिलाफ कोई काम करता है तो वह उसे पकड़ सकता है और कह सकता है कि तुमने तो यह रिपोर्ट दे रखी है। 1971 तक इस तरह की एक लिस्ट बनती थी, मेरा सुझाव है श्रीमन्, कि हर माननीय सदस्य को वह लिस्ट पहुंचाई जाय।

तीसरी बात श्रीमन्, ट्रकों के हड़ताल के बारे में मैं कहना चाहता हूं। आप श्रीमन्, इसके बारे में कोई आल्टरनेट व्यवस्था करें। गन्ना मिलें बन्द हो गई हैं। गुड़ का दाम गिर चुका है, इसलिए गिर चुका है कि लदान नहीं हो रही है। खाण्डसारी के दाम गिरते जा रहे हैं। मान्यवर, कहीं स्थिति यह

न हो जाय कि गन्ना इस साल जलाया जाय। आलू सड़ रहा है, मारकेट के अन्दर नहीं जा रहा है।

चौथी बात परिवहन के बारे में कहना चाहता हूं, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, श्रीमन्। उसमें एक सुझाव है। आबादी बढ़ गई है, यह आप अपने कैबिनेट स्तर से कर दें, जितनी रूट्स प्रदेश की हैं, उसकी आप हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, निश्चित रूप से आपका रेवन्यू बढ़ेगा श्रीमन्, और सवारियों को भी आवागमन की सुविधा मिलेगी। आर0 टी0 ओ0, आगरा श्रीमन्, वह जानता है कि दो महीने में उसका तीन साल पूरा होने जा रहा है। इसलिए उसने 40 परमिट आगरा में दे दिया। दो-चार को छोड़कर मैं कहता हूं कि जांच करा लीजिए। श्रीमन्, कुछ उधर के माननीय सदस्यों को उसने परमिट दिया है।

मान्यवर, एटा के जो एम0 पी0 हैं, उनको पत्नी को परमिट मिला है। राजस्व के बारे में श्रीमन्, जैसा मैंने कल भी कहा था, एक नियम आपके यहां पर, 122 (एफ0) यह है, जमींदारी अधिनियम के अन्तर्गत अगर कोई हरिजन जो है, वह ग्राम समाज की जमीन या नजूल की जमीन पर कब्जा कर लेता है, तो उसको आप रेगुलराइज कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि यदि किसी हरिजन के पास, या जिस व्यक्ति के पास जमीन नहीं है, अगर कोई भूमिहीन हो, बैकवर्ड हो या कोई अगर क्लास का हो या भूमिहीन है, मजदूर कृषक है, तो उस पर भी आप यह अटलाई करें।

एक और बात आपसे निवेदन करूंगा श्रीमन्। यहां पर यह होता है, प्रैक्टिस में तो यह है कि जब कभी एस0 ओ0 सी0 स्तर से अपीलें खत्म हो जाती हैं, तो आप कब्जा दिलवाते हैं। लेकिन श्रीमन्, आज 25 हजार निगरानियां पड़ी हुई हैं, जो निस्तारित नहीं हुई हैं। श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि जब तक इस कंसालिडेशन के अन्दर निगरानियों का निस्तारण न हो जाय, तब तक आप पजेशन न दिलवायें, वरना परेशानी पैदा हो जायगी। आपने कोटा बांध दिया है कंसालिडेशन के कि इतने केसेज का वह निस्तारण करेंगे। अब वह कमरे में बैठकर निस्तारण कर देते हैं। श्रीमन्, यह कंसालिडेशन ऐसी चीज है, उसको सबके बीच में बैठकर सुनना चाहिए। लेकिन आपने एक कोटा बांध रखा है कि सी0 ओ0 ढाई सौ मुकदमा एक महीने में तय करें। इसमें आप कह सकते हैं कि खर्च बहुत ज्यादा है। लेकिन खर्च से ज्यादा आपको उस कृषक की मुसीबत को देखना चाहिए। कोटा आप न बांधिये, ताकि उसको न्याय मिल सके और यह हैफजर्ड बे में न हो सके।

कुछ चकबंदी के संचालक हैं, उनको प्रोमोट होना चाहिए। जो जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उसकी सुनवाई के लिए आप एक एडिशनल एस0 डी0 एम0 नियुक्त करने जा रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि चकबंदी के लोग जो इससे वाकिफ होते हैं, उनमें से इस काम के लिए आप लें। एक और

[श्री राजेन्द्र सिंह---]

बात है श्रीमन्, कल मैंने कही थी, तकलीफ वहां होती है, मैं यह कहता हूं कि मुझे भी उसी के समान समझा जाय, जैसे कि सारे नागरिक हैं। श्रीमन्, जिन मामलों में मैं भ्रष्टाचार की शिकायत करता हूं, परसनल अपने लेबिल से भेजता हूं, उसका निस्तारण नहीं होता है, तो मुझे तकलीफ होती है। मेरे क्षेत्र में दो ए० सी० ओज० के नेतृत्व में चकबन्दी हो रही है। मैं ने एक पत्र लिख दिया माननीय मन्त्री जी को कि यह दो ए० सी० ओ० बहुत बेईमान हैं इनको मेरे यहां न भेजा जाय। उनके दस्तखत के लेटर जो उनके लड़कों से पैसा वसूला गया। 4 महीने पहले मैं भेज चुका हूं। मैं नहीं कहता कि उनको हटा दीजिये लेकिन इतना तो कह सकता हूं कि उसको जांच कराकर ऐक्शन लीजिये। माननीय मुख्य मन्त्री जी मैंने प्रूफ दिया है। इसमें भी आप ऐक्शन नहीं लेंग तो क्या साख मेरी रहेगी और क्या साख आपकी रहेगी। चलिये मैं तो

(इस समय 5 बज कर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

विरोध का हूं लोग जानते हैं कि यह नहीं कर सकते हैं लेकिन आप तो कर सकते हैं, आपको ऐक्शन लेना चाहिए। इससे आपकी साख बढ़गी। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ आप जितनी जल्दी ऐक्शन लेंगे उतना ही अच्छा होगा।

मान्यवर, सिचाई के बारे में मैं एक-दो बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा सिरसी डैम के सम्बन्ध में टी० ए० सी० की एक रिपोर्ट है यह मेरे पास है। इतनी खोटी रिपोर्ट है। यह न पूछिये की यह कहां से मेरे पास आ गई। श्रीमन्, इसमें 60 लाख का गबन का मामला पकड़ा गया है। लेकिन आज तक कोई ऐक्शन नहीं हुआ है। वह अधिकारी वहीं पर है। उसको निलम्बित होना चाहिए था लेकिन वह वहीं मौजूद है। टी० ए० सी० आपकी सबसे बड़ी टेक्निकल कमेटी है, उसकी रिपोर्ट को आपको स्वीकार करना चाहिए था। अगर आप उस पर ऐक्शन नहीं लेंगे तो आपकी साख गिरेगी।

श्रीमन्, एक बात मैं ठेकेदारी की प्रथा के बारे में कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं विद्युत् विभाग में सिचाई में, पी० डब्लू० डी० में, सबमें ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए। राम गंगा डैम जो एशिया का सबसे बड़ा डैम है, उसको विभाग ने स्वयं बनाया, ठेकेदारों से इसमें काम नहीं कराया गया है। लेकिन विभाग के अधिकारी इसको विभाग द्वारा नहीं कराना चाहते हैं, वह लेबर की परेशानी से बचना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि ठेकेदारों से कराने पर उनको कमीशन मिल जाता है, अगर विभाग करायेगा तो सीमेंट की बोरी मजदूर पकड़ लेगा और कहेगा कि इसमें हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए।

मान्यवर, टेहरी डैम है। मैं कहना चाहता हूं कि आप लेबर की परेशानी से बचने के लिए आप एक लेबरफोर्स बना दीजिये। हमने तो बनाने का प्रयास किया लेकिन हम हट गये। आप एक फोर्स 10 हजार की लेबर फोर्स बना दीजिये। उनको बराबर काम करने के लिए आप दीजिये, उनको काम करने भर के लिए आपके पास काम है। आपको यह फोर्स स्टेट के वेलफेयर में बनाना चाहिए। इससे प्रदेश का हित होगा।

श्रीमन्, ट्यूबवेल की बात है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं। माननीय सिचाई मन्त्री ने भी बड़ी तारीफ की है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह के ट्यूबवेल वर्ल्ड बैंक लगा रहा है, उसी तरह के सिचाई विभाग

भी लगाये। उसी तरीके का इस्तेमाल आप भी करें। दूसरी बात मैं यारडिस्टक बना रखा है बुन्देलखण्ड के लिए। जहां 10 हजार से 15 हजार गैलन पानी मिलता है, वहां पर आप ट्यूबवेल लगा देते हैं। मेरा निवेदन यह है कि प्रदेश में और स्थानों पर जहां सलाइन वाटर है, वहां पर भी यही यारडिस्टक लागू कर दी जाय।

कल मैंने मुजफ्फरनगर की बात कही थी कि किस तरह से वहां पर डी० एम० और एस० पी० 302 के अपराधी को छुड़ाना चाहते हैं। उन्होंने 90 दिन तक चार्जशीट नहीं लगाई जिसके कारण वह छूट गये। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आदर्श लगसमा इन्टर कालेज, अलीगढ़ के प्रधानाचार्य के खिलाफ चोरी, गबन और 420 का मुकदमा दायर किया गया। आपकी पुलिस ने चार्जशीट लगा दिया और ट्रायल शुरू कर दिया जब आपके ऊपर पोलिटिकल प्रेशर पड़ा। तो मान्यवर, प्रयास किया गया कोर्ट में एप्लीकेशन मूव का गयी कि केस बिड्रा हो जाना चाहिये लेकिन मैजिस्ट्रेट ने लिख दिया कि केस बिड्रा नहीं होगा। रिवीजन में उसके खिलाफ गये कि विड्रा करने की इजाजत दी जाय लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज ने लिखा कि प्राइमा फेसाई केस बनता है विड्रा नहीं हो सकता है, इसलिये आप इसको देखें कि इसमें क्या हुआ। शिक्षा विभाग का टेलीफोन इसमें गया है कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है, वह सस्पेंड था उसको ज्वाइन करा दिया गया तो ऐसा आप काम करना बन्द करें।

अब मान्यवर, मैं सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में एक बात कहूंगा कि राज्य मंत्री जो देखें कि इलाहाबाद में जहां के चीफ मिनिस्टर रहने वाले हैं, वहां से दो स्टेट मिनिस्टर हैं और कुल 5 मिनिस्टर इलाहाबाद से हैं, वहां के बारे में 8 तारीख को नार्दर्न इंडिया में पढ़ा है कि 15 दिन में जो सीरियस केस हुये हैं, उसमें एक तो 85 हजार रुपये का गवर्नमेन्ट मनी पोस्ट आफिस से चोरी हो गयी है और दूसरे 80 हजार रुपये की डीजल जीप की चोरी गयी है, तो जहां आप रहते हैं वहीं यह हो रहा है, इसके अलावा मम्फोर्डगंज से 21,600 रुपये के जेवर चोरी में गये हैं। आपके यहां सिटी में इस तरह के काम हो रहे हैं। इनको आप देखें।

मान्यवर, अब मैं नौकरशाही के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आज के पेपर में निकला है कांग्रेस (आई) के सस्पेंडेड विधायक, श्री अकबर अहमद का बयान है कि रेजीडेन्ट कमिश्नर के माध्यम से किसी विधायक का परसुएशन किया गया कि मेनका गांधी का प्रोग्राम स्थगित कर दिया जाय, मेरा निवेदन है कि आपके वह कुलीग थे, इसलिय श्री राजेन्द्र त्रिपाठी या श्री अम्मार रिजवी जो अच्छे थे उनको भेजते किन्तु उनको न भेजकर रेजीडेन्ट कमिश्नर के माध्यम से विधायक का परसुएशन हुआ है तो यह गलत और निंदनीय बात है।

श्री मुईद अहमद---

कोई परसुएशन नहीं हुआ है ।

श्री राजेन्द्र सिंह---

मान्यवर, यह मुझे पेपर से जानकारी हुई है । आप सदस्यता को बतायें तो मुझे डिनाई नहीं है ।

अब मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 14 जून, 1981 को महारानी नेपाल मथुरा आयी थीं । यहां से और केन्द्र से आदेश हुये कि उनको राज्य अतिथि माना जाय किन्तु जिलाधिकारी, मथुरा ने उनका अपमान किया, न रिसेप्शन किया और न रिसीव करने गये और न मिलने गये । इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया । उनका जो अपमान किया गया, यह निंदनीय है, इसको आप देखें ।

मान्यवर, राजकीय सेवाओं में ग्रामीण अंचल के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाय और विकास के कार्यों में ग्रामीण अंचल का प्रतिनिधित्व होना चाहिये । इसमें सुझाव है कि जैसे अभी ओला वृष्टि से सरसों की फसल तबाह हो गयी, और श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान बैठे हैं, उनके क्षेत्र में ऐसा हुआ है, श्री गुलाब सेहरा के वहां भी ऐसा हुआ है, किसान सरसों को उखाड़ कर जिलाधिकारी के पास ले गये और कहा कि इतना नुकसान हो गया । मैं सत्य कहना चाहता हूं कि किसान ने अधिकारी से कहा कि सरसों ओला वृष्टि से जमीन में गिर गया है तो अधिकारी ने कहा कि जमीन से उसको उठा लो । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति गांव से सम्बन्धित नहीं है, वह नहीं जानता है कि वह जमीन से उठ सकेगा कि नहीं । इसलिये ऐसे अधिकारियों के बनाने से किसानों का भला नहीं होने वाला है । इसके सम्बन्ध में मैं एक-दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं । मान्यवर, एक कोटेशन है । नेशनल एकेडमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन के जुलाई, 1961 के जर्नल में श्री आर0 के0 त्रिवेदी तथा डा0 डी0 एन0 राव ने लिखा है । आपकी इजाजत से मैं वह पढ़ना चाहता हूं ।

"दैट ओनली 143 आउट आफ 1191 (और 12 प्रतिशत) आई0 ए0 एस0 आफिसर्स दैट देयर वर इन दि कन्ट्री ऐट दि टाइम, वेयर बार्न इन दि होम आफ ऐन एग्रीकलचरिस्ट, पैसेज आफ दि टाइम हैज मेड लिटिल आर नो डिफरेन्स इन रिक्रूटमेन्ट टु दिस कैडर, इन 1974 दि परसेन्टेज आफ सन्स आफ एग्रीकल्चरिस्ट्स रिक्रूटेड टु आई0 ए0 एस0 रोज टु 14 ।"

मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि इस पर हमारा अधिकार नहीं है । इसका मतलब है कि आई0 ए0 एस0 में 12 परसेन्ट लोग थे जो किसानों के बेटे थे, ग्रामीण अंचल के थे । सन् 1974 में वह 14 परसेन्ट हो गये हैं । आप कहेंगे कि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है । लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो ऐसी पोस्टें हैं उन पर ऐसे लोगों को नियुक्त करें जो ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित और उसकी जानकारी रखते हों । यह तो आप कह सकते हैं । मान्यवर, संघ लोक सेवा आयोग के सर्वेक्षण के अनुसार यह आया है कि---

"ओनली 50 आउट आफ ए टोटल आफ 165 सक्सेसफुल कैन्डीडेट्स फार दि आई0 ए0 एस0 एन्ड, आई0 पी0 एस0 इन 1975 वेयर फ्राम रूरल एरियाज ऐज हील, एटसेट्रा, इनक्लूडिंग बोथेथ हैविंग एग्रीकल्चरल और नान एग्रीकल्चरल बैक ग्राउन्ड"

संख्या 8---कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17-गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23---नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25---नियुक्ति बिभाग, अनुदान संख्या 26---नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36---प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62---सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63---सतर्कता अनुभाग, अनुदान संख्या 67---सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68---सार्वजनिक उद्योग व्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77---सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15---गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24---नागरिक सुरक्षा विभाग

तो मेरा कहना है कि चूंकि वह कंपर्टीट नहीं कर पाते हैं तो आप यह कर सकते हैं कि इन जगहों पर जो ग्रामों से सम्बन्धित व्यक्ति हैं, उनको वहां रखें हमारे मुख्य सचिव साहब बैठे हैं। मुख्य मंत्री जी मैं जिस समय मिनिस्टर था तो एक फाइल आयी थी। आपके यहां पड़ी होगी। एक सुझाव आया था कि जो आज डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफिसर होते हैं उनकी जगह पर चीफ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर होना चाहिये। आई0 ए0 एस0 और 7 इयर्स की स्टैंडिंग होनी चाहिये यह उनका सुझाव था। तो हमने कहा कि आपका सुझाव जो है उसमें एक नोट लगा लीजिये कि सात साल तक वह अधिकारी गांव में रहेगा और बिजली और कार हम नहीं देंगे। लेकिन वह सुझाव कट गया। आप रिकार्ड देख लीजिये यह बात हुयी थी। तो मेरा कहना है कि इसका परिणाम क्या होता है, देख लीजिये। 29-1-81 के स्टेट्समैन में निकला है, श्री रोमेश थापर ने लिखा है :

"इफ दि सोशियल पर्सपेक्टिव्स वेयर लैंकिंग, ऐट लीस्ट दि लोकल रिप्रेजेन्टेटिव्स आफ ब्रिटिश राजडिड एवरीथिंग पोसिबिल टु क्रियेट दि फीलिंग दैट ही वाज एराउन्ड, वाचिंग ऐन्ड सुपरवाईजिंग, नाउ ऐक्सेप्ट फार दि ओकेजनल रश थ्रू बाई जीप, थाउजैन्ड्स आफ विलेजर्स नेवर रियली फील दि इम्पैक्ट आफ दि ऐडमिनिस्ट्रेशन।"

श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जब माननीय नेता विरोधी दल मन्त्री थे तबकी पत्रावली का रिफरेंस दे रहे हैं, सोक्रेसी की ओथ लो होगी। तो क्या उन फाइलों का रिफरेंस बाद में दे सकते हैं ? उन फाइलों की सोक्रेसी आउट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, यह वक्ता के लिये विचारणीय विषय है, इस पर मेरे व्यवस्था देने की कोई बात नहीं है। वक्ता स्वतः यह देखे कि वह इसका उद्धरण दे या न दे।

श्री राजेन्द्र सिंह---

मान्यवर, आगे कहा गया है---

"विलेज आफ इन्डिया, अनलाइक दि टाउन एक्सेक्ट्रा इज नाट टाकेटिव, बट इट इज एबिल टु फाइन्ड इट्स ओन इन्टरप्रिटेशन आफ व्हाट गोज आन, ए प्रोफाउन्ड फीलिंग आफ नेग्लेक्ट प्रीवैल्स।"

मान्यवर, इसका अर्थ है कि ब्रिटिश जमाने में कम से कम इतना तो होता था कि ब्रिटिश शासन के अन्दर जो काम होते थे, जो उनके प्रोजेक्ट हैं

[श्री राजेन्द्र सिंह—]

उनको सुपरवाइज करने के लिये उनका उच्चतम अधिकारी धूप में खड़ा होकर टेंट लगाकर वहां रहेगा। आज क्या हो रहा है, आज आदमी जीप में बैठकर आता है, राउन्ड लेकर आ जाता है। प्रोजेक्ट बाद में तैयार होता है, पहले उसकी रिपेयर शुरू हो जाती है।

मैंने जैसा कल भी कहा कि डि-सेण्ट्रलाइजेशन कर रहे हैं और डि-इन्डस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि आपका एक नारा था "गरीबी हटाओ", मेरा सुझाव है कि इसके स्थान पर "बेकारी हटाओ" होना चाहिये। यदि प्रदेश और देश से बेकारी हटा दो तो गरीबी अपने आप हट जायगी। बेरोजगारों को रोजगार देने से बेकारी हटेगी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो0 अशोक मित्रा ने एक पुस्तक लिखी है—"पापुलेशन, फूड एन्ड लैंड इन इक्वेलिटी", इसमें उन्होंने कहा है कि—

"इंडिया हैज दि कैपेसिटी टु प्रोड्यूस ऐज मच ग्रेन ऐज इट्स एस्टीमेटेड 950 मिलियन पीपुल बिल नीड इन दि इयर 2000..." दि इण्डियन कल्टीवेटर लुक्स कम्पीटेंट इनफ टु डिलिवर दि गुड्स प्रोवाइडेड दि इन्पुट्स आर मेड एवेलेबिल टु हिम एण्ड दि डिसएबिलिटीज आफ दि स्मॉल प्रोड्यूसर आर प्रोग्रेसिवली रिमूव्ड।"

आप भी मानते हैं कि इण्डियन फार्मर इतना काबिल है कि इस देश के लिए ही नहीं, विदेश के लिए भी प्रोड्यूस कर सकता है।

मनुष्य की क्रयशक्ति "प्रोडक्टिव इम्प्लायमेंट" से ही बढ़ सकती है, अनप्रोडक्टिव इम्प्लायमेंट" से इनफ्लेशन बढ़ता है, जो कि समस्या मूलक है।

मान्यवर, एक देहाती कहावत है—जाके पैर न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई। इस शासन को चलाने वाले राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने गरीबी देखी नहीं, भूख देखी नहीं, देहात देखा नहीं, एयर-कण्डीशन से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—

"माण्डा" देहात ही है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

राज्य का नाम भूल गया था, माननीय अध्यक्ष जी ने याद दिला दिया, यह तो राजा साहब माण्डा हैं।

एक नोबुल प्राइज विजेता ने विज्ञान भवन में आयोजित एक सेमिनार में 15 मार्च, 1973 को कहा था—

"दैट पालिसी मेकर्स इन इण्डिया पोलिटिकल लीडर्स साइंटिस्ट्स ब्यूरोक्रेट्स एण्ड एजूकेटर्स ..शुड रिमेन हेंगरी फार ए फोर्टनाइट टु एप्रीसिएट दि बाइलोजिकल वैल्यू आफ फूड"

इसी तरह से ये नहीं जानते हैं कि भूख क्या होती है और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले किस तरह से गुजारा करते हैं।

इस तरह से इसके आगे "चाइल्ड आफ दि डार्क" में करोलिना मेरिया ने लिखा है कि--

"ब्राजील नीड्स टु बी लेड बाई ए परसन हू हैज नन हंगर, हंगर इज आलसो ए टीचर दोज हू गर्वन आवर कंट्री आर दोज हू हैज मनी, हू डू नाट नो हवांट हंगर इज आंर पेन आर पावर्टी"

वही स्थिति आज देश के साथ है। सर्वपल्ली डा0 राधाकृष्णन ने 1951 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कहा था––

"सो फार ऐज फीजिबिल, एग्रीकल्चरल एजूकेशन, एग्रीकल्चरल रिसर्च ऐंड दि फारमुलेशन आफ ऐग्रीकल्चरल पालिसी शैल बी इन दि हैंड्स आफ परसन एण्ड ग्रुप्स और एसोसिएशन्स अफ परसन्स हू, बाई इन्टीमेट एसोसिएशन, पार्टिसिपेशन एण्ड एक्सपीरिएंस, हैव फस्ट हैण्ड पेनेट्रेटिंग नालेज आफ ऐग्रीकल्चरल लाइफ"

श्रीमन्, इसका ट्रान्सलेशन यह है कि कृषि एजूकेशन के अन्दर, खेती की एजूकेशन के अन्दर पालिसी बनाने के लिए कि कृषि की पालिसी क्या होनी चाहिये, इसमें वही व्यक्ति होने चाहिये जो कि एग्रीकल्चरल लाइफ से मेडीटेटेड हों, वही उसमें रहें। उनको आप यही कर दें कि वह केवल सामान्य प्रशासन ही सुधार दें, उनको बाईपास न कर दें। होनी यह चाहिये कि रेवन्यू का काम डी0 एम0 से लें और सामान्य प्रशासन का, ला एण्ड आर्डर का काम एस0 एस0 पी0 करे और एस0 पी0 करे, तो निश्चत रूप से सुधार होगा। मैं फिर वही बात कहूंगा कि जिसके बिवाई नहीं फटती है वह पर पराई कैसे जानेगा। इसके साथ ही मैं अब समाप्त करता हूं और साथ ही आग्रह करता हूं कि आप मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)––

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल को कल भी सुनने का अवसर मिला और आज भी। सुना था कि संगत में बहुत ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि जिसको नींद न आती हो, उसको सुला देता है। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल का भाषण संगीत से भी सशक्त रहा और उसका प्रभाव इतना रहा मान्यवर, कल तो आप पीठासीन नहीं थे लेकिन उपाध्यक्ष जो यहां विराजमान थे, तो यह तो मैं नहीं कह सकता कि आपके भाषण का प्रभाव था जो वह निद्रा में चले गये लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि वह निद्रा की मुद्रा में जरूर थे।

श्री हुकम सिंह––

तो आज आप लोरी सुनाइये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

लोरी सुनना तो एक चीज रही लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि जो भाषण हुआ उसकी जगह किसी थानेदार की जी० डी० (जनरल डायरी) पढ़ दी गयी होती तो वह इससे अच्छा होती। मैं आशा करता था कि जैसे कल चकबन्दी पर माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत कहा और मैं सोचता था कि कम से कम आज विचारों की चकबन्दी हो जाय, कल तो समय की हदबन्दी थी ही नहीं, लेकिन आज जो उड़ान चक लगी विचारों की तो कहां से उड़कर कहां गयी, मेरे समझ में तो आया नहीं, बड़ी कठिनाई हो गयी कि क्या नक्शा आया है, कहां से शुरू करूं ? बड़ी कठिनाई हो गयी है मुझे कि शुरुआत कहां से करूं।

मान्यवर, इतना है कि बहुत कुछ गृह विभाग के सम्बन्ध में बातें कही गयीं और यह विवाद केवल इस समय या इस निर्धारित समय पर नहीं बल्कि जब सदन चलता रहता था, विभिन्न अवसरों पर होती रही। कई अवसरों पर यह कहा गया कि पुलिस निष्क्रिय है, पुलिस निकम्मी है।

श्री सत्यपाल सिंह--

ठीक कह रहे हैं आप।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मैं तो ठीक कहता ही हूं। अब सुनिये। जब पुलिस सक्रिय हुई तो कहे कि अब तो फाल्स इनकाउन्टर हो रहे हैं। पुलिस को खरोंच तक नहीं लगी, जब पुलिस ने अपना बलिदान दिया, जीवन का बलिदान दिया तो कहते हैं कि सरकार ने पुलिस को मरवा दिया और जब एनकाउन्टर न हों, गिरफ्तार कर लिए जायें, अरेस्ट किये जायें तो कहते हैं कि मिली-जुली। मान्यवर, समझ में नहीं आता है।

(सत्ता पक्ष की ओर से तालियां)

मान्यवर, एक बीमारी अगर हो जाये कोई तो एहसास होता है कि यह बीमारी है। एक ही बीमारी होती है जिसमें एहसास नहीं होता कि मैं बीमार हूं, जब वह मस्तिष्क की बीमारी होती है।

(तालियां)

मान्यवर, देवली की बात आयी, बहुत दुखद घटना रही। यह बात भी सही है कि उस समय मैंने प्रतिज्ञा जरूर की थी कि 24 दिसम्बर तक अगर जो हमारे हरिजन भाइयों पर, जिन्होंने हत्या की हैं, एक ऐसा काण्ड किया है जिससे मानवता सिर नीचे कर ले, उस समय ऐसी घटना के रहते हुए मुख्य मंत्री पद पर बने रहना कोई भी माने नहीं रखता था। 24 दिसम्बर चला गया लेकिन उस प्रतिज्ञा की तारीख, मैं आज भी, मैं समझता हूं कि उससे बंधा हूं और बचनबद्ध हूं और उस बीच में, देवली काण्ड के आपके 4 अपराधी मारे गये और 13 और गिरफ्तार किये गये। यह तो एक चीज रही मान्यवर, लेकिन तकलीफ एक बात की होती है कि लाश पड़ी हो, घर के आवें और रोने लगें तो तसल्ली होती है लेकिन वह आवें जिन्होंने जिन्दा रहने पर एक बार भी हाल चाल नहीं पूछा हो, बड़ी घबराहट होती है। मान्यवर, एक दल है और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे प्रान्त में चले जायें और यह जन-जन का विश्वास है और जन विश्वास के सामने कोई भी तर्क, कोई आंकड़े मायने नहीं रखते। जो हरिजन

भाइयों को कभी भी अपने राजनीतिक अधिकारों को, अपने राजनैतिक प्रयोग करने का मौका नहीं देता हो, जिन लोगों ने, जिस दल ने और जिन नेताओं ने हरिजन भाइयों को बैलेट-बाक्स का मुंह तक नहीं देखने दिया, घर से निकलने नहीं दिया था, उस दिन उन के घर जा कर हमदर्दी दिखाने गए थे। यह इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ही थी जिस ने ऐसे राजनीतिक बन्धुआ मजदूरों को जनवरी, 1980 में मुक्त किया।

श्री रियासत हुसैन--

मुख्य मंत्री जी, थोड़ी सी एक बात मेरी सुन लें, नाम न बतायें लेकिन हरिजनों के बारे में जो बात आपने कही है, चूंकि आप की प्रतिज्ञा अभी स्टैन्ड कर रही है, तो उस परिपेक्ष्य में कह रहा हूं, ढाई महीने हो गए, साढ़पुर मर्डर किसने किया था, इसकी अन्तिम सूचना या कोई जानकारी हो गई या नहीं ? नाम न बतायें केवल हां या न में जवाब दे दें कि हो गई है या नहीं। क्योंकि आप की प्रतिज्ञा स्टैण्ड करती है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

इस पर भी आता हूं मान्यवर, यह अधिकार जीवन और मृत्यु से भी बड़ा होता है। वोट के माध्यम द्वारा केवल अपना ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का निर्णय होता है। उसका अपहरण करने वाले, उसकी हत्या करने वाले एक जिन्दगी लेने वाले से ज्यादा कातिल और गुनहगार हैं। मान्यवर, जब दूसरे दल के पास सत्ता और कलम और ताकत थी और सब आप लोग साक्षी हैं कि जो हमारे हरिजन भाई हैं उनके लिए क्या किया गया। कई चीजों को उजागर करना होता है मान्यवर। कल श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर सबसे अधिक अत्याचार हुआ तो इस विषय में एक भी घटना हो हमारे हरिजन भाइयों के साथ तो आंकड़ों से तौलकर उसको कम बेशी नहीं किया जा सकता है लेकिन कभी-कभी आंकड़ों के जाल में भ्रम भी होता है और इस मामले में हमने गृह मंत्रालय को भी लिखा है कि कई मायने में अपने प्रान्त में अगर प्रास आंकड़े दिये जायं तो वह सर्वाधिक होंगे क्योंकि वहां की जन संख्या अधिक है। अनुपात की बात नहीं है लेकिन कभी-कभी भ्रम हो जाता है।

यहां पर बच्चे भी सबसे अधिक पैदा होते हैं और मरते भी सबसे अधिक हैं। यहां पर सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स भी हैं और सबसे ज्यादा अनपढ़ भी हैं तो प्रास फैक्टर्स जो आते हैं उसमें तुलनात्मक ढंग से देखा गया तो प्रति लाख अन्य प्रदेशों में देखा गया कि हरिजनों पर जो अत्याचार होता है, वह अधिक है तो यह नहीं कि खुशी है कि और प्रान्तों में ज्यादा है, वहां भी नहीं होना चाहिये और यहां जो हो रहा है वह भी कम होना चाहिये लेकिन जो एक विभाग में बात बैठी हुई है उसको सामने रखना चाहता हूं। यह प्रति लाख आंकड़े हैं आबादी के हिसाब से। बिहार में 19.85,

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---]

राजस्थान में 28.95, मध्य प्रदेश में 59.08 और उत्तर प्रदेश मे 16.60 प्रति लाख होता है । मान्यवर, यही नहीं, दूसरे भी ढंग से देखा जा सकता है । क्या आप जब सत्ता में थे, हम यह नहीं कहते कि हमने पूरा कर लिया है, हम इस पर गर्व नहीं करते हैं लेकिन हम उसमें कुछ कमी कर सके हैं कि नहीं, यह देखने की बात है । 1978 में 5229 घटनायें हरिजनों पर अत्याचार की हुई, आपके शासन काल में । सन् 79 में 4102 घटनायें हुई । सन् 1981 में वह घट कर 3800 रह गयीं । सर्वाधिक आपके जमाने में हरिजनों पर अत्याचार हुए थे । मान्यवर, यही नहीं, सन् 1979 में 7 आदमियों को छबिराम और पोथो के गैंग ने मारा, 7 जनवरी, 1980 को 9 व्यक्तियों को विद्याराम के गैंग ने मारा, मैनपुरी में 18 नवम्बर, 1979 को 11 हरिजनों की हत्या की गयी । इटावा में 2 दिसम्बर, 1981 को 9 व्यक्तियों को मारा गया प्रीतम के गैंग द्वारा, 10 दिसम्बर, को प्रीतम गैंग ने 14 व्यक्तियों को मारा जिनमें 10 जाटव थे 30-7-78 को रामपुरा में घनश्याम के गैंग ने 6 आदमियों को मारा ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

जो सूची आप पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार ठाकुर ब्राह्मण और बनिया कितने मरे ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

पिछड़ी जाति के साथ गड़रिये आदि और लोग भी मारे गए हैं । लेकिन जहां पर आपका यह इतिहास है, वहीं पर इस शासन का भी यह इतिहास है कि भीमा, विद्या आदि डकैतों ने आप के जमाने में जो हत्यायें की थीं, उनको हम लोगों ने समाप्त किया है, आपने नहीं समाप्त किया । यही नहीं, उसमें जुटा हुआ है इनकाउन्टर का प्रश्न भी । छबिराम गैंग के साथ जो इनकाउन्टर हुआ वह सच है या झूठ है, बलवान गैंग के साथ जो इनकाउन्टर हुआ, वह सच है या झूठ है मुस्तकिम गैंग के साथ जो इन काउन्टर हुआ, वह सच है या झूठ है । इसी तरह से विद्याराम, लक्ष्मी नारायन व रामचन्द्र गैंग के साथ जो इन-काउन्टर हुआ वह सच है या झूठ है । मतोला, रघुनाथ, पकुआ और सुरेश गैंग के साथ जो इनकाउन्टर हुआ वह सच है या झूठ है । राधे, सन्तोषा, भीमा मल्लाह रघुनाथ मल्लाह आदि के जो 18 गिरोह थे, वे किस तरह से मारे गए और समाप्त हुए, सच और झूठ आपके सामने है। (व्यवधान) मारे क्यों गए, अगर इसकी आप को तकलीफ है तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है । माधवपुर में वीर के0 पी0 सिंह जो शहीद हो गये, उनकी विधवा के बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने कल जिक्र किया था और मैं उनको समय भी दे चुका हूं । उनकी सारी बातों को सुन कर उस पर पूरी कार्यवाही करूंगा । लेकिन लोग वहां पर मारे गए हैं । उनमें से एक भुलावन पंडित के खिलाफ 47 क्रीमिनल केसेज थे और आज भी यह खबर छपी है कि वह कत्ल करके सर को काट कर गांव में घुमाता था । अब 20 सर इस तरह से काट कर घुमा चुका था । परिक्रमा दीन जो वहां मारा गया, उस के खिलाफ आठ क्रिमिनल केसेज हैं, भूसेला के खिलाफ सात क्रिमिनल केसेज हैं, रामधनी के खिलाफ आठ क्रिमिनल केसेज हैं, ओम प्रकाश के खिलाफ सात क्रिमिनल केसेज हैं, जगराम के खिलाफ सात क्रिमिनल केसेज हैं, साधू

खिलाफ ग्यारह केसेज हैं, राम समझ के खिलाफ अठारह केसेज हैं और चार जो हैं उनकी आइडेण्टीफिकेशन शिनाख्त पूरी नहीं हुई है !

लेकिन यहां पर मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं जहां सच्चे ढंग से पुलिस लड़ रही है, कुरबानी दे रही है, वहीं शासन भी सतर्क है। कोई गलत इन-काउन्टर होगा तो शासन उसको कभी सुरक्षा नहीं देगा। अगर प्रान्त में एक भी बेगुनाह की जान जाती है तो शासन उस को बख्सेगा नहीं जो इस तरह से जान लेगा . . .।

श्री अकबाल हुसैन––

मान्यवर, माधोपुर आप हेलीकाप्टर से जा सकते हैं, खुद चल कर देख लीजिए . .।

श्री अध्यक्ष––

आप बैठें। जब जब तक वह नहीं बैठेंगे आप नहीं पूंछ सकते।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

मान्यवर, इसलिए इस बारे में शासन दृढ़ है। इलाहाबाद में थरवई थाने के अन्तर्गत तीन व्यक्तियों की हत्या हुई। शासन को शंका हुई कि गलत हुई। वहां का जो थानेदार है उन के खिलाफ 302।

श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा––

इलाहाबाद में जो इनकाउन्टर हुए आप बता दें एक भी सही हुआ सब के सब फर्जी हुए . .।

श्री अध्यक्ष––

माननीय कुशवाहा, बैठें। माननीय मुख्य मंत्री जी जब बैठ जायं तब बोलें . . .।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

मान्यवर, सब फर्जी होंगे तो सब पर कार्यवाही होगी। जो हमारी जान-कारी में आया उस पर कार्यवाही हुई है, आप के सामने निवेदन करना चाहता हूं। गलत इनकाउन्टर होगा तो शासन उसका दृढ़ता से मुकाबला करेगा, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं और उसका दृष्टान्त देना चाहता हूं। इलाहाबाद में जो हुआ उस सिलसिले में 302 का मुकदमा हत्या के लिए पुलिस कर्मी पर चलाया गया। मान्यवर, मैनपुरी में शिवपाल के लड़के की हत्या के सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 के माध्यम से पूरी

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]—

जांच कर के उन पर कार्यवाही की जा रही है । रमाकान्त पाठक के मुठभेड़ के सम्बन्ध में 302 का मुकदमा चलाया गया । इसी तरह 11 और मामलों में सी० आई० डी० द्वारा जांच की प्रक्रिया चल रही है ।

इस तरह से यह स्पष्ट है····

(श्री राम सागर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

वे खड़े हैं, आप बैठ जाइये····

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर····

श्री राम सागर—

[* * * ····]

श्री अध्यक्ष—

बैठिए, आप की बात लिखी नहीं जायेगी····

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जो प्रश्न हो उस को बता दें उस का उत्तर दे सकते हैं । अभी हर बात का उत्तर नहीं दिया जा सकता है । प्रश्नोत्तर तो प्रश्नों के लिए एक घन्टे के लिए रहता है मान्यवर, जो हत्यारे और डकैत हैं, असामाजिक तत्व हैं, हम लोगों ने गालियां जरूर दी हैं आपकी तरह माला नहीं पहनाई है । आप सन् 1977 का ख्याल करें । जो अपराधी तत्व थे, जो समाज के अन्दर स्मगलिंग करते थे क्राइम करते थे, डकैती और मर्डर करते थे उनको आपने मालायें ही नहीं पहनाई बल्कि मीसा के अन्दर एक नियम बना दिया जिसके जरिये वे कई चीजों के हकदार हो गये और वे राजनीतिज्ञों की श्रेणी में आ गये । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की केटेगरी को काटकर के आपने उनको सुविधायें दे दीं । जो लोग मीसा में बन्द थे उनके लिए इस तरह से मीसा में नियम बनाकर वे सारी सुविधायें दे दीं जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलती हैं ।

श्री मोहन सिंह—

जिनको गलत ढंग से बन्द किया था । मान्यवर, जिन लोगों को राजनीतिक कारणों से लोकतंत्र का हत्या के कारण वंशवाद का पंजा जमाने के लिए बन्द किया था, उनको हमने सुविधा दी ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

वही सुविधायें नहीं दी थीं । अपने शासनकाल में 5,024 लोगों के विरुद्ध मुकदमें भी वापस लिये थे । शासन के आदेशों पर जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा वापस लिए गये वादों की संख्या 3754 थी और शासन के विशेष आदेशों द्वारा वापस

नोट :—[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

संख्या 8––धार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17––गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23––नागरि उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25––नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26––नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36–– प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62–– सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 63––सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 67––सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68––सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77––सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15––गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24––नागरिक सुरक्षा विभाग

लिए गये वादों की संख्या सन् 1977 में 1026 थी और 1978–79 में 244 थी। इस प्रकार कुल मिलाकर 5024 मुकदमें वापस किये गये। अपने शासन-काल में हमें यह विरासत में मिली है। गुलाब की मालायें ही नहीं पहनाई बल्कि माला पहना कर मुकदमे वापस किये और कारबाइन के लाइसेन्स भी दिये।

श्री मोहन सिंह––

यदि कारबाइन के लाइसेन्स फर्जी थे और गलत लोगों को मिले थे तो शासन में आने के बाद आपका यह अधिकार सुरक्षित था कि आप उन कारबाइन के लाइसेन्सेज को निरस्त कर सकते थे, आपने कोई कार्यवाही की ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव––

मान्यवर, सदन में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिससे कि जनता में भ्रम पैदा हो जाय। मान्यवर, आपको ज्ञात है कि मीसा के अन्दर एक धारा 16 थी उसमें इमरजेंसी के समय 16 (ए) धारा बढ़ाई गई थी जिसमें यह अधिकार था कि बन्दी व्यक्ति को कोई कारण नहीं बताया जायेगा जिन कारणों के अन्तर्गत वे बन्दी किये गये थे। उस धारा में यह भी है कि जब इमरजेन्सी समाप्त हो जायेगी तो कथित यह धारा अपने आप समाप्त हो जायेगी। जिस समय इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार गई थीं और ये सूचना 4 बजे प्रातः आई तो यह दफा आने आप समाप्त हो गई क्योंकि आपात कैबिनेट की बैठक दिल्ली में हुई तथा इमरजेन्सी समाप्ति की घोषणा की गई। जिस कारण ये लोग जो निरुद्ध थे वे स्वतः ही छूट गये और कांग्रेस की सत्ता में ही उत्तर प्रदेश में मुकदमें वापस हो गये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

मान्यवर, मैं जानता हूं कि मैं चुभती हुई बात कर रहा हूं और एकदम जब कोई चीज चुभ जाती है तो आदमी कांटे की तरह उचक जाता है। तो जरा धीरज रखें ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

कृपया शांत रहें। बैठ जायें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं, जो बातें यहां उठाई गई हैं आदर पूर्वक उनका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[समय 6 बजकर 5 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

कारबाइन का सवाल माननीय मोहन सिंह ने उठाया कि आपने क्या कार्यवाही की ? पहली कार्यवाही तो यह की गई कि नये लाइसेंस कारबाइन के बन्द कर दिये गये हैं दूसरा यह कि चूंकि आर्मस ऐक्ट के अन्दर यह लगभग सिटिजन का हक हो गया है कि वह वैपन रखे अगर उसको निरस्त किया जाता है तो हाईकोर्ट में वह अपील कर सकता है तो यह कारबाइन सिविल वैपन न रहे इसके लिए केन्द्र सरकार को मौजूदा सरकार ने लिखा है तो उसी कार्यवाही में हमारे यदुनाथ सिंह जी कारबाइन नहीं ता दूसरे में यह भी इस प्रक्रिया में आ गये ।

श्री यदुनाथ सिंह--

डकैतों को राजा महाराजाओं के यहां से बन्दूकें दी जाती हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय यदुनाथ सिंह बैठें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, गृह विभाग पर जो बहस हुई उसमें हम बहुत सी चीजों का मूल्यांकन करते हैं और आंकड़ों में फंस जाते हैं क्योंकि उसी से मूल्यांकन होता है, जो पुलिस का काम है वह एक कठिन काम है वह संत और सेना के जनरल के बीच का काम है । संत तो सबको उपदेश देकर अपना रास्ता निकाल लेता है और फौज का जनरल दुश्मन को देख कर एक ओर से भस्म करता हुआ अपना काम करता जाता है । यह दोनों रास्ते पुलिस के नहीं हैं उसे बीच का रास्ता निकालना पड़ता है । इस बीच के रास्ते में अक्सर यह होता है कि जब कोई बहना निकलना होता है तो पुलिस ही का झांड़न बना देता है और हाथ पोंछ देता है । पुलिस प्रशासन की क्षमता यही है कि वह समाज में रह कर जन प्रक्रिया से नतीजा निकाले तो यही शासन और पुलिस की सीमा है । शांति और व्यवस्था का गहराई से अध्ययन करना होगा

(व्यवधान)

शासन और पुलिस किसी अपराधी को दंडित कर सकता है लेकिन शांति जो है वह समाज से ही उत्पन्न होती है, समाज के अन्दर जो विषमतायें हैं आर्थिक, सामाजिक या अन्य प्रकार की, उनको सामने रख कर चलना होता है । उसमें दन्ड की प्रक्रिया सीमित होती है अगर दंड से ही सब कुछ हो जाता तो शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी या दूसरों को आवश्यकता नहीं थी, सब पुलिस ही पूरा संभाल लेती । तो यहीं पर हमें सोचना होगा कि समाज के अन्दर कहां पर अंतर्द्वंद है, कहां पर विषमतायें हैं, कहां पर बालकों के विकास करने के लिए कौन ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर उस रास्ते से उसे मोड़ा जा सकता है । इसलिए गहराई के साथ इन सब बातों पर चिंतन करने की आवश्यकता है । दंड तो पुलिस और प्रशासन दे सकता है लेकिन उसमें ब्रेक और एक्सलेरेटर समाज के लिए अन्य दिशाओं से आना है ।

हम ब्रेक लगा सकते हैं, हम पुलिस को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उससे हम समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उससे समाज आगे नहीं बढ़ सकता है और वह एक्सीलेटर हम लोगों को देना है। किसी भी प्रक्रिया में जब समाज के प्रति जिम्मेदारी खतरे में होती है, तब ही जरायम होता है। अनुशासन टूटता है तो शासन आता है। शासन की तब आवश्यकता होती है जब अनुशासन टूट जाता है। लेकिन जब अनुशासन के लिए ऐसा नेतृत्व दिया जाय कि सेना विद्रोह करे और हाल ही में एक प्रान्तीय स्तर के नेता ने कहा कि चुनावों में लाठियां लेकर निकल आना चाहिए और उत्पादकता के लिए यह सलाह दी जाती है कि पूरे देश को बन्द कर दीजिये तो अनुशासन क्या रह जायगा ? जब अनुशासन की यह प्रेरणा समाज को एक ओर से दी जा रही हो तो हमारा ब्रेक भले ही कमजोर हो, लेकिन अपराध के एक्सीलेटर को आपने निश्चित रूप से दबाया है। इसमें कोई शक नहीं है।

कल यहां ट्रांसफर्स की बातें आई कि बहुत हुए। उनकी एक संख्या नेता विरोधी दल ने दे दी। इस समय मैं तत्कालिक रूप से इस स्थिति में नहीं हूं कि उसके बारे में सही या गलत वे आंकड़े दे सकूं लेकिन उनकी छानबीन करके मैं किसी समय इस सदन में बता दूंगा लेकिन गत वर्ष में यही कहा था कि हमने एक नाम बनाया है कि कोई किसी जिले डिवीजन में इतने वर्ष से ज्यादा रह गया होगा तो उसे हटाया जाय। बहुत लोग अड़े हुए थे, तमाम वह लोग हटाये गये, तो इस कारण यह संख्या बढ़ी है....

(व्यवधान)

लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि कम से कम हमारे जो डी0 एम0 व एस0 पीज0 हैं, कुल मिला कर 7/8 से ज्यादा डी0 एमस0 के लिए विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष से जो जनता द्वारा चुने हुए जनप्रति निधि हैं, के द्वारा यह आवाज नहीं आ रही है कि उसमें परिवर्तन किया जाय, या उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। जबकि गत वर्ष 80 में लगभग हर जिले की आ रही थी। तो यह शासन को भली भांति बिठाने की प्रक्रिया है। अगर कोई हमें ऐसा घर मिले जिसका फर्नीचर बिखरा पड़ा हो तो उसको कायदे से लगाने के लिए इधर से उधर करना पड़ेगा तब ठीक से जमेगा। इससे जाहिर होता है कि जो लोग बिठायें गये हैं, उससे जनप्रतिनिधियों को भी सन्तोष हो रहा है, लेकिन जहां पर गड़बड़ है और जन प्रतिनिधि किसी सुधार या परिवर्तन की बात करते हैं, तो उनको फिर देख कर पुनः बिठाना पड़ेगा। लेकिन इस प्रश्न पर यह जरूर कह सकते हैं कि लक्ष्यों की पूर्ति उस अधिकारी ने अपने जिले में किया है या नहीं, यह अवश्य नोट किया जायेगा। इसमें एक और लगाम रहेगी, जिला स्तर पर जो अनुश्रवण समितियां हैं, उसमें हर माह जब यह बताना पड़ेगा कि यह लक्ष्य है और यह उपलब्धि है। तो उस समय तुरन्त नौकरशाही पर जनप्रतिनिधियों का अपर हैण्ड हो जाता है, उनके प्रति अधिकारी उत्तरदायी होंगे। और वह नोट किया जायगा जिसने अपने लक्ष्य

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---]

पूरे नहीं किये हैं। उनके ट्रान्सफर्स और पोस्टिंग में भी वही ख्याल रखा जायेगा। इससे एक लाभ यह होगा कि जो अधिकारी अपने लक्ष्यो की पूर्ति कर रहा है उस पर आंच भी नहीं आयेगी। तो यह कार्य सामयिक ढंग से चल सकेगा। माननीय नेता विरोधी दल ने यह भी कहा कि मार्च के महीने में ही खर्च होता है। यह प्रक्रिया इस प्रान्त में थी लेकिन उस पर भी हमने लगाम लगाया है क्योंकि बजट समय से पेश कर रहें हैं और वित्तीय स्वीकृतियां भी शीघ्र ही 20-25 दिन या एक महीने में, अप्रैल में ही भेजने की कोशिश की जायेगी और यह भी देखा जायेगा कि किस स्थान पर धनराशि लगनी है। तत्पश्चात् जिले में एक महीने बाद मांनिटरिंग आरम्भ हो जायेगी तब मार्च के महीने तक कोई चीज पड़ी नहीं रह जायेगी। यह ही नहीं कि उनकी उपलब्धियों का बखान करना चाहिए वे भी आंकड़े आपके सामने आयेंगे कि किस विभाग के किस अधिकारी ने किस चीज में कोई काम किया है या नहीं किया है। फिर आप उन कमियों का सदन में बखान कर सकते हैं। विकास की दिशा में हम सबको ले चलने की प्रक्रिया बनायी जा रही है।

जहां तक आई० ए० एस० और पी० सी० एस० कैडर्स की बात कही गयी है उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। दोनों ने ही मिलकर काम किया है। पी० सी० एस० के स्टेगनेशन को देख कर कुछ पोस्ट्स, जिनमें वे आगे बढ़ सके, किया हैं। अगर कहीं शिकायत होगी, कहीं पर फ्रस्ट्रेशन होगा तो वह भी दूर किया जायेगा, उसके लिए अवश्य प्रयास किया गया है।

एडवाइजर्स के एक्सटेन्शन की बात का जहां तक सम्बन्ध है माननवर, एक तो ऐसा एडवाइजर रखा है जो चीफ सेक्रेटरी श्री बी० बी० लाल, जिसको 2 साल का एक्सटेन्शन मिला है। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

मुझे यह भी कहना है कि जो हमारे मौजूदा मुख्य सचिव हैं, वे बहुत ही ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति है।

यहां पर माननीय मोहन सिंह जी ने जातिवाद की बात उठायी कि नियुक्तियां से जातिवाद के आधार पर की जा रही है। इस प्रश्न का मैं सिद्धान्त रूप से उत्तर नहीं दूंगा। जो शासन अपने अधिकारियों को जाति को देखकर नियुक्ति करेगा वह शासन बिखर जायेगा।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजें थपथपायी गयीं)

शासन की मर्यादाओं का सिद्धान्ततः मैं उत्तर नहीं देता हूं। जो सक्षम अधिकारी हैं, उनको अवश्य रखा जायगा और जो अक्षम अधिकारी है, उनको रोका नहीं जायेगा। इसके अलावा और कोई उत्तर इस सम्बन्ध में नहीं है।

जहां तक यह कहा गया कि हमारा बहुत खर्चीला शासन है, यहां पर खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। मैं तुलनात्मक ढंग से रखना चाहता हूं। तामिल नाडू में प्रशासनिक सेवाओं में प्रति व्यक्ति यदि आप देखें कि वहां पर राजस्व व्यय (रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर) क्या है तो आपको विदित होगा कि....

श्री विद्या सागर नौटियाल---

तामिलनाडु बहुत ही छोटी स्टेट है ?

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 62--सतर्कता अनुभाग, अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग, अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) तथा अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

बड़ी पर भी आता हूं। आप सुन तो लीजिये ? तामिलनाडु में यह 20·71 रुपया प्रति व्यक्ति है, पंजाब में 30.16 रुपये, उड़ीसा में 20.01 रुपये, कर्नाटक में यह 17.44 रुपये है, हरियाणा में 26.14 रुपया, आसाम में 21.28, आन्ध्र प्रदेश में 19.96 और उत्तर प्रदेश में 16.21 रुपये खर्च है।

कल माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा कि नियुक्तियां बढ़ गयीं। 1-4-80 तक कर्मचारियों की संख्या 6,99,976 थी और वह 1-4-81 को 7,42,188 हो गयीं। मान्यवर, जहां तक राजपत्रित कर्मचारियों की बात है उनकी संख्या 1-4-80 को 37,661 थी और 1-4-81 को वह घट कर 36,870 हो गयी। यानी 791 पदों की इसमें कमी हुई। जहां तक अराजपत्रित कर्मचारियों की बात है, उनमें बढ़ोत्तरी हुई है और वह 43,103 की है, लेकिन वह इस लिये हुई कि हम लोगों की जो चीज विरासत में मिली उसके कारण। आप देखें कि चिकित्सा में ही 22,239 की वृद्धि हुई। इस प्रकार विभिन्न विभागों में हुई है, हरिजन कल्याण में हुई है, वन विभाग में हुई है, पशुधन विभाग में हुई है....

(व्यवधान)

एक सदस्य--

पशुधन में कितनी वृद्धि हुई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

पशुधन में कोई वृद्धि नहीं हुई है, उसमें घटोत्तरी हुई है।

(हंसी)

कल एक सुझाव चकबन्दी के बारे में, नोटिफिकेशन के सम्बन्ध में आया था कि उसमें कुछ सरलता की जाय। इस पर विचार किया जा रहा है, उसकी कुछ रूप रेखा बनायी जा रही है और कानूनी राय भी ली जा रही है कि कैसे उसमें सरलता लायी जाय। इसे हम देख रहे हैं।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि जो हमारे ए0 आर0 हैं बिना उनकी स्वीकृति के जिलाधिकारी किसी मामले में दखल नहीं दे सकते। शायद राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने यह आपत्ति उठायी थी। मैं यह चीज स्पष्ट कर दूं यह बात जरूर है कि बीच में एक जी0 ओ0 गया। कोआपरेटिव केवल खाद्यान्न ही नहीं देतीं, वे खाद भी देती हैं, लोन भी देती हैं। तो इस मामले में विचार हुआ कि इसम ए0 आर0 को भी रखा जाये, उनकी राय हो जाये। लेकिन अब उसका निराकरण कर दिया गया है। अब यह किया गया है कि कोई भी एस0 डी0 एम0 सक्षम है कार्यवाही करने के लिये, लेकिन

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—]

अगर बन्द करने का है तो डी० एम० को स्वीकृत होगी, ए० आर० की स्वीकृति की जरूरत नहीं है ।

उर्दू के सम्बन्ध में एक बात माननीय रियासत हुसैन साहब ने उठाई ।

(व्यवधान)

माननीय मोहन सिंह जी ने भी उठायी । यह कहा गया कि उसमें मतान्तर है । इस सम्बन्ध में कोई भी मतान्तर नहीं है । यह बहुत स्पष्ट रूप से इस सदन में कहा गया कि जो हमारी घोषणा-पत्र है, उस प्रतिज्ञा को हम लोग पूरा करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैंने तो कहा था कि अध्यादेश संख्या 12 जो उर्दू को दूसरी सरकरी जबान बनाने के सम्बन्ध में थी, उसको क्यों नहीं जारी किया ?

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, उर्दू को सेकण्ड लैंग्वेज का दर्जा देने के सम्बन्ध में जो अध्यादेश संख्या 12, सन् 1982 था, उसको क्यों नहीं जारी किया गया ?

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैंने कल भी कहा था कि इस सम्बन्ध में आदेश दे दिये गये हैं । मान्यवर, गौरी शंकर जी ने आरक्षण के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं, मान्यवर, इस सम्बन्ध में आदेश दे दिये गये हैं कि अगर इन्टरव्यू होंगे और उसमें आरक्षित कोटे के कैंडीडेट्स नहीं आते हैं, हमारे हरिजन भाइयों के तो वह पद रिक्त रहेगा अगले इन्टरव्यू तक वह पद भरा जायगा । गौरी शंकर जी ने बहुत मौलिक चीज कही है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं और जो चुभती है वह है सामाजिक गरीबी और वह ज्यादा चुभती है, वह ज्यादा दर्दनाक है । जो सुझाव अभी हमारे नेता विरोधी दल ने दिया कि जो भूमि किसी सवर्ण के पास है, उसको भी दे दीजिए । जो सुविधा हमारे हरिजन भाइयों को है, वही भूमिहीनों को है, जिनके पास 3 1/8 एकड़ से कम भूमि है उन लोगों को दे दी जाय । हमारे हरिजन भाइयों के पास और इस समाज के पास धन दौलत तो है नहीं, एक ही पूंजी उनकी शरीर है । वह सुबह जब दिन निकलता है, सूरज उठता है, तो वह उठकर सबसे पहले अपनी शरीर को बेंचता है । शाम को उसी अपनी शरीर के परिश्रम से बाल-बच्चों को पालता-पोषता है । जिस दिन उसकी शरीर नहीं चलती है, उस दिन उसके बाल-बच्चे भूखों रहते हैं । एक और घर है उसके पास नाम हरिजन का और उसको भी भजाने वाले बहुत हैं । इस समाज में एक समय मुझको याद है कि जब भूमि के आवंटन के अन्दर केवल भूमिहीन लिखा गया था, हरिजन नहीं लिखा गया था, तो जिसके पास कोई भी दौलत नहीं थी, जिसके पास केवल एक दौलत थी हरिजन नाम की, उस नाम को बेंच कर लोगों ने खा लिया । इसलिए आज जो हमारे हरिजन भाइयों को दिया जा रहा है, उसमें अगर

साझेदारी, अगर किसी तरह से उसके लिये किया जाता है, तो सम्भवतः वह भी उन्हें नहीं मिल सकेगी ।

श्री राजेन्द्र सिंह––

मान्यवर, मेरा यह मतलब नहीं था कि हरिजन को जमीन न दी जाय, वह आप गलत समझ रहे हैं । मैंने यह कहा कि अगर किसी गैर हरिजन आदमी ने गांव समाज की जमीन पर बहुत पहले से कब्जा कर रखा है और उसके पास जमीन नहीं है, तो उस पर विचार करें । देना चाहें दें या न दे । हरिजन से छीनने की मेरी मंशा नहीं है । यह आप गलत समझ रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन––

मान्यवर, मुरादाबाद के बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत बखान किया है मुरादाबाद की मस्जिदों के रेस्टोरेशन के बारे में कुछ और कह दीजिएगा, मान्यवर, क्या पोजीशन है श्रीमन् इस वक्त ? जरा वह भी बता दीजिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह––

मान्यवर, कल हमारे कुछ साथियों के बारे में बात कही गयी और यह आरोप लगाया गया कि नगर विकास मंत्री श्री गोयल जी ने किसी एक फर्म को, उनका आशय यह था कि उन्होंने मदद दी और खरीद की गयी । इस सम्बन्ध में शासन जो है वह आर्डर प्लेस करता है, पहले तो टेन्डर के माध्यम से होता है, उसमें एक कमेटी होती है, इसको शासन या मन्त्री नहीं करता । मंत्री के लेबिल पर भी बात नहीं आती । मुख्य अभियन्ता, निर्माण निगम जल मुख्य अभियन्ता, निर्माण निगम पी० पी० आर० डी० विभाग उसका विश्लेषण करता है । इस सम्बन्ध में मान्यवर, अधिकारियों की एक सामान्य कमेटी होती है । और उसके अनदर यह लिया गया है । इसमें यह भी है कि आई० एस० मार्क वाला सामान ही लिया जा सकता है । यही नहीं, एक चीज हम लोगों ने यह भी किया है । उद्योगबन्धू के अन्दर उद्योगपति और उद्योगकर्मी आते थे और यह लाते थे कि प्रदेश के अन्दर खरीद नहीं हो रही है, बाहर से खरीद हो रही है । इस लिये हम लोगों ने नियम बनाया, छोटे उद्योग जो यहां पर लगे हैं उन उद्योग को 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक प्राइस में डिफरेन्स देंगे और इस निर्धारित नीति के अन्दर जो आदेश दिये गये विभिन्न फर्मों को इसकी पूरी सूची है । इसकी जांच हो सकती है । लेकिन इसमें किसी तरह का आरोप किसी मंत्री पर लगाना न्याय-पूर्ण नहीं है ।

एक चीज मेरी नोटिस में आई, एक फर्म इलेक्ट्रिक के पोल बनाती है उसने कहा मुझसे क्यों नहीं खरीद रहे हैं । इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्नालाजी की जरूरत नहीं होती है केवल लोहा और सीमेंट लगता है । पता लगाने पर मालूम हुआ कि आपके शासन काल में दिल्ली की एक फर्म से कई वर्षों के लिये इतने पोल खरीद

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

लिए गए हैं कि अब खरीदने की जरूरत ही नहीं है, जब तक वह खत्म न हो जाय । यह शाही नहीं, शहनशाही थी । एक चीज दल नेता विरोधी दल ने हमारे सहकारिता मन्त्री के बारे में कही । कहा कि डी0 आई0 ओ0 एस0 को बुलाकर कहा । मान्यवर, एक अदालत का निर्णय है हाईकोर्ट का निर्णय है । उसको मंत्री जी छोड़ दीजिये, एक यहां का नागरिक जो है, एक साधारण नागरिक का अधिकार है, एक न्यायालय के निर्णय के बारे में किसी भी ऊंचे से ऊंचे अधिकारी के पास यहां तक कि मुख्य मन्त्री का भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए । यह भी विचारणीय है कि अगर न्यायालय के निर्णय का, साधारण नागरिक के ध्यान आकृष्ट करने पर किसी अधिकारी द्वारा उसका कार्यान्वयन नहीं होता है तो सत्ता का दुरुपयोग कौन कर रहा है, यह विचारणीय है मैं नहीं कहता । एक साधारण नागरिक को जो अधिकार प्राप्त है जब वह मंत्री बन जाता है तो वह अधिकार खत्म नहीं हो जाता ।

श्री मोहन सिंह--

18 को निर्णय हुआ और 10 को कार्यान्वयन हो गया ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, एक बात हमारे खाद्य मंत्री प्रो0 बासुदेव सिंह के बारे में कही गई । हमारी उनसे बात हुई । उन्होंने बताया ऐसी बात नहीं है । कहा गया कि सहकारिता विभाग को पूंजीपतियों से लिया जा रहा था इसलिए विभाग ले लिया गया । यह विभाग अलग नहीं है सामूहिक जिम्मेदारी है । यह बात सही है पूंजीपतियों की जो वितरण में व्यवस्था थी उसको सहकारिता ने ले लिया । उसमें कोई समझौता नहीं हुआ है । पूरी सरकार का निर्णय है । उनके कथन को तोड़-मरोड़ कर कहा जा रहा है । उन्होंने हमसे बताया कि ऐसी बात नहीं है । उन्होंने ऐसा नहीं कहा था ।

मान्यवर, आबकारी विभाग के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं गयीं । तो मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार प्रदेश के अदर जो बड़े-बड़े सिंडीकेट हैं, उन पर प्रहार करने का एक कदम उठाया गया है । अभी प्रक्रिया चलती थी कि किस शहर की नीलामी पहले हो । तो इस सम्बन्ध में चूंकि नगर वही है और प्राप्त वही है । इसलिये हर साल निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है । अतः उसको बंद करके अब यह किया है कि एक दिन के अंदर सारी नीलामी की गयी जिससे हमारे आय में कोई कमी नहीं हुई बल्कि बढ़ोत्तरी हुई है । साथ ही साथ जो फारेन लीकर है उसका थोक व्यापार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है । इसलिये सिंडीकेट पर कंट्रोल हुआ है ।

अब मान्यवर, नामिनेशन की बात आयी और कहा गया कि श्री काशीनाथ मिश्र के लड़के का नामिनेशन हो गया । तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि नामिनेशन उस समय हुआ जब वह मंत्री नहीं थे बल्कि विधायक थे और नामिनेशन विधि और कानून के अनुसार किया गया है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, आपने दो मंत्रियों के लड़कों के लिये गोलीय पत्र लिखा है । मान्यवर, मुझे आपत्ति नहीं है कृषि मंत्री के लड़के का एडमीशन करा दिया बल्कि आपत्ति यह है कि मुख्य मंत्री ने मंत्रियों के अपात्र लोगों का एडमिशन कराया है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह——

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि····

श्री मोहन सिंह——

जिस निदेशक ने गोपनीय पत्र छपवाया उनके प्रति कोई आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह——

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि जब नामिनेशन हुआ है तो काशीनाथ मिश्र जी मंत्री नहीं थे ।

दूसरी बात नियमों में परिवर्तन करने के बाद हो, नियमों के तहत नामिनेशन हुआ है ।

मान्यवर, कल पब्लिक सेक्टर की बात आयी और पब्लिक सेक्टर के परफारमेंस की बात हुई । इस सम्बन्ध में मैं आदरणीय सदन के समक्ष जो पब्लिक सेक्टर में सुधार हो रहा है, वह रखना चाहता हूं ।

मान्यवर, सीमेंट कारपोरेशन जो 1980–81 में 268 लाख रुपये के घाटे पर था, वह 81–82 में 10 लाख रुपये के मुनाफे में जा रहा है ।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन जो 24 लाख रुपये के लाभ में 81–82 में था, आशा की जाती है कि वह 65 लाख रुपये के लाभ में जायगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह——

अभी तो बैलेंस शीट नहीं बनी होगी ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह——

मैं अनुमानित बता रहा हूं । मान्यवर, इसी तरह से है ड्लूम कारपोरेशन 1981–82 में 11 लाख रुपये के मुनाफे पर था, ब्रिज कारपोरेशन 30 लाख रुपये के मुनाफे पर था, फूड और इसेंशियल कमोडिटीज कारपोरेशन 15 लाख रुपये के मुनाफे पर रहा है । वेयर हाउसिंग कारपोरेशन 103 लाख रुपये के मुनाफे पर रहा है और यह आशा है कि इस तरह का लाभ इस वर्ष इनका बना रहेगा । इसके अलावा अन्य जो कारपोरेशन हैं, जैसे माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, फाइनेंशियल कारपोरेशन, पंचायत राज वित्त निगम, गन्ना बीज निगम, स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, तो इस तरह के 29 कारपोरेशन हैं जो मुनाफे में इस समय चल रहे हैं, कुल कारपोरेशन 56 में से यह हैं ।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--]

प्रश्न आता है यू0 पी0 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 का। मुख्य घाटा सबसे बड़ा इसमें है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सन् 1981-82 में अगर ग्रास आपरेटिंग सरप्लस लें जिसके अंदर सूद इंडस्ट्रियल फाइनेंस का और गवर्नमेंट का जो सूद है, जो काम चल रहे हैं पूरे नहीं हुये हैं, उस पर सूद लग रहा है। तो उसको निकाल दें तो 1981-82 में 45 लाख रुपये फायदे में है। घाटा जो है इडस्ट्रियल फाइनेंस में जो लोन लिया गया है, एल0 आई0 सी0 बांड में उसमें 44·58 करोड़ रुपये का है और जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है वह 124 करोड़ का सूद पड़ता है। डिप्रेसियेशन 54 करोड़ पड़ता है। तो इस तरह से 177 करोड़ रुपये का घाटा होता है जिसके अंदर ग्रास आपरेटिंग सरप्लस 45 करोड़ रुपये है, एल0 आई0 सी0 का सूद 44 करोड़ रुपये है और गवर्नमेंट का सूद 124 करोड़ रुपये है, डिप्रेसियेशन 54 करोड़ है। तो कुल मिलाकर 177 करोड़ का घाटा होता है। अगर इसमें आप विचार करें तो एल0 आई0 ई0 सी0 की जो स्कीम है, समाज सेवा के लिये जो लगायी जाती है, उसके माध्यम से 160 करोड़ रुपये और जो गवर्नमेंट का सूद है, इसमें जो काम लग गये हैं, वह रेवेन्यू में चार्ज कर दिया है, यह 48 करोड़ है। तो इस प्रकार 208 करोड़ होता है। तो इस तरह से सरप्लस 31 करोड़ आता है। यह पहले नहीं था। 1979-80 में 13·62 करोड़ कम था। 1980-81 में 1·7 करोड़ का घाटा था। तो इस तरह से देखा जाय तो वह, क्षति नहीं है जो आपके सामने है।

हमारा यू0 पी0एस0 आर0टी0सी0, यह बीच में डीजल, टायर और सब चीजों के भाव बढ़े लेकिन रेट नहीं बढ़ाया गया तो बीच में घाटा रहा लेकिन वह घाटा भी यू0पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 का घटता गया है और उसके अंदर जहां कि 9 करोड़ 65 लाख वर्ष 1980-81 में था, उसका घटकर 1981-82 में जनवरी तक के आंकड़े हैं, 1 करोड़ 86 लाख तक है, पहले से सुधार हुआ है। यदि अन्य प्रान्तों से तुलना करें तो हमारा प्रान्त रोडवेज में बहुत अच्छी परिस्थिति में है। आन्ध्र में 16 करोड़ 90 लाख, गुजरात में 25 करोड़ 59 लाख, कर्नाटक में 10 करोड़ 96 लाख और महाराष्ट्र में 37 करोड़ 92 लाख रु0 का घाटा है। इस मायने में हम लोग सुधार में जा रहे हैं।

आज इस प्रदेश से बिहार को 50 लाख की बिजली हम दे चुके हैं फरवरी में ही। दिल्ली और राजस्थान को भी विद्युत दे रहे हैं ले नहीं रहे हैं। प्लाण्ट लोड फैक्टर एक चिन्ता रही थी, स्वीकार किया था कि इसका सुधार करेंगे और आज जो प्लाण्ट लोड फैक्टर है, वह दूसरे प्रान्तों से ऊपर है।

हमको अब और कुछ नहीं कहना है, अन्त में केवल एक चीज एक आखिरी विन्दु उठाया था माननीय नेता, विरोधी दल ने और वह मैगजीन देखकर जिसमें कि मेरा वाक्य--"माई फेल्योर इज टोटल" छपा हुआ था। यह सही है कि उस मैगजीन ने कोई भी गलत बयानी नहीं की है, जैसा मैंने कहा था, वैसा ही उसने छापा है। विफलता जब मैं आंकता हूं यहां की जन आकांक्षाओं से यहां पर इस प्रान्त की प्रगति से, आवश्यकताओं से और यहां पर जिस गति से हमको चलना है तो मान्यवर, उसको आकड़ों से नहीं अपनी सफलता और विफलता से अपनी बेचैनी से नापता हूं और इस बेचैनी के माध्यम को मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूं।

जब तक किसान को चैन नहीं है, मेहनतकश को चैन नहीं है जब तक हरिजन के झोपड़े में दिया नहीं जलता, वह भूखा रहता

है, जब तक नौजवानों के हृदय में चैन नहीं है, जब तक मेहनतकश का काम, उसका जीवन, जो चिमनी का धुआं बन चुका है, उसको चैन नहीं है, तब तक मुझको भी चैन नहीं है। इस मायने में और इस मापदण्ड पर में अपने को विफल मानूंगा लेकिन परास्त नहीं मानूंगा और इसीलिये सदैव संघर्षरत रहता हूं। जन-आकांक्षाओं के इस महासागर में हम सब एक बिन्दु मात्र हैं, एक बूंद हैं लेकिन चूंकि जन आकांक्षाओं के सागर की बूंद है, इसलिये उसकी उच्चतम लहर की हुंकार भी है, शक्ति भी है।

श्री रियासत हुसैन--

मुरादाबाद की दोनों मसजिदों का जो रेस्टोरेशन है उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया ?

मुख्य मन्त्री जी, मुरादाबाद की मसजिदों के रेस्टोरेशन के बारे में आप कुछ तो कह दें।

(मुख्य मन्त्री की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ₹2,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह ह कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले बर्ष में अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि को पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,50,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,81,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26--नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,82,24,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन मांग को राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62--सचिवालय प्रशासन विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 62 --सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,30,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 63--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 98, 93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 67--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68--सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,17,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

[समय 7 बजे]

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77--सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,47,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,24,79,07,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,22,53,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52--विधान परिषद् सचिवालय

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,85,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,85,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 53--विधान सभा सचिवालय

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53--विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,82,17,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53--विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,82,17,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिसमें माननीय हरिवंश सहाय और नन्द किशोर सिंह की प्रदेश के कई जिलों में प्रश्न-पत्रों के परीक्षा केन्द्रों पर न पहुंचने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की गई है। शेष अस्वीकार की गई हैं।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

नियम 51 की सूचना पर सरकार की ओर से बयान की तिथि तो तय करा दें ?

श्री अध्यक्ष--

19 तारीख को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक है, उसी में यह तय हो जायेगा।

उन्नाव जिले के थाना बीघापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बेहटागोपी में एक ही परिवार के चार व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री रजेन्द्र त्रिपाठी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-3-82 को प्रातः 10·00 बजे श्री गार्गी शंकर, ग्राम प्रधान, ग्राम बेहटा गोपी ने थाना बीघापुर पर लिखित सूचना दी कि दिनांक 6/7-3-82 की रात्रि में श्री चन्द्र माधव उर्फ रज्जू, श्रीमती कृष्णा कुमारी, श्रीमती द्रौपदी निवास ग्राम बेहटा गोपी एवं दुर्गा चरन उर्फ झब्बू पुत्र राजकिशोर उर्फ सद्धू शुक्ल, ग्राम गौरी, थाना बीघापुर को अन्दर मकान में किसी ने कत्ल कर दिया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना बीघापुर पर दिनांक 7-3-82 को मुकदमा अपराध संख्या 39/82 धारा 302 भारतीय दन्ड विधान पंजीकृत हुआ।

उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष बीघापुर अन्य कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर दिनांक 7-3-82 को पहुंचे और मकान के अन्दर (1) चन्द्र माधव उर्फ रज्जू, (2) श्रीमती कृष्ण कुमारी, (3) श्रीमती द्रौपदी तथा (4) दुर्गा चरन उर्फ झब्बू आयु लगभग 13/14 वर्ष को मृत पाया। यह भी जानकारी हुई कि अभियुक्तगण एक लाइसेन्सी एस0 बी0 बी0 एल0 बन्दूक नं0 एम-48 2115 कारतूस तथा रेडियो, नकद व जेवर लूट ले गए ।

दिनांक 11/12-3-82 को घटना से सम्बन्धित अभियुक्त (1) राम स्वरूप, (2) मिथलेश कुमार उर्फ बबुआ व (3) चन्द्र किशोर उर्फ भैय्यन को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने इस घटना का इकबाल किया और फरार अभियुक्त विनोद शंकर उर्फ कल्लू के नेतृत्व में घटना का करना स्वीकार किया । दिनांक 13-3-82 को अभियुक्तों को उन्नाव जेल भेज दिया गया । फरार अभियुक्त विनोद शंकर की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । विवेचना से अभियुक्त एवं मृतकों का आपसी रिश्तेदारी पायी गयी ।

अभियुक्तों की निशानदेही पर लूटी गई लाइसेन्सी एस0 बी0 बी0 एल0 बन्दूक तथा एक छोटी कुल्हाड़ी जिससे बन्दूक की बट काटकर जला दी गई तथा अभियोग में प्रयोग किए गए 5 कारतूसों के खोल तथा 15 कारतूस आदि बरामद किए गए । अभियुक्त मिथलेश कुमार उर्फ बबुआ तथा चन्द्र किशोर उर्फ भैय्यन की पैन्टों की मोहरियों पर खून के धब्बे भी मिले हैं, जिन्हें रसायनिक परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है । विवेचना अभी जारी है ।

घटना के दिन अथवा रात्रि में थाना बीघापुर से कोई भी पुलिस पार्टी ग्राम बेहटा गोपी गश्त में नहीं गई थी। उक्त गांव में भय व्याप्त होने की बात सही नहीं है ।

श्री ग्यासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी ने अभी जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें दो बातों की सफाई कर दें ।

क्या दफा 302 का करेक्शन करके दफा 396 किया गया ? और विनोद शंकर को गिरफ्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

दफा 396 और 412 में उनको पकड़ने की कार्यवाही की जा रही है और अगर तीन चार दिन के अन्दर उनको नहीं पकड़ा गया तो उनके खिलाफ और समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 7 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
18 मार्च, 1982

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1051 पर ।)

जिला पुरुष चिकित्सालय, बलिया में स्टाफ की स्थिति

पदनाम	स्वीकृत पद	वर्तमान में कार्यरत पद	रिक्त पद
1—डाक्टर	12	11	1
2—मैट्रन	1	×	1
3—असिस्टेन्ट	1	×	1
4—स्टाफ नर्स	16	7	9
5—कम्पाउण्डर	6	4	2
6—वार्ड ब्वाय	16	16	×
7—स्वीपर	12	12	×

संलग्नक—2

जिला महिला चिकित्सालय, बलिया में स्टाफ की स्थिति

पदनाम	स्वीकृत पद	वर्तमान में कार्यरत पद	रिक्त पद
1—डाक्टर	7	6	1
2—मंट्रन	×	×	×
3—असिस्टेन्ट मंट्रन	1	×	1
4—स्टाफ नर्स	12	3	9
5—कम्पाउण्डर	5	4	1
6—वार्ड ब्वाय/आया	9	8	1
7—स्वीपर	5	5	×

नत्थी 'ख'

(देखियें अतारांकित प्रश्न संख्या–35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1057 पर ।)

31 दिसम्बर, 1981 तक जनपद झांसी में खोले गये उपकेन्द्रों की सूची प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र एवं उपकेन्द्रों के नाम, जहां स्थापित किये गये हैं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बबीना—

1—खजुराहा बुजुर्ग

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोछाभावर—

2—भट्टागांव

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोठ—

3—लोहागढ़

4—बसोबई

5—सेरसा

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बंगरा—

6—भिटौरा

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मऊरानीपुर—

7—खदरका

8—भवरवारा

9—ककवारा

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरसराय—

10—दरबई

11—भसनेह

12—एवनी

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बामौर—

13—इस्किल

14—बस्ता

15—कुरैठा

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोछाभावर—

16—करारी

17—विरगवां

18—जौरी बुजुर्ग

19—घुघुवा

20—जरवा

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बबीना—

21—बडपुरा

22—हसारी

23—चमरुआ

24—बिजौली

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोठ—

25—जौरा
26—खिल्ली
27—सेसा
28—भरोसा
29—सिमिरिया
30—बेलमा कला
31—चिरगांव खुर्द
32—बडेरा कला

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बंगरा—

33—पलरा
34—बिजहा
35—लहरगांव
36—कचनेव
37—खिसनी बुजुर्ग
38—पडरा

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मऊरानीपुर—

39—रोनी
40—सियावरी
41—बरौरी
42—ढकवारा
43—लहचूरा

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरसराय—

44—महेवा
45—गोरपुरा
46—बिजौरा
47—गुढा
48—बगरा
49—बवारी
50—कनका पहाड़ी
51—बरोरा

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बमसौर—

52—सिगार
53—सिया
54—अरजरा
55—बरमपुरा
56—गोता

पी0एस0यू0पी0—28 वि0 सभा—17-8-83—685 (पी0डी0)।
28 वि0 सभा—11